(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का उन्नीसवां दिवस [संख्या : 11

सोमवार,

10 अप्रेल, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध

उदयपुर में छात्र-छात्राओं पर लाठीचार्ज की घटना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह जी।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस आज के प्रश्न पर आने से पहले मैंने अभी जो मूव किया है आपके पास–

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न है पहले।

श्री लक्ष्मण सिंह : जी हां, मैं उस पर आने से पहले एक मिनट अपनी आज.....

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : प्रश्नकाल स्थगित करने की बात कही है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : उदयपुर में मेडिकल कॉलेज में जो छात्राओं पर पुलिस ने (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, रूल नम्बर 306 पर मैंने मोशन मूव किया है कि रूल 28 को सस्पैण्ड किया जाय। रूल 28 में जो आज की कार्यवाही दी हुई है उस कार्यवाही से पहले जो उदयपुर के अन्दर छात्र और छात्राओं पर निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है और वहां पर जो अन्याय और बर्बरता का वातावरण बना है उसके ऊपर हम इस सदन में पहले...

श्री विष्णु मोदी : चर्चा करना चाहते है।

श्री लक्ष्मण सिंह : चर्चा करना चाहेंगे और प्रश्नकाल को स्थगित करना चाहेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : छात्राओं को निर्ममता से मारा गया है।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : चार लड़कियों के तो सिर फटे है, आठ लड़कियों के हाथ पांव में फ्रेक्चर हुआ है। पुलिस ने वहां पर आंदोलन करने वाले लड़के और लड़कियों को जिस बर्बरता से पीटा है और जितना + + + पुलिस का वहां हुआ है, पूरे शहर के अन्दर वातावरण इस तरह का बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल को सस्पैण्ड किया जाये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : क्योंकि सारे मेडिकल कॉलेज के अन्दर हड़ताल की चेतावनी दी गयी है, सारे मेडिकल कॉलेज बंद होने वाले है, अध्यक्ष महोदय, और (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल तो स्थगित नहीं होगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नकाल को स्थगित करके इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करायें और सरकार की तरफ से स्टेटमेंट लाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल स्थगित नहीं होगा। बिराजिये आप। पहले प्रश्नकाल ले लेते है। आप बिराजिये अब।

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार वक्तव्य दे इस पर। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल पहले भी स्थगित हुए हैं। जुगताराम प्रकरण के ऊपर प्रश्नकाल स्थगित हुआ है। राजस्थान के मेडिकल कॉलेज सब बंद होने वाले हैं और पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ने वाली है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है और......

श्री लक्ष्मण सिंह : हम आपकी बात से सहमत हैं लेकिन प्रश्नकाल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की सूचना आती है, उनके प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए प्रश्नकाल पर अभी यह रूलिंग दी जा रही है कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं होगा। आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : इतनी एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिचुएशन है कि पुलिस ने छात्राओं को होस्टल से निकाल कर ..

श्री विष्णु मोदी : लड़कियों को मारा, चार लड़कियों के सिर फटे है, हाथ पॉव टूटे हुए है।

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : एक-एक मिनट बहुत कीमती है।

श्री अध्यक्ष : अब एक बार रूलिंग दे दी है कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की है उदयपुर में मेडिकल कॉलेज के विषय को लेकर, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि इस पर चर्चा की जाय। मैं यह चाहता हूं कि केवल पुलिस लाठीचार्ज पर ही चर्चा नहीं हो, माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेजेज जब से बने हुए हैं उस समय से लेकर आज तक, छोड़ दीजिये उस समय का पुराना इतिहास, पिछले पांच-दस वर्षों में कितनी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बार इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और माननीय सदस्य इस पर भी विचार कर लें कि आज जिस प्रकार की व्यवस्था मेडिकल कॉलेजेज में चल रही है (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : आप पुरानी घटनाओं को इस ताजा घटना से जोड़ कर इसको डाइल्यूट करना चाहते है। मुख्य मंत्रीजी, बहुत गंभीर बात है, पूरे राजस्थान में मेडिकल सर्विसेज हड़ताल पर जाने वाली हैं और आप पुरानी घटनाओं को इस नयी घटना से जोड़ना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठो तो सही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजे आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : इस विषय को दार्शनिकता के दृष्टिकोण से नहीं ले, इस विषय के ऊपर जाना जरूरी है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आज तक राजस्थान में लड़कियों के ऊपर पुलिस की इतनी बर्बरता नहीं हुई जो कि कल या परसों उदयपुर में हुई। पुलिस के द्वारा लड़कियों के सिर फोड़े गये हैं।(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : इसको फिलोसोपाइज मत कीजिये, इसके जेनेसिस पर मत जाइये। इसको फिलोसोपाइज मत कीजिये (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लड़कियों के फ्रेक्चर हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप। माननीय मुख्य मंत्री जी कोई बात कह रहे है, आप सुनिये उसको पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। जो भी जानकारी आप चाहेंगे वह जानकारी दूंगा। जो गलतियां हुई हैं वह आपके सामने आयेगी, जो गलतियां नहीं हुई हैं वह भी आपके सामने आयेंगी। मैं यह चाहता हूं कि आज आपने जो समय मांगा है, आज की बजाय कल कोई भी समय तय कर लें और इसके ऊपर जितनी चर्चा करना चाहें कर लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आग लगी हुई है चारों तरफ और आप समय चाहते है। समय कांहे के लिए चाहते है। अगर सरकार के पास तैयारी है तो जवाब दे सरकार।

श्री लक्ष्मण सिंह : उदयपुर की पुलिस पूरी तरह से उच्छृंखल हो गयी है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : बर्बरता का + + + खेल रही है उदयपुर की पुलिस और आप कहते हैं कि इस पर कल चर्चा कर लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, कर लीजिए, इसमें क्या है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : क्या मैं यह मानकर चलूं, अध्यक्ष महोदय, कि

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

उदयपुर में मेडिकल छात्राओं के सम्बन्ध में जो घटना घटी है उस पर राज्य सरकार वक्तव्य देने जा रही है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाँ, कल दे देंगे वक्तव्य।

श्री परसराम मदेरणा : आज ही शाम तक हो जाय तो क्या है ?

श्री लक्ष्मण सिंह : आज चार बजे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल दे देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : नही-नहीं, आज शाम को दे दीजिये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज एक ऐसा ही और है इसलिए मैं कह रहा था कि कल दे देंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : आज चार बजे। सारे फैक्ट्स हैं। तीन दिन में...

श्री परसराम मदेरणा : कोई बात नहीं, कल दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह जी।

तारांकित प्रश्नोत्तर

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश

31. **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) एवं **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्र सरकार की "उदारीकरण" की नीति प्रारम्भ करने के पश्चात् राजस्थान में तीव्र औद्योगीकरण कराने के लिए क्या-क्या उपाय किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले चार वर्षों में किन-किन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने राज्य में कहाँ-कहाँ पर किस-किस इकाई के लिए कितनी-कितनी पूंजी का विनियोजन किया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक विकास से संतुष्ट है ? यदि नहीं, तो सरकार इसे बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है ?

(4) वर्ष 1994-95 में राज्य के औद्योगिक विकास में किस रूप में कितनी प्रगति हुई ?

उप मुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : (1) केन्द्र सरकार की उदारीकरण की नीति से पूर्व ही सन् 1990 में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से एक औद्योगिक नीति लागू की गयी थी। बदलते आर्थिक परिवेश के संदर्भ में सन् 1994 में प्रदेश की नयी औद्योगिक नीति लागू की गयी। इस नीति से आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, नियमों तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण, शक्तियों के विकेन्द्रीकरण, विभिन्न स्वीकृतियों हेतु समयबद्धता, निजी क्षेत्र के सहयोग आदि को बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त निवेश आकर्षित करने हेतु राज्य से बाहर एवं राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों के आयोजन किये गये है। उद्यमियों के मार्गदर्शन हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

व्यवस्था की गयी है एवं विभिन्न उद्यमियों एवं औद्योगिक संघों से निरन्तर सम्पर्क रखा जा रहा है।

(2) पिछले चार वर्षों में केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग से कोटा, भिवाड़ी, शाहजहापुर, अलवर एवं जयपुर में कुल 12 उद्योग स्थापित हुए हैं। इनमें 1105.75 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया है। इकाईवार विवरण, परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) राज्य सरकार औद्योगिक विकास और अधिक तीव्र करने के लिए कटिबद्ध है। इस हेतु औद्योगिक नीति की विस्तृत व्यूह रचना के अतिरिक्त आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने, औद्योगिक संवर्द्धन, छोटे और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दिशा में अनेक कदम उठाये जा रहे है।

इसके साथ ही चूंकि इसमें सीधा सवाल पूछा गया है कि क्या राज्य सरकार संतुष्ट है और इस प्रश्न का जवाब मैं एक हमारे यहां जो प्रचलित श्लोक है उससे देना चाहता हूं, 'असंतुष्टा द्विजानष्टा, संतुष्टा चमहिपति।' मैं समझता हूं इसका अर्थ आप लोग समझ गये होंगे कि कभी भी कोई राज्य जब विकास का काम करता है तो उसको संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए , कितना भी काम करें तो भी।

(4) वर्ष 1994-95 में राज्य औद्योगिक विकास में हुई प्रगति एवं आने वाले वर्षों में औद्योगिक विकास की संभावना का विवरण परिशिष्ट ''ख'' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें।)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न है। माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने बताया कि 1990 और 1994 में दो उद्योग नीतियां बनी। 1994 के अन्दर जो उद्योग नीति बनी उसके प्रमुख बिंदु आपने यहां पर बता दें। मैं पहली चीज तो यह जानना चाहूंगा कि 1990 में भी आपने उद्योग नीति बनायी थी और उस 1990 की उद्योग नीति के अंदर भी इन्हीं बातों का समावेश किया गया था, करीब-करीब यही बिंदु थे, ठस वक्त भी आधार भूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का आपका बिंदु था, उस वक्त भी आप नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना चाहते थे, शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करना चाहते थे और विभिन्न स्वीकृतियां समय-समय पर देना चाहते थे, सिर्फ एक मोटा बिंदु इसमें जोड़ा गया है निजी क्षेत्र के अन्दर सहयोग देने के लिए, तो इन दो 90 और 94 की उद्योग नीतियों के अन्दर कोई विशेष अंतर नहीं होते हुए भी आपको यह नीति बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? मोटे तौर पर मूल नीति वही थी 1990 की । तो पिछले चार पांच वर्षों में राज्य का जो औद्योगिक विकास होना चाहिए था वह औद्योगिक विकास क्यों नहीं हुआ? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में और अन्य जगहों पर भी अपनी बातों में बताया, राजस्थान के स्थापना दिवस के वक्त भी बताया कि हम यहां पर जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही है, जिन चीजों का प्रोडक्शन भारतवर्ष में नहीं हो सकता उन चीजों के लिए उनको हम यहां पर आने देंगे और यहां के उपभोक्ता को प्रभावित करे, इस प्रकार की कम्पनियों को हम यहां पर नहीं आने देंगे।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

मैं आपका ध्यान जो 12 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लिस्ट इसमें दी गयी है उसकी तरफ दिलाना चाहूंगा जो 12 बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही है इनमें से एक कम्पनी यहां पर बीयर का उत्पादन करेगी, एक कम्पनी यहां रेडिएटर्स का उत्पादन करेगी, एक कम्पनी यहां स्पेक्टेकल्स का उत्पादन करेगी और एक कम्पनी, अध्यक्ष महोदय, शेविंग ब्लेड का उत्पादन करेगी। अब, माननीय मुख्य मंत्री जी, क्या शेविंग ब्लेड और बीयर, यह आपके उपभोक्ता की फिलोसोपी के अंदर नहीं आते है? कहने के लिए तो आप बाहर प्रचारित-प्रसारित करते हैं, स्वदेशी-स्वदेशी का नारा देते हैं और इन आइटम्स का आप अपने यहां स्माल स्केल सैक्टर्स में या राजस्थान की कम्पनियों के उत्पादन नहीं करवाना चाहेंगे। तो इस प्रकार से जो आपका यह स्वदेशी वाला स्टेटमेंट है या नारा है, राज्य में ही नहीं, बल्कि देश के अंदर इस बात से बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, क्या अपनी इस चीज को रेक्टिफाई करना उचित समझेंगे?

अध्यक्ष महोदय, आपने यहां पर अपने औद्योगिक ढांचे को सुदृढ़ीकरण करने की प्रमुख बात बतायी। आपकी इण्डस्ट्रीज जो लगने जा रही है अगले 6 महीने या एक साल के अन्दर और ऊर्जा के उत्पादन की जो आपकी योजना है उसके अनुसार 1997 से पहले आप सब्स्टेंशियल ऊर्जा का जनरेशन नहीं कर पायेंगे, तो 1995 और 96 में कम्पनियां आएंगी, अध्यक्ष महोदय, उनका क्या होगा? 96 में अगर यह करोड़ों रुपये का विनियोजन करके आप उनको ऊर्जा नहीं दे पायेंगे, समुचित इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं करा पायेंगे तो क्या वह इण्डस्ट्रीज सिक नहीं हो जाएंगी? उसके लिए आपने क्या सोचा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न तो यह किया है कि उद्योग नीति जो हमने 1990 में घोषित की उसमें और 1994 में घोषित की उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ अन्तर तो उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है कि 1994 में प्राइवेटाइजेशन पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया इसलिए इससे सम्बन्धित बहुत सी घोषणाएं 1994 में की गयी। उदाहरण के लिए प्राइवेट उद्योग क्षेत्र भी विकसित किये जा सकते है। उसके लिए प्राइवेट व्यक्ति को जमीन खरीदकर और कोई उद्योगपति उद्योग लगाना चाहेगा तो उसको कन्वर्शन के रूल्स में बहुत कुछ छूट दी गयी है जो 90 में नहीं थी। 30 दिन के अन्दर-अन्दर वह कन्वर्शन हो जाएगा। यदि कलक्टर 30 दिन में नहीं करेंगे तो it will be deemed to be converted.

इसी तरह से, लेबर इन्सपेक्टर्स के मामले में कानून के अन्दर बहुत से संशोधन तत्काल किये गये। लगभग 65 ऐसे संशोधन किये गये जो 94 में किये गये। इसलिए 90 और 94 में मोटे रूप से यह बड़ा अन्तर है।

दूसरा आपने सवाल किया, हमारी घोषित नीति के मुताबिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को जो कंजूमर मार्केट है उसमें हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे और अधिक से अधिक उच्च तकनीक या इन्फ्रास्ट्रक्चर में वह यदि हमारा सहयोग करेंगे

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

तो उनका सहयोग हम लेंगे। इसके बावजूद भी जो 12 कम्पनियां हैं इनमें आपने उदाहरण दिया ब्लेड का, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारी कम्पनियां कोलेबोरेशन से है, इण्डियन उद्योगपति हैं जो कोलेबोरेट करके आये हैं। फिर भी हमने जो नीति घोषित की है उस नीति में इतना अन्तर नहीं है। हम जब स्वदेशी की बात करते हैं तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि स्वदेशी से मतलब हमारा स्वदेशी मेंटेलिटी से है। मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे स्वदेशी के जो उद्योगपति हैं वह सक्षम हो, उनकी स्थति मजबूत हो। यदि हम मल्टी-नेशल्स को बाहर से केवल उपभोक्ता मार्केट में एण्टर करने की इजाजत देंगे तो उसका परिणाम न केवल हमारे देश पर, हमारे उद्योगों पर पड़ेगा बल्कि उद्योगपतियों पर भी पड़ेगा। हमारे उद्योगपति धीरे-धीरे अपने उद्योगों से हाथ धो बैठेंगे और जैसा अभी हुआ है, कई कम्पनियां जो यहां पर सफल चल रही थी उनको उन्होंने खरीद लिया है, उसमें अपने शेयर ज्यादा लगा दिये हैं। इस तरह से वह सारे हमारे यहां के जो उद्योग हैं उन उद्योगों में भी उनका प्रवेश होगा तो पूरा का पूरा उद्योग उनके हाथ में चला जायेगा। इसके लिए सावधानी रखने की जरूरत यह है कि हम हमारे यहां के जो उद्योग फल-फूल रहे हैं उन उद्योगों की समाप्ति नहीं हो इसके लिए उनसे उनको दूर रखा जाए। मैं समझता हूं, यह स्वदेशी की परिभाषा है। इससे किसी प्रकार का देश में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि स्वयं महात्मा गांधी ने जिस स्वावलम्बन और स्वदेशी पर जोर दिया, आज उस स्वदेशी को लेकर प्रतिपक्ष के और कांग्रेस के लोग आलोचना करें कि हम स्वदेशी की बात नहीं करें, आश्चर्य की बात है।

श्री लक्ष्मण सिंह : हम आलोचना नहीं कर रहे हैं। आप अपनी नीतियों से कंफ्यूजन क्रियेट कर रहे हैं। हम इसकी आलोचना नही कर रहे है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं कंफ्यूजन क्रियेट नहीं कर रहा हूं। आप मुझे सुन लीजिये पहले।

श्री लक्ष्मण सिंह : आप कहते कुछ हैं और हैं और करते कुछ हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जब आपने यह कहा कि आप स्वदेशी की नीति में परिवर्तन करिये, यह कहा है आपने कि आप अपनी पार्टी की स्वदेशी की नीति में परिवर्तन करिये। उसका जवाब दे रहा हूं कि स्वदेशी की जो नीति है वह यहां पर हमारे जो उद्योग-धन्धे हैं, हमारा जो कंजूमर मार्केट है उनको पनपाने के लिए है। हम यह नहीं कर सकते कि बाहर से मल्टी-नेशनल्स को लाकर हमारे सारे उद्योग-धन्धों को, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्यागों को समाप्त कर दें। आखिर इस देश की अपनी विशेष परिस्थिति है। यहां मेन-पावर ज्यादा है और इसलिए मेन-पावर को अधिक से अधिक एम्प्लायमेंट देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। यदि मल्टी-नेशनल्स भी यहां एम्प्लायमेंट देती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन वह ऑटोमेशन लेकर आएं और जो लोग हमारे यहां पर आलरेडी लगे हुए हैं, लघु उद्योगों में, कुटीर उद्योगों में वह बेकार हो जाएं तो केवल पूंजी आप निवेश करेंगे और लोगों को बेकार

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

करेंगे। इससे देश का भला नहीं होगा। **इसलिए स्वदेशी से तात्पर्य केवल यही है कि** अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लायमेंट दिया जाए और जिस तकनीक में हमारे यहां के उद्योगपति काम कर सकते हैं उनको प्रोत्साहित करके मजबूत किया जाए ताकि वह अपनी तकनीक को डवलप कर विश्व मार्केट में अपने स्तर पर अपने पैरों पर खड़े होकर काम्पीटिशन कर सके।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु जी मोदी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपने गांधी जी को पकड़ लिया।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : वह तो चलो देर आये, दुरुस्त आये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हाल ही में पणजी में हुई एक्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हो, चाहे गवर्नर एड्रेस हो, चाहे मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण हो और चाहे कल ही बारां में दिया गया भाषण हो, जिससे काफी कन्फिलक्टिंग मैसेज उदारीकरण के बारे में, भारत सरकार की उदारीकरण के नीति के बारे में जाते रहे हैं। मूल प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पणजी में कहा कि हम एनरान का जो सौदा हुआ है उसको रद्द करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार की उदारीकरण की नीति के कारण निजी क्षेत्र को तो बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन सरकार को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, सरकार की कई योजनाएं अटकी हुई हैं। तो मैं माननीय उप-मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की उदारीकरण की नीति के बारे में आपकी सरकार का और आपकी पार्टी का स्पष्ट रुख क्या है? यहां अभी आप कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र को सहयोग देंगे। क्या निजी क्षेत्र को सहयोग आप खाली इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप करने में देना चाहते हैं या निजी क्षेत्र को इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन में देना चाहते हैं? जो नीति आप लेकर आए हैं जिसका आप बार-बार जिक्र करते हैं उस नीति को तो आप पहले सदन में डिस्कस करा लें उससे आपको पता लग जायेगा कि दूसरी सरकारों की औद्योगिक नीति क्या है और आपकी औद्योगिक नीति क्या है और आपकी औद्योगिक नीति के अन्दर जो बातें हैं उनका क्या क्रियान्वयन हो रहा है? I put this specific charge कि आपने इतनी बातें इण्डस्ट्रियल पालिसी में कही हैं उनका एक का भी ग्राउण्ड लेवल पर एक्जीक्यूशन नहीं है। आपके पास न नीति है, न आपका इरादा है, न आपका कोई सोच है कि देश-प्रदेश के अन्दर इण्डस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, तो खाली आप सिर्फ कहने के लिए एक जवाब ले आए कि औद्योगिक नीति यह है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और इस सरकार का निजी क्षेत्र और उदारीकरण के बारे में स्पष्ट मत क्या है?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें एक ही प्रश्न है जिसका मुझे जवाब देना है क्योंकि बाकी तो आप बहस के मुद्दे उठा रहे है, जब इण्डस्ट्रीज की डिमाण्ड पर चर्चा होगी उस समय उसका जवाब मैं दे दूंगा और इस समय मैं डिबेट में

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

एण्टर नहीं करना चाहता आपका एक ही प्रश्न था कि हमारी उद्योग नीति का परिणाम नीचे कुछ भी नहीं है। इसका मेरे पास जवाब यह है कि अब तक हमारे पास इंवेस्टमेंट के जितने प्रपोजल्स आये हैं टोटल और जो पाइप लाइन में हैं, जो लग चुके हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, अण्डर इम्प्लीमेंटेशन हैं, उसमें प्रोडक्शन जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूं।

अभी हमारे पास में जो आई.ए.एम.एस.आए हुए हैं उसमें पाइप लाइन में केसेज अभी रजिस्टर्ड हैं 237 जिसमें 4455.3 करोड़ रुपये का इंवेस्ट्मेंट होगा और 39790 आदमियों का एम्प्लायमेंट मिलेगा, अण्डर इम्प्लीमेंटेशन है 185, उनमें 3453.12 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट होगा और 38067 व्यक्तियों को एम्प्लायमेंट मिलेगा। जिन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है ऐसे 46 हैं जिनमें 1390.67 करोड़ का इंवेस्टमेंट हो चुका है और 5369 लोगों को एम्प्लायमेंट मिला है। जो हण्ड्रेड प्रतिशत एक्सपोर्ट ओरियेंटेड यूनिट्स हैं वह रजिस्टर्ड हमारे पास 17 हुई हैं जिसमें 573.74 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट हुआ है, 1529 लोगों को काम मिला है। अण्डर इम्प्लीमेंटेशन 14 हैं जिसमें 78.15 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट हुआ है। जिन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है वह 12 यूनिट्स हैं जिनमें 91.7 का इंवेस्टमेंट हुआ है। एस.एस.आई. में, लघु उद्योग में 3570 केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं जिनमे इंवेस्टमेंट होगा। 13855.99 लाख आर 18814 लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा।

93-94 में 4330 एस.एस.आई. का रजिस्ट्रेशन हुआ है और जिन 94-95 में 3570 का हुआ है। हमने जो सेल्स टैक्स एग्जम्पशन और डेफरमेण्ट एस.एस.आई. को दिया है, उसमें है 93-94 में 639 और 94-95 में 586। हमारे पास जो अभी यूनिट्स हैं, जिनको हमने सब्सिडी दी है। एस.एस.आई. में वह हैं 1478 और इस साल की है 1385 जिसमें 93-94 में 3706.87 लाख रुपये और 94-95 में 4466.00 लाख रुपये की हमने उनको सब्सिडी दी है। यह नेट रिजल्ट्स हैं जो हमारे इसमें हैं जिसके लिये आप कह रहे हैं कि नीचे तक कुछ भी नहीं हुआ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी लम्बे-चोड़े आंकड़े माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय ने बताये जितना पिछले साल हिन्दुस्तान के अन्दर इन्वेस्टमेण्ट हुआ उसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत रहा ?

आप जो बता रहे हैं कि हमारी इण्डस्ट्रियल पॉलिसी के कारण इतने बड़े इन्वेस्टमेण्ट हो रहे हैं, तो जो इन्वेस्टमेण्ट कण्ट्री में हुआ है उसमें शेयर क्या है? Where Rajasthan figures?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : हिन्दुस्तान में जितना इन्वेस्टमेण्ट हुआ है उससे शेयर निकाल लीजिए।

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से एक बात और पूछना चाहूंगा और वह मेरा सुझाव भी है क्या आपने इस प्रकार के आर्टिकल्स का, इस प्रकार की चीजों का क्लासीफिकेशन कर लिया है कि इन-इन चीजों को तो आप

(श्री लक्ष्मण सिंह)

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को बनाने के लिए इजाजत दे देंगे ? किन-किन कम्पनियों को आप सिर्फ स्वदेशी के लिये और किन-किन को आप जोंइट वेंचर में अलाउ कर देंगे, क्या ऐसी कोई लिस्ट बन चुकी है आपकी, क्लासीफिकेशन हुआ या करने का आप विचार रखते है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, बहुत मोटा क्लासीफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि हाई-टेक्निक यदि मल्टी-नेशनल्स लेकर आयेंगे जो हमारे पास यहां नहीं है उनका हम स्वागत करेंगे और उनको हर तरह से हम सहयोग देंगे। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेण्ट के लिये जो भी यहां पर इन्वेस्टमेण्ट करना चाहेंगे उसमें हम उनका स्वागत करेंगे और उनकी पूरी मदद करेंगे। बाकी तो कौन क्या आइटम्स लेकर के आता है, उस पर रिसर्च करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मदेरणाजी।

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय उप मुख्य मंत्री जी, देश के अन्दर हर चीज का प्रोडक्शन हिन्दुस्तानी आदमी कर सकता है। 1971 में देश अन्दर पिन से लेकर प्लेन तक बनाया जाता था और आज स्पेस टेक्नॉलाजी में भारतवर्ष कहां जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान में जो आज नहीं बनाया जा सकता। वह क्या नहीं बनाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था, राजस्थान का स्थान तो इन्वेस्टमेण्ट का तो उनको भी पता नहीं है पूरे हिन्दुस्तान में कितना हुआ है लेकिन जो आई.ए.एम.एस. रजिस्टर हुए हैं सारे हिन्दुस्तान के उसमें राजस्थान का आठवां स्थान है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि जिन 12 कंजूमर आर्टिकल्स के लिये हिन्दुस्तान के उद्योगपतियों के कोलेबोरेशन से मल्टी-नेशनल्स ने कार्य प्रारम्भ किया है उसमें मल्टी-नेशनल्स का इक्विटी शेयर कितना है ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, जिन आर्टिकल्स के लिये मल्टी-नेशनल्स को उद्योग मंत्री जी आपने यहां पर अनुमति दी है, कोलेबोरेशन से उन्होंने कार्य प्रारम्भ किया है, क्या बीयर और ब्लेड्स कंजूमर आर्टिकल्स नहीं है ? तीसरा मेरा प्रश्न यह है, आधारभूत सुविधाओं की जहां आप बात कर रहे हैं किसी भी इकानामिक ग्रोथ और डवलपमेण्ट में फल्क्रम है, कोई बेस है तो वह इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, पावर सप्लाई और डिमाण्ड में इतना बड़ा गैप है उसके बाद भी आप नये निवेश को आमंत्रित कर इस सुविधा को उपलब्ध कराने में सक्षम हैं क्या ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने पूछा है, नम्बर एक पर सैमकोर ग्लास लिमिटेड है उसका इक्विटी शेयर है 40%........

श्री परसराम मदेरणा : कंजूमर आर्टिकल्स हैं कि नहीं है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं सबका जवाब दूंगा। पहले उसका दे दूं जो आपने इक्विटी शेयर पूछे हैं?

श्री परसराम मदेरणा : शेयर क्या है उसमें? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप चाहें तो दूंगा, नहीं चाहें तो नहीं दूंगा। नम्बर एक में 40% है, नम्बर दो में 40% है, नम्बर तीन ब्रेवरीज में केवल सहयोग है, इक्विटी शेयर नहीं है, नम्बर चार में 45% है, नम्बर 5 में केवल सहयोग है, नम्बर 6 में 40%है, नम्बर 7 में 25% है, नम्बर 8 में 51% है, नम्बर 9 में केवल सहयोग है, नम्बर 10 में 51% है, नम्बर 11 और 12 में कोई सहयोग नहीं है।

मान्यवर, आपने एक प्रश्न पूछा कंजूमर आर्टिकल का। यह बात सही है कि बीयर कंजूमर आर्टिकल होने के बावजूद भी उससे पर्यावरण पर असर पड़ता है तो नयी टेक्निक जो आ रही है,जैसे अभी आपके अलवर में आ रही है जो रेक्टिफाइड स्पिरिट बनायेंगे, उनके साथ में उससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा।इस प्रकार के आइटम्स लेकर के वे आते हैं और कुछ न कुछ उसमें ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि जो हमारे यहां पर नहीं हैं और जिस तकनीक की वजह से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से बिना प्रदूषण फैलाये वे लोग कर सकते हैं, इस तरह के कंजूमर आर्टिकल्स भी आ सकते हैं।

आपने अभी पावर के बारे में पूछा, लक्ष्मण सिंह जी ने भी पूछा था। (व्यवधान) मैं आपको इसमें स्पष्ट कर दूं कि हमने जो अभी पावर स्कीम्स बनायी हैं वह 5 साल के लिए बनायी हैं 4300 मेगावाट की। उनमें जिस तरह से प्रोसेस शुरू हुआ है उस प्रोसेस के हिसाब से 1997 से इनके रिजल्ट्स आने शुरू हो जायेंगे। 96 के अंत तक जो डीजल बेस्ड 600 या 700 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं वह शुरू हो जायेगी। 1997 में सूरतगढ़ की भी आ जायेगी और 98,99 में इस तरह आनवडर्स हर वर्ष बिजली का जनरेशन बढ़ेगा। हमने बड़े उद्योगपतियों को साफ यह शब्द बताया है कि आज एम.ओ.यू. तय करेंगे और बिजली संयंत्र लगाना शुरू करेंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन जब तक कम्पलीट होगा तब तक हम आपको बिजली देने की स्थिति में होंगे। क्योंकि वह एक साल में पूरे नहीं हो सकते, उनको भी साल दो साल लगेंगे। जब तक वह अपना कंस्ट्रक्शन पूर्ण करेंगे तब तक हम उन्हें दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने उपभोक्ता सामग्री बनाने वाले कारखानों की कोई सूची बनायी है और क्या उपभोक्ता सामग्री बनाने वाले कारखानों की सूची के साथ-साथ आधारभूत ढांचा खड़ा करने वाले कारखानों की सूची भी बनायी है? अगर बनायी है, तो बताने का कष्ट करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, यही तो सवाल है कि हमारे पास जो आयेंगे वे ही लेकर के आयेंगे। पहले सूची बनती है क्या? अब हम को पता थोड़े ही है कि कौन आयेगा?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप कैसे फैसला करोगे (व्यवधान) कंज़्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाले कारखाने कौनसे हैं? जब आपके पास सूची नहीं होगी तो आप फैसला कैसे करेंगे?

श्री अध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब, कृपया बिराजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : धारीवाल साहब, मैं समझता हूं कि...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फिर किस प्रकार से फैसला करेंगे आप?

श्री अध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब, बिराजिये। आप माननीय मंत्री महोदय की बात पूरी सुनिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, बड़ी शांति से, शालीनता से और गंभीरता से प्रश्नोत्तर हो रहे हैं। इसमें उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जहां तक उत्तेजना का प्रश्न है...

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : यह तो स्वभाव है धारीवाल जी का।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कोई बात नहीं है, स्वभाव है तो थोड़ा-थोड़ा कण्ट्रोल करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। उपभोक्ता सामग्री क्या है यह तो सब जानते हैं। इसकी कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हिन्दुस्तान में हम किन-किन चीजों को यहां पैदा कर सकते हैं जो यहां के कंज़्यूमर्स के काम की हैं, it is well-known. इसकी लिस्ट नहीं बन सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्लियर है कि हमको ऊर्जा पैदा करने में मदद देंगे, सड़कें बनाने में मदद देंगे। इस तरह के डवलवमेण्ट हैं तो यह भी क्लियर है। अब इसमें कौन सी पार्टी आयेगी, तब हम आपको बता देंगे। अभी तो हम मांग रहे हैं लोगों से।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री परसराम मदेरणा : इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन से आइटम आयेंगे, भारत सरकार ने उनको आइडेंटीफाई किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

राजकीय लाटरियों के संचालन पर प्रतिबन्ध

32. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम): क्या राज्य लाटरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राज्य में लाटरी बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार के पास लाटरी को बन्द कराने के बारे में केन्द्रीय सरकार से कोई निर्देश आये हैं? यदि हां, तो निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) लाटरी को बन्द कराने के लिए अब तक सरकार के पास कितनी शिकायतें आयी हैं?

राज्य मंत्री, राज्य लाटरी एवं अल्प बचत (श्री जसवंत सिंह विश्नोई) : (1) दिनांक 1.4.95 से राज्य की एक अंकीय लाटरी के टिकटों की बिक्री राजस्थान प्रदेश में बन्द कर दी गयी है।

(श्री जसवन्त सिंह विश्नोई)

(2) जी नहीं।

(3) राज्य लाटरी को बन्द करने के लिए समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं से ज्ञापन, अभ्यावेदन आदि प्राप्त हुए हैं। दिनांक 1.1.95 के पश्चात् इस प्रकार के 50 से अधिक ज्ञापन-अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, 27 तारीख को मेरा यह प्रश्न था जिस दिन बजट पेश किया गया था। मेरे इसी प्रश्न के कारण उस दिन बजट का दिन रखा क्योंकि मुख्य मंत्री जी को उस दिन लाटरी का जिक्र इसमें करना ही था। लेकिन कोई बात नहीं, लाटरी इन्होंने बंद की है। वह जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने कहा है, एक अंक की लाटरी हमने बंद कर दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न था ही नहीं । मेरा प्रश्न तो यह था कि क्या राज्य सरकार लाटरी को बंद करने का विचार रखती है या नहीं रखती है। मेरा यह प्रश्न नहीं था कि सरकार एक अंक की लाटरी को बंद करने का विचार रखती है या नहीं रखती है।

मेरा प्रश्न तो यह है माननीय मंत्री महोदय से कि क्या राजस्थान सरकार लाटरी को बंद करने का इरादा रखती है या नहीं रखती है? (व्यवधान) राजस्थान लाटरी के बारे में, पूरी लाटरियां। दूसरा मेरा निवेदन है कि यह लाटरी जो आपने बंद की है राजस्थान के अन्दर की है, इससे मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब तो यह था कि हिन्दुस्तान में, क्या सरकार इस प्रकार की लाटरियों को बंद करने का कोई विचार रखती है या नहीं रखती है, राजस्थान की जो हैं?

दूसरा मेरा, अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जो लाटरी आपने बन्द की है, यह दो नम्बर पर चल रही है, दो नम्बर पर उसका चलना शुरु हो गया है क्योंकि आपने उसको बाहरी प्रदेशों के अन्दर बन्द नहीं किया है और उसी के आधार पर लोग यहां पर इसको भी खेलते हुए पकड़े गये हैं, जिसका उदाहरण आज इस अखबार में भी दिया गया है और एक खबर भी इसमें आयी है। अब इस प्रकार यह जो लाटरी बन्द की गयी है वह दो नम्बर के आधार पर चल रही है, क्या सरकार इसको भी बन्द करवाने के लिये कोई उपाय सोच रही है?

एक क्वेश्चन और है, माननीय अध्यक्ष महोदय, लाटरी को बन्द करने से सम्बन्धित सरकार के पास कितनी शिकायतें आयीं? आपने लिखा है कि शिकायतें आयी हैं। मेरा निवेदन है इसमें माननीय सदस्यों की या जन प्रतिनिधियों की तो कितनी कितनी शिकायतें हैं और वह क्या शिकायतें हैं? क्या उसकी भी सूची यहां आप पेश करेंगे, जो मुझे नहीं दी गयी है?

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सात प्रकार की एक नम्बर की लाटरियां थीं और वह सब बन्द कर दी गयीं दूसरा क्वेश्चन था दो नम्बर के बारे में। तो जहां तक राजस्थान की एक अंक की लाटरी हैं वह सब बन्द हो चुकी हैं। राजस्थान के बाहर दूसरे प्रदेश हरियाणा ने भी बन्द की है लेकिन उन्होंने भी अपने प्रदेश में बन्द की है

(14)

(श्री जसवन्त सिंह विश्नोई)

और दूसरी जगह बिक रही हैं। इसी तरीके से उत्तर-प्रदेश, जो अपना पड़ोसी प्रदेश है, में भी लाटरियां बिक रही हैं। पड़ोसी प्रदेश पंजाब है वहां भी लाटरियां बिक रही हैं। राजस्थान पहला स्टेट है जिसने अपने पूर्ण प्रदेश में एक नम्बर की लाटरी बंद की जो आज तक बिक रही थी और सन् 1968 से बिक रही थीं।

अब एक और प्रश्न है अभ्यावेदन के बारे में, कि कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए। 1968 से राजस्थान में लाटरी चल रही है उसको बन्द करने के लिए अलग-अलग ज्ञापन आते रहे हैं। तो यह समय पूछ लें कि कब से लेकर कब तक हैं हम उसका जवाब दे देंगे।

श्री रामस्वरूप : दो नम्बर की जो लाटरी चली है राजस्थान में, अभी जो उदाहरण आज इस अखबार में आया है, क्या उसको बन्द करने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं, जो दो नम्बर पर लोग खेल रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : दो नम्बर वालों की सम्भाल कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : सम्भाल तो है ही। सम्भाल तो जागरुक हैं, आप कर रहे हो, तो अपने आप ही हो जाएगी खतम।

श्री किशना राम नाई : 68 से चल रही हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : 68 से चल रही हैं तो इसलिये आप वह अपराध कर रहे हैं। जो दूसरों ने गलती की है वह ही गलती आप कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ। और क्या है उसका मतलब ? यही हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने घोषणा पत्र में साफ कहा था कि हम पूर्ण लाटरी बन्द कर देंगे हिन्दुस्तान के अन्दर। आपने बन्द नहीं की है फिर आप दूसरों की बात करते हैं।

प्रश्न संख्या 33

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलालजी ताम्बी। बिराजिये, आपका परपज साल्व हो गया।

श्री रतनलालजी ताम्बी। ताम्बीजी नहीं हैं।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री दयाराम परमार।

तहसील खैरवाड़ा की उचित मूल्य की दुकानें

34. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में उचित मूल्य की कितनी दुकानें हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सस्ता अनाज एवं अन्य सामग्री डोर-टू-डोर पहुंचाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो किस एजेन्सी के माध्यम से ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में कैरोसिन वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है ? गांवों और शहरों में प्रति राशन कार्ड कितना-कितना कैरोसिन वितरण किया जाता है ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (डॉ. रामप्रताप) : (1) खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में उचित मूल्य की 105 दुकानें कार्यरत हैं।

(डॉ. रामप्रताप)

(2) जी हॉं। खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में उदयपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति, उदयपुर के माध्यम से सस्ता अनाज एवं अन्य सामग्री डोर-टू-डोर पहुंचाने की व्यवस्था है।

(3) जी नहीं। खैरवाड़ा तहसील में कैरोसिन वितरण व्यवस्था सामान्य है। उदयपुर जिले के शहरी क्षेत्र में प्रति राशन कार्ड अधिकतम 10 लीटर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति राशन कार्ड 5 लीटर कैरोसिन तेल वितरित किया जाता है।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के भाग नम्बर दो में जो उत्तर दिया है उसमें आपने फरमाया है कि उदयपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा डोर-टू-डोर पंहुचाने की व्यवस्था है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी व्यवस्क्था डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से है। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से होने से सारे व्यापारी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठे हो जाने के बाद में अपना पैसा जमा करवा देते हैं। सात-आठ दिन तक एक व्यापारी का नम्बर नहीं आता है। वह दो-तीन दिन में वापस चले जाते हैं जाकर पता लगाते हैं तो कहते हैं कि आपका नम्बर आज आयेगा, नहीं आयेगा, कल आयेगा। इस तरह से एक परेशानी तो यह खड़ी हो जाती है। दूसरी परेशानी यह होती है कि वहां से रात को ट्रक लोड होकर आते हैं तो नेशनल हाईवे पर होटलों पर उन मजदूरों का और उनका आपस में तालमेल होता है तो एक-दो बोरी गेहूं तो वह रास्ते में ही उतार लेते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद में उसको तोलने की वहां कोई व्यवस्था नहीं है। वहां से ही कांटे तुल कर चलते हैं। तो मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप तहसील मुख्यालय से डार-टू डोर अनाज पहुंचाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं ?

डॉ. रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो शिकायत की गयी है , ऐसी बात पहली दफा आयी है। इसकी मैं जानकारी करके उचित व्यवस्था करने का प्रयास करुंगा।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णुजी मोदी। बिराजिये आप, जवाब आ गया।

श्री दयाराम परमार : मेरा प्रश्न रह गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैरोसिन वितरण की जो व्यवस्था आप बता रहे हैं कि हम पांच लीटर प्रति यूनिट प्रति राशन कार्ड पर देते हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि खैरवाड़ा तहसील में टोटल कितने राशनकार्ड हैं और आप कितने लीटर कैरोसिन अलाट करते हैं ?

डॉ. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, खैरवाड़ा तहसील में 42,748 राशनकार्ड हैं और यूनिट्स हैं 2,83,770 जहां तक कैरोसिन का सवाल है, खैरवाड़ा तहसील के लिये माननीय सदस्य से मैं आपके माध्यम से निवदेन करना चाहूंगा कि तीन सलेब्स होते हैं, चार-चार महीने के। गरमी का, बरसात का और सर्दी का । 93 तक आपके खैरवाड़ा तहसील को गरमी के वक्त में हम सब जगह कम देते हैं उस हिसाब से कम दिया गया है और 1994 में हमने आपका

(डॉ. रामप्रताप)

गरमी के वक्त भी नहीं घटाया और साथ में आपका जितना एलोकेशन था उसके अगेंस्ट में ज्यादा ही दिया है। वैसे आपके जनवरी में 84 के अगेंस्ट में 120 के.एल. दिया गया है, इसी तरह फरवरी में 84 के अगेंस्ट में 196 के.एल. दिया गया है। इसमें जहां तक कैरोसिन का सवाल है, कैरोसिंन हमारे को सैंट्रल गवर्नमेंट से एलोकेट होता है और जितनी हमारी डिमाण्ड है उसके अगेंस्ट में कम मिल रहा है । हम बराबर, सैंट्रल गवर्नमेंट से लिखकर बातचीत भी कर रहे हैं कि हमारा कोटा बढ़ाया जाय , जिससे देहात में कैरोसिन कम मिलता है, उसको हम ज्यादा कर सकें।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैरोसिन वितरण की व्यवस्था तो पांच लीटर प्रति राशन कार्ड कर रखी है और मौके पर हमें दो लीटर दिया जाता है। हमारे वहां पर हम खाना बनाने के लिए और किसी काम के लिए कैरोसिन लेना नहीं चाहते, हम घर में उजाला करने के लिए लेना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार से बात कर रहे हैं। श्री विष्णुजी मोदी।

श्री दयाराम परमार : वह तो घरों में हम चिमनी जलाकर उजाला करने के लिए लेते हैं।दो लीटर होता है तो दो लीटर में तो...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन का कम से कम जवाब तो दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णुजी मोदी, अनुपस्थित। श्री चुन्नीलालजी धाकड़।

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कम से कम इस क्वेश्चन का मंत्रीजी से जवाब तो दिलबाइये।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जी धाकड़।

श्री दयाराम परमार: क्या कैरोसिन बढ़ायेंगे, जो मौके पर दो लीटर देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह केवल खैरवाड़ा के बारे में है। सराड़ा के बारे में नहीं है, बिराजिये आप।

श्री रघुवीर सिंह (सराडा) : उदयपुर जिले का सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :अभी जिले की बात ही नहीं हुई है। खैरवाड़ा की बात हो रही है। बिराजिये आप।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : यह तो कोई बात नहीं हुई।

प्रश्न संख्या -35

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णुजी मोदी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री चुन्नीलाल धाकड़।

बेगूं क्षेत्र के बाढ़ प्रभावितों को सहायता

36.**श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं): क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में सन् 1994 में आयी बाढ़, अकाल से किस-किस गांव में किन-किन लोगों को किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी क्षति हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

(2) क्या उन सभी क्षतिग्रस्त परिवारों को सहायता दे दी गयी? यदि हॉ, तो कब कब और कितनी राशि? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास (श्री सावंर लाल जाट) : (1) जुलाई, 1994 में आयी अतिवृष्टि से क्षति का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार है। 1994 में बेगूं में अकाल नहीं पड़ा।

(2) जी हाँ। बाढ़ से क्षति के कारण 1,25,893/- रुपयें की सहायता माह जुलाई, 1994 में उपलब्ध करा दी थी। विवरण परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सहायता तत्काल दी गयी इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं लेकिन जो सहायता राशि दी गयी है वह नुकसान के मुकाबले में बहुत ही कम है। मेरा पहला प्रश्न है,क्या सरकार सहायता मानदंड बढ़ाने का इरादा रखती है?

दूसरा, जो सहायता दी गयी है वह पक्षपात करके दी गयी है। किसी को नुकसान ज्यादा तो उसको सहायता कम दी गयी और किसी को नुकसान कम तो सहायता ज्यादा दी गयी है। उदाहरण के लिए जो सहायता दी गयी है उसमें क्रम संख्या चार, पांच, छह परिवार के सदस्य तीन, सात और चार हैं। कच्चा मकान है, आंशिक नुकसान हुआ है और तीन-तीन-तीन क्विंटल उनके अनाज का नुकसान हुआ है। कुल नुकसान उनके 1200-1200 के होते हुए भी एक को 539 रुपये, एक को 581 रुपये और एक को 557 रुपये दिये गये। जबकि इसी के आगे क्रम संख्या 11 में परिवार के सदस्य पांच हैं और आंशिक रूप से मकान उनका भी क्षतिग्रस्त हुआ है और 15 क्विंटल अनाज का नुकसान हुआ है, कुल 15 हजार का अनुमानित नुकसान है, इसके मुकाबले मात्र 500 रुपये ही यहां दिये गये हैं। तो यह ऐसा पक्षपात क्यों हुआ?

श्री सांवर लाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहायता के जो मानदंड हैं, यह क्षतिपूर्ति के मानदंड नहीं हैं। पीड़ित व्यक्ति को सरकार की तरफ से कोई सहायता, रिलीफ उसके दुःख दर्द में भागीदार बनकर उसको जो क्षति हुई उसको भुलाने का एक प्रयास होता है। तो मेरा यह भी कहना है कि अभी मानदंड हाल ही में परिवर्तित किये गये हैं, उनको बदलने का कोई विचार नहीं है।

अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कोई भेदभाव हुआ। मानदंडानुसार अगर सहायता नहीं दी गयी तो हम उसकी जांच करवा लेंगे। बाकी लाख का नुकसान हुआ और पचास लाख का हुआ उससे कोई मतलब नहीं। जो मानदंडानुसार, निर्देशानुसार सहायता है उसमें अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय हरिसिंह जी (महुआ)।

श्री परसराम मदेरणा: (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, बड़ा अजीब जवाब दिया माननीय प्रभारी मंत्री जी ने कि पूरी तरह हम

(18)

(श्री परसराम मदेरणा)

उनको कम्पेनसेंट नहीं करते, लेकिन दुःख -दर्द को भुलाने के लिए देते हैं। आप दुःख-दर्द को किस तरह भुलाते हैं? उसका डेमेज हुआ, नुकसान हुआ उसको आप कहना चाहते हैं कि वह भूल जाए इसलिये हम थोड़ी सी देते हैं। ताकि उसका दुःख-दर्द भूल जाए और समाप्त हो जाए यह मामला। यह क्या है, यह समझ में नहीं आया कुछ?

श्री सावंर लाल जाट : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो पूछा है, मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि आज जो देते थे उससे बहुत ज्यादा हमने कर दिया है। आज जो नहीं भुला सकते थे, हमने तात्कालिक सहायता दी। क्योंकि क्षतिपूर्ति करना सरकार के लिए संभव नहीं है, इसके लिए तो कोई बीमा कम्पनी है उससे बीमा करवा सकते हैं मकान का, जैसे माल का होता है उसी प्रकार से। सरकार जो कर सकती है, आपकी सरकार से ज्यादा हमने उसको डबल सहायता की यह राज आने के बाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी (महुआ) नहीं हैं, तो परसादीलाल जी।

दौसा जिले की प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों के रिक्त पद

37. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) (श्री हरिसिंह (महुआ) के स्थान पर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला दौसा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा द्वारा अध्यापकों के चयन हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन निकाला गया था? यदि हां, तो कितने रिक्त स्थान विज्ञापित किये गये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि विज्ञापित रिक्त स्थानों की तुलना में कम अध्यापकों का चयन किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सम्पूर्ण चयनित अध्यापकों को पदस्थापन दे दिया गया है? यदि हां, तो कितनों को? नहीं, तो क्यों?

(3) क्या समस्त रिक्तियों को भर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? जिला दौसा में प्राथमिक विद्यालयों में कुल कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री अनंग कुमार जैन): (1) जी हां। जिला परिषद, दौसा द्वारा विज्ञापन संख्या 1/94, 277 पदों हेतु जारी किया था।

(2) जी हां। संभावित रिक्त पदों को वस्तुतः रिक्त पदों में जोड़कर विज्ञापन जारी किया गया था। मेरिट सूची बनाते समय जो वस्तुतः रिक्त पद उपलब्ध थे उनसे डेढ़ गुना आशार्थियों का ही चयन किया गया था, जो कि केवल 167 थे। आशार्थियों के डिग्री/प्रमाण पत्रों का सत्यापन न होने के कारण एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में 50 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति/चयन बाबत मामला विचाराधीन होने के कारण अन्य आशार्थियों की नियुक्ति नहीं हो पायी।

(3) जी नहीं। आशार्थियों की डिग्री/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नहीं होने एवं

(श्री अनंग कुमार जैन)

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में मामला विचाराधीन होने के कारण उक्त पदों को नहीं भरा गया है इसलिये 167 पद रिक्त हैं।

श्री परसादी लाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया, राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण हम नियुक्तियां नहीं दे सके। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने विज्ञापन कब जारी किया, कितने आवेदन आपको मिले और राजस्थान उच्च न्यायालय ,जोधपुर पीठ का स्थगन आदेश कब आया ?

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, जितने पद रिक्त थे उनसे डेढ़ गुना लोगों की सूची बनायी गयी।

श्री परसादी लाल मीणा : यह तो बता दिया आपने, मंत्री महोदय।

श्री अनंग कुमार जैन : सुनिये, आगे जवाब दे रहा हूं मैं आपको, पूरा सुनिये। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में घेवरराम और इसके साथ 10 अन्य व्यक्तियों ने कुल 11 व्यक्तियों ने एक रिट पिटीशन 94 में पेश की। उसके द्वारा स्टे आर्डर जारी किया गया।-

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल पूछा है।

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुनिये, माननीय सदस्य।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, मेरे को ज्यादा कथा नहीं सुननी है। मैंने पूछा है कि आपने विज्ञापन जारी कब किया ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपको नहीं सुननी होगी पर सदन तो जानकारी लेगा। आप बिराजिये दो मिनट।

श्री परसादी लाल मीणा: कितने आवेदन आपको मिले और राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश कब आया? मैंने पाइंटेड सवाल पूछा है।

श्री अध्यक्ष : तारीख बता रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, यह अगस्त, 1994 को स्टे आर्डर आया और उसके बाद 31.1.1995 को इस रिट का अंतिम निर्णय भी हो चुका। माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सरकार के द्वारा जो 50 प्रतिशत महिलाओं और 50 प्रतिशत पुरुषों की अलग-अलग मेरिट लिस्ट बनायी जाती है उस मेरिट लिस्ट को इस तरह नहीं बनाया जाए बल्कि कुल कितने आशार्थी हैं उनकी एक ही मेरिट लिस्ट बनायी जाय। जिला स्थापना समितियों द्वारा पहले पूरे राजस्थान के अन्दर अलग-अलग महिला आशार्थियों और पुरुष आशार्थियों की मेरिट लिस्ट बनायी गयी। कई जगह यह पाया गया कि महिला आशार्थियों की मेरिट लिस्ट काफी नीची गयी और पुरुष आशाथियों की मेरिट लिस्ट काफी ऊपर थी उसके बावजूद भी पुरुष आशार्थी अपाइंटमेंट पाने से वंचित रह गये थे। इसी कारण से पुरुष आशार्थी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में गये थे। माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया। स्टे आर्डर के बाद उन्होंने उस पूरी रिट की सुनवाई की और 31.1.95 को अंतिम निर्णय दिया। जिसमें यह आदेश दिया कि जो भी मेरिट लिस्ट बनायी

(श्री अनंग कुमार जैन)

जाय वह सम्पूर्ण आशार्थियों की एक बनायी जाय और उसके आधार पर जो रिक्तियां हैं उसके आधार पर उनको नियुक्तियां दी जायं। तो राज्य सरकार ने माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के आदेशों की पालना में सभी स्थापना समितियों को तत्काल आदेश जारी किया कि जो भी मेरिट लिस्ट आज बनायी जायं और पूर्व में मेरिट लिस्ट बनायी गयी है उसको निरस्त करके पूरी एक मेरिट लिस्ट बना कर के जो आशार्थी मेरिट में आते हों उनको क्रम संख्या से जितनी रिक्तियां हैं उसके आधार पर नियुक्ति दी जाय। उसी आधार पर राज्य सरकार की ओर से जिला स्थापना समितियों ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। मैं आज माननीय सदस्य को इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि अब शीघ्रातिशीघ्र इन पदों को भर दिया जाएगा।

श्री परसादी लाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जैसी जानकारी दी कि अगस्त में विज्ञापन जारी किया गया था, जो रिट राजस्थान हाई कोर्ट में हुई उसका फैसला भी 31.1.95 को हो गया। उसके बाद दो महीने निकल गये। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को जानकारी देना चाहता हूं कि दौसा जिले में 67 स्कूल खोले, एक भी स्कूल अभी तक चालू नहीं किया गया है। जब हमने सवाल पूछा तो उसमें कारण बताया गया है कि अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो सकी। हमने पूछा कि आपने भर्ती क्यों नहीं किये? कि हमारे पास अध्यापक नहीं थे। पूरा सत्र, अध्यक्ष महोदय, इस तरह निकल गया। एक भी अध्यापक, एक भी स्कूल चालू नहीं हुआ। एक भी छात्र भर्ती नहीं हुआ और यह इस सवाल का जवाब देते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है। आप पढ़ दीजिये वह । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की आपाधापी सरकार में मची हुई है । इस तरह से जो शिक्षा को समर्पित बजट था उसकी धूल उड़ायी जा रही है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि आपने इस वर्ष जो स्कूल खोले हैं, स्कूलों में अध्यापकों के 300 पद खाली पड़े हैं। एक-एक पंचायत समिति में 100-100 पद खाली पड़े हैं। क्या आप उनको इस साल में भरेंगे? माननीय मंत्रीजी, इस साल आपका इन पदों को भरने का इरादा है क्या? क्या आपने प्राइमरी स्कूल खोले हैं? आप कहें तो मैं आपका जवाब पढ़कर सुनाऊं जो आपने पहले दिया है। हमने एक सवाल पूछा था...

श्री अध्यक्ष : बहुत स्पेसिफिकली क्लियर हो गया कि...

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्लीज, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्टे मिला जुलाई में और उसके बाद वैकेट हो गया 31.1.1995 को। बात खतम हो गयी। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : कहां हो गयी बात खतम?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री परसादी लाल मीणा: नहीं, जिन विद्यार्थियों ने...

श्री अध्यक्ष : श्री मदन मोहन जी।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप एक मिनट सुन लीजिये। जिन आशार्थियों ने अध्यापक पद के चयन के लिए इस साल अगस्त में आवेदन किया था उनको 31 मार्च तक आपने नियुक्तियां नहीं दीं। अब आप कब तक उनको नियुक्ति देंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि इसी में देंगे। बिराजिये आप।

श्री परसादी लाल मीणा : सवाल यह है कि इस सत्र में देंगे या अगले सत्र में देंगे आप ? करना क्या चाहते हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, आप नियुक्ति देंगे या अगले सत्र में देंगे? आप इसका जवाब दीजिये। एक भी नियुक्ति नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ,माननीय सदस्य।

श्री परसादी लाल मीणा : यह शिक्षा को समर्पित बजट का मजाक उड़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। बिराजिये आप।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा के अंदर माननीय सदस्य ने भी और कई माननीय सदस्यों ने लगातार कई बार यह प्रश्न उठाया है कि जो आशार्थी एप्लाई करते हैं उनमें कई लोगों की फर्जी डिग्री और फर्जी प्रमाण-पत्र पाये गये हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : सारे ही फर्जी हैं क्या ?

श्री अनंग कुमार जैन : और उसके आधार पर कई लोगों को सर्विस से निकाला गया, कई लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई। राज्य सरकार यह चाहती है कि जो सही व्यक्ति हैं उनका राइट मार कर के फर्जी डिग्री के आधार पर कोई नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सके...

श्री परसादी लाल मीणा : मैं तो पूछ रहा हूं, मंत्रीजी, नियुक्ति देंगे कि नहीं देंगे इस सत्र में ? मेरा और कोई सवाल नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन : इसलिये राज्य सरकार ने इस बात की भी जांच की कि जिन व्यक्तियों के पास सही प्रमाण-पत्र हैं, जिनकी डिग्री सही है, जिनकी मार्क शीट सही है उसके आधार पर सही व्यक्तियों को नियुक्ति दी जाय। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप इस सत्र में नियुक्ति देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ?.... (व्यवधान).......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : एक तरफ तो माननीय सदस्य यह प्रश्न उठाते हैं कि गलत व्यक्तियों को नियुक्ति नहीं दी जाय। राज्य सरकार इस बात के लिए हमेशा चिंतित रहती है और इस बात के लिए हमेशा संवेदनशील है

(२२)

(श्री अनंग कुमार जैन)

कि सही व्यक्तियों को नियुक्ति दी जाय। इसलिए राज्य सरकार ने यह भी जांच की। (व्यवधान)- दूसरा,माननीय राजस्थान हाई कोर्ट का जब आदेश मिला तो राज्य सरकार के लिए यह भी आवश्यक था कि माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश की पालना करे।..... (व्यवधान).....

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी गलतबयानी कर रहे हैं। मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मंत्री महोदय का यह कहना कि आशार्थियों के प्रमाण-पत्रों की जांच नहीं हो पायी...(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : उसके आधार पर सारी नियुक्तियों को रोक दिया गया वरना राज्य सरकार के पास पूरे राजस्थान के अन्दर सभी जिला स्थापना समितियों द्वारा एक सूची तैयार कर ली गयी थी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं यह कह रहा हूं कि दौसा के अन्दर किसी भी आशार्थी को फर्जी प्रमाण-पत्र वाला नहीं माना गया और मंत्री महोदय का यह कहना कि हाई कोर्ट का स्टे था, यह बिलकुल गलत है। उस समय हाई कोर्ट का कोई स्टे नहीं था। प्रशासन की लापरवाही है।

श्री अनंग कुमार जैन : और राज्य सरकार उस आधार पर नियुक्ति देने के लिए तैयार थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुन लें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अभी तक भी शिक्षकों के स्थान खाली पड़े हैं और जो स्कूल हैं वह सूने पड़े हैं। जनता परेशान है और शिक्षकों के अभाव में कोई भी स्कूल नहीं चल रहा है।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर दूसरे सदस्य बोलेंगे। बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्रीजी गलत जवाबदेही कर रहे हैं। (व्यवधान) कोई भी फर्जी प्रमाण-पत्र नहीं पाये गये वहां पर और न ही कोई सत्यापन हुआ है। इस तरह की गलतबयानी करना कि आशार्थियों के वहां पर फर्जी प्रमाण पत्र पाये गये....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप बता सकते हैं कि कौन से आशार्थी के प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये? एक भी आशार्थी का प्रमाण -पत्र फर्जी पाया गया?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी: राजस्थान की बात नहीं है, बात है दौसा जिले की। दौसा जिले की स्पेसिफिक बात है, आप स्पेसिफिक जवाब दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरी बात तो सुन लीजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान में आशार्थियों का क्या हुआ फर्जी प्रमाण-पत्र पाये गये इससे कोई मतलब नही है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बोल देंगे। मंत्रीजी का जवाब ही नही सुनना चाह रहे है (व्यवधान) बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जवाब के जरिये माननीय मंत्री महोदय गुमराह करना चाहते हैं। हमारे जिले में जगह-जगह परेशानी हो रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं। आपने अक्टूम्बर में स्कूल खोल दिये। एक भी स्कूल 67 में से दौसा जिले में चालू नहीं किया, एक भी छात्र किसी स्कूल में भर्ती नहीं किया। क्या वह छात्र भी फर्जी है ? क्या आपने जो स्कूल खोले वह भी फर्जी है ? क्या सारे आवेदनकर्ता फर्जी हैं ? आप स्पेसिफिक जवाब दीजिये, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : आप इस सत्र में स्कूल चालू करेंगे कि नहीं ? आप अध्यापकों लगायेंगे कि नहीं लगायेंगे ? और कोई जवाब नहीं, दो बातों का जवाब दीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पूरे दौसा जिले में एक भी सैकण्डरी स्कूल नही खुला (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : और शिक्षा के लिये समर्पित बजट था। एक लड़का भर्ती नहीं किया, एक स्कूल खोला नहीं कागजों में खोल दिया। यह तो बहुत आपत्तिजनक है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सदस्य, आपका प्रश्न दोहरा दें।

श्री परसादी लाल मीणा : आप जवाब दीजिये खड़े होकर। आप पहले जवाब दीजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, जो रिट राजस्थान हाई कोर्ट में हुई...(व्यवधान) और उस के साथ 10 व्यक्ति अन्य ने एक रिट पेश की, उस रिट के आधार पर 1994 में स्टे जारी हुआ। स्टे आर्डर आने के बाद जिला स्थापना समितियों द्वारा...

श्री परसादी लाल मीणा : आपको यह पूछ रहे हैं कब तक दे देंगे ये नियुक्तियां ?

श्री अनंग कुमार जैन : सूचियां बना ली गयी थीं। राज्य सरकार उनको नियुक्तियां देने जा रही थी लेकिन माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण उनकी नियुक्तियों को रोका गया। जनवरी,1995 में अन्तिम निर्णय हुआ, फरवरी में राज्य सरकार को उसकी कापी प्राप्त हुई।

श्री परसराम मदेरणा : ये हाई कोर्ट- हाई कोर्ट क्या कर रहे हो, एक घण्टा हो गया यहां।

श्री अनंग कुमार जैन : उसके बाद रिव्यू करके मार्च के अन्दर राज्य सरकार ने आदेश प्रसारित कर दिया। राज्य सरकार की ओर से कहा डिले हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप यह पूछ रहे हैं... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की आड़

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

लेकर माननीय मंत्री महोदय जो स्पष्ट बात है वह नहीं कह रहे हैं। सही तो यह है कि प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती गयी है (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री पूछी जा रही है, मंत्री का स्पेसिफिक रिप्लाई आना चाहिये। यह + + + शुरू कर देते हो उठा कर के। प्रश्न यह है कि जब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, कम्बाइन्ड मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश् दे दिये तो आप तीन-साढ़े तीन महीने + + + सो रहे थे,आपने कम्बाइन्ड़ मेरिट लिस्ट क्यों नही बनाई और इमीजिएटली क्यों नही खोले आपने ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं बहुत विनम्रता से प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 31 जनवरी,1995 को आदेश हुए। आज अप्रैल की 10 तारीख है, दो महीने दस दिन हुए हैं, साढ़े तीन माह नहीं हुए। अब दो माह दस दिन के अंदर कुछ समय तो हमको हाई कोर्ट से आर्डर की कापी लेने में लगा। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट सारी जिला स्थापना समिति ने बनायी थी, हर जिले के अन्दर (व्यवधान) हजारों की संख्या में फार्म प्राप्त होते हैं। एक आशार्थी एक ही जिले में एप्लाई नहीं करता बल्कि पांच, सात, आठ, दस जिलों मे एप्लाई करता है। उन लिस्टों को वापस रिवाइज करना और नम्बर के हिसाब से मेरिट सूची बनाना, चूंकि यहां इस सारे विषय को एक्जामिन किया गया है,डिपार्टमेंट के द्वारा एक्जामिन करके पूरी, राजस्थान में जो 31 जिला परिषदें है, उनकी जिला स्थापना समितियों को राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये और माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश की लाइट में आदेश जारी किया गया कि तमाम जो योग्यता सूची मेरिट लिस्ट बनायी गयी थी, उनको निरस्त करके नयी सूची बनाकर जल्दी से जल्दी आशार्थियों को नियुक्ति दी जाय। उसके बावजूद मैंने बहुत विनम्र शब्दों मे निवेदन किया सदन के माध्यम से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की कतई मंशा नहीं है कि यह रिक्तियां ज्यादा समय रहें। जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा दो माह,ढाई माह के अंदर इन सब रिक्तियों को भर दिया जायेगा। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय मदन मोहन जी।

अवैध वाहनों के संचालन पर प्रतिबन्ध

38.**श्री मदन मोहन (खैरथल)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार किशनगढ़ बास से वाया माछरोली, बघेरी, हरसौली तक के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन की बस चलाने का विचार रखती है ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अवैध वाहनों के चलने पर कारगर प्रतिबन्ध लगाने का भी विचार रखती है ? यदि नहीं , तो क्यों ?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन मोहन)

(3) अलवर जिले मे सबसे अधिक वाहन किस मार्ग पर चलते हैं? क्या सरकार ने इन्हें रोकने का कभी प्रयास किया है? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व) : (1) जी नहीं। उक्त मार्ग वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं हैं तथा इस पर निजी वाहनें संचालित हैं जिनकी प्रतिस्पर्धा में निगम वाहनों का संचालन अनार्थिक रहने की आशंका है।

(2) जी हां। विभाग वाहनों के अवैध संचालन की रोकथाम हेतु प्रयासरत है।

(3) अवैध रूप से चलने वाले वाहनों का कोई निश्चत मार्ग अथवा समय नहीं होता। अवैध वाहनों की कानूनानुसार की गयी चैकिंग में वर्ष 1994-95 के दौरान 1950 चालान किये गये, 523 वाहन सीज किये गये और 18 लाख रुपये लगभग वसूल किये गये।

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त मार्गो पर चलने वाले सभी निजी वाहन, परमिट दे रखा है? क्या वहां पर सभी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें चलती हैं? क्या वहां के सभी अवैध वाहन लाल बत्ती भी लगाने की छूट दे रखी है? अलवर जिले में जितने भी अवैध वाहन चलते हैं, रात्रि के समय जितनी भी टैक्सियां चलती हैं उनमें से जयादातर के ऊपर लाल बत्ती होती है आर लाल बत्ती के कारण वहां से शराब का निर्यात करते हैं। शराब का निर्यात केवल अलवर जिले के यातायात मंत्री होने के कारण उनको बदनाम करने की नीयत से किया जाता है या वास्तविकता है उसमें शामिल होने की? (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ बास से माछरोली,बघेरी,हरसौली तक यह केवल 25 किलोमीटर का रूट है और यह रूट सारा गांव से जुड़ा हुआ है। यहां के जो निवासी है वह ज्यादातर कचहरी के लिये किशनगढ़ बास जाते है इस रूट पर तीन प्राइवेट वाहनों को परमिट दिये गये है। चूंकि यहां पर यात्री भार ज्यादा नही है इसलिये रोडवेज ने दूसरा कोई परमिट एप्लाई नहीं किया न ही कोई जन-प्रतिनिधियों ने, न ही माननीय एम.एल.ए.साहब ने और न ही किन्ही ओर लोगों ने इस पर और अधिक बसें चलाने की आज तक कोई मांग की है। जहां तक सवाल है लाल बत्ती का, मैंने पहली बार लाल बत्ती हटाने के लिये जबरदस्त अभियान चलाया जिसमें (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : कितनी बत्तीयां हटायी?

श्री रोहिताश्व : करीब 48 गाड़ियों और टैक्सियों के चालान किये गये। अलवर जिले में शराब निर्यात वाहन के लिये कभी कोई लाल बत्ती की इस तरह की कोई शिकायत नहीं आयी। यह पहली बार शिकायत आयी है, इसकी मैं जांच करूंगा।अगर जांच में कोई दोषी पाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसकी जबदस्त सजा मिलेगी और कानून के हिसाब से कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मनोरमा सिंहजी- (व्यवधान) अब क्या सवाल रह गया?

श्री मदन मोहन : माननीय अध्यक्ष, जो निजी वाहन वहां पर चलते हैं.

श्री अध्यक्ष : बहुत स्पेसिफिकली आ गया। मनोरमा सिंह जी।

औद्योगिक विकास की दृष्टी से पिछड़े जिले

39.**श्रीमती मनोरमा सिंह** (राजाखेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) औद्योगिक विकास की दृष्टी से प्रदेश में कितने जिलों को पिछड़ा जिला घोषित किया जा चुका है ? क्या चालू वित्तीय वर्ष में पिछड़े जिले घोषित किये जाने प्रस्तावित हैं ?

(2) क्या सरकार धौलपुर जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो देय सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में मिनी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो कब तक करने का विचार है ?

उप मुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : (1)राज्य में भारत सरकार द्वारा निम्न 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया गया है:-

अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, सीकर, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर और टौंक।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा वांछित सूचनाएँ आयोजना विभाग द्वारा भिजवाई जा चुकी हैं।

(2) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले भारत सरकार द्वारा घोषित किये जाते हैं। इस हेतु राज्य सरकार से अपेक्षित जिलेवार आकंड़े दिनाक 6.9.94 को सदस्य, सचिव, पिछड़ा, जिला समिति, वित्त मंत्रालय को भिजवाये जा चुके हैं, जिसमें धौलपुर जिला भी शामिल है।

(3) राजखेड़ा में उद्योग स्थापित करने के लिये भूमि आबंटन/रुपान्तरण हेतु रीको के यहां कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी रीको द्वारा औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं एवं क्षमता का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के अनुसार औद्योगिक विकास की संभावनाएँ एवं क्षमता पर्याप्त नहीं होने के कारण मिनी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का औचित्य नहीं पाया गया।

श्रीमती मनोरमा सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश में कितने जिलों को पिछड़ा जिला घोषित किया जा चुका है? क्या चालू वित्तीय वर्ष में (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह आ गया है।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं है। आप बोलने दीजिये उन्हें। टोके नहीं, माननीय सदस्य। कोई टोकेगा नहीं। इन्हें बोलने दीजिये।

श्रीमती मनोरमा सिंह : क्या राज्य सरकार धौलपुर जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो देय सुविधाओं का विवरण देने का कष्ट करें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह अपने प्रश्न के उत्तर में बता दिया है कि केन्द्र सरकार ने हमसे जो सूचनाएँ मांगी हैं उन सूचनाओं के आधार पर हमने अपनी ओर से धौलपुर को पिछड़ा जिला घोषित करने की प्रार्थना केन्द्र सरकार से की है। केन्द्र सरकार उसको मंजूर करेगी।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसका क्राइटेरिया क्या है ?

श्रीमती मनोरमा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, चालू वित्तीय वर्ष में राजाखेड़ा विधान क्षेत्र में मिनी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो कब तक करने का विचार है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, सरकार की योजना निरन्तर है और इसलिये हमने सर्वेक्षण करवाया है। लेकिन अभी तक कुछ उद्योगपति रजिस्ट्रेशन करवा नहीं पा रहे हैं। आप कुछ उद्योगपतियों से रजिस्ट्रेशन करवाइये। क्योंकि यह संभावना हमेशा बनी रहेगी। जब भी उद्योगपति आयेंगे तो आपके यहां उद्योग क्षेत्र बनायेंगे निश्चित तौर से।

श्री बनवारी लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक प्रश्न.....

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय मंत्रीजी , यह बताने की कृपा करेंगे, जब आप यह कह रहे हैं कि हमने सर्वेक्षण करवा लिया है और उसमें क्षमता नहीं है, पोटेंशल नहीं है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि राजाखेड़ा में पोटेंशल नहीं है, दूसरी तरफ इसको बैकवर्ड लेने के लिये आपने गवर्नमेंट आफ इण्डिया को लिखा है,यह विरोधाभास क्यों ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह कतई विरोधाभास नहीं है। पिछड़ा जिला घोषित करने के लिये वहां नहीं है। यदि कोई उद्योगपति वहां आता है तो नयी खोज की बात है। वह कोई नयी चीज खोजकर लाये कि हम उद्योग में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जायेगा यह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें ।)

(12.00)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अध्यक्ष, नगरपालिका जहाजपुर के विरुद्ध शिकायतें

33. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगरपालिका जहाजपुर के अध्यक्ष के विरुद्ध विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतें कब प्राप्त हुईं और विभाग ने उन पर क्या जांच एवं कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गंभीर शिकायतों पर विभाग द्वारा लम्बे समय से कार्यवाही नहीं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

करने पर अनियमितताएं तथा धन के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1990-91 से 1993-94 के अंकेक्षण एवं जांच में गम्भीर प्रकरण सामने आये हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि अनावश्यक यात्रा भत्ता, जीप किराया और नियम विरुद्ध धन के दुरुपयोग की शिकायतें जहाजपुर नगरपालिका बाबत विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या-क्या शिकायतें आयीं और विभाग ने उन पर क्या-क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 9.9.92 को प्राप्त शिकायत पर दिनांक 16.9.92 को उप निदेशक (द्वितीय) द्वारा जांच की गई । जांच प्रतिवेदन पर विचार कर अध्यक्ष को दिनांक 9.10.92 को कारण बताओ पत्र दिया गया एवं अध्यक्ष से उत्तर प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.12.93 को उक्त प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु संयुक्त विधि परामर्शी को भिजवाया गया । इसके अतिरिक्त विधान सभा प्रश्न सं. 45 के प्राप्ति के पश्चात् अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जांच की गई तत्पश्चात् दिनांक 16.1.95 को कारण बताओ पत्र दिया गया ।

(2) शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है । जैसा कि प्रश्न 1 के उत्तर से स्पष्ट होता है ।

(3) जी हां । अंकेक्षण एवं जांच के सामने आये गम्भीर प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(4) जी हां । जो शिकायतें प्राप्त हुई विभाग ने इन पर कार्यवाही की है । जैसा कि प्रश्न 1 के उत्तर से स्पष्ट होता है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें ।)

बीसलपुर बांध परियोजनान्तर्गत सिंचित क्षेत्र

35. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीसलपुर बांध की सिंचाई परियोजना से किन-किन क्षेत्रों के किसानों को कितना-कितना पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराये जाने की योजना है और कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) बीसलपुर बांध सिंचाई परियोजना से सिंचाई के लिए पानी देने की मांग किन-किन क्षेत्रों के लोगों ने कर रखी है और इन मांगों के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) स्वीकृत योजना के अनुसार वर्ष 1998-99 तक पूर्ण कमाण्ड में पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध कराये जाने की योजना है । विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें ।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य का गलीचा उद्योग

43. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में इस समय गलीचा उत्पादन के कितने लूम हैं तथा राज्य में अनुमानतः कितने गलीचों का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है ?

(2) गलीचा उत्पादन में राजस्थान देश के अन्य राज्यों की तुलना में किस नम्बर पर है ?

(3) गलीचा उत्पादन के लिए कितनी ऊन प्रत्येक वर्ष उपलब्ध हो जाती है, कितनी ऊन उपलब्ध है तथा उससे कितने गलीचों का निर्माण हो सकता है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य में उपलब्ध ऊन अधिकांशतः राज्य के बाहर जाती है ? क्योंकि राज्य में ऊन को गलीचों के लिए उपयुक्त बनाने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में 405 औद्योगिक इकाइयां गलीचा उत्पादन हेतु पंजीकृत हैं। राज्य में अधिकांश गलीचा निर्माण करने वाली इकाइयां मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में लगी हुई हैं जिनका उन्होंने उद्योग विभाग में पंजीयन नहीं कराया है। अतः राज्य में स्थापित गलीचा बनाने वाले लूम्स की पूर्ण सूचना बताना संभव नहीं है तथा इकाइयों द्वारा लूम्स की संख्या में घटत-बढ़त भी की जाती रहती है। उद्योग निदेशालय में पंजीकृत उद्योगों की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 632 लाख रुपये मूल्य के गलीचे निर्माण करने की है।

(2) गलीचा उत्पादन के संबंध में अन्य राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं अतः अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान का गलीचा उत्पादन में नम्बर बताना सम्भव नहीं है। राजस्थान गलीचा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

(3) राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 160 लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन होता है जिसमें से करीब 1/4 मोटी ऊन को छोड़कर शेष ऊन गलीचा निर्माण के लिए उपयुक्त है।

(4) जी हां, राज्य में ऊन उद्योगों जिसमें गलीचा उत्पादन इकाइयां भी सम्मिलित हैं की आवश्यकता के अलावा ऊन राज्य के बाहर जाती है। राज्य में ऊन उद्योग जिसमें गलीचा उत्पादन भी शामिल है के विकास हेतु राज्य सरकार ने विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली है जिसका क्रियान्वयन वर्ष 1995-96 से किया जाना प्रस्तावित है।

औद्योगिक क्षेत्र बस्सी

44. श्री विजय सिंह (दीगोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बस्सी (जिला जयपुर) औद्योगिक क्षेत्र कब घोषित हुआ ?

(2) बस्सी औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाई स्थापित करने की घोषणा से अब तक की अवधि में, कितने उद्यमियों के प्रार्थना-पत्र एवं बांड जमा किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री विजय सिंह)

(3) उक्त उद्यमियों में से किन-किन ने औद्योगिक इकाई स्थापित की है तथा किन-किन की किन कारणों से लम्बित है ?

(4) उक्त उद्यमियों को कहां-कहां पर किस-किस दर पर भूमि उपलब्ध करवाई गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार 10 वर्ष तक की लम्बी प्रतीक्षा करने वालों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करवायेगी ? यदि हां, तो कहां एवं किस दर पर ?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा बस्सी की 81 बीघा 14 बिस्वा चरागाह भूमि को दिनांक 18.6.1987 को औद्यगिक क्षेत्र घोषित किया था तथा रीको के प्रशासन द्वारा उक्त क्षेत्र के विकास हेतु दिनांक 1.7.91 को निर्णय लिया गया था।

(2) बस्सी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु रीको के निर्णय के पश्चात् 77 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्रार्थना-पत्रों के साथ बाण्ड जमा कराने का रीको के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अतः बाण्ड जमा नहीं कराये गये हैं। भूखण्ड आवंटन हेतु प्राप्त 77 आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) उक्त 77 उद्यमियों में से 3 आवंटियों द्वारा उद्योग स्थापित किये गये हैं। शेष में से 11 इकाइयां निर्माणाधीन हैं, 27 आवंटियों की निर्माण अवधि शेष हैं, 12 उद्यमियों के आवंटन निरस्त किये जा चुके हैं एवं 24 उद्यमियों द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वापस ले लिये गये हैं।

(4) सम्पूर्ण सूचना परिशिष्ट "अ" में उल्लेखित है।

(5) रीको के प्रचलित नियमों में रियायती दर पर ऐसे उद्यमियों को भूखण्ड उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही ऐसी कोई सूची विभाग द्वारा तैयार की जाती है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

नसीराबाद (अजमेर) के ग्रामीण अंचल में औद्योगिक केन्द्र

45. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नसीराबाद नगर के आस-पास ग्रामीण अंचल में लघु औद्योगिक केन्द्र या अन्य औद्योगिक केन्द्र की स्थापना करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना व उस सम्बन्ध में हुई प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में सरकार इस प्रकार का केन्द्र बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) नसीराबाद नगर के पास में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है और इसके लिए जिला कलक्टर, अजमेर ने ग्राम बेवन्जा की 78.09 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भी कर दी है।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा

46. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान औद्योगिक विनियोजन निगम, जयपुर ने जयपुर जिले के ग्राम कालाडेरा में उद्योग लगाने हेतु भूमि अवाप्त की है एवं क्या इसका अवार्ड जारी कर दिया है? यदि हां, तो जारी अवार्ड की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र में कितने-कितने वर्ग मीटर के भूखण्ड आवंटित किये जाने प्रस्तावित हैं? प्रस्तावित भूखण्डों के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त औद्योगिक क्षेत्र में कितने भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं, कितने भूखण्ड आवंटन हेतु शेष हैं और कितने-कितने वर्गमीटर के हैं?

(4) क्या उक्त औद्योगिक क्षेत्र में एक हजार वर्ग मीटर के भूखण्ड भी आवंटित किये जाने प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कितने और 28 फरवरी, 1995 तक एक हजार मीटर के भूखण्डों के आवंटन हेतु किन-किन उद्यमियों ने अपने प्रार्थना-पत्र निर्धारित राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत किये हैं? प्रार्थियों के नामों की सूची मय नाम, पिता/पति का नाम, आबंटित भूखण्ड की संख्या के सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि वरिष्ठ प्रबन्धक, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर ने कुछ उद्यमियों को परेशान करने की दृष्टि से जिन उद्यमियों के प्रार्थना-पत्र पूर्व में प्राप्त हो चुके हैं उनसे भी दरें बढ़ाकर राशि वसूलने की मंशा के कारण अभी तक भूखण्ड संख्या आबंटित नहीं की है? क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कालाडेरा में उद्योग लगाने के लिए कालाडेरा में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु 570 बीघा 7 बिस्वा राजकीय चरागाह भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा आरक्षित करने के पश्चात् राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. को आबंटित की गई है तथा उक्त जमीन का 11,000 रु. प्रति बीघा की दर से कुल 62,73,850/- (बासठ लाख तिहत्तर हजार आठ सौ पचास रु.) प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश दिनांक 5.8.92 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट - क)

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र में निम्नांकित क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखण्ड आवंटन हेतु प्रस्तावित हैं :—

भूखण्ड का प्रकार	भूखण्ड का आकार (क्षेत्रफल)	भूखण्डों की संख्या
एस.पी.	10.00 एकड़	14
ए.	2.50 एकड़	6
ई.	1.00 एकड	5
एफ.	00.50 एकड़	27
जी.	1500 वर्ग मीटर	16
जी-1	1000 वर्ग मीटर	61
एस.पी.	15000 वर्गमीटर	3
	कुल	132

(उद्योग मंत्री)

(3) प्रस्तावित भूखण्डों के नक्शे की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट-ख)

उक्त औद्यागिक क्षेत्र में 68 भूखण्ड आबंटित किये जा चुके हैं तथा 64 भूखण्ड आबंटन हेतु शेष हैं। शेष खाली भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार है : —

भूखण्ड का प्रकार .	भूखण्ड का आकार (क्षेत्रफल)	भूखण्डों की संख्या
एस.पी.	10.00 एकड़	12
ए.	2.50 एकड़	3
ई.	1.00 एकड	3
एफ.	0.50 एकड़	15
जी.	1500 वर्ग मीटर	4
जी-1	1000 वर्ग मीटर	27
	कुल	64

(4) उक्त औद्योगिक क्षेत्र में एक हजार वर्गमीटर आवंटन हेतु 20 फरवरी, 1995 तक रीको द्वारा निर्धारित राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के प्रार्थियों के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-ग) औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा में 1000 वर्गमीटर के 27 भूखण्ड आवंटित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा की आधारभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित विकास योजना रीको के विचाराधीन होने के फलस्वरूप विकास शुल्क में वृद्धि होगी। इस संदर्भ में दिनांक 21.2.95 से नये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं।

(5) जी नहीं। वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1995 तक जिन उद्यमियों के भूखण्ड आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र पूर्व में प्राप्त हुए थे उन सभी उद्यमियों को भूखण्ड आवंटित कर दिये हैं। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

नगर निगम, जयपुर द्वारा भूखण्ड का निःशुल्क आवंटन

47. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या जयपुर नगर निगम गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क भूखण्ड व आवास की सुविधा देता है? यदि हां, तो उसके क्या मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं? क्या सरकार अनपढ़ एवं विकलांग महिलाओं को भी ऐसी सुविधा प्रदान करती है? यदि हाँ, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) निगम द्वारा वित्तीय वर्ष, 1994-95 तथा 1995-96 में कितने-कितने व्यक्तियों को यह सुविधा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है।

(2) जी नहीं।

ग्राम झाखड़ा (राजगढ़) के हैण्डपम्प

48. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम झाखड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर में कुल कितने हैण्डपम्प स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने खराब हालत में हैं तथा कब से? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को शीघ्र ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम का जल स्तर काफी नीचे चला गया है जिसकी वजह से खासकर गर्मी के दिनों में पीने के पानी का अभाव रहता है? क्या सरकार गांव की जनसंख्या को देखते हुए एवं जल स्तर नीचे होने के कारण और नये हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने तथा कब तक लगा दिये जावेंगे?

(3) क्या यह भी सही है कि तहसील राजगढ़ के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय का उक्त ग्राम के निवासियों ने समय-समय पर इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया? यदि हां, तो उस पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की?

(4) क्या सरकार उक्त ग्राम में खारा पानी पीने योग्य न होने के कारण पेयजल लाइन डालकर अन्य स्थान से स्वच्छ एवं मीठा पानी उपलब्ध कराने का आगामी वित्तीय वर्ष में प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) वर्तमान में ग्राम झाखड़ा तहसील राजगढ़ में 10 हैण्डपम्प स्वीकृत हैं एवं 10 हैण्डपम्प स्थापित हैं। विभाग द्वारा चलाये गये पिछले विशेष मरम्मत अभियान (जून, 94 तक) के पश्चात स्थितिनुसार 8 चालू एवं 2 विगत एक वर्ष से सूखे थे। हैण्डपम्प संधारण का कार्य पंचायत समिति द्वारा ही किया जाता है, अतः वर्तमान स्थिति की सूचना विभाग के पास नहीं है।

(2) अच्छी वर्षा न होने के कारण जल स्तर नीचे चला जाता है। 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ आबादी 1365 है। विभाग के नोर्म्स के अनुसार यहां हैण्डपम्प स्थापित हैं। सूखे हैण्डपम्प के स्थान पर आवश्यकता को दृष्टिगत कर व धन उपलब्धता अनुसार नये हैण्डपम्प लगाये जा सकते हैं।

(3) विभाग द्वारा लगभग प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल के पूर्व विशेष अभियान के दौरान हैण्डपम्प मरम्मत किये जाते हैं। हैण्डपम्प संधारण का कार्य साधारणतया पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों को पुनः वर्तमान में जारी मरम्मत अभियान के दौरान ठीक कर दिये जायेंगे।

(4) उल्लिखित ग्राम में पानी पीने योग्य है। विभागीय नोर्म्स के अनुसार हैण्डपम्प स्थापित हैं, इसलिए अन्य पेयजल व्यवस्था करने की वर्तमान में कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्डपम्प्स

49. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री माधवसिंह दीवान)

(1) राज्य में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु किस-किस जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कितने-कितने हैण्डपम्प खुदवाये गये? शहरी व ग्रामीण क्षेत्रवार खुदवाये गए हैण्डपम्पों का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) उक्त हैण्डपम्पों में कितने हैण्डपम्प चालू हैं तथा कितने हैण्डपम्प कब से बन्द पड़े हैं? उन्हें कब तक चालू करवा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(3) उक्त हैण्डपम्पों के रख-रखाव हेतु बजट प्रावधान क्या है?

उत्तर

(1) राज्य में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु जो हैण्डपम्प खुदवाये गये हैं उनकी सूची शहरी एवं ग्रामीण की क्षेत्रवार प्रस्तुत है। (परिशिष्ट "क" संलग्न है)

(2) उक्त हैण्डपम्पों में से गत जून, 94 में चलाये गये अभियान के बाद चालू एवं बन्द हैण्डपम्पों की सूचना (परिशिष्ट "क") संलग्न है। इनमें से सुधारे जा सकने वाले हैण्डपम्पों के लिए विभाग द्वारा पुनः अभियान आरम्भ कर दिया गया है जो जुलाई, 95 तक जारी रहेगा।

(3) उक्त हैण्डपम्पों का रखरखाव शहरी क्षेत्रों में विभाग द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। इस मद हेतु अलग से कोई बजट का प्रावधान नहीं है। विभागीय संधारण मद में से ही शहरी क्षेत्रों में हैण्डपम्पों के रख-रखाव पर खर्चा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समितियों को हैण्डपम्पों के संधारण एवं स्थान पर 431.72 लाख रुपये एवं जिला परिषदों को हैण्डपम्पों के संधारण एवं स्थापना पर रुपये 55 लाख अर्थात् इस तरह कुल 486.72 लाख रुपये बजट मद 221.50 जलपूर्ति और सफाई, 191 स्थानीय निकायों नगर पालिका आदि को सहायता के अन्तर्गत उक्त राशि का व्यय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है। बजट प्रावधानानुसार वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर संबंधित पी. डी. खातों में राशि स्थानान्तरित की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र मकराना हेतु स्वीकृत हैण्डपम्प्स

50. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र मकराना के लिए मार्च, 1993 से 1 जनवरी, 1995 तक कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये?

(2) स्वीकृत हैण्डपम्प कहां-कहां लगाये व कितने लगाने बाकी हैं? इनमें से वर्तमान में कितने हैण्डपम्प चालू हालत में हैं?

(3) सरकार मकराना पंचायत समिति के प्रत्येक गांव को जल योजना से जोड़ने का कार्य कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में मार्च, 1993 से जनवरी, 1995 तक कुल 27 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) स्वीकृत 27 हैण्डपम्प जिन स्थानों पर खोदे गये, उनका विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है। इनमें से 22 हैण्डपम्प चालू हैं एवं 4 स्थानों पर हैण्डपम्प स्थापित करना शेष है एवं एक पर वेधन कार्य शेष है।

(3) पंचायत समिति मकराना में 120 ग्राम हैं एवं सभी ग्रामों को विभिन्न जल योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया हुआ है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा द्वारा आवंटित भू-खण्ड प्रकरण

51. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगर न्यास द्वारा भाजपा कार्यालय के लिये 190 × 225 फुट क्षेत्र का भूखण्ड आवंटित किया गया है? यदि हां, तो इसकी नियमानुसार स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा कब दी गई?

(2) क्या उक्त भूखण्ड के मूल्य का नियमानुसार निर्धारण किया जाकर अपेक्षित राशि जमा की जा चुकी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस भूखण्ड पर निर्मित होने वाले भवन की योजना प्रारूप आदि नियमानुसार पास हो चुके हैं और न्यास द्वारा निर्माण की स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त भूखण्ड प्रकरण में किसी प्रकार का मामला न्यायालय के विचाराधीन है? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह आवंटन नगर सुधार न्यास भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 18 के तहत किया गया। यह आवंटन नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा की साधारण सभा की बैठक दिनांक 30.12.93 के प्रस्ताव सं. 18 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आरक्षित दर के 5 प्रतिशत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उपयोग हेतु आवंटित किया गया, यह आवंटन दिनांक 1.1.1994 को किया गया। नियम 18 में आरक्षित दर के 50 प्रतिशत से कम पर आवंटन के लिए ही राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती है।

(2) जी हां, यह सही है कि उक्त भूखण्ड के मूल्य का नियमानुसार निर्धारण किया जाकर अपेक्षित राशि नीचे अंकित अनुसार जमा की जा चुकी है—

राशि	दिनांक	पेटे
रुपया 10,001	1.1.1994	भूखण्ड पेटे
रुपया 20,000	7.5.1994	–
रुपया 20,000	10.5.1994	–
रुपया 50,000	1.6.1994	–
रुपया 1,00,000	11.7.1994	–
रुपया 5,12,499	23.7.1994	–
रुपया 1,28,587	23.7.1994	ब्याज व पैनल्टी
रुपया 8,41,087		

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) जी नहीं, आवंटी द्वारा निर्मित किये जाने वाले भवन की मानचित्र स्वीकृति के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्माण की स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं होता।

(4) जी हां, सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) पूर्व में प्रकरण संख्या 73/94 व 223/94 एवं अवमानना प्रकरण संख्या 76/94 न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्थगन यथा स्थिति बनाये रखने का दिया हुआ है। यह प्रकरण प्रतिनिधि वाद की तरह प्रस्तुत किया गया है। लेकिन न्यायालय ने इस हेतु औपचारिक अनुमति अब तक नहीं दी है। प्रकरण में बहस न होने के कारण यथास्थिति बनी हुई है।

जिला राजसमन्द की पनघट योजनाओं पर व्यय

52. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों में कौन-कौनसी जल प्रदाय पनघट योजनाएं कार्यरत हैं? उक्त योजनाओं पर कब-कब, कितनी-कितनी राशि किस कार्य हेतु व्यय की गई?

(2) उक्त तहसीलों में कौन-कौनसी नई जल प्रदाय योजना/पनघट योजना इस वर्ष स्वीकृत की गई है तथा उन पर कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए अब तक व्यय की गई? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त योजनाओं को अब कब तक क्रियान्वित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले की भीम तहसील के जेतगढ़ ग्राम में पनघट जल प्रदाय योजना क्रियान्वयन में है। उक्त योजना पर समय-समय किये गये कार्यों पर हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार है—

माह वर्ष	कार्य का विवरण	व्यय राशि
1992-93	पाईप लाइन 1250 मीटर डाली जाने हेतु।	1,37,813/-
1993-94	कुआं गहरा कराने का कार्य	28,457/-
	पाइप लाइन इत्यादि।	1,15,631/-
	भूतल जलाशय का निर्माण	1,05,688/-
	अन्य कार्य	3000/-
	कुल योग	3,90,589/-

देवगढ़ तहसील में कोई पनघट जलप्रदाय योजना कार्यरत नहीं है।

(2) संदर्भित तहसीलों में वर्ष 1994-95 में स्वीकृत पनघट/जलप्रदाय योजनाओं का वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) बजट उपलब्धता के आधार पर उक्त योजनाओं को आगामी वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित किया जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट--7 देखें।)

उदयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था

53. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर शहर में पेयजल की व्यवस्था के लिए अभी क्या-क्या साधन हैं?

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(2) उदयपुर की जनसंख्या को देखते हुए वहां पर पानी की खपत का औसत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना है और अभी कितना पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर के लिए जयसमन्द से पेयजल की पूर्ति के लिए पानी लाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है? यदि हां, तो अभी तक कुल कितनी पाइप लाइन बिछा दी गयी है और कितनी शेष है? यह पानी उदयपुर कब तक पहुंच कर वितरित होने लगेगा?

(4) क्या झामरकोटड़ा से उदयपुर शहर की विभिन्न आवासीय नई बस्तियों में पानी लाने के लिए कोई सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो इस संबंध में अब क्या कार्यवाही की जानी अपेक्षित है?

(5) उदयपुर की नगरीय जल योजना के वितरण प्रणाली में सुधार के लिए विभाग की क्या योजना है? गत 2 वर्ष में जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइन परिवर्तन का कार्य किन-किन मोहल्लों में और कितनी राशि का कराया गया? लम्बाई तथा लागत के विवरण सहित स्थानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में उदयपुर नगर की पेयजल व्यवस्था पिछोला एवं फतेहसागर झीलों, 65 नलकूपों एवं 10 खुले कुओं पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त नगर में 1233 हैण्डपम्प भी स्थापित हैं।

(2) निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उदयपुर नगर में क्रमशः न्यूनतम व अधिकतम 150 से 200 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता है जिसके विरुद्ध 111 लीटर पेयजल प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है।

(3) जी हां, अभी तक कुल 49.1 किलोमीटर लम्बाई में मुख्य पाइप लाइन बिछा दी गई है एवं 2.9 कि.मी. डाली जानी शेष है। जयसमन्द से पानी उदयपुर को अगस्त 1995 तक प्राप्त होने की संभावना है।

(4) झामर कोटड़ा नलकूपों से उदयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 7.60 करोड़ रुपये की राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(5) उदयपुर नगर की वितरण प्रणाली में सुधार हेतु प्रस्ताव बनाया जाकर स्वीकृति की प्रारम्भिक प्रक्रिया में है। गत वर्षों में पाइप लाइनों के परिवर्तन हेतु किये गये कार्यों का वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

जोधपुर नगर सुधार न्यास में एक भूखण्ड को दो बार आवंटन के लम्बित प्रकरण

54. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर सुधार न्यास में कितने प्रकरण एक ही भूखण्ड को दो बार आवंटन करने के लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(2) न्यास के भूमि आवंटन/अनधिकृत कब्जे के कितने प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं? पिछले पांच वर्षों में निर्णीत हुए प्रकरणों में न्यास के विरुद्ध कितने प्रकरणों में न्यास ने रिवीजन पेश की और किन-किन में रिवीजन पेश नहीं की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर नगर सुधार न्यास से 6 प्रकरण एक भूखण्ड को दो बार आवंटित करने के लम्बित हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) न्यास में भूमि आवंटन/अनधिकृत कब्जे के 218 प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। (परिशिष्ट "ब") पिछले पांच वर्षों में निर्णित हुए प्रकरणों में न्यास के विरुद्ध 3 प्रकरणों में न्यास ने रिवीजन पेश की है। (परिशिष्ट "स") शेष प्रकरणों में रिवीजन पेश नहीं की गई है क्योंकि न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में डयूर प्रोसेस ऑफ लॉ के अन्तर्गत हटाने के आदेश पारित किये हैं।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

महावीर नगर, जयपुर में सुविधाएं

55. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवसन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर की महावीर नगर स्कीम के निवासियों ने रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, गृहकर आदि राशि जमा करा दी है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार की वसूलनीय समस्त प्रकार की राशि जमा होने के बाद भी इस स्कीम के निवासियों को अभी तक सीवरेज, नाली निर्माण, छोटी सड़कों का निर्माण, पार्क विकास सुविधा आदि से वंचित रखा जा रहा है? यदि हां, तो सरकार अब उक्त निवासियों को यह सारी सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा देगी?

उत्तर

(1) पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर ने दिनांक 26.3.82 को रूपान्तरण राशि रुपये 12,00,000/- एवं 3,00,000/- जरिये चालान राजकोष में जमा कराये हैं तथा महावीर नगर प्रथम योजना में दिनांक 7/94 तक विकास शुल्क रुपये 5.37 लाख, भूमि की कीमत, रूपान्तरण शुल्क, परिधि शुल्क के मद में रुपये 13.65 लाख जमा हुए हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत आवेदकों द्वारा भी राशि जमा कराई है। जिनका गृहकर निर्धारण है उनमें से काफी लोगों ने गृह कर जमा करा दिये गये हैं।

(2) जी नहीं, वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि प्राधिकरण द्वारा महावीर नगर प्रथम में 5340 मीटर लम्बी सड़क, 217 मीटर डब्ल्यू. बी. एम. सड़क तथा 240. मीटर नाली का निर्माण करवाया है। इसके अलावा स्कीम में उपलब्ध समस्त पार्क व सुविधा क्षेत्र का निर्माण भी करवा दिया है। मुख्य सड़क पर सोडियम लाइटें भी लगवाई गई हैं। शेष विकास शुल्क मिलने पर स्कीम में अवशेष विकास कार्य

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

करवाये जाने की कार्यवाही होगी। विकास शुल्क की राशि में सीवर लाइन के कार्य का प्रावधान नहीं है।

नगर निगम, जयपुर द्वारा गिराये गये निर्माण प्रकरण

56. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1994-95 में नगर निगम जयपुर द्वारा जयपुर शहर की चारदीवारी में अवैध रूप से गिराये गये निर्माण कार्य की पत्रावलियां लोकायुक्त, सचिवालय एवं राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा तलब की गई थी? यदि हां, तो आदेश की प्रतियां, तलब की गई पत्रावलियों की सूची सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पत्रावलियां नगर निगम जयपुर द्वारा अभी तक भी प्रेषित नहीं की गई? यदि हां, तो किस-किस प्रकरण की पत्रावलियां किस-किस कारण से प्रेषित नहीं की गई? प्रकरण एवं कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार की लापरवाही एवं अनियमितताओं को उचित मानती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसमें किसी को दोषी मानती है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अभी भी उक्त पत्रावलियों को लोकायुक्त सचिवालय एवं राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो को प्रेषित कर पीड़ित पक्षकारों को न्याय दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 94-95 में अवैध रूप से कोई भी निर्माण कार्य नगर निगम, जयपुर द्वारा नहीं गिराया गया। लोकायुक्त ने एक पत्रावली मांगी थी। राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा गिराये गये अवैध निर्माण की कोई पत्रावली नहीं मांगी गई है। तलब की गई पत्रावली के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। लोकायुक्त कार्यालय द्वारा तलब की गई पत्रावली दिनांक 31.3.95 को भेजी जा चुकी है।

(3) नगर निगम द्वारा उपरोक्त गिराये गये अवैध निर्माण को नियमानुसार गिराया गया है। इसलिए कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी दोषी नहीं है।

(4) नगर निगम माननीय लोकायुक्त एवं राज्य अन्वेषण ब्यूरो को हर संभव सहयोग कर रहा है। लोकायुक्त सचिवालय को पत्रावली प्रेषित कर दी गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

जयपुर नगर की विभिन्न कालोनीज में पेयजल व्यवस्था

57. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भीखा भाई)

(1) क्या गोविन्द नगर, डी. सी. एम. गोदाम, हीरा नगर, मोती नगर एवं महादेव नगर जयपुर में पीने के पानी की टंकी का निर्माण करने संबंधी मांग विचाराधीन है ?

(2) क्या जयपुर जिले की अजमेर रोड पर बसी कॉलोनीज गोविन्द नगर, मोती नगर एवं संयज कच्ची बस्ती में पीने के पानी की कमी से अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य वर्ग के लोगों को भारी परेशानी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे शीघ्र हल करने का विचार रखती है ?

(3) क्या गोविन्द नगर, डी. सी. एम. गोदाम, हीरा नगर, जयपुर में हैण्ड पम्प खराब है ? यदि हां, तो कब से ?

(4) क्या उक्त कॉलोनी में नये हैण्डपम्प लगाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितने नये हैण्डपम्प कहां लगाये जायेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, विभाग के पास कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(2) अजमेर रोड पर स्थित कॉलोनी गोविन्द नगर में सभी वर्गों को जल पूर्ति हेतु हैण्डपम्प स्थापित किये हुए हैं तथा संजय बस्ती में जल सप्लाई पाइप लाइन एवं हैण्डपम्पों के द्वारा है।

(3) जी नहीं, विभाग के पास कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(4) वर्तमान में कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। बजट उपलब्धता के अनुरूप भविष्य में आवश्यकतानुसार कार्य सम्पन्न कराये जाने सम्भव होंगे।

विद्याधर नगर सैक्टर-8 का व्यावसायिक केन्द्र

58. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्याधर नगर सैक्टर 8 के शॉपिंग सेन्टर में कितने वाणिज्यिक भूखण्ड हैं ? इनमें से कितनों पर दुकानों का निर्माण कराया जा चुका है तथा कितनों पर दुकानें नहीं बन पाई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वाणिज्यिक प्रयोजन की भूमि पर दुकानों के सम्मुख कुछ अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर थड़ियों की स्थापना हाल ही में की गई है ?

(3) उक्त अतिक्रमण के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) शॉपिंग सेन्टर में सड़कों व पानी का इन्तजाम नहीं होने से दुकानदारों को होने वाली कठिनाई के निराकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्याधर नगर सैक्टर-8 शॉपिंग सेन्टर में कुल 78 वाणिज्यिक भूखण्ड एवं मिल्क बूथ हैं। 28 वाणिज्यिक भूखण्डों पर दुकानें बनी हुई

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

हैं। 50 भूखण्ड व मिल्कबूथ मौके पर खाली हैं। सूची संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। इन दुकानों के पास ही थड़ी ठेलों के लिए प्राधिकरण द्वारा स्थान निर्धारित किया हुआ है। उसी स्थान पर सन् 1993 से थड़ियां व ठेले लगे हुए हैं।

(3) नीति निर्धारण का मामला है अभी कोई नीति निर्धारित नहीं हुई है।

(4) विद्याधर नगर सैक्टर-8 के शॉपिंग सेन्टर में सड़कों के विकास हेतु प्रकरण वर्क्स कमेटी द्वितीय में दिनांक 18.3.95 को भेजा हुआ है प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राधिकरण की वर्क्स (द्वितीय) कमेटी से प्राप्त होने के उपरान्त विकास कार्यों को हाथ में लिया जाना संभव हो सकेगा जहां तक पानी की व्यवस्था का प्रश्न है प्राधिकरण द्वारा मुख्य लाइन डाली हुई है तथा उपभोक्ता जलदाय विभाग को प्रार्थना पत्र देकर नियमानुसार कनेक्शन ले सकते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

उत्पादन एवं वितरण, नगर खण्ड जोधपुर के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक

59. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड, उत्पादन एवं वितरण, जोधपुर प्रथम जोधपुर में 01 अप्रेल, 1992 से दिसम्बर, 1993 तक कितने दैनिक श्रमिकों ने 240 दिनों या उससे अधिक अवधि तक कार्य किया है ?

(2) क्या इस खण्ड द्वारा दैनिक श्रमिकों की छंटनी की गई ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त मामलों में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कार्यवाही संपादित की गई थी ?

(3) क्या इस खण्ड द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो स्वेच्छा से अपने कार्य से अनुपस्थित रहा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

(4) इस खण्ड के समक्ष दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के कितने रिप्रजेन्टेशन लम्बित हैं ? उन पर निर्णय लिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या इस खण्ड की दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई ? यदि हां, तो वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड-I जोधपुर में 1.4.92 से दिसम्बर 1993 तक कुल संख्या 15 दैनिक श्रमिकों ने 240 दिन या उससे अधिक तक कार्य किया।

(2) इस खण्ड के अधीन किसी भी दैनिक श्रमिक की औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत छंटनी नहीं की गई।

(3) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी दैनिक वृत्ति पर कार्य करते हैं। अतः स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने की स्थिति में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अनुपस्थित अवधि की मजदूरी देय नहीं होती।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(4) वर्तमान में दैनिक वेतन कर्मचारियों से कोई भी रिप्रजेन्टेशन न प्राप्त हुआ है और न ही कोई लम्बित है।

(5) जी नहीं।

अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय रतनगढ़ (चूरू) के वर्कचार्ज कर्मियों का स्थायीकरण

60. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रतनगढ़ जिला चूरू के आदेश संख्या जनस्वा/स्था/1/94-95 दिनांक 25.7.1994 के द्वारा कुछ वर्कचार्ज कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव (दिनांक 19.3.1986) से स्थायी किया गया? यदि हां, तो किन-किन को? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के द्वारा चौकीदार कम बेलदार के पद पर श्री गोविन्दराम को भी स्थायी किया गया जबकि वे दिनांक 30.11.1989 को ही सेवानिवृत्त हो चुके थे? यदि हां, तो सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी के द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन स्वीकृति हेतु समय-समय पर विकल्प प्रस्तुत किये गये थे? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि यदि उक्त स्थायीकरण आदेश उक्त कर्मचारी के सेवारत रहते हुए ही जारी हो जाते तो उन्हें 2 वर्ष और राजकीय सेवा करने का अवसर मिलता और साथ ही पेंशन भी स्वीकृत हो जाती?

(5) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात् सी. पी. एफ. राशि के भुगतान हेतु कोई आवेदन न करने पर भी सी. पी. एफ. राशि का भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो उक्त भुगतान किस आधार पर किस नियम के अन्तर्गत किया गया संबंधित के सी. पी. एफ. लेखों की फोटो प्रति भी सदन की मेज पर रखें? क्या उक्त भुगतान इनके खाते में जमा राशि के अनुरूप है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि उक्त कर्मचारी के द्वारा सी. पी. एफ. राशि के भुगतान हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस कार्यालय के आदेश सं. 5465-70, दि. 25.7.94 के तहत श्री गोविन्दराम शर्मा चौकीदार व श्री चौथमल शर्मा चौकीदार को (कार्य प्रभारित) को दि. 19.3.86 से श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभि. वि. वृत्त चूरू के पत्रांक सं. एफ/ए.-1 (स्था-III) का. अ/94-95/7816/ दि. 5.7.94 की पालना में स्थायी किया गया था। दोनों आदेश की छाया प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "अ" व "ब")

(2) उपर्युक्त आदेश के तहत श्री गोविन्दराम को भी चौकीदार (कार्य प्रभारित) पद पर 19.3.86 से स्थायी घोषित किया गया

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

था। श्री गोविन्दराम दिनांक 30.11.89 को सेवा निवृत्त हो गये थे। सेवानिवृत्त आदेश की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "स")

(3) इस कार्यालय के पत्र सं. 787 दि. 1.5.91 के द्वारा कर्म. का विकल्प पेंशन हेतु निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग राजस्थान जयपुर को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया जिसके संदर्भ में निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर के पत्रांक-91 दिनांक 3.5.91 के द्वारा यह एतराज लगाया गया कि कर्मचारी को पेंशन के लाभ प्राप्त करने हेतु विकल्प देने की अंतिम तिथि 22.1.82 थी। दिनांक 22.1.82 के पश्चात् वर्कचार्ज पद से नियमित पद पर संविलीनिकरण होने वाले कर्मचारियों के पेंशन हेतु विकल्प देने की सुविधा प्रदान की गई थी। पुनः कर्मचारी ने दिनांक 2.12.92 को विकल्प पत्र प्रस्तुत किया। जिसे भी इस कार्यालय के पत्र सं. 7858-60 दि. 15.2.93 के तहत निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, राज. जयपुर को भिजवाया गया। उन्होंने अपने पत्र सं. 110 दि. 24.8.93 के तहत इस कार्यालय को अवगत कराया कि राज्यादेश संख्या एफ (11) डी. ओ. पी. (एएस)/80/ दि. 18.6.92 कर्मचारी पर लागू नहीं होता है इसलिये कर्मचारी को पेंशन की सुविधा देय नहीं है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "द")

(4) राज्य सरकार द्वारा गठित संविलीकरण समिति की बैठक दिनांक 10.4.90 में इन कर्मचारियों को पूर्व प्रभाव से नियमित करने का निर्णय किया गया। जिसके क्रम में श्री गोविन्दराम एवं श्री चौथमल शर्मा को दिनांक 1.4.85 से नियमित घोषित किया गया जबकि श्री गोविन्दराम शर्मा दि. 30.11.89 को सेवानिवृत्त हो चुके थे। चूंकि संविलीकरण करने का निर्णय ही 10.4.90 को हुआ था और कर्मचारी श्री गोविन्दराम इससे पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुका था। अतः 2 वर्ष की अधिक सेवा का अवसर नियमानुसार देय नहीं था।

(5) उप निदेशक के पत्र सं. 91 दि. 3.5.91 के द्वारा यह निर्देश मिलने पर कि पेंशन के लिए विकल्प स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है। अतः कर्मचारी के सी. पी. एफ. एवं जी. पी. एफ. की जमा राशि का कर्मचारी को भुगतान नियमों के अनुसार किया जाना ही था। अतः कर्मचारी के सी. पी. एफ. एवं जी. पी. एफ खातों में जमा राशि का भुगतान दिनांक 22.4.92 को किया गया। इस बाबत कर्मचारी का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। सी. पी. एफ/जी. पी. एफ. लेखों की प्रति संलग्न है। भुगतान लेखों में जमा राशि के अनुरूप है। (परिशिष्ट क व ख)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

मानसरोवर (जयपुर) सैक्टर-11 का विद्यालय भवन

61. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा मानसरोवर (अग्रवाल फार्म) के

(५५)

(श्री कुबेर सिंह)

सैक्टर-11 में राजकीय विद्यालय हेतु भवन का निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 21.8.1993 के तहत उक्त भवन राजकीय प्राथमिक विद्यालय को निःशुल्क आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया और आवंटन पत्र भवन निर्माण पूर्ण होते ही जारी करने का निर्णय लिया गया था?

(3) क्या निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक नि. संशि. शैक्ष. 3/94-95/11479-80 दिनांक 4 मई, 1994 द्वारा उक्त निर्माणाधीन विद्यालय भवन, मानसरोवर सैक्टर-11 में वर्तमान में संचालित प्राथमिक विद्यालय, जो वर्तमान में एक अल्प आय वर्ग के किराये के मकान में चल रहा है, में बढ़ती विद्यार्थी संख्या व प्रतिकूल मौसम में विद्यार्थियों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव भेजा है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया? यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या आवासन मण्डल उक्त भवन राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, मानसरोवर को आवंटित करने का विचार रखता है? यदि हाँ, तो कब तक आवंटन पत्र जारी कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, राजकीय विद्यालय का भवन निर्माण कार्य नवम्बर, 1994 में पूर्ण करवाया जा चुका है।

(2) जी हां, मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति द्वारा दिनांक 21.8.93 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय को भूमि निःशुल्क आवंटित करने तथा भवन निर्माण मण्डल द्वारा ही करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

(3) जी हां, प्रस्ताव पर नीतिगत निर्णय लेने से पूर्व ही सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 1.2.92 के निर्णयानुसार निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग की मांग पर उक्त विद्यालय के स्वयं द्वारा निर्माण करवाये जाने हेतु भूमि निःशुल्क आवंटित की जा चुकी है। संस्कृत शिक्षा निदेशालय को मानसरोवर योजना के सैक्टर 10 में 1500 वर्गमीटर भूमि का आवंटन कर दिनांक 21.7.94 को कब्जा दिया जा चुका है।

(4) जी नहीं, क्योंकि संस्कृत विभाग की मांग पर सम्पत्ति आवंटन समिति के निर्णयानुसार पूर्व में ही भूमि आवंटित कर कब्जा दिया जा चुका था।

(5) जी नहीं, क्योंकि सैक्टर-11 में निर्मित भवन राजकीय प्राथमिक विद्यालय के निमित्त ही था तथा संस्कृत शिक्षा निदेशक को भूमि आवंटित की जा चुकी है।

तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) के ग्रामों की पेयजल व्यवस्था

62. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(1) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के कुल कितने गांव पीने के पानी की योजना से लाभान्वित हैं तथा कितने गांव उक्त लाभ से वंचित हैं ?

(2) नये राजस्व गांवों को जोड़ते हुए शेष बचे गांवों को कब तक पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा ?

(3) उक्त तहसील के कितने गांवों में एस. आर. व जी. एल. आर. योजना है ? उनसे कितने घरों में कनेक्शन दिये हुए हैं ?

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर 1991 जनगणनानुसार कुल 118 गांवों में से 111 गांव, लाभान्वित हैं तथा 7 गांव उक्त लाभ से वंचित हैं।

(2) नये राजस्व गांव जोड़ते हुए शेष बचे 7 गांवों को वर्ष 1995-96 में पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाने का प्रयास जारी है।

(3) उक्त तहसील के अन्तर्गत 11 क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं, 39 पम्प टैंक योजनाओं, 2 पाइप्ड योजनाओं, 8 टी. एस. एस. योजनाओं के अन्तर्गत 86 ग्रामों में जी. एल. आर. व 11 ग्रामों में एस. आर. बने हुए हैं। उनमें से 15 ग्रामों के 1512 घरों में कनेक्शन दिये हुए हैं।

नगर निगम, जयपुर क्षेत्र के ग्रामों की जलापूर्ति योजनाएं

63. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जो ग्राम पहले ग्राम पंचायतों में थे वे अब नगर निगम में आ गये, उनमें जलापूर्ति योजनाओं के संचालन की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि जलापूर्ति योजनाओं को अब न तो पंचायतें चला रही हैं और न नगर निगम जयपुर ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या सोच है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि नगर निगम, जयपुर में सिरसी, बिन्दायका, सिवार, गोविन्दपुरा, मुकुन्दपुरा की योजनाओं को हस्तगत न करने के कारण बन्द पड़ी हैं ? यदि हां तो इसके लिए सरकार कब तक व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के 96 ग्राम पहले ग्राम पंचायतों में थे और अब नगर निगम सीमा में आ गये हैं। इनमें से 6 ग्रामों की टी. एस. एस. योजनाओं का संधारण स्थानीय जल विकास समिति द्वारा किया जाता है। सभी ग्रामों के हैण्डपम्प की पेयजल सुविधा का संधारण विभाग द्वारा किया जा रहा है। 6 टी. एस. एस. योजनाओं वाले ग्रामों में भी हैण्डपम्पों का संधारण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(2) जी नहीं, उक्त (1) में उल्लिखित विवरणानुसार।

(3) नगर निगम, जयपुर के अन्तर्गत सिरसी, बिन्दायका एवं मुकुन्दपुरा की टी. एस. एस. योजना चालू है। ग्राम गोविन्दपुरा एवं सीवार की टी. एस. एस. योजनाएं बन्द हैं तथा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

टी. एस. एस. योजनाओं का हस्तान्तरण नहीं हुआ है। ग्राम गोविन्दपुरा एवं सिवार में क्रमशः 6 हैण्डपम्प एवं 9 हैण्डपम्पों से, पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था है।

जौहरी बाजार, जयपुर का बरामदा प्रकरण

64. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जौहरी बाजार जयपुर, के बरामदे खाली करवाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किया था? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर नगर निगम व राज्य सरकार ने उक्त आदेश की पालना हेतु क्या-क्या कदम उठाये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में जौहरी बाजार के बरामदे खाली करवाने की प्रक्रिया कब तक पूरी करने का मानस जयपुर नगर निगम और राज्य सरकार का है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान सरकार उच्च न्यायालय ने याचिका सं. 1532/84 में पब्लिक थोरोफेयर से अतिक्रमण हटाने हेतु 28.2.85 को आदेश पारित किया था। जयपुर शहर के मुख्य बाजारों के बरामदों को पब्लिक थोरोफेयर घोषित किया हुआ है। आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के बाद नगर परिषद, जयपुर के द्वारा अतिक्रमणों के विरुद्ध कानून के तहत नोटिसेज जारी किये गये व अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये गये। अतिक्रमणकर्ता उक्त आदेशों की रिवीजन में चले गये। राज्य सरकार ने बरामदा प्रकरण पर एक समिति श्री पी. के. बी. कुरूप की अध्यक्षता में गठित की, जिन्होंने अतिक्रमणकर्ताओं की निगरानी याचिकाओं को सुना व फैसला किया। निगरानी याचिकाओं के फैसलों के पश्चात् प्रशासक ने अपने आयुक्तों को अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया। आयुक्तों ने इस कार्य हेतु बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स व तुड़ाई गैंग की मांग की व जयपुर में कर्फ्यू की स्थिति होने के कारण तत्समय अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। दिनांक 30.12.92 को प्रशासन ने राज्य सरकार को पत्र लिखा कि बरामदों से अतिक्रमण हटाने का कार्य बहुत बड़ा काम है और कानून व व्यवस्था को बनाये रखने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस सहायता की आवश्यकता होगी। इस हेतु जिला प्रशासन को भी सहायता प्रदान करने हेतु लिखा गया।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करने को जयपुर नगर निगम कटिबद्ध है और दिनांक 23.10.94 को सार्वजनिक नोटिस पुनः निकाला गया, परन्तु चूंकि यह एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें करोड़ों की सम्पत्ति व लाखों लोगों का इन्वालवमेंट है तथा नगर निगम का चुनाव होकर जन प्रतिनिधि निगम प्रशासन पर आसीन हैं, इस सम्बन्ध में इन्हें कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

जिला पाली की सिंचाई योग्य भूमि

65. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली ज़िले के कटालिया, सीरीयारी तथा रोडावास बांध से सिंचाई की जाने वाली कौन-कौन से खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि ऐसी है जो पूर्व में चाही किस्म की कुओं से सिंचित होती थी? भूमि के ब्यौरे की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कुएं द्वारा सिंचाई की जा सकने वाली भूमि में नहर का पानी देना तथा जो आगे बारानी जमीन पड़ी है उसमें पानी नहीं देना क्या सरकार उचित मानती है? इस बाबत सरकार क्या विचार कर रही है?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कमाण्ड एरिया क्षेत्र में जो भी भूमि आती है उसको पानी देना नियमानुसार उचित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) हेतु पेयजल योजना

66. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को जाखम/भंवर सेमला बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना सरकार के पास काफी लम्बे समय से विचाराधीन है? यदि हां, तो यह योजना प्रारम्भ कर पेयजल कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?

(2) उक्त योजना को अब तक प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) योजना स्वीकृत की जाकर इस पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। यह योजना सिंचाई विभाग की न होकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की है उनकी योजना के अनुसार पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

(2) उपरोक्तानुसार।

जिला अलवर की सिंचाई व्यवस्था

67. **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में वाटर लेवल 10 फीट प्रतिवर्ष नीचे जा रहा है जिससे किसानों को खेती करने में कठिनाई उत्पन्न हो गई है?

(2) क्या सरकार अलवर जिले को सिंचाई हेतु नहरों से पानी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं, भूजल विभाग की सूचना के अनुसार गत दस वर्षों में कुल लगभग 650 फीट पानी नीचे उतरा है।

(2) जी हां, वर्तमान में 117 बांधों की नहर प्रणाली से अलवर जिले की 34000 हैक्टेयर

(सिंचाई मंत्री)

भूमि में सिंचाई की जा रही है तथा 6 निर्माणाधीन बांधों के पूर्ण होने पर उनकी नहरों से 3198 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ये योजनाएं वर्ष 1996-97 में पूर्ण होने की संभावना है।

भैंसरोड़गढ़ (बेगूं) की सिंचाई व्यवस्था

68. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बेगूं की भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति के माहेना तालाब की सिंचाई क्षमता कितनी है? क्या सरकार इसकी सिंचाई क्षमता बढ़ाकर जनता को राहत पहुँचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि भूंजर (भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति) के नाले को बांधने हेतु प्रयास किये गये थे और कुछ कार्य भी किया गया था? यदि हां, तो इस अधूरे कार्य को सरकार कब तक पूरा कराने का विचार रखती है?

(3) इस नाले की सिंचाई क्षमता कितनी है तथा किस-किस ग्राम की कितनी जमीन सिंचित की जा सकती है?

(4) भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति के कबाडिया का नाला एवं करैना बांध को बांधने से किन-किन गांवों की कितनी जमीन सिंचित की जा सकती है? क्या सरकार निकट भविष्य में इनको बांधने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह स्टेट टाइम की एक गांवाई नाड़ी है, जिसकी सिंचाई क्षमता नगण्य है। वर्तमान में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां, भूंजर नाले पर एनीकट निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे वर्ष 1995-96 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) इसी नाले पर श्रीपुरा तालाब निर्मित है जिसकी सिंचाई क्षमता लगभग 168 एकड़ है व श्रीपुरा गांव की 160 एकड़ भूमि सिंचित होती है।

(4) फिलहाल इन बांधों को बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मांडल (भीलवाड़ा) की लिफ्ट सिंचाई के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

69. **श्री कालूलाल गुर्जर** (मांडल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील की घोडास लिफ्ट सिंचाई पर की गयी अनियमितताओं और मिली भगत की कोई शिकायत विभाग में की गयी है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है, यदि नहीं, तो क्यों?

(2) इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायत की जांच मुख्य अभियंता, रूपांकन एवं अनुसंधान द्वारा की गयी जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन है। सम्बन्धित अधिकारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया है।

(2) जांच प्रतिवेदन विचाराधीन है उस पर निर्णय होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

पंचायत समिति खैरवाड़ा के कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

70. **श्री दयाराम परमार**(खैरवाड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति खैरवाड़ा के कनिष्ठ अभियन्ता श्री वास्तुपाल जैन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो क्या और किसने की थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कनिष्ठ अभियन्ता को निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो किन कारणों से और उन्हें किस स्थिति में बहाल किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर की भ्रमण के दौरान तथा साक्षरता समिति की बैठक में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों में अनियमितता बाबत सदस्यों ने शिकायत की थी।

(2) जी हां। निर्माण कार्यों की जांच सहायक अभियन्ता से कराये जाने पर व अनियमितताएं पाये जाने पर श्री वास्तुपाल जैन, कनिष्ठ अभियन्ता को जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निलम्बित किया गया था। मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुशंषा पर उनके विरुद्ध प्रस्तावित जांच को विचाराधीन रखते हुये निलम्बन से बहाल (रीइन्सटैन्ट) किया गया।

नव निर्वाचित सरपंचों को कार्यभार

71. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में नये ग्राम पंचायत सरपंचों को प्रशासन द्वारा समय पर पंचायतों का कार्यभार नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो किस-किस तिथि को चार्ज दिया गया है? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान पंचायतों के पुनर्गठन में कई नई पंचायतें गठित हुई है? यदि हां, तो उन पंचायतों में सचिव आदि के पदस्थापन की क्या व्यवस्था की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला भीलवाड़ा के समस्त नव निर्वाचित सरपंचों को प्रशासन द्वारा चार्ज दिलाया जा चुका हैं। तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(पंचायती राज राज्य मंत्री)

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992 में पंचायतों का पुनर्गठन किया गया जिसके फलस्वरुप 1827 नये ग्राम पंचायतें बनाई गयी। वर्ष 1994 में ग्रामदानी गांवों की 14 नई पंचायतें बनाई गयी इस प्रकार कुल 1841 नई पंचायतों का गठन किया गया। वर्ष 1994-95 में 1248 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पदों का सृजन किया गया किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण यह पद अभी तक नहीं भरे जा रहे है। स्थगन आदेश को निरस्त करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत इटावा (कोटा) में विभिन्न स्त्रोतों से आय

72. श्री राम गोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

ग्राम पंचायत इटावा जिला कोटा मे गत 3 वर्षों में विभिन्न स्त्रोतों से कुल कितनी-कितनी आय हुई? प्राप्त आय को किस-किस कार्य में खर्च किया गया? वर्षवार आय और व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम पंचायत इटावा जिला कोटा में गत तीन वर्षों में विभिन्न स्त्रोतों से कुल आय निम्नप्रकार हुई है :—

वर्ष	91-92	1351642.09
वर्ष	92-93	1390487.94
वर्ष	93-94	1493072.21

विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त उपरोक्त आय को विभिन्न कार्यों पर व्यय किया गया है। वर्षवार आय और व्यय की गयी राशि का विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति जहाजपुर की भूमि पर अतिक्रमण

73. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) क्या जहाजपुर पंचायत समिति के कूचलवाड़ा कलां तथा ऊंचा पंचायत की मूल्यवान भूमि पर विगत 2-3 वर्षों से बड़ी मात्रा में अतिक्रमण हुये है? यदि हां, तो किन-किन का कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? नामावली मय स्थान एवं के नाप सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) लाखों रुपये की भूमि पर अतिक्रमण होने पर भी प्रशासन द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत के अधीनस्थ आबादी भूमि को जिला कलक्टर बीसलपुर सिंचाई योजना एवं सीमा सुरक्षा बल को जमीनें विक्रय की? यदि हां तो कितनी-कितनी राशि सिंचाई विभाग, सीमा सुरक्षा बल आदि से सरकार द्वारा प्राप्त की गई? क्या यह राशि पंचायत को दी गई है?

(श्री रतनलाल ताम्बी)

यदि नहीं, तो क्या पंचायत की आबादी भूमि पर सरकार द्वारा विक्रय की जा सकती है? यदि हां, तो नियमों सहित विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऊंचा एवं कूचलवाड़ा कलां ग्राम की सीमा में पंचायत के तालाब व आबादी भूमि पर 2-3 वर्षों से जिस तेजी से कब्जे हुए है उसका विस्तृत सर्वेक्षण करा विशेष अभियान द्वारा लाखों रुपये की आबादी भूमि मुक्त करा पंचायतों को सौंपने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। विगत दो-तीन वर्षों में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।

(2) पूर्व के वर्षों के अतिक्रमण शुदा कच्चे झौपड़ों/झौपड़ियों पर वर्ष 1994 में 10 व्यक्तियों के द्वारा पक्का निर्माण कराये जाने से उनके विरुद्ध प्रशासक ग्राम पंचायत के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। जिसमें अब ग्राम पंचायत अपने ही क्षेत्राधिकार में ही निर्णय करेगी।

(3) जिला कलक्टर ने राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.3.84 की अनुपालना में ग्राम पंचायत ऊंचा के ग्राम कुचलवाड़ा कलां का आराजी नम्बर 599/1 की रकबा 237 बीघा भूमि जरिये नामान्तकरण सं.403 दिनांक 24.2.87 से केन्द्रीय औद्योगिक बल देवली को दी थी। उक्त भूमि की कीमत सुरक्षा बल द्वारा राजस्व विभाग ग्रुप-2 के पत्र संख्या एफ 7(13) राजस्व ग्रुप-2/79 दिनांक 30.3.84 की पालना में पांच लाख रुपये दिनांक 20.8.85 कोजरिये चैक राजस्व मण्डल में दिनांक 21.8.85 को जमा हो चुके हैं।

बीसलपुर परियोजना सिंचाई विभाग को भूमि विक्रय नहीं किया गया है। पंचायत को सीमा सुरक्षा बल से प्राप्त राशि पांच लाख रुपये नहीं दी गई है।

(4) जी नहीं। दो-तीन वर्षों में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।

जिला उदयपुर की पंचायत समितियों में शिक्षा प्रसार अधिकारी/ग्राम सेवकों के पद

74. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) उदयपुर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में शिक्षा प्रसार अधिकारी एवं ग्राम सेवको (पंचायत सचिव) के कितने-कितने पद स्वीकृत है? सूची पद व पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पद भरे हुए हैं? यदि रिक्त हैं, तो कब से? विवरण पद एवं पंचायत समितिवार सदन की मेंज पर रखें।

(3) क्या इन रिक्त पदों से शिक्षा एवं विकास के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो इन पदों को कब तक एवं कैसे भरा जायेगा? जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में निम्नानुसार पंचायत समितियों में शिक्षा प्रसार अधिकारियों एवं ग्राम सेवकों के उनके सामने अंकितानुसार पद स्वीकृत हैं—

क्र.सं.	नाम प.स.	शि.प्र.अ.	ग्राम सेवक
1.	कोटड़ा	3	19
2.	गोगुन्दा	2	21
3.	बड़गांव	2	15
4.	गिर्वा	3	27
5.	मावली	3	27
6.	भीण्डर	4	28
7.	धरियावद	3	24
8.	सलूम्बर	3	23
9.	सराड़ा	3	28
10.	खैरवाड़ा	4	32
11.	झाडौल	3	23
		33	267

(2) पंचायत समितिवार भरे हुए/रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं. नाम प.स.	शि.प्र.अ.		ग्राम सेवक	
	भरे हुए	रिक्त	भरे हुए	रिक्त
1. कोटड़ा (निलम्बित)	1	2	8	11
2. गोगुन्दा	1	1	12	09
3. बड़गांव	2	—	15	—
4. गिर्वा	1	2	19	08
5. मावली	1	2	20	07
6. भीण्डर	1	3	19	09
7. धरियावद	—	3	15	09
8. सलूम्बर	1	2	16	07
9. सराड़ा	—	3	18	10
10. खैरवाड़ा	1	3	18	14
11. झाडौल	2	1	12	11
	11	22	172	95

(3) जी हां। शिक्षा प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों के कारण पंचायत समिति का प्राथमिक शालाओं के शिक्षा संबंधी कार्यों पर आंशिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है शिक्षा प्रसार अधिकारी शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाते हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग, बीकानेर को लिखा गया है। शिक्षा विभाग से शिक्षा प्रसार अधिकारियों के नामों की सूची प्राप्त होते ही इन रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जावेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश हटने पर ग्राम सेवकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम पंचायत पचार (झोटवाड़ा) के पूर्व सरपंच के विरुद्ध जांच

75. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पचार, पंचायत समिति झोटवाड़ा जिला जयपुर के पूर्व सरपंच के कृत्यों की जांच हुई है? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व सरपंच के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए हैं? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री बंशीधर यादव, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत पचार, पंचायत समिति झोटवाड़ा जिला जयपुर के विरुद्ध तीन शिकायतें क्रमशः

(पंचायती राज राज्य मंत्री)

(1) गलत नामान्तरकरण तस्दीक करने (2) एन. आर. ई. पी. व अकाल राहत योजना में गलत व्यक्तियों का चयन करने तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का उक्त योजना में चयन नहीं करने में मनमानी बरतना (3) पंचायत का ऑडिट समय पर नहीं करना, तहसीलदार से परिचय पत्र प्राप्त किये बिना मनमर्जी के मजदूरी पर लगाना की जांच कराई गयी थी। उक्त शिकायतों में से प्रथम शिकायत की जांच कराने पर जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोप प्रमाणित नहीं होने से जांच समाप्त कर दी गई है। शेष दोनों शिकायतों की जांच प्रक्रिया चालू है।

(2) जी हां। सरपंच के विरुद्ध प्रथम शिकायत की जांच करने पर जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोप प्रमाणित नहीं होने से जांच समाप्त कर दी गई है। शेष दोनों शिकायतों की जांच प्रक्रिया चालू है।

लाडनूं (नागौर) के पूर्व सरपंचों के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण

76. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व सरपंचों के विरुद्ध पुलिस में दर्ज मामलों में जांच होने के बाद विभाग से चालान से पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है? यदि हां, तो पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर के किस-किस पूर्व सरपंचों के मामलों में पंचायत विभाग को गत तीन वर्ष में कब-कब स्वीकृति प्रदान की गई?

(2) क्या अभी इस क्षेत्र के पूर्व सरपंचों के ऐसे मासले विभाग में विचाराधीन हैं? यदि हाँ, तो किन-किन के विरुद्ध कब-कब से और क्यों तथा इनमें स्वीकृति कब तक जारी हो सकेगी?

(3) क्या इस प्रकार लम्बे समय तक मामले पड़े रहने से मामलों के सबूत नष्ट हो जाते हैं जिससे न्यायालयों में यह मामले साबित नहीं होते हैं?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति लाडनूं में चन्द्रा राम पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चन्द्राई पंचायत समिति, लाडनूं के विरुद्ध अपराध संख्या 128/89 में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.10.94 को अभियोजन स्वीकृति दी गई।

(2) पंचायत समिति, लाडनूं के और कोई मामले विचाराधीन नहीं हैं।

(3) जी नहीं।

माण्डल (भीलवाड़ा) की ग्राम पंचायत का पुनर्गठन

77. **श्री कालूलाल गुर्जर** (मांडल) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या माण्डल पंचायत समिति जिला भीलवाड़ा की मोटा का खेड़ा ग्राम पंचायत करठा को पुनः ठन में मिला दिया गया है?

(2) क्या यह गांव पंचायत मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर है? यदि नहीं तो कितनी दूरी है?

(54)

(श्री कालूलाल गुर्जर)

(3) क्या इस गांव से पंचायत मुख्यालय मोटा का खेड़ा पर जाने में बीच के पंचायत मुख्यालय धुंवाला (करेड़ा) में होकर जाना पड़ता है ?

(4) क्या सरकार विधान सभा में पूर्व में दिये गये आश्वासन के अनुसार पंचायत चुनाव के बाद इस गांव को इस पंचायत से हटा कर नजदीक की पंचायत धुंवाला (करेडा) में मिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी हाँ।

(3) जी हाँ।

(4) राज्य सरकार ने हाल ही में ग्राम पंचायतों के निर्वाचन करवाये हैं। ग्राम मोटा का खेड़ा को पंचायत मुख्यालय धुंवाला (करेड़ा) में सम्मिलित करने के प्रस्ताव जिला स्तर से राज्य सरकार को प्राप्त होने पर उचित निर्णय लिया जावेगा।

जिला टोंक में कराये गये राहत कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें

78. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 में टोंक जिले में अकाल राहत के तहत कार्य करवाये गये थे ? यदि हां, तो जिले के पांचों विधान सभा क्षेत्रों में कौन-कौन से कार्य किस-किस विभाग के माध्यम से कराये गये ?

(2) उक्त कार्यों में से कितने पूर्ण कर दिये गये तथा कौन-कौन से किस कारण से पूर्ण नहीं किये जा सके ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अकाल राहत कार्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। जिले की पांचों विधान सभा क्षेत्रों में विभागों के माध्यम से करवाये गये कार्यों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(2) अधूरे रहे कार्यों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "क") दिनांक 15.7.94 को राहत कार्य बन्द किये जाने के कारण अपूर्ण रहे हैं।

(3) जी हां। सहायता विभाग को वर्ष 1994 में अकाल राहत कार्यों से संबंधित 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच करवाई जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

खराबा ग्रस्त ग्रामों को सहायता

79. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के विभिन्न भागों में इस वर्ष खरीफ की फसल का 50

(श्री रामनारायण मीणा)

प्रतिशत या इससे अधिक मात्रा में खराबा रहा है? यदि हां, तो उक्त मात्रा में खराबा वाले ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया जा चुका है? यदि नहीं तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी राशि खर्च की जाती है? यदि हां, तो वर्ष 1990 से अब तक किये गये व्यय का वर्षवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बूंदी जिले में 50 प्रतिशत से अधिक खरीफ फसल खराबा वाले ग्रामों के निवासियों के लिए सरकार द्वारा राहत कार्य प्रारम्भ किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कितने तथा कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी नहीं। अतिवृष्टि से खराबे के कारण अभावग्रस्त घोषित करने की परम्परा नहीं रही है।

(3) जी हां। प्राकृतिक आपदा कोष हेतु राज्य सरकार द्वारा 31 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 1990 से प्राकृतिक आपदा कोष से व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(4) बूंदी जिले में जिन गांवों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक खरीफ फसल खराबा हुआ है उसमें विशिष्ठ योजना संगठन द्वारा रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत पर्याप्त कार्य खोलने हेतु जिला कलक्टर, बूंदी को दिनांक 4.3.95 को आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

जयपुर शहर में ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा वसूल किराया

80. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में ऑटो रिक्शा अब भी मीटर के आधार पर किराया वसूल नहीं कर रहे हैं?

(2) ऑटो रिक्शा चालक सवारियों से मीटर रीडिंग के आधार पर ही किराया वसूल करें, इसके लिये सरकार ने गत एक वर्ष में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की और उसके क्या परिणाम रहे हैं?

(3) ऑटो रिक्शा मीटर से ही चलें इस सम्बन्ध में सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) एवं (2) ऑटोरिक्शा चालक सवारियों से मीटर रीडिंग के आधार पर ही किराया वसूल करें इसे सुनिश्चित करने के लिए गत एक वर्ष में जयपुर शहर में परिवहन विभाग के उड़नदस्तों एवं यातायात पुलिस द्वारा

(यातायात राज्य मंत्री)

सघन चैकिंग की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार की नियमित चैकिंग के अतिरिक्त माह मई, 94 एवं जून, 94 में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से विशेष चैकिंग अभियान भी चलाया गया था। चैकिंग के दौरान मीटर रीडिंग के आधार पर किराया वसूल न करने वाले ऑटोरिकशा चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। 1 अप्रेल से अब तक परिवहन विभाग द्वारा 514 ऑटोरिक्शा चालकों के विरुद्ध तथा यातायात पुलिस द्वारा 1306 ऑटोरिक्शा चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। चैकिंग के परिणामस्वरूप ऑटोरिक्शा चालक मीटर रीडिंग से किराया वसूल करने लगे हैं।

(3) नियमानुसार ऑटोरिक्शा चालक को किराया मीटर रीडिंग के आधार पर ही वसूल करना होता है तथा ऐसा नहीं करने पर उसके विरुद्ध मीटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। ऑटोरिक्शा मीटर से ही चले, इसे सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर चैकिंग की जाती है तथा किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

लाडनूं-जयपुर हेतु रात्रि बस सेवा

81. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर होते हुए भी जयपुर से रात्रिकालीन बस सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है? यदि हां, तो क्यों? और अब इसे कब तक रात्रिकालीन बस सेवा से जोड़ दिया जायेगा?

(2) क्या इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व राज्य सरकार से पूर्व में कई बार मांग की गई थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) लाडनूं जयपुर रात्रिकालीन बस सेवा पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध न होने एवं संचालन अनार्थिक रहने की आशंका के कारण न तो अब तक प्रारम्भ किया गया है और न ही रात्रिकालीन बस सेवा प्रारम्भ करने का वर्तमान में कोई विचार है।

(2) जी हां। परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित को वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया गया है।

भीम-देवगढ़-दिवेर मार्ग हेतु बसों की संख्या में वृद्धि

82. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 पर भीम-देवगढ़-दिवेर के बीच कितनी एक्सप्रेस, सेमी एक्सप्रेस व लोकल बसें चलती हैं? उक्त बसों का भीम आगमन व प्रस्थान समय क्या है?

(2) उक्त मार्ग को राष्ट्रीयकृत करने से पूर्व कितनी लोकल बसें इस मार्ग पर चलती थीं?

(3) क्या सरकार भीम-देवगढ़-दिवेर के बीच निगम की लोकल बसें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 पर भीम-देवगढ़-दिवेर के बीच 22 द्रुतगामी एवं 18 साधारण बस सेवायें संचालित है। उक्त बसों का भीम आगमन व प्रस्थान का विवरण संलग्न परिशिष्ट (क) पर है।

(2) मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने से पूर्व इस मार्ग पर 40 निजी बसें संचालित होती थी।

(3) जी नहीं। निगम बसों को पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलने के कारण लोकल बसें बढ़ाने का विचार नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

विधानसभा क्षेत्र बेगूं, मांडलगढ़ एवं जहाजपुर से जयपुर हेतु रात्री ड़ीलक्स बस सेवा

83. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बेंगू-रावतभाटा मार्ग एवं बेगूं-भीलवाड़ा वाया बड़लियास मार्ग का राष्ट्रीयकरण अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में उक्त मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि बेगूं से जयपुर वाया जहाजपुर देवली रोड़वेज बस सेवा दिन के समय इसलिए उपलब्ध नहीं है कि मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने हेतु सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बेगूं मांड़लगढ़ और जहाजपुर तीन विधान सभा क्षेत्रों को जयपुर से जोड़ने वाली कोई रात्रि डीलक्स बस सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो सरकार उक्त मार्ग पर कब तक उक्त बस सेवा चालू करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां, यह राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है। सरकार निकट भविष्य में राष्ट्रीयकृत मार्गों में बढ़ोतरी का विचार नहीं रखती है।

(2) जी नहीं अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी रोड़वेज बस सेवा उपलब्ध करवा सकती है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में रात्रि ड़ीलक्स बस सेवा का संचालन पर्याप्त यात्रीभार की अनुपलब्धता एवं संचालन निगम हित में अनार्थिक रहने की आशंका के कारण उक्त बस सेवा चालू करने का विचार नहीं है।

टैक्सी जीपों की बैठक क्षमता

84. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एक ही मेंक एवं बैठकक्षमता की टैक्सी जीपों में अलग-अलग संख्या में सवारियों की क्षमता मानकर परमिट जारी किए हुए है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि टैक्सी जीपों की बैठक क्षमता छः एवं कुछ की बैठक क्षमता सात मानते हुये परमिट जारी करने से पैदा कठिनाई को दूर करने के इरादे से सरकार कानून में संशोधन करने का विचार नहीं कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। टैक्सी जीप की बैठक क्षमता नियमों में निर्धारित नहीं होने के कारण पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीकृत बैठक क्षमता के आधार पर अनुज्ञापत्र जारी किये हुए हैं।

(2) जी हां। टैक्सी जीपों की बैठक क्षमता छः एवं कुछ की बैठक क्षमता सात मानते हुए परमिट जारी करने से हुई कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में संशोधन करने का विचार कर रही है। संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाये जाने में समय लगने की सम्भावना है।

जयपुर में बरामद अवैध गैस सिलैण्ड़र/रेग्यूलेटर्स

85. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) जयपुर में 1-4-1990 से 31-4-1994 तक की अवधि में कितने अवैध गैस सिलेण्डर व रेग्यूलेटर पकड़े गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गैस सिलेण्ड़र व रेग्यूलेटर किन-किन व्यक्तियों से बरामद किये गये तथा इन व्यक्तियों द्वारा किन-किन को ये सिलेण्ड़र बेचे गये तथा इन सिलेण्ड़रों के खरीददार किस गैस कम्पनी से गैस सिलेण्ड़र प्राप्त करते है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नकली व चोरी से प्राप्त सिलेण्डरों को गैस कम्पनियों द्वारा आपूर्ति न करने के प्रभावी कदम विभाग द्वारा उठाये गये हैं? यदि हां, तो क्या व कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर में वर्ष 1-4-90 से 31-12-94 तक की अवधि में 158 अवैध गैस सिलेण्ड़र व 86 रेग्यूलेटर पकड़े गये।

(2) उक्त गैस सिलेण्ड़र व रेग्यूलेटर जिन व्यक्तियों से पकड़े गये, उनका विवरण संलग्न है। पकड़े गये सभी सिलेण्ड़र व रेग्यूलेटर पुलिस अभिरक्षा में है, किसी को बेचे नहीं गये हैं।

(3) गैस कम्पनियों द्वारा नकली व चोरी के सिलेण्ड़रों में गैस आपूर्ति नहीं की जाती है। गैस कम्पनियों द्वारा उनके वितरकों के यहां पंजीकृत उपभोक्ता को ही गैस आपूर्ति की जाती है। उसके लिये पूर्व में उपलब्ध कराया गया सिलेण्डर वापस प्राप्त किया जाता है। इस विभाग के पास ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिसमें गैस कम्पनी से मिलीभगत से सिलेण्डर चोरी से बेचे गये हों।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

मीणा गैस एजेन्सी, कोटपूतली के विरुद्ध प्राप्त अनियमितताओं के प्रकरण

86. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें :—

(1) क्या यह सही है कि मीणा गैस एजेन्सी, कोटपूतली की कार्य प्रणाली, भ्रष्टाचार तथा ग्राहकों से दुर्व्यवहार के लिये उसके विरुद्ध समय-समय पर नागरिकों तथा अन्य जन

(श्री रामचन्द्र रावत)

प्रतिनिधियों ने प्रशासन को शिकायतें की हैं? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त गैस एजेन्सी के विरुद्ध कोई जांच की गई थी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं, यदि हां, तो उक्त जांच का क्या परिणाम रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नागरिकों की इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिये इस गैस एजेन्सी का अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। प्रश्न के भाग (1) के विवरण में अंकित शिकायतों के तथ्य सही पाये जाने पर मीणा गैस एजेन्सी, कोटपूतली के विरुद्ध दिनांक 23.3.94 को थाना कोटपूतली में प्रथम सूचना दर्ज कराई गई जो अब संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) पुलिस द्वारा अनुसंधान पर संबंधित न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसी के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

सामान्य प्रावधायी निधि खाते में वसूल राशि का समायोजन

87. **श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)** : क्या राज्य बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह सामान्य प्रावधायी निधि खाते के पेटे काटी गयी राशि का संबंधित कर्मचारियों के खातों में आज तक इन्द्राज नहीं किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि कर्मचारियों द्वारा ऋण व अन्तिम आहरण के लिए आवेदन करने पर संबंधित विभागाध्यक्ष को सामान्यतया माह मार्च, 1983 तक की राशि की जमा सूचना ही प्रेषित की जाती है।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य के लिए कम्प्यूटर की सेवा सामान्य प्रावधायी निधि विभाग द्वारा ली गई है?

(4) कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष/आहरण वितरणाधिकारी द्वारा प्रमाणित पासबुक को विभाग द्वारा अन्तिम आहरण के समय प्रमाणित दस्तावेज नहीं मानते हुए जी. ए.-55 में पूर्ण कटौतियों का विवरण चाहा जाता है इससे पास बुक का क्या औचित्य है जबकि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 2.7.1990 द्वारा पास बुक को भुगतान के दावों के लिए प्रमाणित माना है?

(5) क्या राज्य सरकार प्राथमिकता के तौर पर काटी गई राशि को प्रतिमाह संबंधित कर्मचारी के खातों में पोस्टिंग करने की व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) सेवा निवृत्त होने पर कर्मचारी को सामान्यतया उसको देय राशि का कितने दिन में भुगतान किया जाता है? गत पांच वर्षों में

(श्री रामस्वरूप मीणा)

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के कितने केस भुगतान के लिए शेष हैं? सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सामान्य प्रावधायी निधि के अधिकांश खातों में इन्द्राज नहीं हैं जिसके अनेक कारण रहे हैं।

(2) जी नहीं। जयपुर को छोड़कर अन्य जिला कर्मचारियों द्वारा मार्च, 1987 एवं मार्च, 1991 तक की सूचना दी जा रही है। जयपुर स्थित कार्यालय में भी केवल उन्हीं मामलों में मार्च, 1983 की सूचना दी जा रही है जिनमें खाते पूर्ण नहीं हुए हैं।

(3) जी हां।

(4) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित पास-बुक को प्रमाणित दस्तावेज माना गया है। कटौतियों का विवरण जी. ए.-55 में केवल उन्हीं मामलों में चाहा जाता है, जिनमें पास-बुक आदेश दिनांक 2.7.1990 के अनुसार प्रमाणित नहीं होती है। पास-बुक का संधारण मार्च, 1984 से किया गया है। इससे पूर्व की कटौतियों के लिये जी. एफ. एण्ड ए. आर. 81 (177) मांगा जाता है।

(5) जी हां। अंशदाता के खातों में खतौनी वर्ष 1993-94 तक पूर्ण किये जाने हेतु 1.9.1994 से विशेष अभियान चलाया जा रहा है तथा साथ ही वर्ष 1994-95 की खतौनी भी जारी रखी गई है। पूर्व वर्षों की खतौनी पूरी होने के पश्चात खातों में नियमित खतौनी संभव होगी।

(6) सम्पूर्ण सूचना सहित कर्मचारी का क्लेम प्राप्त होने से तीन माह में सामान्यतः भुगतान कर दिया जाता है। गत पांच वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के बकाया मामलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

संदेश

महामहिम राज्यपाल का कृतज्ञता ज्ञापन

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक 5 अप्रेल,1995 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है।

"अ.शा.पत्र क्र. 1517 दि. 6 अप्रेल, 1995

प्रिय श्री चपलोत जी,

आपका अ.शा.पत्र संख्या एफ.10/3/सदन/विस/95/4027 दिनांक 5 अप्रेल, 1995 को प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता से मैं उनका आभारी हूं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें।

भवन्निष्ठ,

बलिराम भगत"

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है: —

(1) श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में पेयजल का भयंकर संकट उत्पन्न होने के कारण व्याप्त जनाक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनू जिले के निर्वाचन क्षेत्र मंडावा के कतिपय गांवों में पेयजल का गम्भीर संकट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामनारायण मीणा एवं तीन अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण वर्कचार्ज कनिष्ठ लिपिकों को नियमित वेतन श्रृंखला नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है। अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के भांवता व गनाहेड़ा से अजमेर शहर को पानी सप्लाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ओर से गोपीनाथ मार्ग, जयपुर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री दलीचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम बारी, पटवार हल्का बारी, तहसील व जिला बांसवाड़ा में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रेवती प्रसाद कोली, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर के वैर निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय गांवों में पीने के पानी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(5) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरवाड़ा के खाली पड़े नवीन भवन के जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6)श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य , विधान सभा की ओर से दिनांक 27/28.6.1992 की रात्रि चन्दो उर्फ पूनम की दहेज के लालची ससुराल वालों द्वारा निर्मम हत्या किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले की तहसील बाली के ग्राम मिचपुरा को तुरन्त पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

के लिए पर ... जाने के सम्बन्ध में। ... गी।

(10) श्री रामपाल उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की रायपुर तहसील की कतिपय जलदाय योजनाओं की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बालोतरा शहर में सफाई की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

(12) **श्री प्रतापसिंह** सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की कतिपय सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : मेरा भी है एक।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आज नहीं लगा है तो कल लगा देंगे। श्री रामनारायण जी चौधरी।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : स्थगन प्रस्ताव का मामला है मेरा। किशनगढ़ के बारे में ही रखा है सबसे पहले।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : इतने

श्री अध्यक्ष : आप बाद में बोलेंगे। पहले शून्यकाल ले लें।

श्री जगदीप धनखड़ : पहले स्थगन रखेंगे या शून्यकाल रखेंगे?

श्री अध्यक्ष : पहले स्थगन ले ले। दो-दो मिनट बोलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : कौन सा ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : यह पहले स्थगन पर बोल रहे है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी क्या व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष : स्थगन को ले लेते हैं, माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री भाभड़ा जी का अध्यक्षता में पिछले वर्ष पेयजल समस्या समाधान समिति का गठन किया गया था। इस समिति का प्रतिवेदन भी राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष इस समिति का एक दौरा अजमेर जिले के लिए भी हुआ था। आंकड़ों का अध्ययन ~~उस समय~~ किया गया। तत्कालीन अध्यक्ष, जो समिति के अध्यक्ष थे,

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगदीप धनखड़)

भी वहां उपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय, यह पाया गया कि किशनगढ़ शहर के सम्बन्ध में जो प्रति व्यक्ति मापदण्ड रखे गये हैं वे मापदण्ड अन्य शहरों के मुकाबले कम है। किशनगढ़ शहर के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। उस समय आकलन कर यह पाया गया कि अजमेर जिले में सबसे ज्यादा संकट यदि पेयजल का है तो वह संकट ब्यावर और अजमेर से ज्यादा किशनगढ़ शहर के लिए है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव ने हाल ही में एक कान्फ्रेंस में यह कहा कि आने वाले समय में हमें उस स्थति का सामना करना पडेगा जहां पानी और बिजली के संकट को लेकर जनता दंगे करेगी। अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ नेशनल हाईवे नं. 8 पर स्थिति है। अनेक संस्थाओं ने, राजनैतिक दलों ने पेयजल के भारी संकट के बारे में सूचनाएं दे दी हैं। उन्होंने आन्दोलन करने की धमकी दे रखी है। गत एक वर्ष में किसी प्रकार की कोई ठोस योजना सरकार की ओर से किशनगढ़ के पेयजल संकट को दूर करने के सम्बन्ध में नहीं बनायी गयी।

अध्यक्ष महोदय, चार-पांच दिन में मात्र कुछ मिनटों के लिए किशनगढ़ शहर को पानी प्राप्त हो रहा है ओर शहर में जो गरीब तबका है उसको तो यदि अगर बूंद भर भी पानी एक सप्ताह में भी दर्शन हो जाए तो वह समझते हैं कि पेयजल व्यवस्था है वह कम से कम एग्जिस्टेंस में तो है।

अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर का पानी किशनगढ़ शहर को मिले, आसपास के इलाकों को मिले इसके बारे में भी सरकार ने किसी प्रकार का कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया है। जब पेयजल समस्या समाधान समिति–

श्री अध्यक्ष : बिराजिये हो गये दो मिनट।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, नही, अध्यक्ष महोदय, जब वह गये थे। तब उन्होंने कहा खास तौर से ध्यान आकर्षित किया था कि किशनगढ़ की समस्या को देखते हुए बीसलपुर का पानी किशनगढ़ शहर को, आस-पास के इलाकों को मिले कुछ नहीं किया गया है।

तिलोनियां गांव के पेयजल संकट के बारे में पन्द्रह साल पहले जो योजना सरकार को दी गयी थी, माननीय मंत्री जी , पन्द्रह साल में इट इज गैदरिंग डस्ट। उस पर कुछ नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही स्थिति सुरसरा के बारे में है, रुपनगढ़ के बारे में है, कठसुरा के बारे में है, हरमाड़ा के बारे में है सिलोदिया के बारे में है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यदि अगर सरकार समय पर नहीं चेती, इन पैण्डिग योजनाओं को तुरन्त स्वीकृत नहीं किया गया, किशनगढ़ शहर में सुचारु रुप से पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो वहां पानी के संकट को लेकर दंगे निश्चत रुप से होंगे क्योंकि जनता निश्चित रूप से पीड़ित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूं कि जन भावनाओं में इतना जबरदस्त आक्रोश है। आप एक दो घर को वहां पिकअप कर पानी 24 घंटे

(६५)

(श्री जगदीप धनखड़)

देते है और आम नागरिक जब देखता है कि राजनीतिक दृष्टि से आप किसी को शहर में वी. वी. आई.पी. का दर्जा देते हैं तो निश्चत रुप से दंगों की शुरुआत का यह माध्यम हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बहुत हो गया है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ शहर में गांवों से पानी आता है। वह स्रोत तो गांव में है, पाइप उन गांवों से शहर में आता है। उस पाइप के आस-पास ढाणियां है ढाणियों के बिलकुल सामने से वह पानी आ रहा है। उन ढाणियों में हैण्ड पम्प नहीं है। उन ढाणियों में पेयजल समस्या के निराकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। उन लोगों ने निश्चित रुप से चेतावनी दे रखी है यदि अगर....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण इलाकों से पानी शहर में जा रहा है ओर उनकी व्यवस्था नहीं कर रहे है।

श्री अध्यक्ष : आप पर्याप्त कह चुके है, माननीय सदस्य, अब बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मंत्रीजी का ध्यान मैंने कई बार आकर्षित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विस्फोटक स्थिति इसलिये है कि दिल्ली से बम्बई जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह किशनगढ़ होकर जाता है। यदि जनता की भावनाओं की कद्र नहीं की गयी उनके असंतोष को सही तरीके से नहीं समझा गया तो, मंत्री महोदय, एक ऐसी समस्या खड़ी हो जायेगी जिससे जनता को भी परेशानी होगी, सरकार को भी परेशानी होगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यह कहूंगा कि एक निश्चित समय में किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के पेयजल के संकट के निराकरण के लिए जितनी भी पैडिंग स्कीम्स आपके यहां पर है, खास करके तिलोनिया, हरमाड़ा, रुपनगर, सुरसरा...

श्री अध्यक्ष : वैसे ही बहुत कह दिया, माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : और कटुकड़ा, इनकी समस्या का निराकरण करें। अच्छी खासी संख्या के अंदर उन ढाणियों में, जिनके यहां से शहर में पानी उपलब्ध होता हैं, आप हैण्ड पम्प की व्यवस्था करें आर इसमें किसी प्रकार की कोताही और देरी न करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अन्त में, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ के लिए तो आपने दोहरे मापदंड कर रखे हैं कि किशनगढ़ में रहने वाले व्यक्ति को तो कम पानीकी आवश्यकता है आर अन्य शहरो, उसी के समकक्ष शहर में रहने वाले आदमी को ज्यादा पानी की आवश्यकता है, इस भेदभाव को भी तुरन्त मिटाइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सदस्य, भेदभाव की बात आपने चार बार कह दी। बिराजिये अब आप।

श्री जगदीप धनखड़ : वरना निश्चित रुप से पानी को लेकर दंगों की शुरुआत किशनगढ़ में होगी ओर वह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण रहेगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री रामनारायण चोधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंडावा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की समस्या को लेकर, जो नहीं मिल रहा है, स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। अब आपने उसको यह कह करके रिजेक्ट किया है कि राज्य सरकार से आपने जानकारी चाही थी और वांछित जानकारी राज्य सरकार से आपको प्राप्त नहीं हुई। आपने राज्य सरकार से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने के अभाव में उस पर व्यवस्था देकर मुझे इस समस्या पर दो मिनट बोलने का कृपा पूर्वक मौका दिया है।

मान्यवर, मंडावा विधान सभा क्षेत्र की लोकल स्कीम्स के अलावा 11 रीजनल स्कीम्स है। सौ गांव खारे पानी के इन रीजनल योजनाओं से कवर्ड है। इन रीजनल योजनाओं की स्थिति यह हो गयी है कि यह सब लोकल बनकर रह गयी। जिस गांव के लिए बनी हुई है, जिस गांव के अन्दर सोर्स हैं उस गांव में तो पानी सप्लाई होता है, बाकी जितने भी फीडिंग विलेज हैं उनमें से किसी में भी पानी पहुंच नहीं रहा है। सिर्फ लुटोगोलेंडा के चार गांवों में पानी पहुंच रहा है और बाकी उसके नीचे जो 34-35 गांव है, उनमें से 30-31 गांवों के अंदर पानी नही पहुंच रहा है। यह कितनी बड़ी योजना है।1976-77 के अंदर इसकी स्वीकृति हुई थी। उस वक्त हर गांव के अन्दर पानी पहुंचता था। टेल एण्ड के ऊपर भी पानी पहुंचता था। आज स्थिति यह हो गयी है कि लुटोगोलेंडा के अन्दर सोलह कुंए बने हुए है, सोलह कुओं मे से छह कुओं में पानी है बाकी दस बन्द रखे है। वहां कोई चलाने वाला नहीं है। उनसे पानी लिया ही नहीं जाता है। यही स्थिति गंगासर के अन्दर है। गंगासर में तीन कुएं है, तीनों कुएं बन्द पडे है। हालत यह है कि गांवों के अन्दर पीने के पानी की भयंकर समस्या हो गयी। माननीय मंत्री जी ने खुद ने देखा, निराकरु गांव छह हजार की पापूलेशन का है, सेमी टाउन है, वहां पर तीन महीने से पानी नहीं मिल रहा है। पुरानी व्यवस्था भंग हो गयी और यह व्यवस्था काम नहीं करती। इतनी भंयकर स्थिति हो गयी। मैने जानकारी की, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आपकी मार्फत खींचना चाहता हूं कि स्थानीय अधिकारियों का मैं उतना दोष नहीं मानता जितना बड़ा दोष सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, सीकर के लेवल पर है। कोई सामान , कोई असिस्टैंस, कोई फाइनेंशियल हैल्प, कोई फाइनेंशियल सैंक्श्न, कोई प्रस्ताव सीकर से मंजूर होकर नहीं जाता है। सीकर वाले पास ऑन कर देते हैं ।जयपुर में और वह यहां आकर अटक जाता है। हालत है कि सारा काम स्टेण्डस्टिल हो गया और गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। एक निर्वाचन क्षेत्र पूरा का पूरा, जिसमें सौ गांव खारेपानी के हो, मंत्री महोदय, की सिम्पैथी है लेकिन सिम्पैथी का क्या करें? यह सहानुभूति न पीने के काम आती है, न बिछाने के काम आती है, न ओढ़ने के काम आता है । उस सहानुभूति का क्या करे, बताओं हमें।

श्री अध्यक्ष : सहानुभूति से ही होगा, माननीय।

श्री रामनारायण चौधरी : मिलते हैं तो सहानुभूति पूरी दिखाते हैं लेकिन उसका कर्रे क्ग्रा किसी भी काम नहीं आ रही है। वह कुछ काम तो आनी चाहिये। किसी काम तो आये। तो मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अपने एसई. को बुलाइये, आर उनको कहिये कि उसकी व्यवस्था करे। 15 साल पहले पूरे गांव में पानी सप्लाई होता था, आज सब बंद पडे है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी जी।(अनुपस्थित)श्री शातिलाल खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजधानी में स्थित जो सर्किट हाउस है जिस तरह की दुर्दशा इस सर्किट हाउस की आज देखने को मिल रही है, मैं समझता हूं, राजस्थान के किसी भी अन्य सर्किट हाउस की इस तरह की स्थिति नहीं है। आज इस सर्किट हाउस में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले अधिकारीगण रुकते हैं, माननीय सांसदगण रुकते हैं। हिन्दुस्तान के कोने-कोने से आने वाले अधिकारीगण जो चाहे राजकीय कार्य से आये चाहे व्यक्तिगत काम से आये उन्हें वहां पर रुकना पड़ता है। यहां पर नियमित रूप से बैड शीट्स वगैरह चेन्ज नही करते हैं। यहां की बैल्स पहली बात तो काम नहीं करती है। और कहीं एकाध कमरे में काम भी करती है तो उसको कोई अटैण्ड करने वाला नहीं है। यहां पर अव्यवस्था है। यहां नियमित रूप से साफ सफाई नहीं करते है। यहां तक कि यहां का जो खान पान है वह भी बहुत घटिया स्तर का है। ऐसी स्थिति में जो भी माननीय अतिथिगण या अन्य कोई सज्जन वहां रुकते हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजधानी में स्थित सर्किट हाउस की दुर्दशा को सुधारें। यहां का विजिट करें। लोगों को सुविधाएं प्रदान करें।

मैं आपका ध्यान इस मुद्दे पर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि कुछ सदस्यगण अभी भी सर्किट हाऊस में बिराजते हैं, इन तथ्यों की जानकारी आप चाहें तो उनसे भी कर सकते हैं कि कितनी दुर्दशा है, इस सर्किट हाउस की, कितनी बेकार स्थिति है सर्किट हाउस की। जो अधिकारीगण वहां पर रुकते है उनको इस तरह का पूअर इम्प्रेशन मिलता है, मैं समझता हूं अपनी स्टेट के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। यह सबसे घटिया स्तर का सर्किट हाउस है, इसको सुधारने में प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री जुबेर खान : इधर भी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका भी आयेगा।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सिरोही विधान सभा क्षेत्र की शिवगंज तहसील में पिछले दिनों जो भीषण अग्निकांड हुआ उसके बारे में दिलाना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी तहसील का एक गांव है बादला। दिनांक 7 को वहां पर बहुत भयंकर आग लगी। मकानों के ऊपर से

(श्रीमती तारा भण्डारी)

बिजली के तार जा रहे है उन तारों में जबरदस्त घर्षण होने से वहां पर आग लगी और आग इतनी फैली कि गांव वाले उस पर काबू नहीं पा सके। उसके बाद उनको प्रशासनिक सहायता मिली। सिरोही और शिवगंज सब गये, फायर ब्रिग्रेड वाले गये ओर आग पर करीब 12 घण्टे बाद काबू पाया। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह एक अप्रेल को बाण गांव में आग लग गयी। उस गांव में भी सवाराम रैवारी झुलस गया। उसकी 80 भेड़े जीवित जलकर मर गयी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है, सदन के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि हालांकि सरकार राहत ती देती है और मौके पर सहायता भी देती है लेकिन जो राहत देती है वह इतनी नहीं है कि उन दुखियारों को कोई मदद उससे पहुंच सके। किसी का 15,000 का नुकसान हुआ, किसी का 25,000 का हुआ, किसी का 20,000 का हुआ। सारा चारा जलकर राख हो गया। मकान जलकर राख हो गये। अकेले बादला गांव में 13 लोगों के घर, चारा, बाड़े, सभी कुछ जल गये। तो अध्यक्ष महोदय, इनको राहत या मुआवजा जो भी आप देते है वह फिक्स्ड है। मेरा तो इतना ही निवेदन है जो मौके पर नुकसान आंका जाए उस नुकसान के आधार पर, जो मौके की रिपोर्ट बने उस आधार पर उनको मुआवजा या सहायता राशि आप दिलवा दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन जी मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी : (अजमेर पश्चिम) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने गत वर्ष राज्य कर्मचारियों की जो बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी एक नयी पालिसी प्रतिपादित की थी कि नो वर्क नो वेज। आज साल भर से वे असहाय की तरह आपकी ओर देख रहे है। वे विकल्प की बात भी कह रहे हैं कि कोई लचक लावें, छुट्टियों में उसका समावेश करे। किन्तु यह राज्य सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इसके विपरीत जो बड़े पदाधिकारी हैं उन पर यह पालिसी नो वर्क नो वेज लागू ही नहीं करती। मैं एक ही उदाहरण आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। सैकण्डरी बोर्ड आफ एजूकेशन, अजमेर को राज्यपाल महोदय ने किन्ही कारणों की वजह से भंग किया था। 10-11 माह बाद जब यह राज्य सरकार बनी तो उस बोर्ड को रिवाइव किया। बहुत अच्छा किया। कोई भी कारण हो सकता है, कोई ग्राउण्ड हो सकता है, सोच आपकी हो सकती है। किन्तु उस भंग पीरियड के इमाल्यूमेण्ट्स चेयरमैन ने उठा लिया राज्य सरकार ने उस इश्यू को इंकार किया था...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : कोर्ट का आदेश था।

श्री किशन मोटवानी : कोर्ट आर्डर नहीं था। आप गलतफहमी में है। वह सिर्फ उनको भंग करना था और उन्होंने यह माना था कि गलत है।आप डी.बी. में गये थे, डी.बी. से आपने अपील वापस ले ली। किन्तु उसके बाद आपके पास पेमेण्ट के लिए जब केस आया तो आपने मना कर दिया इस पालिसी पर कि नो वर्क नो वेज। किन्तु उन्होंने अपना कार्यकाल जो पहला टर्म है वह पूरा होने से पूर्व ही पैसे

(श्री किशन मोटवानी)

उठा लिये। मैं आपसे चाहता हूं कि उस बोर्ड में अनियमितओं का भण्डार है, ढेर है मेरे पास, मैं समय रहते हुए उठाऊंगा। किन्तु एक अनियमित रूप से पैसे उठाये हैं। जब राज्य सरकार कर्मचारियों को नो वर्क नो वेज की पालिसी पर आंकती है तो चेयरमैन को आप उस पालिसी के तहत क्यों नहीं आंकते? अनियमित तरीके से पैसे उठाये है। जो फाइनेंशियल मेटर है उसी इश्यू पर आपको उस बोर्ड को भंग करना चाहिये , ऐसी मेरी अनुशंषा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी चौधरी।

श्री गुलाब चंद कटारिया (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर पश्चिम से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे है कि बोर्ड का यह पेमेण्ट हुआ। बोर्ड को भंग किया, उसके ही विरुद्ध बोर्ड के अध्यक्ष न्यायालय में गये और न्यायालय ने उन्हें वापस बोर्ड के अध्यक्ष के रुप में स्वीकार किया कि इनको भंग करना ठीक नहीं था। तो जिस बात को लेकर उनको वहां से बरखास्त किया और वे वापस न्यायालय के निर्णय के आधार पर वहां लग गये तो उनका उसमें क्या दोष था। नो वर्क नो वेज का सवाल है...

श्री किशन मोटवानी : He is not your employee. सस्पेंशन वाला पीरियड़ है उसमें उन्होंने काम नहीं किया है और आपने मना किया था, राज्य सरकार ने उस इश्यू पर मना किया था कि पेमेण्ट नहीं होगा। किन्तु उस मनाही के बावजूद उसने पैसे उठाये। यह आप जानकारी कर लीजिये। हाई कोर्ट ने आपको कभी नहीं कहा कि उसको इमाल्यूमेण्टस दिये जाएं।

श्री जगदीप धनखड (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय मैं इसी बात पर कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक निर्णय के तहत उनके हटाने की कार्यवाही को रद्द कर दिया।

श्री अध्यक्ष : अब क्या है हो गयी बात पूरी। बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड : उसके फलस्वरुप उन्होंने पैसे उठा लिये। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : अब बात हो गयी।

श्री जगदीप धनखड : आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि हजारों मामले जो राजस्थान उच्च न्यायालय....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्यगण, विधिवत् सवाल उठाये।

श्री जगदीप धनखड़ : मुझे बोलने दीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं एक मुद्दे की बात यहां पर कह रहा हूं कि सरकार के मंत्री ने यह कहा कि उच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष को हटाना गलत था और उसके तहत....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : उन्होंने कहा कि हमने अध्यक्ष को पूरे पैसे पीछे के दे दिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड : क्या सरकार ने यह निर्णय ले लिया? सभी मामलों में जहां उच्च न्यायालय ने कह दिया कि नियुक्ति नियम विरुद्ध है और पैसे देने के बारे में कोई निर्णय उच्च न्यायालय ने नहीं दिया तो क्या सरकार उन सभी मामलों में उसी प्रकार का रुख अख्तियार करेगी?...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड : जैसा कि उन्होंने (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बिजली का संकट पूरे राजस्थान में है लेकिन मेरे जिले झुंझुनू में एक विशेष प्रकार की स्थिति बिजली की कटौती की वजह से पैदा हो रही है जिसकी तरफ मैं आपका और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। झुंझुनू जिले में बिजली की कटौती होने के कारण शाम को सात बजे से लेकर ग्यारह बजे तक गांव के अंदर बिजली नहीं मिलती है। बिजली नहीं मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले तमाम बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, पढ़ाई उनकी बरबाद हो गयी, पढ़ाई उनकी रुक गयी। सुबह सात बजे के बाद बिजली मिलती है। सुबह चार बजे से सात बजे के बीच में पूरे जिले के अंदर अंधकार रहता है। शाम को सात बजे से लेकर ग्यारह बजे तक बिजली की कटौती रहती है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि बिजली की कटौती को आप री-शिडयूल इस तरह से कीजिये कि गांवों में शाम के वक्त में बच्चों को पढने के लिए बिजली मिल सके। सुबह चार बजे से सात बजे तक मिल सके और शाम को सात बजे से ग्यारह बजे तक बिजली मिल सके। बाकि के दरम्यान आप कटौती कर सकते है। तो कटौती को आप वापस ले। मान्यवर गांवों में क्या होता है कि कैरोसिन तेल मिलता नहीं। पुराने जमाने की चिमनी और लालटेन थी वह खतम हो गयी। पूरे जिले के अन्दर हण्ड्रेड पर्सेण्ट इलेक्ट्फिकेशन है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें बिजली की लाइन न हो। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि व्यवस्था करवाये, गांव के अन्दर बिजली की कटौती को री-शिड्यूल करे। शाम को सात बजे से ग्यारह बजे तक बिजली मिले और सुबह चार बजे से सात बजे तक गांव के अन्दर बिजली दी जाय, इस ओर आपकी मार्फत मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय चुन्नीलाल गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं उदयपुर शहर में नगरपालिका, नगर विकास न्यास के क्षेत्र में सरकारी भूमियों की जो स्थिति है, जो करोड़ों रुपयों की है। जो भूमि के दलाल है, वर्षों से इस तरह से कब्जे करते आए हैं लेकिन इस समय काफी तादाद में इस तरह की शिकायतें मिली है। मैने स्वयं ने भी लिख कर सचिव महोदय को दिया है, जिलाधीश को दिया है लेकिन बड़े दुःख की बात है कि मेरे लिखने के बाद, जयपुर से लिखने के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

होती। अभी मैं उदयपुर गया था, वहां सेक्टर -4 में मनोथड़ा के बीच में कम से कम 2-3 बीघा जमीन है जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा किया लेकिन प्रशासन पता नहीं, क्यों नहीं कार्यवाही करना चाहता। मैं सरकार एवं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार उस करोड़ों रुपयों की जमीन हेतु अविलम्ब कार्यवाही करे और इन असामाजिक तत्वों एवं भूमि-दलालों को वहां से हटाये उसकी सुरक्षा की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान जी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 1992 में ए.पी.पी. की परीक्षा ली गयी थी आर.पी.एस.सी., अजमेर द्वारा आर इन्टरव्यू वगैरह सब कुछ होकर 4 अक्टूबर, 1994 को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, 4-5 माह इस चीज को गुजर गये, 52 केण्डीडेट्स का पुलिस वेरीफिकेशन हो गया या जो भी कुछ होता है कि इनका चरित्र कैसा है, इनका चाल चलन कैसा है उसमें दो उम्मीदवारों का कोई मामला और है जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या दो आदमियों के कारण से, जिनका किसी कारण से वेरीफिकेशन पूरा नहीं हुआ, उन 52 आदमियों को रोका जाए? उनको पोस्टिंग क्यों नहीं दी जा रही है? अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि जो 52 लड़के है, यह परेशान है। आपके इस व्यवसाय से जुड़े हुए है। जब राज्य सरकार ने आर.पी.एस.सी. के थ्रू इनको सलेक्ट कर लिया तो इनको नियुक्ति दी जानी चाहिये। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान माडर्न सिथेटिक्स, अलवर के मैनेजमेंट और राज्य सरकार द्वारा वहां के करीब दो हजार मजदूरों के साथ की जा रही ज्यादती की और दिलाना चाहता हूं। पिछले 4 महीनों से बगैर किसी अनियमितता, बगैर किसी कारण के कारखाना बंद है जिससे दो हजार मजदूरों के लिए बडी समस्या उत्पन्न हो गयी। इस कारखाने में मान्यता प्राप्त यूनियन सी.आई.टी.यू. के साथ बातचीत न करके आज उन मालिकों को राज्य सरकार ने खुली छुट दे रखी है। धारा 144 लगा रखी है। मिल मालिक के गुण्डों ने और पुलिस ने मिलकर हमारी सरकार मानती है कि मिल मालिक की वजह से मजदूरों को 4 महीने कारखाने से बाहर रखा गया है। उनको तनख्वाह नहीं मिली। केवल मात्र डरा-धमका करके राज्य सरकार के सहयोग से उन मजदूरों को जबरदस्ती उस कारखाने में ले जाने की बात चल रही है। जो दो हजार मजदूर है उनके साथ चार महीने से खिलवाड़ किया गया है। मान्यता प्राप्त यूनियन से उनकी जायज मांगों पर विधिवत् बात किये बगेर चालू करने की कोशिश् करते है तो निश्चत रुप से औद्योगिक अशांति होगी जिसके लिए राज्य सरकार और मॉडर्न सिंथेटिक्स का मैनेजमेंट जिम्मेदार होगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री अमराराम : मैं तो सरकार से यही अनुरोध करुंगा कि समय रहते हुए श्रम मंत्रालय द्वारा उसमें हस्तक्षेप करके उनकी वाजिब बातों को सुन करके कारखाने को चालू करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण जी बैरवा।

श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र खण्डार किसानों का क्षेत्र हैं और किसानों का मुख्य धंधा खेती करना है। खेती के साथ-साथ वे पशु भी पालते है खेती में पशुओं का सहयोग होना अति आवश्यक है इसलिए आजकल पशुओं की कीमत बहुत ज्यादा है। एक भैंस 20 हजार रुपये तक की आती है, बैल जोडी 25 हजार रुपये तक की आती है, गाय 5 हजार रुपये तक की कीमत की है। भेड़-बकरी भी हजार-डेढ़ हजार रुपये की है, ऊंट 6-7 हजार रुपये का आता है। ऐसी स्थिति में जबकि किसान अपने परिवार को जानवरों की सहायता से पालता है, जानवरों में कोई रोग आ जाता है या महामारी आ जाती है और जानवर मरने लग जाते है तो उसके परिवार का वही हाल होता है जैसे परिवार का कोई कमाने वाला सदस्य मर जाता है। उसी प्रकार जानवर के मरने से भी उसका परिवार बेहाल हो जाता है। रोगों की रोकथाम के लिए उनकी चिकित्सा होना आवश्यक है। इसलिए सरकार 2-2 या 3-3 पंचायतों को मिलाकर पशु चिकित्सालय खोलने की कृपा करें और...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : ऐसे थोड़े सुनते है, थोड़ा दम-खम से बोलो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से बांदीकुई में इन दिनों उत्पन्न भीषण जल संकट, खास तौर पर पेयजल के बारे में माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वर्तमान में बांदीकुई निर्वाचन क्षेत्र में पानी का स्तर 120 से 135 फीट नीचे चला गया है। पेयजल का एक मात्र स्रोत हैण्डपम्प है। कुल 891 हैण्डपम्प लगे हुए हैं जिनमें से 385 हैण्डपम्प अबडण्ड और ड्राई हो गये है। इस प्रकार कुल 42 पर्सेण्ट हैण्डपम्प नाकारा साबित हो चुके है और जगह-जगह खराब हैण्डपम्प होना प्रशासन के लिए शर्मनाक स्थिति का सूचक बन गये है। इनके रख्-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसी सरकार की घोषित नीति थी कि हर पंचायत को पंचायत मिस्त्री दिया जाएगा और एक टूल-किट दिया जायेगा। हैण्डपम्प को सुधारने के लिए उसके अनुरूप पंचायत समिति बांदीकुई में टूल-किट नहीं दिये गये है। ऐसे गांव जहां 50 पर्सेण्ट से भी ज्यादा हैण्डपम्प खराब हो गये हैं वहां पर तत्काल हैण्डपम्प बदले जाएं क्योंकि पीने के पानी के लिए एक किलोमीटर से भी ज्यादा जाना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त मैं नगरों की बात बताऊं। बांदीकुई नगर में 25 साल पुरानी पाइप लाइन हो गयी है जो जगह-जगह से डेमेज हो गयी है और दब गयी है। इसके कारण से पानी का दबाव एक फुट ऊंचाई तक भी नहीं आता और एक पौंड भी पानी का प्रेशर नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

(72)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसके अलावा बसवा,जो दूसरा बड़ा कस्बा है, में भी पानी बिलकुल नहीं चढ़ता और त्राहि माम-त्राहि माम की स्थिति हो गयी है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे सकारात्मक रूप से अपनी अभिव्यक्ति करें और मुझे यह आश्वासन दें कि सरकार क्या करने जा रही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय रामचन्द्र जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ऐसी भीषण स्थिति में मंत्री महोदय से कुछ तो कहलवाओं , साहब यह तो संवेदनशील सरकार है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। उन लोगों को भी बोलने दीजिए।आपकी सारी बातें रिकार्ड हो गयी है। आपकी सारी बात देख लेंगे। बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, संवेदनशील सरकार के संवेदनशील मंत्री है। मंत्री महोदय, जो 50 पर्सेण्ट से ज्यादा खराब हो गये है, वहां की स्थिति के बारे में कुछ तो बताये कि करेंगे या नहीं करेंगे। यह जनता की ही बात है, इसमें तो दलगत बात नहीं है। मैने तो जनता की बात कही है, लोक महत्व की बात कही है। माननीय मंत्री महोदय से कुछ तो कहलवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : 385 हैण्डपम्प खराब हो गये है, 891 में से।

श्री अध्यक्ष : मैने कह दिया है, अब बोलिये मत।

श्री भंवर लाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री) : माननीय सदस्य, यह जानकारी में है कि हैण्डपम्प का रख-रखाव पंचायत करती है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरा सुन लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरी बात तो सुनिये। यह जलदाय विभाग का काम नहीं है। जो मेजर रिपेयर्स होती है उसके लिए हम अभियान चलाते हैं। अप्रेल से हमने अभियान चलाया है और जो आप शिकायत कर रहे है, इस अभियान के दौरान जो ठीक हो सकते हैं वे निश्चित ही ठीक करेंगे और भी जो कोई सुझाव आप देंगे उसे पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्षेत्रीय स्कीम तो आप चलाते है, उनका क्या हाल है? श्री भंवरलाल शर्मा मैं सिर्फ हैण्ड पम्प की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : रामचन्द्र जी अपनी बात कहे। बिराजिये आप, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोटपूतली का जो विकास हमने किया था, जो विकास हमारी सरकारी ने किया था, वह विकास इस सरकार ने रोक दिया है। वह विकास आप चाहते नहीं है। कोट पूतली तहसील अपने आप में एक उप जिला का दर्जा लिए हुए है और उप जिला दर्जा के अंदर हैड

(श्री रामचन्द्र रावत)

क्वार्टर भी कोटपूतली के अंदर है। आज उस कोटपूतली के हैडक्वार्टर के अंदर जो एक्सईएन. का दफ्तर था, जो हमारी सरकार ने सन् 1970 से एम.डी. बैठा रखा था और वह दफतर बराबर चलता आ रहा था, उस दफ्तर का–

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामचन्द्र रावत : नहीं, मेरे को बहुत बात कहनी है। इसके अंदर बहुत गंभीर बात है। उस एक्सईएन. दफ्तर को तहसील शाहपुरा के अंदर ले गये जबकि उसकी बिल्डिंग कोठपूतली के अंदर बननी चाहिए थी। उप जिला जब कोटपूतली के अंदर है तो शाहपुरा या जमवारामगढ़ में या दूसरी जगह कैसे बनाया जा रहा है? हमको इस बात की चिंता नहीं है कि वह शाहपुरा में बने या दूसरी तहसील की आप उन्नति करें या विकास करें मगर हमारी कोटपूतली में भी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, मैं समझ गया।

श्री रामचन्द्र रावत : मैं इसी तरह से दो साल पहले पी.डब्ल्यू.डी. के एक्सईएन. का दफ्तर कोटपूतली के अंदर था, आप धीरे-धीरे उसको भी दूसरी जगह शाहपुरा में ले आये। उसका पैसा उप जिला हैडक्वार्टर कोटपूतली के नाम से मंजूर है। बिल्डिंग बनती है दूसरी तहसील के अंदर, यह हमारे साथ में अन्याय है। यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मिर्धाजी। बहुत हो गया, आप बिराजिये। मैं आपको रोज मौका दे रहा हूं (व्यवधान) ऐसा नही है, जीरो आवर में 15-15 मिनट ले रहे है। नहीं तो मुझे करटेल करना पड़ेगा।

श्री रामचन्द्र रावत : और यही नहीं कहना चाहता। सरकार ने जयपुर जिले में एडीशनल एस.पी.की पोस्ट सृजित की है। एडीशनल एस.पी. कोटपूतली में होना चाहिए जबकि उसको दूसरी जगह ले जा रहे है। सारे दफ्तर दूसरी जगह ले जा रहे है। जबकि हमारी मांग है कि कोटपूतली में दफतर लाया जाए। हमारे जिले की मांग है और है जिले के जो दफ्तर थे, उनको दूसरी जगह ले जाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। यह तो एक पूरा मांग पत्र है, अलग से बहस करना आप। बिराजिये बिराजिये। माननीय मिर्धाजी।

श्री रामचन्द्र रावत: इस तरह का व्यवहार कोटपूतली की जनता सहन नहीं करेगी। मुझे दुख है इस बात का आप लोगों को कहते हुए इस सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामचन्द्र रावत : 5 साल से लगातार कोटपूतली को जिला बनाने का संघर्ष चला आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सदस्य, आपकी बात अब अंकित नहीं होगी। बिराजिये आप, बिराजिये।

श्री रामचन्द्र रावत: ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

××× शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हरेन्द्र मिर्धा (नागौर) : माननीय अध्यक्षः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना जिला नागौर की पेयजल समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं। गर्मी का मौसम शुरु हो गया है और सरकार नींद ले रही है। + ++ सरकार है और अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हुई है और जब मई-जून में ज्यादा गर्मी पड़ेगी तब क्या हालत होगी गांवों में। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 218 गांवों में से 80 गांवों में पेयजल का संकट है। उच्च अधिकारियों से बात करते हैं तो यह बताया जाता है कि बिजली नहीं आती है।पी.एच.ई.डी. वाले बिजली विभाग पर टाल देते है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : बिराजिये क्या, अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात शुरू की है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : कैसे ?

श्री अध्यक्ष : आपके यहां बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है पानी की।

श्री हरेन्द्र मिर्धाः पानी की तकलीफ हो तो कह रहा हूं। मेरे क्षेत्र में एक दो हजार की आबादी वाला गांव है।ग्यासनी, इसमें 6 महीने से पानी नहीं पहुंच रहा है।करीब 70-80 गांव ऐसे है कि जो कई जल प्रदाय योजनाओं से जुड़े हुए है , उनमें 6-6 महीने तक पानी नहीं आता है। विभाग वालों के पास कोई सामान नहीं है। विभाग कोई समस्या हल करने के लिए तत्पर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय,जनता में इतना आक्रोश है कि अगर यही हालात रहे तो जनता को मजबूर होकर आन्दोलन की राह पकड़नी होगी।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के विकास में सभी को सहयोग देना होता है। मुझे भी देना होता है। सत्ता में कोई लोग पद पर है कोई मंत्री है, उप-मंत्री है, राज्य मंत्री है उसके परिवार के लोग भी राज्य के विकास में पूर्ण सहयोग दे सकते है। मान्यवर, समस्या तब आती है जब नियमों की अनदेखी करके एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया जाता है। जो नियम विरुद्ध है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पर्यटन विकास अति आवश्यक है। इसको बढ़ाने में माननीय मंत्री महोदया काफी प्रयत्नशील है, इस बात को लेकर हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है। यदि माननीय मंत्री महोदय का कोई संबंधित आदमी, जानकार आदमी, रिश्तेदार, दोस्त राज्य में आये तो राज्य का इसमें फायदा है। माननीय मंत्री महोदया के यहां से यदि कोई आदेश भी जारी हो कि मेरा कोई जानकार आदमी आया हुआ है इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। इसी प्रकार का एक आदेश देशके प्रमुख अखबार "हिन्दुस्तान टाइम्स" के हिसाब से माननीय मंत्री महोदया के यहां से जारी

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगदीप धनखड़)

किया गया। कुछ लोग आये और राज्य के खासा कोठी होटल में रुके। बड़ा उत्तम कार्य हुआ। मंत्री महोदया ने इतनी व्यक्तिगत दिलचस्पी ली, राज्य के पर्यटन का विकास हुआ, राजस्थान टूरिज्म डवलपमेन्ट कारपोरेशन की आर्थिक स्थिति में सुधार आना स्वाभाविक है। मंत्री महोदया की गतिविधियों से वे लोग इतने प्रभावित हुए, उन्होंने देखा कि राजस्थान में एक-दो दिन रहने से काम नहीं चलेगा तो उस जगह वो काफी दिनों तक पदासीन रहे। अध्यक्ष महोदय, उनको राज्य के बाहर जाना था तो भी कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष : कहना क्या चाह रहे हैं आप?

श्री जगदीप धनखड़ : आखिर में, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ? राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन का लाखों रुपया बिना दिये, बिना भुगतान किये, अखबार के हिसाब से, वे वहां से चले गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अखबार के हिसाब से यह मुद्दा उठा ही नहीं सकते। किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आप काफी ज्ञाता हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय आने पर अन्य बातों का खुलासा किया जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप प्रक्रिया और नियमों के काफी जानकार हैं। अपनी जानकारी के आधार पर और नियमों व प्रक्रिया के तहत आइये।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं इस बात पर कतई कोई एतराज़ नहीं करता कि कौन राज्य के विकास के अन्दर क्या कर रहा है। पर देश के प्रमुख अखबार में यह बात आयी है। मंत्री महोदया के आदेश से राज्य सरकार को एक लाख रुपये की हानि हुई उसका कौन लेखा जोखा देगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में जब उस अखबार में मंत्री महोदया के ऊपर स्पष्ट तौर से एक आरोप लगाया गया है तो.... (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदया बोल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री विष्णु जी मोदी। 295। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जीरो आवर के लिए मैंने बोलने के लिए चिट दी है आपको।

श्री अध्यक्ष : उसको कल के लिए रखा है।(व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। किशनगढ़ से आने वाले सदस्य आपकी मैं आभारी हूं कि आपने यह मुद्दा उठाया। मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है, नेशनल पेपर में इस तरह की बात तथ्य तक पहुंचने और इसमें कितनी सत्यता है यह बिना जाने उन्होंने छाप दी है। मुझे इस बात से शर्म आती है और आपने यह मुद्दा उठाया इसके लिए धन्यवाद। 1 लाख रुपये का बिल नहीं है। बिल 40 हजार का है। अखबार वालों ने अकाउन्ट्स डिपार्टमेन्ट से पता कर लिया होता। आखिर खासा कोठी जयपुर में ही है, जयपुर से कोई मीलों दूर नहीं है। वहां जाकर पता करते कि पेमेण्ट हुआ है या नहीं (व्यवधान)

(76)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप पता कर लें। 23 तारीख को उन्होंने कमरा खाली किया और 31 तारीख को पेमेण्ट कर दिया है और मुझे यह खास तौर से अखबार वालों को कहना है कि इस तरह की बात नहीं छापें।

श्री जगदीप धनखड़ : किस तारीख को, किस माध्यम से, किस चैक नम्बर से और कब भुगतान हुआ? बताइये। (व्यवधान) किसी भी राष्ट्रीय अखबार की इस प्रकार से मजाक उड़ाना उचित नहीं है। आप जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। यह बिना काम की बात कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : मैं अभी बताती हूं। राजस्थान बैंक......(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइण्ट आफ आर्डर, सर। मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है, अपनी प्रक्रिया में यह व्यवस्था है कि कोई भी माननीय सदस्य यहां किसी अखबार या टी.वी. में कोई खबर आयी है उसके माध्यम से इस सदन में कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। (व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि माननीय धनखड़ साहब, जो किशनगढ़ से आते हैं उनकी एक ऐसी आदत बन गयी है, उन्होंने परसों....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का बोलना नाजायज है। सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने एक शैली बना ली है, यह अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को ढकने के लिए मुझे कहते हैं कि आदत बन गयी है। (व्यवधान) मैं मेरे अधिकारों का उपयोग करता हूं ......

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अंकित नहीं होगा। अंकित नही करें।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप सुनिये। कुछ दिन पहले अजमेर दरगाह शरीफ का कलश का मामला आपने उठाया। जी.टी.वी. पर यह आया है और अन्तरराष्ट्रीय जगत में हमारी बड़ी बदनामी हो रही है। माननीय सदस्य बहुत जिम्मेदार हैं। आज खासा कोठी के कोई बिल का सवाल है। पहली बात तो यह है कि स्पेशल मेंशन के तहत कोई भी मसला जो बहुत अर्जेन्सी का है अथवा ऐसा कोई मैटर है उसको उठाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप वक्तव्य दे रहे हैं क्या? आप कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं? ये भाषण दे रहे हैं या आपके समक्ष कोई पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं। (व्यवधान) माननीय मुख्य सचेतक महोदय कहना क्या चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप। केवल मात्र अखबार के हिसाब से कोई बात नहीं कहें। इसके अलावा हाउस का समय बहुत कीमती है।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए कोई भी माननीय सदस्य अपनी पर्सनल नालेज के आधार पर, मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता मेरी बात से सहमत होंगे कि यहां कोई भी मसला उठायें अपनी जिम्मेदारी से उठायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : How I occupy the floor? अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आपकी अनुमति से एक प्रश्न उठाया, माननीय मंत्री महोदया ने उसका उत्तर दिया उनके उत्तर से वे सेटिसफाई नहीं थे। इसलिए चैक के नम्बर वगैरह और कब पेमेन्ट हो गया, यह पूछा है। अब यह प्रश्न पूछना कि अखबार में आया, यह बात बिल्कुल असत्य तो नहीं है। इसमें क्या है। पेमेन्ट बाद में हुआ है।जो कोई कमरे में ठहरे हैं, पार्टीज ठहरी हैं उस वक्त उन्होंने पेमेन्ट नहीं किया है, पेमेन्ट करना चाहिए था, बिल एक लाख का नहीं है,चालीस हजार का होगा। वह फर्क हो सकता है। वह पेमेन्ट हुआ है।अब आप यहां पर खड़े होकर कहते हैं इसकी आदत बन गयी, उसकी आदत बन गयी है,गवर्नमेंट चीफ व्हिप को इस सदन के अन्दर इस प्रकार का + + + करने का कोई अधिकार नहीं है। आप यों + + + नहीं कर सकते यहां पर।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : कोई ऐसा बीच में प्रश्न था क्या रूल्स के इन्टरप्रिटेशन का यहां पर? आसन का काम है सदन का संचालन करना। आप आसन को अगर मदद देना चाहते हैं तो पाइण्ट आफ आर्डर रेज करते। आप बीच में दखल कर रहे थे।माननीय सदस्य कुछ बात कह रहे थे। और माननीय मंत्री महोदया उत्तर दे रही हैं और बीच में आप + + +

श्री अध्यक्ष : इन्होंने पाइण्ट ऑफ आर्डर रेज किया था। माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों में और प्रक्रिया में इस प्रकार की व्यवस्था है। अजमेर का मामला है, कोई जी. टी. वी. के माध्यम से कहा जाये या किसी प्रकार का इम्प्रेशन यहां इस सदन के माध्यम से दिया जाये...(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मैं माननीय सरकारी मुख्य सचेतक महोदय बहुत अधिक. . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : यदि विवेकपूर्ण अपने कार्यों को देखेंगे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह बिना काम के समय जाया हो रहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : सदन के प्रतिपक्ष के नेता महोदय के कहने के बावजूद भी आप संयम नहीं बरत रहे हैं। संजीदगी और आपका कोई लेना-देना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री शांतिकुमार जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, कोटा के सिख यात्री जो 13

+ + + शब्द /अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(78)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अप्रेल, बैसाखी के पर्व पर ननकाना साहब और पंजा साहब की यात्रा करना चाहते थे। अन्तिम समय पर राज्य सरकार के गृह विभाग ने उनको इजाजत न देकर रोक दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का और गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन 29 सिख यात्रियों ने अपने पूरे कागजात वक्त पर पेश किये, खुफिया विभाग से जो कुछ भी जांच इनकी हो सकती थी वह इनके पक्ष में हुई। कलक्टर ने यहां पर एन. ओ. सी. भेज दी और उप सचिव, गृह विभाग (तृतीय) के पास ये बराबर चक्कर काटते रहे। इनको यह कहा गया कि हम आपकी खुफिया विभाग से जांच करवा लेते हैं। इन्होंने कहा कि जांच हो चुकी है तो कहा कि मैं फाइल देख लूंगा और बराबर कहते रहे कि आज आना, कल आना और आखिरी वक्त तक कहते रहे कि शुक्रवार को इजाजत मिल जाएगी और शुक्रवार को आप चल देना। हमने जयपुर के 11 सिख यात्रियों को इजाजत दे दी है, आपको भी दे देंगे। शुक्रवार को जब ये लोग वहां पर डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने के लिए पहुंचे तो डिप्टी सैक्रेटरी गायब। आखिर वक्त में पता नहीं क्यों उनको रोका गया? मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन सिख परिवारों के खिलाफ कोई जांच थी? किसी तरह के कोई आरोप थे? कोई मुकदमे थे? अगर कोई आरोप नहीं थे तो आपने जब जयपुर के 11 निवासियों को ननकाना साहब जाने की इजाजत दे दी, 1167 मुस्लिम्स को हज पर भेजने की इजाजत दे दी तो कोटा के ये सम्भ्रांत परिवार के लोग और प्रतिष्ठित परिवार के लोगों को जानबूझ कर आखिरी वक्त में क्यों रोका गया?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री विष्णु मोदी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

भांवता व गनाहेड़ा से अजमेर को पेयजल वितरण से उत्पन्न स्थिति

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अजमेर शहर को भांवता व गनाहेड़ा से क्रमशः 4 लाख गैलन पानी काफी वर्षों से निरन्तर सप्लाई किया जा रहा है और इसके अलावा बूढ़ा पुष्कर से भी अजमेर के रेल्वे विभाग को 2 लाख गैलन पानी प्रति दिन उपलब्ध कराया जाता रहा है। उक्त दोनों क्षेत्र पुष्कर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के हैं और गत वर्षों से निरन्तर इतनी बड़ी मात्रा में पानी सप्लाई किये जाने के कारण पुष्कर निर्वाचन क्षेत्र में जल स्रोतों का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। इस क्षेत्र में काफी बड़े पैमाने पर गुलाब और दूसरी फसलें (अमरूद) आदि होती थीं, परन्तु निरन्तर जल स्तर नीचे जाने के कारण खेती पर उसका काफी प्रभाव पड़ा है और गुलाब की खेती भी पूर्ण रूप से नष्ट होती जा रही है। पुष्कर सरोवर भी सूख रहा है।

पुष्कर के लोगों की एक लम्बे अर्से से यह मांग रही है कि जब बीसलपुर का पानी उपलब्ध हो जाये तब भांवता व गनाहेड़ा से

(श्री विष्णु मोदी)

दिये जा रहे पानी को अजमेर शहर को देना बन्द कर दिया जाय। पुष्कर के किसानों की तथा अन्य जन प्रतिनिधियों की इस उचित मांग के सम्बन्ध में मैंने जनवरी, 1995 में ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी को पत्र लिखा था और उनसे यह अपेक्षा की थी कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इसके सम्बन्ध में एक निश्चित कार्य योजना बना लेनी चाहिए ताकि अजमेर को बीसलपुर का पानी उपलब्ध होते ही पुष्कर के लोगों की उचित मांग पर कार्यवाही हो सके। मैंने मंत्री जी को यह भी सूचित किया था कि यदि पुष्कर वासियों की इस युक्तिसंगत मांग को नहीं माना गया तो वे निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में आन्दोलनात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होंगे। चूंकि मंत्री महोदय द्वारा तथा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तथा मेरे पत्र का कोई उत्तर तक नहीं दिया गया है। मैं इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये पुष्करवासियों की उचित मांग को तुरन्त स्वीकार करने और तत्विषयक आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं। यदि इस सम्बन्ध में अब भी कोई कार्यवाही नहीं होती है और यदि पुष्करवासियों द्वारा कोई आन्दोलनात्मक कार्यवाही की जाती है तो उसके लिए राज्य सरकार स्वयं उत्तरदायी होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर भारद्वाज।

गोपीनाथ मार्ग, जयपुर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, गोपीनाथ मार्ग पर काफी समय से सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण से दुःखी जनता ने काफी चिन्ता व्यक्त की है तथा ऐसा वातावरण बन रहा है कि कहीं व्यापक जन आन्दोलन का रूप धारण न कर ले।

महोदय, वहां "माधव मेन्शन" के साथ लगी सरकारी भूमि पर एक दो मंजिल की दुकान का निर्माण कार्य अबाध्य गति से हो रहा है। वहां के नागरिकों ने माननीय जिलाधीश महोदय एवं नगर निगम, जयपुर तथा जयपुर विकास प्राधिकरण विभाग के अधिकारियों को लिख कर दिया था कि यदि कार्य नहीं रुकवाया गया तो सायंकाल तक छत डल जायेगी और जैसा लगता था वहां के नागरिकों को, वहां वैसा ही हो गया। इतना ही नहीं, उसकी दूसरी मंजिल का कार्य भी अबाध्य गति से चल रहा है।

इसी के ठीक सामने एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र बन गया है, जहां अनेक दुकानों का निर्माण हो रहा है और ये नाली व फुटपाथ का भी ध्यान न रखते हुए आठ-आठ फीट आगे तक अवैध निर्माण कार्य करवाते जा रहे हैं और इसके पीछे लाखों का लेन–देन सम्पति के कारण हो रहा है। अभी भी वहां दस-दस फीट के चबूतरे भी बनवा रहे हैं जो कल की तारीख में नयी दुकान का स्वरूप ले लेंगे जो उचित नहीं है।

इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि दिनांक 4-4-95 को सार्वजनिक रूप से लगे बिजली के पोल को वहां के अवैध निर्माण-कर्ताओं ने ही लोहे काटने की आरी से काटकर कानून का उल्लंघन किया है। वहां के स्थानीय

(80)

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

नागरिकों ने विरोध किया तो जालुपुरा थाने के कर्मचारी वहां आ गये। उन्होंने भी अतिक्रमियों की सहायता की और वहां विरोध कर रहे नागरिकों को न सिर्फ डांटने लगे बल्कि अतिक्रमियों को कानून सिखाते रहे कि ऐसा-ऐसा करो, तुम्हें परमिशन मिल जायेगी। नागरिकों को यह भी पता लगा कि अतिक्रमियों ने विद्युत विभाग में दो हजार रुपये जमा करा दिये हैं इसलिए पोल को काट रहे हैं देखते हैं कौन रोकता है, वहां के नागरिकों को धमकाया। इससे वहां के सम्भ्रान्त नागरिक चिन्तित हैं। प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल एम. आई. रोड पर जब एक तरफा यातायात होता है तब इस मार्ग का उपयोग होता है। यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है जिसे तीव्र गति से अवैध निर्माण कर छोटा किया जा रहा है जो उचित नहीं है।

मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी एवं विद्युत मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि अतिक्रमण, ...स अतिक्रमियों को संरक्षण तथा बिजली के ...जनिक खम्भे को काटने की कार्यवाही किन अधिकारियों की मिली भगत से हो रही है, जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करायें साथ ही सरकारी भूमि ... हो रहे अतिक्रमण की प्रवृति पर अंकुश ...ं जिससे कि वहां की जनता निर्भय होकर रह सके।

मैं वहां के नागरिकों को साहस के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी जागरुकता के कारण समय-समय पर सम्बन्धित विभागों को अवगत कराते रहे हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करुंगा कि सम्बन्धित माननीय मंत्री जी उचित कार्यवाही करने का आश्वासन देने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दलीचंद जी।

बारी ग्राम का विद्युतीकरण

श्री दलीचंद (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, नम्र निवेदन है कि ग्राम बारी पटवार हल्का बारी तहसील व जिला बांसवाड़ा ग्राम को विद्युतीकरण करने हेतु मैंने ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान गत विधान सभा में दिलाया था मगर मंत्रीजी ने आज तक ग्राम बारी का विद्युतीकरण नहीं किया। बारी में फिलहाल 33 के.वी. लाइन तथा 11 के.वी.लाइन हैं मगर ऐसे गांवों को विद्युत से ना जोड़कर, जहां बिजली लाइन दस किलोमीटर पर हैं उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करके सरकार को भारी नुकसान पहुंचा रही है।

बारी ग्राम में पहले एक सीमेंट प्लांट लगा हुआ था? उस प्लांट को बिजली दी जा रही थी। मगर बारी को आंशिक डूब में मानकर सरकार विद्युतीकरण नहीं कर रही है। बारी ग्राम की 1991 की जनसंख्या 876 है और ग्राम पंचायत भी है। वहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय भी है। वहां 25 काश्तकार कुंओं पर कनेक्शन लेने को तैयार हैं तथा एक आटा चक्की भी लगाने को तैयार हैं और दो ट्यूब वेल भी खुदवाने के लिए दो काश्तकार तैयार हैं मगर उक्त ग्राम को विद्युत से नहीं जोड़ने की क्या वजह है? इसकी जानकारी ऊर्जा मंत्री से लेना चाहता हूं और मेरा आग्रह है कि बारी गांव को विद्युत से जोड़ा जावे।

(13.00)

श्री अध्यक्ष : श्री रेवती प्रसाद कोली (अनुपस्थित)। श्री दयाराम परमार।

खैरवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का जीर्ण-शीर्ण भवन

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरवाड़ा का भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1987 में बनाकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द किया था। सुपुर्द करने के बाद उस भवन में हॉस्पिटल प्रारम्भ हो गया जो 1990 तक चलता रहा और बाद में खाली करके पुराने स्थान पर जहां डिस्पेन्सरी थी, उसमें स्थानान्तरित कर दिया गया। उसके बाद से वह भवन खाली पड़ा है। उस खाली भवन का आज कोई भी उपयोग नहीं है और न कोई देखरेख करने वाला है। यद्यपि विधान सभा में समय-समय पर इस खाली भवन के बारे में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। लेकिन हमेशा यही जवाब मिलता है कि उसकी देखरेख करने के लिए एक चौकीदार रखा हुआ है इसलिए उसकी कोई भी टूट-फूट नहीं हुई है।मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार का जवाब बिलकुल असत्य है और सत्य यह है कि भवन टूट-फूट गया है और एक-दो साल बाद तो उसकी स्थिति यह हो जाएगी कि वह किसी काम में आने के योग्य नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरा सरकार से यह निवेदन है कि यदि विभाग को उस भवन की आवश्यकता नहीं है तो उक्त भवन एवं भूमि जो ढाई बीघा है, जिसको ग्राम पंचायत खैरवाड़ा ने विभाग को पट्टा दिया है, उसको पुनः ग्राम पंचायत को दे दिया जाए ताकि उस भवन की सुरक्षा के साथ किसी अन्य उपयोग में लिया जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

चन्दो उर्फ पूनम की दहेज हत्या

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के तहत चन्दो उर्फ पूनम की दहेज के लालची ससुराल वालों द्वारा जलाकर निर्ममतापूर्वक हत्या कर देने के मामले में दोषी ससुराल वालों के खिलाफ अभी तक भी पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

प्रभुदयाल सैन की पुत्री चन्दो उर्फ पूनम को दहेज के लोलुप,लालची उसके पति पवन कुमार, जेठ राजू, श्वसुर रामसहाय एवं सास श्रीमती सजना द्वारा दिनांक 27/28.6.92 की रात्रि के लगभग 4-5 बजे निर्ममता से जलाकर मार डाला जिसकी श्री सैन ने एफ.आई.आर. संख्या 111/92 दिनांक 20.8.92 महिला पुलिस थाना, जयपुर में दर्ज करायी थी।

बांदीकुई निवासी प्रभुदयाल सैन बाल काटने का व्यवसाय कर अपने बच्चों की आजीविका चलाते हैं। श्री सैन राजस्थान सरकार एवं उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने एवं न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों से बांदीकुई से जयपुर जाकर मिलने में काफी धन खर्च कर चुके हैं परन्तु दो वर्ष का लम्बा समय होने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है। इस जघन्य हत्या में चन्दो उर्फ पूनम के श्वसुर श्री

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

रामसहाय कम्पाउण्डर, सास श्रीमती सजना देवी व जेठ राजू एवं पति पवन कुमार का स्पष्ट हाथ है। यह हत्या पूर्व नियोजित साजिश रचकर की गयी है और चन्दो उर्फ पूनम के सास-श्वसुर और ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदार पुलिस अधिकारी ए.एस.आई. श्री रामजी लाल सैन, थाना सोडाला से मिलकर इस जघन्य हत्याकाण्ड को आत्महत्या में बदल दिया।

चन्दो उर्फ पूनम की जलने की स्थिति भी इस प्रकार की है कि स्वयं अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उस स्थिति में नहीं जल सकती जिस स्थिति में वह जली थी। पेट से ऊपर का हिस्सा पूर्ण रूप से जला था जबकि दोनों हाथों की हथेली, हाथ के पंजे का नीचे वाला भाग बिलकुल नहीं जले थे। ये तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि इतने अधिक जलने के बाद भी पूनम ने अपने आपको बचाने की कोशिश नहीं की। जलने वाला अपने हाथों से अपने आपको बचाने की कोशिश करता है। जिससे उसके हाथ भी जल जाते हैं। अगर जलने वाला ऐसा प्रयास नहीं करता है तो वह केवल बेहोशी की हालत में ही सम्भव है। पेट से नीचे वाले हिस्से में केवल दायां पैर ही ऊपर से लेकर घुटने के कुछ नीचे तक जला था बाकी का हिस्सा नहीं जला। अगर चन्दो ऊर्फ पूनम अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करती तो सर से लेकर पैरों तक झुलस जाती। इस प्रकार जलने की स्थिति हत्या का स्पष्ट सबूत है। जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अस्पताल में उसके बयानों पर उससे हस्ताक्षर करवाये गये हैं, से साबित है। जिस गुसलखाने में चन्दो ऊर्फ पूनम का जलना बताया गया है उसकी कुन्दी भी अन्दर से बन्द नहीं थी। अस्पताल से लाश को भी वे लोग घटनास्थल पर, जहां वे रहते थे, नहीं ले जाकर अन्य जगह अपने भाई-बन्धुओं के मकान पर ले गये ताकि इस स्थिति का पता नहीं चल सके एवं इस जघन्य हत्याकांड को दबाया जा सके।

राज्य सरकार द्वारा चन्दो उर्फ पूनम की हत्या की जांच सी.आई.डी. (सी.बी.) को सौंपी गयी थी परन्तु दहेज हत्या जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जांच में विलम्ब कर श्री सैन को न्याय से वंचित किया जा रहा है और न ही चालान पेश किया जा रहा है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय के माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दहेज लोभी श्री रामसहाय, पवन कुमार, राजू व श्रीमती सजना को गिरफ्तार करवाकर श्री सैन को न्याय दिलाया जाए जो अधिकारियों की मिली भगत के कारण आजाद घूम रहे हैं एवं चन्दो के परिवारवालों को धमका रहे हैं तथा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल मीणा (अनुपस्थित)। श्री हीरालाल सहरिया।

पुलिस विभाग में व्याप्त कथित अनियमितताएं

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख के जरिये आपके माध्यम से

(श्री हीरालाल सहरिया)

गृह मंत्रीजी से अनुरोध करुंगा कि पुलिस विभाग में निम्न प्रकार की अनियमितताएं व्याप्त हैं :—

(1) यह कि राजस्थान पुलिस में मैस भत्ता कांस्टेबल एवं हैड कांस्टेबल को ही दिया जाता है जबकि पुलिस थाना व रिजर्व लाइन में सहायक उप निरीक्षक (ए.एस.आई.) उप निरीक्षक (एस.आई.)तक के अधिकारी भी मैस में खाना खाते हैं। कभी-कभी थाने के अंदर ऐसा भी देखने में आता है कि मैस कमाण्डर इन अधिकारियों को खाना देने से मना कर देता है कि आप मैस मैम्बर नहीं हो। इसलिए मैं मांग करता हूं कि एस.आई. व ए.एस.आई. को मैस मैम्बर माना जाए तथा मैस भत्ता दिया जाए।

(2) राजस्थान के प्रत्येक थाने में इस समय ए.एस.आई. का न तो कोई कार्यालय है और न ही रहने को आवास है, इस कारण उसे मजबूरन कस्बे में रहना पड़ता है। मैं मांग करता हूं कि ए.एस.आई. के लिए थाने के अन्दर कार्यालय व आवास की सुविधा दी जाए।

(3) सबसे मुख्य बात यह है कि थाने के मैस का लांगरी अस्थायी होता है तथा उसे 300/- रुपये माहवार वेतन दिया जाता है। इस कारण खाना बनाने के लिए कोई लांगरी की नौकरी नहीं करना चाहता तथा कई महीने तक मैस बन्द रहता है। इस कारण पुलिसकर्मियों को बाजार की होटलों पर आश्रित होना पड़ता है। जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ता है। मैं मांग करता हूं कि थाने के लांगरी की परमानेंट भर्ती की जाए।

(4) पुलिस कर्मचारियों से हर वर्ष वेलफेयर फण्ड की राशि उसके वेतन से काटी जाती है। पूर्व में कर्मचारी के बच्चों को आठवीं कक्षा पास करने पर वेलफेयर फण्ड से स्कोलरशिप मिलती थी जिससे हर कर्मचारी के बच्चों को पढ़ने के लिए आंशिक सहायता मिल जाती थी। लेकिन अब यह नियम बदल कर आठवीं या उससे ऊपर की कक्षाओं में प्रथम श्रेणी में पास होने पर ही दी जाती है। इस नियम के बन जाने से छोटे कर्मचारी इस लाभ का पूरा फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि छोटे कर्मचारी अपने बच्चों की पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं दे पाते। जब हर कर्मचारी के वेतन से रकम की कटौती होती है तो हर कर्मचारी को फायदा मिलना चाहिए। एक छोटे कर्मचारी के वेतन से करीब 15 साल तक रकम काटी जाती है तब कहीं जाकर उसको राशि मिलने की उम्मीद होती है तो प्रथम श्रेणी बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और कर्मचारी की पूरी सर्विस के दौरान काटी गयी रकम बेकार हो जाती है। अतः या तो इसे बन्द कर दिया जाए या पेन्शन के समय पूरी रकम ब्याज सहित लौटायी जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल जी शर्मा।

धौलपुर चिकित्सालय में डाक्टर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर के सामान्य अस्पताल में गत तीन वर्षों से अनेक डाक्टरों के पद रिक्त चले आ रहे हैं, जैसे बच्चों के वरिष्ठ विशेषज्ञ,

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

स्त्री रोग वरिष्ठ विशेषज्ञ, पैथोलोजी कनिष्ठ विशेषज्ञ आदि के पद वर्तमान में भी खाली हैं। इस सम्बन्ध में कई बार मांग करने पर भी स्वास्थ्य मंत्री जी एवं सरकार द्वारा भरने का प्रयास नहीं किया गया है। सामान्य अस्पताल में जो पद रिक्त हैं उनसे धौलपुर की पचास प्रतिशत जनता प्रभावित होती है तथा इन पदों के नहीं भरने से लाखों रुपया सरकार का प्रतिनियुक्तियां करने के कारण अनावश्यक रूप से व्यय हो रहा है और धौलपुर की गरीब जनता को निजी चिकित्सकों या निजी क्लिनिकों द्वारा इलाज कराने पर शोषण का शिकार होना पड़ रहा है।

साथ ही धौलपुर के सामान्य अस्पताल में सफाई कर्मचारियों के भी कई पद रिक्त चले आ रहे हैं जिसके कारण अस्पताल में भारी गन्दगी रहने लगी है तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस अस्पताल की सफाई के लिए जो ठेका दिया है वह अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। इस प्रकार से अस्पताल में सफाई जैसे महत्वपूर्ण विषय में भी लापरवाही बरती जा रही है। जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों पर विपरीत असर पड़ रहा है। इस कारण से धौलपुर की जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी और सरकार से निवेदन है कि जनता के लिए सबसे उपयोगी तथा आवश्यक चिकित्सा सेवा में सुधार के लिए धौलपुर के सामान्य अस्पताल में रिक्त चले आ रहे डाक्टरों के पद भरे जाने तथा सफाई व्यवस्था में सुधार हेतु अविलम्ब कार्यवाही करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री यज्ञपाल जी उपाध्याय (अनुपस्थित)। श्री अमराराम चौधरी।

बालोतरा में सफाई की व्यवस्था

श्री अमराराम चौधरी (पचंपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोतरा शहर की जनसंख्या वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होने से करीब 60 हजार है। इस शहर को मिनी बम्बई कहा जाय तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस शहर के आस-पास पर्यटक स्थल-नाकोड़ा, भैरुजी, ब्रह्मा मंदिर, खेतेश्वर धाम और खेड़ले रणछोड़राम का मंदिर, जसोल रानी भटियाणी का मंदिर और तिवाड़ा मलीनाथजी का मंदिर आदि भारत विख्यात हैं। उक्त पर्यटन स्थानों पर दर्शनार्थियों को बालोतरा शहर में होकर ही जाना पड़ता है। शहर में पिछले तीन-चार महीनों से गंदगी इतनी फैल रही है कि सारे मोहल्लों के नाले-नालियां सड़ रहे हैं जिससे मलेरिया फैलने की पूरी पूरी आशंका है। इस महत्वपूर्ण शहर की सफाई व्यवस्था लड़खड़ा गयी है। जिसके कारण वहां की स्थानीय जनता के स्वास्थ्य पर तो असर पड़ ही रहा है लेकिन भारत के कोने-कोने से आने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।

अतः निवेदन है कि उक्त समस्या के समाधान के लिए नगरपालिका बालोतरा ने पिछले काफी अरसे से 50 हरिजनों को नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन विभाग को फाइल स्वीकृति हेतु भेजी गयी थी। उक्त फाइल का निर्णय शीघ्र करायें ताकि नगरपालिका, बालोतरा के प्रत्येक मौहल्ले की सफाई समय पर और नियमित हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह सिंघवी ।

छबड़ा की अधूरी सिंचाई परियोजनाएँ

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिए निवेदन करना चाहता हूं कि छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में छह नदियां बहती हैं :— (1) पार्वती (2) परबन (3) बेधली (4) अंधेरी (5) रेतली (6) लाहसी । इन सभी में बरसात में भंयकर बाढ़ आती है और सारा पानी मध्य-प्रदेश चला जाता है ।

माननीय मुख्य मंत्री ने सन् 1977 के बाद उस क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं का सर्वे कराया था । उनमें से मात्र एक बेधली मध्यम सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई है । उससे क्षेत्र के 375 ग्रामों में से मात्र 46 ग्रामों में सिंचाई होगी । क्षेत्र में छोटे-छोटे गरीब किसान हैं । उनके पास जमीनें भी थोड़ी-थोड़ी हैं । अब भी इस क्षेत्र की लीहसी, ईगलोट मध्यम परियोजनाएं एवं उतावली, फालिया तुमड़ा लघु सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं हुई हैं । इन परियोजनाओं पर खर्चा भी अधिक नहीं आएगा एवं इससे क्षेत्र के 150 से 200 ग्रामों की जमीन और सिंचित हो जाएगी तथा इन नदियों का पानी भी मध्य प्रदेश जाने से रुक जाएगा, बाढ़ भी नहीं आएगी तथा इन में से उतावली व फालिया का कार्य शुरू भी हो गया था ।

पार्वती नदी के किनारे गुगौर ग्राम के पास एक स्थान है जिसको ग्राम वाले भड़का कहते हैं । यहां प्राकृतिक झरना है । पानी वहां ऊपर से नीचे गिरता है अगर विभाग यहां एनीकट बना दे तो इससे लिफ्ट सिंचाई हो सकती है और पन बिजली भी पैदा की जा सकती है । अतः मेरा सिचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि छबड़ा क्षेत्र में बहने वाली नदियों के पानी का सदुपयोग कर गरीब किसानों को लाभ पहुंचायें । इन सिंचाई योजनाओं के बनने से क्षेत्र में हर वर्ष (ग्राउण्ड वाटर टेबल) भूमिगत जल स्तर जो नीचे जाता जा रहा है उसको रोकने में भी मदद मिलेगी । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन- श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

समिति का प्रतिवेदन
कार्य सलाहकार समिति का 10 वां प्रतिवेदन

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 10 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में दिनांक 7 अप्रैल, 1995 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे हुई । समिति दिनांक 12 अप्रैल, 1995 से 2 मई, 1995 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार-विमर्श कर सिफारिश करती है कि कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :—

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

बुधवार, 12 अप्रेल, 1995	(1) आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1995-96 पर हुए वाद-विवाद का राज्य सरकार की ओर से उत्तर। (2)(क) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995 एवं (ख) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 —पर विचार एवं पारण॥
गुरुवार, 13 अप्रेल, 1995 शुक्रवार, 14 अप्रेल, 1995 शनिवार, 15 अप्रेल, 1995 रविवार, 16 अप्रेल, 1995	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 17 अप्रेल, 1995	(1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं पारण। (2) आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1995-96 की अनुदान की मांग पर विचार एवं पारण।
मंगलवार, 18 अप्रेल, 1995	(1) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं पारण। (2) आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1995-96 की अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण।
बुधवार, 19 अप्रेल, 1995	(1) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं पारण। (2) आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1995-96 की अनुदान की मांग पर विचार एवं पारण।
गुरुवार, 20 अप्रेल, 1995	(1) राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं पारण। (2) आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1995-96 की अनुदान की मांग पर विचार एवं पारण।
शुक्रवार, 21 अप्रेल, 1995	(1) राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं पारण। (2) आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1995-96 की अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण।
शनिवार, 22 अप्रेल, 1995 रविवार, 23 अप्रेल, 1995	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 24 अप्रेल, 1995 मंगलवार, 25 अप्रेल, 1995 बुधवार, 26 अप्रेल, 1995	आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1995-96 की अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

गुरुवार, 27 अप्रैल, 1995 शुक्रवार, 28 अप्रैल, 1995	(1) राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995 (2) राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 (3) राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 एवं (4) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1995 —पर विचार एवं पारण।
शनिवार, 29 अप्रैल, 1995 रविवार, 30 अप्रैल, 1995	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 1 मई, 1995 मंगलवार, 2 मई, 1995	(1) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1995 (2) राजस्थान राजमार्ग विधेयक, 1995 एवं (3) राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 1995 —पर विचार एवं पारण।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 10वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, जन लेखा समिति, 1994-95 समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति, 1994-95 के (16 से 33) प्रतिवेदन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सभापति, जनलेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, जन लेखा समिति, 1994-95 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) जनलेखा समिति, 1978-79 के नवें प्रतिवेदन (छठी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु राज्य सरकार द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक समिति का 16वां प्रतिवेदन,

(2) जनलेखा समिति, 1980-81 के तृतीय प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक समिति का 17वां प्रतिवेदन,

(3) जनलेखा समिति, 1980-81 के पंचम प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक समिति का 18वां प्रतिवेदन,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(4) जनलेखा समिति, 1982-83 के छठे प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 19 वां प्रतिवेदन,

(5) जनलेखा समिति, 1982-83 के आठवें प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 20 वां प्रतिवेदन,

(6) जनलेखा समिति, 1983-84 के ग्यारहवें प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक समिति का 21वां प्रतिवेदन,

(7) जनलेखा समिति, 1983-84 के तेरहवें प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 22 वां प्रतिवेदन,

(8) जनलेखा समिति, 1984-85 के इक्कीसवें प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 23 वां प्रतिवेदन,

(9) जनलेखा समिति, 1984-85-86 के तृतीय प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 24 वां प्रतिवेदन,

(10) जनलेखा समिति, 1985-86 के नवें प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी क्रियान्विति से सम्बन्धित समिति का 25 वां प्रतिवेदन,

(11) जनलेखा समिति, 1986-87 का दसवां प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक समिति का 26 वां प्रतिवेदन,

(12) जनलेखा समिति, 1986-87 के अठारहवें प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक समिति का 27 वां प्रतिवेदन,

(13) जनलेखा समिति, 1988-89 के 26 वें प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक समिति का 28 वां प्रतिवेदन,

(14) जनलेखा समिति, 1988-89 के तीसवें प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक समिति का 29 वां प्रतिवेदन,

(15) जनलेखा समिति, 1991-92 के 40 वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में उद्योग विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक समिति का 30 वां प्रतिवेदन,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(16) जनलेखा समिति, 1991-92 के 46 वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 31 वां प्रतिवेदन,

(17) जनलेखा समिति, 1991-92 के 57 वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में मोटर गैराज विभाग से सम्बन्धित पैराज के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक समिति का 32 वां प्रतिवेदन,

(18) जनलेखा समिति, 1991-92 के 62वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 33 वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा, सभापति, प्राक्कलन समिति "ख', 1994-95 एक प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह आप प्रतिवेदन ही पेश करते रहेंगे क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी सिफारिश होगी तो कार्य चल जाएगा।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारी तो सिफारिश आपके लिए है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं तो नहीं चलेगा, यही कार्य करते रहेंगे।

प्राक्कलन समिति "ख" 1994-95 का पांचवा प्रतिवेदन

श्रीमती उजला अरोड़ा (सभापति, प्राक्कलन समिति "ख") : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "ख" 1985-86 के पांचवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का पंचम प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल गरासिया, सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1994-95 के एक प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

(अनुपस्थित)

विधायी कार्य। पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री अनंग कुमार जैन, प्रभारी मंत्री राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 1995 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 1995

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कराधान अधिकरण विधयेक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

रोड़ला ग्राम में अतिक्रमण एवं फसलों की चोरी

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अंतर्गत श्री भगराज चौधरी, सदस्य, विधान सभा जालौर ज़िले की आहोर तहसील के ग्राम रोड़ला में जवाई कमाण्ड क्षेत्र में स्थित सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिग्राहित भूमि पर खड़ी एवं कटी हुई फसल को अतिक्रमणकारियों से बचाने हेतु माकूल पुलिस व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। माननीय राजस्व मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बोलूं। मैं ध्यान तो आकर्षित कर दूं, अध्यक्ष महोदय।

जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्राम रोड़ला में जवाई कमाण्ड क्षेत्र में स्थित 1600 बीघा नहरी भूमि जिसे सीलिंग कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण कर कब्जा ले लिया गया था और उसके पश्चात् राज्य सरकार के हक के पश्चात् उस भूमि को नियमानुसार अलाटमेंट करने के लिए अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग दिनांक 18.10.94 को रखी गयी थी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सार्वजनिक निर्माण मंत्री, आप ध्यान आकर्षित कर दो। आप बाद में अपनी बात कह देना।

श्री भगराज चौधरी : और अलाटमेंट करने की मीटिंग रखी गयी थी....

श्री अध्यक्ष : आप केवल ध्यान आकर्षित कर दीजिये। मंत्री जी जवाब दे देंगे। फिर आप पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : मैं यही पढ़ रहा हूं। मैं प्रस्ताव पढ़ रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : एक लाइन में बोल दो, मैं ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भगराज चौधरी : अलाटमेंट मीटिंग रखने के बाद में जिन व्यक्तियों से भूमि छुड़ाई गयी थी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप केवल ध्यान आकर्षित कर दीजिये, वे जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : उन्हीं व्यक्तियों द्वारा (व्यवधान) मैं बोलूंगा नहीं। मैं बोल नहीं रहा हूं। उन्हीं व्यक्तियों द्वारा (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भगराज चौधरी : देखिये, इसमें जो तथ्य उल्लिखित हैं, उनका थोड़ा वर्णन तो करुं वरना क्या मालूम पड़ेगा आपको (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बाद में कर लेना।

श्री सुजान सिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : बाद में।

श्री भगराज चौधरी : हां तो ठीक है फिर। 1600 बीघा भूमि जिसके ऊपर अतिक्रमियों ने दुबारा कब्ज़ा कर अपनी फसल बो दी थी, उस फसल की रक्षा के लिए किसी प्रकार से....

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्य, मेरे उत्तर के बाद में आप बोल लेना।

श्री भगराज चौधरी : जिला प्रशासन द्वारा कोई इंतजाम नहीं किये जाने के कारण से अतिक्रमी वहां से फसल उठाकर चले गये हैं और बाकी बची फसल को भी उठाकर ले जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आवश्यक इंतजाम करने के बारे में सरकार की ओर से मंतव्य जारी किया जाय।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :—

इस प्रकरण में सीलिंग कानून के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के आदेश हुए जिसके खिलाफ राजस्व मण्डल में अपील होने पर अपील खारिज कर दी गई। राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना में दिनांक 5.8.94 को 1552 बीघा 8 बिस्वा भूमि का कब्जा कृषि सम्बन्धित गिरदावर एवं पटवारियों ने ले लिया। भूमि आबंटन के लिए 18.10.94 को तिथि निर्धारित की गयी परन्तु उसके पूर्व 15.10.94 को उपखण्ड अधिकारी, जालौर का पदोन्नति पर स्थानान्तरण हो गया इसलिए आबंटन की कार्यवाही दिनांक 17.10.94 को स्थगित करनी पड़ी। जिन व्यक्तियों से भूमि अधिग्रहीत की गयी थी, उन्होंने अतिक्रमण कर इस भूमि पर फसल बोयी उनके खिलाफ बेदखली के आदेश दिये गये, जुर्माना किया गया और खड़ी फसल को जब्त करने के आदेश दिनांक 6.2.95 को दिये। फसल की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने तहसीलदार, आहोर और थानाधिकारी, आहोर को निर्देश जारी कर दिये। तहसीलदार ने दिनांक 21 मार्च, 1995 को पत्र द्वारा जिला कलक्टर को सूचित किया कि रायड़ा की फसल अतिक्रमी काटकर ले गये एवं फसल की सुरक्षा राजस्व कर्मचारी कर रहे हैं। पुलिस विभाग को अतिक्रमी द्वारा ले जायी गयी फसल बरामद कर कब्जे में लेने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश जिला कलक्टर ने दिये। गेहूं एवं चने की फसल की तहसील स्टाफ एवं पुलिस स्टाफ ने सुरक्षा की जिसके कारण इस फसल को अतिक्रमी ले जाने में सफल नहीं हो सके। इस खड़ी फसल को तहसीलदार आहोर ने नीलाम कर दिया है। तहसीलदार आहोर द्वारा शिथिलता के कारण जिला कलक्टर द्वारा उनके खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। ले जायी गयी फसल के बारे में पुलिस कार्यवाही जारी है।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जो जवाब दिया है, वह तथ्यों से बहुत परे है। दरअसल में यह बहुत बड़ा घोटाला राज्य कोष को हानि पहुंचाने के बारे में, करीब 30-32 लाख की फसल खड़ी थी। जिला प्रशासन द्वारा समय के अंदर किसी प्रकार से फसल की रखवाली हेतु पुलिस मौके पर नहीं लगायी जाने के कारण से और माकूल व्यवस्था नहीं

(श्री भगराज चौधरी)

की जाने के कारण अतिक्रमी फसल उठाकर ले गये और अब लीपापोती की जाकर, इस समस्या पर पानी फेरकर जवाब दिया जा रहा है।

दरअसल में 1600 बीघा भूमि जो भूतपूर्व भूमिधारियों से राज्य सरकार ने सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहण की। अधिग्रहण करने के पश्चात् कब्जा लिया और कब्जा लेने के पश्चात् दिनांक 18.10.94 को अलाटमेंट करने के लिए तारीख मुकर्रर हुई। मगर जिन व्यक्तियों से भूमि छुड़ाई गयी थी, चूंकि वे भूतपूर्व जागीदार थे, काफी प्रभावशाली थे, उन्होंने कलक्टर पर दबाव डाला और दबाव डालकर अलाटमेंट कमेटी को निरस्त करा दिया और निरस्त करवाने के बाद में चूंकि उसी समय अक्टूबर में जवाई नहर से पानी छोड़ा जाना था तो उन्होंने पानी ले लिया और फसलें बो दीं। फसल बोने के बाद में हर दूसरी, तीसरी बार बराबर पानी दिया गया और इस प्रकार से फसल बोकर के काटने की स्थिति तक भी किसी प्रकार से उनको रोका नहीं गया। जब फसल पक गयी तो तहसीलदार ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की, फसलें कुर्क कीं और जब्त कीं और साथ में उस भूमि से बेदखल करने के बारे में आदेश पारित किये। मगर जिला प्रशासन नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से तहसीलदार उन भूमिधारियों के खिलाफ में, उन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें और फसल को उनको ले जाने से रोकें। इस कारण से तहसीलदार द्वारा बराबर लम्बे समय तक मांग की जाती रही कि करीबन 1600 बीघा नहरी भूमि में जो फसलें खड़ी हैं, करीब 30-32 लाख की फसल है और वे अतिक्रमी उस फसल को हटाने में अगर कामयाब हो गये तो सरकार को बड़ा नुकसान होगा। उनके पास में केवल पटवारी है, गिरदावर है और सवार है। उनके भरोसे फसल की रखवाली हो नहीं सकती इसलिए पुलिस की इमदाद की जाए मगर जिला प्रशासन के + + + और बराबर दो महीने तक + + + तहसीलदार चिल्लाते रहे मगर किसी ने इमदाद नहीं दी। आखिर में नतीजा यह हुआ कि 30-32 लाख रुपये की फसलों में से रायड़े की करीब 20 लाख रुपये की फसल तो अतिक्रमी वहां मौके पर से हटाने में कामयाब हो गये और चने और गेहूं की फसल की कटाई चूंकि बहुत बाद में हुई है इसलिए गेहूं की खड़ी फसल तो काटी जा रही है और चने की फसल काट दी गई है, उनमें से भी काफी फसलें उठाकर चले गये। इसके बीच में जब तहसीलदार द्वारा बराबर मांग की जाने पर भी जिला प्रशासन द्वारा पुलिस को मौके पर लगाने के लिए किसी प्रकार का बंदोबस्त नहीं किया गया तो उन्होंने तहसील से अपने चार सवार भेज दिए जो चपरासी होते हैं और फसल ले जाने के बारे में मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज करने के पश्चात् भी जिला प्रशासन की अतिक्रमी से मिलीभगत होने के कारण और अतिक्रमी बहुत प्रभावशाली होने के कारण से पुलिस ने भी किसी प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी कीमत की फसलों को मौके पर से हटाने के बाद भी न तो चोरी का मुकदमा दर्ज किया और अगर मुकदमा दर्ज

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भगराज चौधरी)

किया है तो मौके पर उनको नहीं रोका, न फसल को बरामद किया है। ऐसी स्थिति के अन्दर मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि, जहां मुख्य मंत्री जी कई बार यह कहते हैं कि हमारा प्रशासन बहुत चुस्त और दुरस्त है और राजकोष को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचायी जायेगी आरै कानून की पूरी पालना की जायेगी। मैं समझता हूं, इस मामले में जिला प्रशासन ने कानून की मखौल की है और राज कोष को 30-32 लाख रुपये की हानि पहुंचायी है अतिक्रमियों से मिलीभगत होने के कारण से। इसलिए मैं चाहूंगा कि कम से कम इस मामले में किसी भी उच्चाधिकारी से जांच करवाई जाय कि जिला प्रशासन दोषी है या नीचे के स्तर के रेवेन्यू अधिकारी दोषी हैं, नम्बर एक।

नम्बर दो, जो फसल मौके पर से उठाकर ले गये हैं और जिनके बारे में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है, उसमें किसी बड़े पुलिस अधिकारी के द्वारा जांच करायी जाए, फसलों को बरामद करवाया जाय जिससे सरकार के कब्जे में फसल आ सके।

नम्बर तीन, मौके पर जो फसलें अब भी पड़ी हैं और जिन्हें अतिक्रमी ले जाने में कामयाब नही हुए हैं, उन फसलों की रखवाली के लिए कम से कम 15-20 आदमी तुरन्त पुलिस दस्ते के रूप में लगाया जाय जिससे उस फसल की सुरक्षा की जा सके, फसल की हिफाजत की जा सके। केवल गिरदावर के भरोसे और पटवारी के भरोसे 1600 बीघा भूमि के अन्दर खड़ी फसल की रखवाली नहीं हो सकती है। इसलिए मैं इसमें चाहूंगा कि जैसी तहसीलदार ने मांग की है, पुलिस की इमदाद करवाई जाय और पुलिस मौके पर बिठाई जाय जिससे कि अतिक्रमी बाकी बची हुई फसलों को ले जाने में कामयाब नहीं हो सकें। इस प्रकार की व्यवस्था मैं चाहूंगा।

मैं चाहूंगा इस बारे में अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री स्वयं इस समय बिराजे हुए हैं और चूंकि काफी गम्भीर मामला है और कोई संतोषजनक जवाब देंगे जिससे कि तुरन्त कार्यवाही हो सके और सरकार को जो होने वाली हानि है, उससे भी रोका जा सके। जिन अधिकारियों की गलती के कारण से, जिन अधिकारियों की ढिलाई के कारण से, जिन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण से अतिक्रमी मौके पर से बोई हुई फसल को उठाकर ले जाने में कामयाब हो गये और सरकार को करीब 30-32 लाख रुपये का नुकसान हो गया है, इसके बारे में कोई समुचित शीघ्र कार्यवाही की जा सके, इस बारे में सरकार के द्वारा आश्वासन चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें मोटे रूप से तीन प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाये हैं। आबंटन स्थगित करने की बात है, नीलामी और पुलिस की इमदाद समय पर नहीं ली जा सकी। 17.10.94 को अलाटमेंट हेतु कमेटी की बैठक निर्धारित की गयी थी लेकिन एस.डी.ओ. का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उसको स्थगित करना पड़ा। उनका प्रमोशन हो

(श्री गंगाराम चौधरी)

गया था, वे जा रहे थे। उसके बाद नगरपालिका के चुनाव, फिर उसके बाद पंचायतों के, पंचायत समितियों के, जिला परिषद के चुनाव लगातार चलते रहे, इस कारण आबंटन फिर समय पर नहीं हो सका। तहसीलदार ने धारा 91 के तहत जमीन सिवाय चक हो ही गयी थी,अपनी कार्यवाही कर, मैंने पहले ही बता दिया कि तहसीलदार ने अपना निर्णय फरवरी की 6 तारीख को दे दिया था और उसके बाद एक रिव्यू एप्लीकेशन भी उन्होंने पेश कर दी। रिव्यू एप्लीकेशन के विचार के दौरान ही तहसीलदार ने जिला प्रशासन को निवदेन किया था कि फसल ले जायी जाने का अंदेशा है इसलिए मुझे इमदाद दी जाये। जिस पर एसडीओ. ने फरवरी 23 को और उसके बाद मार्च को पुलिस के एस.पी. और संबंधित थानाधिकारी को निर्देश दिये थे कि तहसीलदार द्वारा पुलिस इमदाद मांगी जाने पर उन्हें इमदाद दे दी जाये। लेकिन अतिक्रमी बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत ज्यादा तादाद में थे। वे कुछ फसल उठाकर ले गये जिसके बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे,अफसर भी पहुंचे और बाकी बची हुई फसल को उन्होंने नीलाम कर दिया। 212 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल है भूमि का, उसमें से करीब 137 हैक्टेयर पर खड़ी फसल को तो नीलाम कर दिया लेकिन बाकी जो 75 हैक्टेयर की फसल को वह उठाकर ले गये थे जिस पर तहसीलदार ने समय पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस संबंध में कुल 7 मुकदमें धारा 379 और 447 आई.पी.सी. के तहत थाना आहोर में दर्ज हैं और मुलजिमान के खिलाफ बरामदगी की कार्यवाही जारी है।

अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन कर दूं, मुलजिमान ने इसी बीच डिस्ट्रिक्ट जज के पास एक अग्रिम जमानत की दरख्वास्त पेश की और उन मुलजिमान की अग्रिम जमानत ले लिये जाने के कारण रिकवरी में थोड़ी सी कठिनाई अवश्य उत्पन्न हुई है लेकिन अब फसल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर दिया। पुलिस की इमदाद भी ले ली, एस. डी. ओ. खुद मौके पर गये, डीवाई. एस. पी. को लेकर गये और जो फसल हमसे नीलाम की उसके रुपये 89741 आ गये, बाकी फसल की बरामदगी का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। यह जरूर है कि थोड़ी-सी इसमें समय पर पुलिस इमदाद तहसीलदार द्वारा नहीं ली जा सकी इसलिए कलक्टर और अन्य के खिलाफ में, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है और इसकी इन्क्वायरी की जा रही है। माकूल कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की गयी है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती गयी है।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है मैं थोड़ा इस सम्बन्ध में सदन को सही जानकारी देना चाहूंगा। जो जवाब दिया गया है वह सत्य नहीं है, सच्चाई से काफी परे है, सच्चाई से बिलकुल हट कर जवाब दिया है। इसमें सच्चाई यह है कि 1600 बीघा भूमि सीलिंग कानून के अंतर्गत अधिग्रहीत कर आबंटन करने के

(श्री भगराम चौधरी)

लिए अक्टूबर महीने की 10 तारीख मुकर्रर की गयी मगर जिला प्रशासन नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से अलाटमेंट हो। जिला प्रशासन चाहता था कि भूमिधारी जिनमें भूमि छुड़ायी गयी है, दुबारा भूमि पर कब्जा बराबर बनाये रखे और उन्हें यह भी मालूम था कि चूंकि जवाई बांध के कमाण्ड क्षेत्र में भूमि स्थित है इसलिए इस बार बंधे में भरपूर पानी आने के कारण से भरपूर फसल इसमें लेने का उनको मौका मिलेगा इसीलिए नही चाहते थे कि भूमि का आबंटन किया जाये। भूमि आबंटन 17.10.94 को ही, एक दिन पहले कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया गया और निरस्त करने का जो कारण बताया गया है कि एसडीओ. का तबादला हो गया था। एसडीओ. का तबादला आदेश आने के बाद करीब डेढ़ महीने तक एसडीओ. वहां पर पदस्थापित रखा गया था, यानि डेढ़ महीने तक बराबर एसडीओ. वहां पर काम करता गया भूमि का अलाटमेंट कैंसिल करने के बाद में और इसलिए यह कहा जाना कि एसडीओ. का तबादला हो गया था इसलिए भूमि का आबंटन नहीं किया गया, मैं समझता हूं बिलकुल सच्चाई को छिपाने वाली बात है। दरअसल जिला प्रशासन चाहता था कि किसी प्रकार से भूमिधारी, जिनसे भूमि छुड़ायी गयी है, भूमि पर काबिज रहे और फसल बराबर लेता रहे और सरकार को नुकसान पहुंचाने की बदनीयती से और उनको फायदा पहुंचाने की नीयत से ऐसा कार्य किया गया है। खैर, जो भी जैसी बात थी यह सारा किया गया। जिला प्रशासन, आप समझते हो कौन होता है, तहसीलदार से ऊपर कौन होता है, कौन कन्ट्रोल करता है, आप खुद जानते हो। एसडीओ. आता है, कलक्टर आता है और इस प्रकार से जब अलाटमेंट नहीं किया गया, इधर पानी बंधे का छोड़ा, भूमिधारियों ने कब्जा कर लिया, कब्जा करके फसलें बो दीं। फसल बोने के बाद ज्यों ही तहसीलदार को खबर मिली कि उन्होंने फिर कब्जा कर लिया, फसलें बो दी हैं, एक बार पानी ले लिया, दो बार पानी ले लिया, तीन बार पानी ले लिया, फसल पक कर तैयार हुई, चूंकि उसके पहले ही उन्होंने मुकदमा 91 के तहत दर्ज कर लिया था इसलिए 6.2.95 को 91 की धारा के तहत दर्ज किये हुए मुकदमे का फैसला कर दिया और फैसला करने के कारण भूमि का जुर्माना कर दिया और अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया और फिर जो सारी फसल मौके पर इकट्ठी की हुई थी, काटी हुई थी, खड़ी हुई थी, उसको उन्होंने फोरफिट कर लिया। यानि फोरफिट आर्डर करने के पश्चात् सारी फसलें सरकार की सम्पत्ति हो गयी थीं। मगर उसके बावजूद भी भूमिधारी, जो प्रभावशाली थे, वे सारी की सारी फसल उठाकर लेकर चले गये। ज्यों ही तहसीलदार को खबर मिली कि फसल भूमिधारी उठाकर लेकर चले जा रहे हैं, अतिक्रमी उठाकर लेकर जा रहे हैं, उन्होंने बराबर दो-तीन चिट्ठियां कलक्टर को दी, एसडीओ. को दी और मांग की कि चूंकि मेरे पटवारी के भरोसे, गिरदावर के भरोसे और दो-तीन चपरासियों के भरोसे में 1600 बीघा भूमि में खड़ी, इतने बड़े क्षेत्रफल पर खड़ी 30-32 लाख की फसलों की रखवाली मैं कर नहीं सकता, आप मुझे पुलिस की इमदाद

(श्री भगराज चौधरी)

दीजिये। अतिक्रमी बहुत प्रभावशाली आदमी हैं और चूंकि यह मामला सरकार और अतिक्रमियों के बीच का मामला है इसलिए गांव में लोग का-आपरेट नहीं कर रहे हैं। आप पुलिस की इमदाद दीजिये मगर फिर भी कलक्टर ने, जिला प्रशासन ने डेढ़ महीने तक किसी प्रकार की पुलिस की इमदाद नहीं दी। जब मेरे द्वारा यहां पर तारीख 30 अथवा 31 को इस मामले के अन्दर सरकार को नुकसान पहुँचाने की बदनीयत से की गयी सारी कार्यवाही के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया और इस पर जब नोटिस गये तब शायद मेरे ख्याल से कलक्टर ने, जिला प्रशासन ने किसी प्रकार से जबानी तहसीलदार से बात की होगी, वह बात दूसरी है मगर अभी तक मौके पर पुलिस को नहीं लगाया है और जो फसल ले गये वह तो ले गये, पुलिस भी उनको बरामद करने की कार्यवाही नहीं कर रही है और जो मौके पर फसलें खड़ी हैं उसकी रखवाली के लिए जब तक पुलिस का बंदोबस्त नहीं किया जायेगा, किसी प्रकार से पटवारी के भरोसे फसल की रखवाली हो नहीं सकती और इसमें साफ तौर पर भूमिधारियों को फायदा पहुंचाने की गरज से कार्यवाही की गयी है, जिला प्रशासन ने सुस्ती और ढिलाई दिखाई है और जानबूझकर मिलीभगत भी दिखायी है। अब मैं चाहूंगा भैरोंसिंह जी साहब, आपकी सरकार भ्रष्टाचार को खतम करने और प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने का जो दम भरती है, आप इसमें क्या कार्यवाही करते हैं, हम तो आपका इम्तिहान लेना चाहते हैं, आपकी हम परीक्षा लेना चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह टेस्ट केस है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भगराज चौधरी : यह टेस्ट केस है आपके लिए, 30-32 लाख का सरकार को नुकसान हुआ है, इसमें आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। इसमें मुझे हैरानी इस बात की होती है कि जवाब जो आया है उसमें यह दिया गया है कि चूंकि तहसीलदार ने ढिलाई की इस मामले में, इसलिए तहसीलदार के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जा रही है, यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो रही है। ढिलाई तो की जिला प्रशासन ने, तहसीलदार रोता गया, बार-बार कहता गया, ध्यान दिलाता गया, पटवारी भेज दिया, सवार भेज दिया, सब कुछ कर दिया, इतने बड़े पैमाने पर फसल होने के कारण से खुद इंतजाम कर नहीं सका, पुलिस की इमदाद मांगी, पुलिस की इमदाद दी नहीं और जब हम सरकार के ध्यान में सारी चीज लाये हैं तो जिला प्रशासन अपनी खाल बचाने के लिए यह कह रहा है कि तहसीलदार ने गलती कर दी, ढिलाई कर दी और इस कारण फसलें उठा कर लेकर चले गये, फलां हुआ, वह हुआ, इसलिए हम कार्यवाही कर रहे हैं, मैं समझता हूं सच्चाई पर पर्दा डालने वाली बात है। मैं समझता हूं कि उलटे कोतवाल को चोर डाटने वाली बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि इसके बारे में जो भी स्थिति है, सरकार क्या करने जा रही है उसके बारे में थोड़ा हमें संतोष

(श्री भगराज चौधरी)

दिलावें जिससे कि अलबत्ता हम जनता के सामने जाकर कह सकें कि चूंकि इस प्रकार का मामला था तो चुस्ती से, दुरुस्ती से सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं जो आपके सामने हैं, अब आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी थी, जिला कलक्टर स्वयं.....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपने स्थिति बहुत अच्छी स्पष्ट की है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन आपके उत्तर से यह जाहिर होता है, कि तहसीलदार ने तो समय पर अच्छी कार्यवाही की है, नियमानुसार की है, प्रोम्प्टली की है लेकिन जिला प्रशासन में कलक्टर लेवल के ऊपर इसमें विलम्ब हुआ है और यह आपने भी माना है कि चुनावों की वजह से और किन्हीं वजह से जिला प्रशासन प्रोम्प्टली कार्यवाही नहीं कर सका है। यह तो आपके कथन से ही प्रमाणित होता है। इसमें स्पीकर महोदय, मालूम यह पड़ता है कि जो भूमिधारी है, जिस जागीरदार से भूमि ली गयी है उसने इस पर वापस कब्जा करके फसल बोयी है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि 30-32 लाख रुपये की यह फसल है और उसको उठाकर ले गये और समय पर जिला कलक्टर ने उसकी कार्यवाही नहीं की तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन, जिसमें जिले के कलक्टर और दूसरे अधिकारी इसके अंदर शामिल हैं, उनकी जागीरदार के साथ सांठ-गांठ थी, जो अतिक्रमी थे उनके खिलाफ समय पर उन्होंने एक्शन लिया नहीं.....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : तो और कौन हैं, साहब यह, जिन्होंने अतिक्रमण किया, जिनसे जमीन ले ली है उसने ही किया है, तीसरी पार्टी तो कोई है नहीं तो निश्चित रूप से जिले के कलक्टर और वह जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया और फसल बोयी उनकी निश्चित रूप से सांठ-गांठ है। 32 लाख की फसल है और तहसीलदार रो रहा है और आपने स्वयं ने यह माना है और यहां कहा कि चुनावों की वजह से हम कार्यवाही नहीं कर सके तो यह तो ठीक है। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो रही है। अब तहसीलदार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कटघरे में खड़ा तो होना चाहिए, जिले का कलक्टर और कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तहसीलदार को। इसमें फौरन कार्यवाही की जानी चाहिए थी। फसल को बरामद किया जाना चाहिए था। आज ही बरामदगी हो सकती है। चोरी का मुकदमा आपने दर्ज करा रखा है अच्छी कार्यवाही हुई है। टाइम पर हुई या नहीं यह मैं नही कह सकता लेकिन वह कार्यवाही हुई, वह फसल बरामद होनी चाहिए, अग्रिम जमानत हो गयी तो बरामदगी तो आप कर ही सकते हैं। बरामदी करिये और उनका चालान पेश करिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवदेन किया था कि चुनाव और इसके कारण तो आबंटन की कार्यवाही आगे सरकी थी। इसके अलावा कलक्टर ने समय-समय पर हिदायत दी है और पुलिस की इमदाद या तो कम्युनिकेशन गैप तहसीलदार और पुलिस के बीच में कुछ रहा है। पुलिस की इमदाद समय

(श्री गंगाराम चौधरी)

पर नहीं मिलने से कुछ फसल चली गयी लेकिन अब बरामदगी की पूरी कोशिश की जा रही है, एस.डी.ओ. और कलक्टर दोनों कर रहे हैं फिर भी मैं जिला कलक्टर को निर्देश जारी कर दूंगा कि इस सम्बन्ध में फसल की बरामदगी की जल्दी से जल्दी कोशिश करें और आगे जो भूमि का आबंटन है उसका कार्यक्रम आरम्भ कर दें।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि सरकार इस सारे मामले की जांच कराने को तैयार है या नहीं? इसमें कौन दौषी है? जिला प्रशासन के अधिकारी हैं या और हैं?

श्री गंगाराम चौधरी : जांच कलक्टर खुद ही कर रहे हैं।

श्री भगराज चौधरी : आप उच्च स्तर के किसी अधिकारी से जांच कराइये, ताकि मालूम हो जाये कि उसमें कौन दोषी हैं?

श्री अध्यक्ष : जांच चल रही है, बिराजें। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम......

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात कह दी है कि जांच चल रही है।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, I would not allow this matter to pass so easily in such a surpassing way. आप इस बात को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। जिला कलक्टर ने जिला प्रशासन द्वारा डेढ़ महीने तक तहसीलदार के द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बावजूद भी किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की और अब आप कह रहे है कलक्टर जांच कर रहा है। कलक्टर क्या जांच कर रहा है? कलक्टर खुद ही सही नहीं है। आप जयपुर के किसी उच्च-अधिकारी से जांच कराइये।

श्री रामनारायण चौधरी : वहां का रेवेन्यू लॉस होगा तो......

श्री बनवारी लाल बैरवा : केस दर्ज हो गया तो उसमें एस.पी. से जांच करा लीजिये। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है। इस मामले को आप बहुत आसानी से ले रहे हैं। इस प्रकार के सैंकड़ों घोटाले हो रहे हैं क्योंकि सरकार इस प्रकार के गंभीर घोटालों के बारे में किसी प्रकार की सख्ती से कार्यवाही नहीं करती है। खास तौर से छोटे अधिकारियों के खिलाफ तो कार्यवाही कर लेते हैं मगर जब बड़े अधिकारी स्वयं इनमें इन्वाल्व होते हैं तो आप कार्यवाही नहीं करते हैं। अगर बड़े अधिकारी इनमें इन्वाल्व हैं तो आप जयपुर लेवल के किसी बड़े अधिकारी से जांच कराने को तैयार हैं या नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भगराज चौधरी : मुख्य मंत्री महोदय बिराजे हुए हैं, शायद सम्भवतः मेरे ख्याल से रेवेन्यू मंत्रीजी संकोच कर रहे होंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, कम से कम कमिश्नर लेवल के अधिकारी से जांच करवाइये।

श्री जगदीप धनखड़ : जांच करवायेंगे और पटवारी दोषी हो जाएगा, कलक्टर बच जाएगा। कम से कम एक जांच.....

श्री परसादी लाल मीणा : कलक्टर खुद ही उस मामले में कोई निष्पक्ष रहेगा क्या और आप कलक्टर से जांच करवा रहे हैं?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार जांच से क्यों बचना चाहती है? सरकार पूरा का पूरा मामला कलक्टर स्तर से ही क्यों निपटाना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब के लिए इतने लम्बे चौड़े विचार-विमर्श की आवश्यकता है?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी पूरा जवाब दे रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप इस मामले की जांच जयपुर के किसी भी अधिकारी से करवा लीजिये। अतिक्रमी प्रभावशाली आदमी है। 30 लाख रुपये का इन्वाल्वमेंट है, कोई हजार-दो हजार की फसल है?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं पर आप.....

श्री परसादी लाल मीणा : हां तो कहें, मंत्री जी बैठे रहें। अगर कमिश्नर से जांच कराने की कहें......

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला कोई फसल..

श्री भगराज चौधरी : अगर माननीय मंत्री जी कुछ पाइंट्स के बारे में सदस्यों को जवाब दें तो अच्छी बात है वरना मुख्य मंत्री जी स्वयं बिराजे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : जांच के लिए वह कह रहे हैं कि भाई, जांच कर रहे हैं कलक्टर।

श्री बनवारी लाल बैरवा : वह जांच के लिए कह रहे हैं, बढ़िया है। मालूम तो हो गया सच्चाई का।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा इस मामले में निवेदन यह है कि यह कोई मामला, फसल उठाकर ले गये और चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया, यहां तक सीमित नहीं है। जिन व्यक्तियों से जमीन ली गयी थी उन लोगों ने शुरू में फसल बोना शुरू किया, उसमें पानी दिया है तो किस अधिकारी ने पानी कैसे दिया। सिंचाई उसकी की गयी है, बंधे से सिंचाई की गयी है। वह भी एक मामला इसमें इन्वाल्व है। उसके बाद में जब तहसीलदार ने बार-बार यह कहा और क्लक्टर ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की तो माननीय मंत्री जी कहते है क्लक्टर साहब खुद जांच कर रहे है तो यहां तो कलक्टर दोषी है तो क्लक्टर पार्टी है इसमें और कलक्टर उन लोगों से मिलकर या कैसे भी किया हो चाहे आपके लैप्सेज हैं। लेकिन इस मामले में कलक्टर निश्चित रूप से दोषी है। जिन लोगों ने बंधे का पानी दिया है वह लोग निश्चित रूप से दोषी है। इसलिए इस मामले में जांच कलक्टर के ऊपर के लेवल के किसी अधिकारी से करवानी चाहिए। रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर कर सकता है। जहां क्लक्टर एक आई.ए.एस. आफिसर इस मामले में इन्वाल्व हैं और निश्चित रूप से इन्वाल्व हैं उसके लेप्सेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बदनीयती हो सकती है इसलिए इस मामले की जांच किसी भी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर से करवायी जाये।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप कह चुके हैं इस बारे में।

श्री भगराज चौधरी : दिनांक 6.2.95 को इस फसल को फोरफिट किया गया। उसके पश्चात् जब अतिक्रमणकारियों द्वारा फसल मौके पर हटाये जानी लगी तो 21.2.95 को तहसीलदार ने कलक्टर को सूचित कर दिया कि मेरे द्वारा जब्त की हुई फसल और अपनी फोरफिट की हुई फसल अतिक्रमणकारी उठाकर ले जा रहे हैं और मैं इसकी रक्षा नही कर पाऊंगा, मेरे पास खाली सवार है, पटवारी है और गिरदावर है। कलक्टर ने कुछ नहीं किया, जिला प्रशासन ने कुछ नहीं किया। जब उसने देखा कि कलक्टर सुनवाई नही कर रहा है तब तारीख 1.3.95 को फिर टेलीग्राम दिया कि मुझे सूचना मिली है कि पटवारी द्वारा आर.आई.द्वारा मौके पर मैंने तैनात किये हैं कि अतिक्रमणकारी मौके पर से बड़े पैमाने पर संख्या में आकर फसल उठाकर ले जा रहे हैं और लाखों रुपयों की फसल है, सरकार को नुकसान हो रहा है। फिर भी कलक्टर ने जिला प्रशासन ने उसके बारे में कुछ भी ध्यान नही दिया और एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, मुझे यहां तक जानकारी मिली है कि 91 की कार्यवाही के तहत फसल को जब्त करने का जो आदेश दिया गया था उस आदेश को रिव्यू करने के लिए, उस आदेश को बदलने के लिए भी जिला प्रशासन द्वारा तहसीलदार पर दबाव डाला गया मगर मैं तहसीलदार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिला प्रशासन द्वारा दबाव देने के बाद भी 91 की कार्यवाही के अन्दर फाइनल आर्डर दिया था फसल को फोरफिट करने के बारे में, उस आदेश को नहीं बदला और बराबर अपने आदेश पर अड़ा रहा कि मुझे रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, हो गया आपका।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मामला चोरी का बन गया है। इस बारे में तहसीलदार ने क्लियर बात कह दी कि हमारी फोरफिट की हुई भूमि पर से ले गये। चोरी का मामला है वह माल बरामद करना चाहिए। मुल्जिमान गिरफ्तार होने चाहिए, सामन्ती व्यवस्थाओं के खिलाफ काम होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं, आप बोलने तो दीजिये। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) बैठें आपका हो गया।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसें तो मैंने सारी जानकारी दे दी थी। अब तक मुझे जो जानकारी मिली उस हिसाब से मुझे जिला प्रशासन की विशेष त्रुटि नजर नहीं आ रही है फिर भी सदन की भावना को देखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर के संभागीय आयुक्त से इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : चलिये, बिराजिये।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री कालूलाल गुर्जर......

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्रियों को इस तरह से जकड़ रखा है कि आपके इशारे के बगैर कुछ बोल नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई इशारे की जरूरत नहीं थी।

श्री रामनारायण चौधरी : और बिना इशारे कोई लिख नहीं सकते। अब इतने एल्डरली मैम्बर हैं। आप और नहीं तो इनकी उम्र का ही लिहाज रखो कि भाई, आप करो मर्जी आवे जो कानून से कुछ भी कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक मिनट बैठो।

श्री भगराज चौधरी : इस प्रकार के गम्भीर मामले के अन्दर भी आपसे बार-बार पूछना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप बैठें। पूछना पड़ता है अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं है। आपस में एक दूसरे से पूछकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप पूछकर कार्य नहीं करते ?

श्री भगराज चौधरी : यह प्रथम दृष्ट्या धांधलेबाजी का मामला है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखो, आपकी बात तो हो गयी न। आपकी परेशानी तो मिटी।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो एक इनसे निवेदन कर रहा था कि मैं ऐसा समझता हूं माननीय मंत्री महोदय ने तो कमिश्नर से जांच करवाने की बात कह दी लेकिन आप लोगों को तो इस विषय की जानकारी ही नहीं थी। हां, वह बताया न, तो जो उन्होंने बात कही उसी को आप रिपीट करते रहे।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने ही तो उठाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामले में यदि कोई कॉ-आपरेट करना चाहे तथा थोड़ा अध्ययन हो जाए तो ठीक है। अब 32 लाख रुपये की वह बता दो फसल, कितने बीघा में होनी चाहिए ?

श्री भगराज चौधरी : 16 बीघा में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 16 बीघा तो सारी ही होगी शायद। 16 बीघा में गेहूं की भी खेती हुई होगी।

श्री भगराज चौधरी : 16 बीघा में रायड़ा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप तो रायड़ा की फसल बता रहे हैं कि काटकर ले गये। मैं तो इतना बता दूं कि उस जमीन में 32 लाख रुपये का रायड़ा हो सकता है क्या ?

श्री भगराज चौधरी : हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैसे हो सकता है, बताओ ना। अब आप इस पर सोच लेना और हिसाब लगा लेना।

श्री रामनारायण चौधरी : 1600 बीघा के अन्दर हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : जांच का आश्वासन दे दिया है, बिराजें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फसल का मामला है धनखड़ जी।

श्री जगदीप धनखड़ : फसल का मामला है, आप और मुझे, दोनों को ही नहीं बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री कालूलाल गुर्जर, सदस्य, विधान सभा सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, भीलवाड़ा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की जा रही कथित अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, भीलवाड़ा में अधिकारियों/ कर्मचारियों की अनियमितताएं

श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, भीलवाड़ा के अधिकारियों के द्वारा जो अनियमितताएं की जा रही हैं, उस पर अपना वक्तव्य दें।

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 अन्तर्गत माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया है उसके तथ्य निम्न प्रकार से हैं :—

भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक, लिमिटेड, भीलवाड़ा द्वारा गाड़ी संख्या आरजेई. 714 मिलिट्री डिस्पोजल से वर्ष 1963 में क्रय की गयी थी। इस गाड़ी को पांच लाख किलोमीटर चलने के कारण बैंक द्वारा अपने संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 26.10.87 में नीलाम करने का निर्णय लिया गया। संचालक मण्डल के निर्णय की पालना में नीलामी 20.11.87 को रखी गयी। उस दिन अधिकतम बोली रुपये 22,300 लगी थी। कमेटी ने इस राशि को पर्याप्त नहीं माना अतः नीलामी पुनः करने का निर्णय लिया गया। गाड़ी की नीलामी पुनः दिनांक 11 अप्रेल, 1989 को की गयी थी। उस दिन अधिकतम बोली रुपये 16,300 आयी थी। उस राशि को पर्याप्त नहीं मानते हुए गाड़ी नीलाम नहीं की गयी। बैंक स्तर पर गाड़ी को नीलाम करने के लिए सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमानित लागत एवं गाड़ी को चलाने योग्य न होने बाबत परीक्षण हेतु प्रमाण पत्र लिया गया। सहायक अभियन्ता ने अपने प्रमाण पत्र में गाड़ी की अनुमानित कीमत 10,000 रुपये आंकी है एवं गाड़ी को अनसर्विसेबल माना। प्रमाण पत्र के आधार पर बैंक ने खण्डीय रजिस्ट्रार से निवेदन कर गाड़ी की नीलामी हेतु कार्यवाही करने के लिए लिखा। खण्डीय रजिस्ट्रार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाड़ी संख्या आरजेई. 714 को बेचने हेतु सील्ड टेण्डर मांगे गये। इस सम्बन्ध में दिनांक 20.11.89 की राजस्थान पत्रिका में विज्ञप्ति जारी कर टेण्डर लिये गये। निर्धारित तिथि दिनांक 24.11.89 तक प्राप्त तीन टेण्डर खोले गये। अधिकतम टेण्डर राशि रुपये 16,600 की थी। नीलामी कमेटी ने इस दिन नेगोशिएशन के आधार पर गाड़ी श्री ओमप्रकाश पुरोहित को रुपये 18,001/– में देना तय किया। श्री पुरोहित का तीन में से एक टेण्डर था तथा श्री पुरोहित भीलवाड़ा बैंक के ही अधिकारी हैं। उस नीलामी कार्यवाही की पुष्टि संचालक मण्डल द्वारा नहीं की गयी तथा वर्ष 1991 की आडिट रिपोर्ट में नीलामी की प्रक्रिया तथा राशि पर आपत्ति की

(श्री सुवानसिंह यादव)

गयी जिस पर राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 70 के तहत जांच प्रारम्भ की गयी। खण्डीय संयुक्त रजिस्ट्रार, अजमेर के आदेश क्रमांक न्याय/70-76/24-26, दिनांक 29.9.93 द्वारा सहायक रजिस्ट्रार को जांच अधिकारी लगाया गया। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.10.94 को संयुक्त रजिस्ट्रार, अजमेर को प्रेषित की है। खण्डीय संयुक्त रजिस्ट्रार, अजमेर ने अधिनियम की धारा 70 (6) के तहत, दिनांक 30.3.95 को जांच परिणाम जारी किये हैं जिस पर उक्त धारा की धारा (7) के अन्तर्गत अधिनिर्णय पारित किया जाना शेष है। चूंकि मामला अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन होने के कारण क्वासी ज्युडिशियल है। अतः यह ग्राह्य योग्य नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष [illegible] सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, भीलवाड़ा [illegible] के द्वारा की गयी [illegible] के बारे में मैंने यह ध्यान [illegible] किया था। माननीय मंत्री महोदय ने [illegible] देकर इतिश्री कर ली [illegible] और भी कई हैं जिनको [illegible] गया न उनका कोई जवाब [illegible] बारे में एक जवाब दिया, [illegible] तरह की कार्यवाही होनी [illegible] आपने कोई आश्वासन

[illegible] महोदय, एक जीप जो [illegible] की थी उसकी नीलामी [illegible] के कुछ ही साल पहले [illegible] गया था। हालांकि इस जीप को श्री ओमप्रकाश पुरोहित, जिन्होंने यह जीप छुड़ायी है, जो बैंक के अधिकारी हैं और जो लोग सुपरवाइजर थे और बाद में, मैं यह भी अर्ज करूंगा कि इन्होंने किस तरह से आगे प्रमोशन भी फर्जी लिया ये खुद ही इस जीप को चलाते थे। इनको पता था कि नया इंजन इसमें डाल दिया, जीप अच्छी हो गयी है तो जो जीप अच्छी चल रही थी उसको बिना कारण के नीलामी के लिए रखा गया और नीलामी में सन् 1987 में इसके बाइस हजार कुछ रुपये की बोली आयी थी। तब इन्होंने इसको नहीं छोड़ा। बाद में सोलह हजार रुपये आये और दुबारा इसकी नीलामी नहीं की गयी। एक जीप को अगर नीलाम किया जाता है और उसकी कीमत कम आये तो दुबारा उसकी नीलामी होनी चाहिए थी। इन्होंने नीलामी करने के बजाय उसके टेण्डर मांग लिये आज दिन तक किसी भी जीप की नीलामी के लिए टेण्डर नहीं मांगे जाते हैं। टेण्डर मांगे गये और उसमें तीन आदमियों के टेण्डर आये। जिनमें दो तो बैंक के कर्मचारी हैं ओमप्रकाश और दूसरे रणजीत सिंह। तीसरी यह जो सरला देवी बतायी गयी है, सरला पुरोहित इन ओमप्रकाश के सगे भाई की पत्नी है। इस तरह से मिलीभगत करके, नया इंजन डाला हुआ था बैंक की गाड़ी में, गाड़ी बिलकुल सही थी उसको गलत नीलामी में, चूंकि नीलामी की प्रक्रिया छोड़कर के टेण्डर की प्रक्रिया अपनायी और अपनाकर के अपने नाम छुड़वा लिया 18,000 हजार रुपये में। नेगोशिएशन भी तीनों ही बैंक के कर्मचारियों ने मिलकर कर लिया और अपने नाम पर छुड़ा लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ी किस वढ़िया कंडीशन में थी।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

(13.56)

(श्री समर्थलाल मीणा, सभापति, पदासीन)

इसका उदाहरण इस बात से भी हो जाता है कि इन्होंने 10.12.89 को गाड़ी कब्जे में ली और 14 तारीख को ही दरख्वास्त लगा दी कि मेरी गाड़ी, मैं बैंक में किराये पर चलाना चाहता हूं और वापस बैंक के अन्दर किराये पर ले ली 14 तारीख से उसी गाड़ी को और उसके बाद में कई सालों तक बैंक में चलती रही किराये पर और उसमें कोई खराबी नहीं हुई। उसके पहले जब यह नीलाम हुई उसके दो-तीन महीने के अन्दर करीब 10-15 हजार रुपये का इन्होंने सामान डलवाया जिसके बिल भी मौजूद हैं। अब यह शिकायत हुई और चूंकि इसकी जांच प्रारम्भ होनी थी तो इन महाशय ने गाड़ी की लॉग-बुक गायब कर दी ताकि यह पता नहीं चले कि कब इसमें नया इंजन डाला था और कितने किलोमीटर चली और यह इंजन इतने किलोमीटर चलने के बाद में खराब बताया जा सकता है कि नहीं। इन सब सबूतों को नष्ट करने के लिए इन महाशय ने अपनी लॉग बुक गायब कर दी। इसके अलावा इसमें जो नया सामान डाला उसका कोई प्रमाण नहीं रहे, इसका एक फाल्ट रजिस्टर और चलता है कि जिसमें गाड़ी का जो भी नुकसान होता है, जो भी नया सामान डाला जाता है फाल्ट रजिस्टर में बाकायदा उसका अंकन होता है, वह फाल्ट रजिस्टर भी गायब कर दिया ताकि इसका कोई पता नहीं चले। जब 1990-91 में आडिट वालों ने इसकी जांच की शिकायत के ऊपर तब यह माना गया, आडिट आक्षेप हुए कि यह टोटल कार्यवाही गलत हुई है। नीलामी की प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके बजाय टेण्डर की प्रक्रिया की , वह गलत की गयी और बैंक के कर्मचारियों को इनके रूल्स और रेगुलेशन की धारा 42 के अनुसार बोली लगाने का या नीलामी में टेण्डर लगाने का अधिकार नहीं है। यह भी एक गैर कानूनी कार्यवाही इन्होंने की है। फिर इसके बाद जब जांच हुई 1991 में, इस पर आडिट आक्षेप हुए, उसके बाद में जोइंट रजिस्ट्रार ने सहायक रजिस्ट्रार को 1993 में इसका जांच अधिकारी नियुक्त किया। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि 1991 में आडिट में यह ऑब्जेक्शन आ जायें कि इस जीप के बारे में सारी कार्यवाही गलत हुई, अधिकारियों ने गलती की है, मिलीभगत से सब कुछ हुआ है। उसके बाद भी दो साल तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और 1993 में जोइंट रजिस्ट्रार ने असिसटेंट रजिस्ट्रार को आदेश दिये कि आप जांच करो। 1993 में इन्होंने फिर जांच की और इसके बाद 1994 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट इसलिए दे दी कि मैंने, बीच में जब यह तथ्य मेरे ध्यान में आये तो अक्टूबर, 1994 में माननीय मंत्री जी को एक लैटर लिखा और मैंने उसमे लिखा था कि श्री ओमप्रकाश पुरोहित, प्रबन्धक सहकारिता विभाग, जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा में पद-स्थापित है, के विरुद्ध मुझे काफी शिकायतें मिल रही हैं। मुझे अवगत कराया गया है कि हाल ही में वहां स्थित जीप नम्बर 714 की नीलामी से सम्बन्धित अनियमितताओं के तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। आप इस बारे में पूर्ण पता कर इस जीप के बारे में हुई नीलामी का ब्यौरा मंगाकर अवलोकन करें एवं तदनुसार इनके विरुद्ध

(श्री कालूलाल गुर्जर)

अनुशासनात्मक कार्यवाही कर आदेश पारित

(14.00)

करावें। यह मैंने मंत्री महोदय को लैटर लिखा। अब मंत्री महोदय नें केन्द्रीय विभाग में लैटर के बारे में जांच की होगी। तब तो उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दी। अब जांच रिपोर्ट भी दे दी और बताया यह गया कि 14.10.1994 को सहायक रजिस्ट्रार की जांच रिपोर्ट आ गयी तो 14.10.1994 से लेकर अब छह महीने हो गये, आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और जब मैंने विधान सभा में इसका ध्यानाकर्षण लगाया तब उन्होंने तारीख 30.3.1995 को उसको पहली बार नोटिस दिया कि अब अपने बारे में आपको क्या कहना है, ऐसे आपके खिलाफ यह जांच रिपोर्ट आयी है। मेरा निवेदन करना यह है, सभापति महोदय, कि इस तरह से छह महीने से अगर इस पर इस तरह के आक्षेप आये और जांच में दोषी माने जाते हैं तो छह महीने तक अधिकारी क्या करते रहे। मंत्री महोदय को मैंने यह निवेदन किया था कि उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और सारा का सारा गड़बड़ घोटाला किया है, इसमें मिलीभगत हुई है और सारे अधिकारियों ने मिलकर यह काम किया है।

इसके अलावा, इसी महाशय के बारे में मैं और जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि मंत्री महोदय ने इसके बारे में आगे की सारी बातें अपने तथ्यों में नहीं बतायी हैं। यह सबसे पहले ऋण निरीक्षक के रूप में भर्ती हुए थे और ऋण निरीक्षक का पद प्रबन्धक पद पर प्रमोशन के लिए उपयुक्त नहीं था। इन महाशय ने यहां पर आकर एक उप रजिस्ट्रार, बैंकिंग के यहां से एक फर्जी लैटर लिखवाया। फर्जी लैटर लिखकर यह कहा कि इस पोस्ट को प्रमोशन के लिए प्रबन्धक की पोस्ट के काबिल मान लिया जाये और इनको डी.पी.सी.में ले लिया जाये और इस आधार पर उस फर्जी लैटर के आधार पर डी.पी.सी. में चले गये और ये प्रमोशन लेकर प्रबन्धक के पद पर पहुंच गये और उसके अलावा एक ग्राम सेवा सहकारी समिति है— सुरावास, रायपुर तहसील में, उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ी रकम का गड़बड़ घोटाला किया और इनके खिलाफ 480 और 409, ताजीराते हिन्द के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें बाकायदा सारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होकर मामला सही पाया गया और उनका चालान कोर्ट के अन्दर किया गया। माननीय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह से जो अधिकारी लगातार अनियमितताएं कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो चार्ज बनते हैं, जो फर्जीवाड़ा उन्होंने किया, उसके खिलाफ कार्यवाही बनती है, उनके सबूतों को नष्ट करवाने का कार्य करते हैं तो ऐसे अधिकारियों को जबकि माननीय मंत्री महोदय स्वयं कई बार कह चुके हैं कि सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार काफी है और यह खुद मिटाना भी चाहते हैं। तो मैं यह चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, कम से कम, जिस एकाध अधिकारी, जो हमारी निगाह में आया है, भ्रष्ट है, बेईमान है, जो गड़बड़ कर रहा है, उसके बारे में मैंने जो तथ्य प्रस्तुत किया, आपके नोटिस में लाया हूं तो कम से कम उसको अभी जब प्रिलिमिनरी जांच में पाया गया कि यह दोषी है तो उसको सस्पैण्ड किया जाय और उसके

(श्री कालूलाल गुर्जर)

खिलाफ जो भी कार्यवाही है, वह नियमानुसार हो लेकिन यह घोषणा आज ही सदन में करके उसको सस्पैण्ड करें और उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करें। जो भी उसको सजा देनी है या नौकरी से निकालना है। जो कुछ कार्यवाही करनी है, इसमें तत्परता से करें। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करुंगा कि वे इस बारे में अपनी घोषणा करें।

श्री सुजानसिंह यादव : सभापति महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि मामला क्वासी जुडिस है। जब तक उसका कोई फैसला नहीं हो जाये तब तक तो मैं सक्षम नहीं हूं। न तो उसको सस्पैण्ड करने के लिए सक्षम हूं या न नौकरी से हटाने के लिए ही सक्षम हूं। मामला क्वासी जुडिस होने के कारण मैंने मेरे कार्यालय से विधान सभा सचिवालय में यह लिखा कि मामला क्वासी जुडिस है, यह ग्राह्य योग्य नहीं है, तब भी यह लिस्टेड हो चुका। अब इस पर जोइंट रजिस्ट्रार 70/7 की कार्यवाही 30.4.95 तक करने जा रहे हैं, 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद एक अवसर अपराधी को देना पड़ता है कि 15 दिन में आप इसका जवाब दो और 15 दिन के बीच में जवाब आने के बाद हमने तारीख तय कर ली 30.4.1995 को यदि आपने जवाब नहीं दिया तो आगे आपके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अब वह कार्यवाही क्या होती? मेरे पास जो तथ्य हैं वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिये। आगे जोइंट रजिस्ट्रार उस पर क्या कार्यवाही करते हैं, उस आधार पर यह मामला निर्णीत होगा।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने सबजुडिस की बात की है। कोई भी विभागीय जांच सबजुडिस नहीं होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन सबजुडिस नहीं होती है। जुडिशियल कोर्ट में कोई कार्यवाही होती है तो वह सबजुडिस है। मंत्री महोदय, विभाग में तो एक्शन ले सकते हैं।

श्री दयाराम परमार : सभापति महोदय, सबजुडिस (व्यवधान)...

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, एक तो सबजुडिस वाली बात माननीय सदस्य ने अभी बतायी और मैं निवेदन करना चाहता हूं आप कहते हैं 15 दिन का नोटिस देंगे और फिर.....

श्री सुजानसिंह यादव : दे चुके हैं 15 दिन का नोटिस।

श्री कालूलाल गुर्जर : दे चुके हैं लेकिन 15 दिन निकलने के बाद ही हम उस पर कार्यवाही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, वास्तव में अन्तिम निर्णय करने के लिए आपका कहना ठीक है कि जिनके खिलाफ चार्जेज प्रूव हुए हैं उनको नोटिस देंगे, उनको सुन करके अन्तिम फैसला करेंगे, उनको जो भी सजा देनी है, जो भी जुर्माना आप करना चाहते हैं आप करें, चाहे उसको बरी करें परन्तु आज की तारीख में जो तथ्य सामने हैं इतनी अनियमितताएं कर रहे हैं, वह सबूतों को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने रजिस्टर

(श्री कालूलाल गुर्जर)

गायब कर दिये, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक का रिकार्ड गायब कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बता दें कि आपके पास लॉग-बुक आयी क्या? आप बता दें कि आपके पास में फाल्ट रजिस्टर आया क्या? आप बता दें कि दूसरे जो रिकार्ड चाहते हैं, इससे सम्बन्धित है वह सारा रिकार्ड आया? सारा रिकार्ड वहां से गायब है, लगातार और करते जा रहे हैं और फिर उन्होंने फर्जी प्रमोशन ले लिया और उस पद पर बने रहेंगे। तो कहां तक आगे जाकर सही काम होगा? मंत्री महोदय भी यह चाहते हैं कि सब तथ्य सामने आ जायें। कोई दोषी हो और उसके बाद वह दोषी अपने लिंगर ऑन करने से सबूत नष्ट करके बच जाए, उसको वे बचाना चाहते हैं तो बात अलग है। बाकी मैं सोचता हूं कि इतना क्लियर-कट है, जिसके अन्दर इस तरह का मामला पूर्णतः दोषी आपके डिपार्टमेंट ने माना है। आपके जोइंट रजिस्ट्रार ने माना है, आपके सहायक रजिस्ट्रार ने माना है, आपके आडिट करने वाले आडिटर ने माना है। आडिट आक्षेप हुए हैं और यह माना गया है कि यह मिलीभगत से बैंक को पचास हजार रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है और यह भी रिकार्ड पर साबित है कि वे जिस पोस्ट पर थे उनका प्रमोशन भी गलत हुआ है, यहां भी उन्होंने गबन किया है इसलिए उनके खिलाफ चालान कोर्ट के अन्दर पेश हुए, सारे तथ्य सामने हैं। ऐसे आदमी को क्या पुरस्कार देना चाहते हैं, मंत्री महोदय कि वे अपने पद पर बने रहें, उसके खिलाफ मामले को उजागर करते हैं तो उसको भी यह रफा-दफा कर जाएंगे, यह चाहते हैं, तब तो अलग बात है वरना आपको निश्चित रूप से सस्पैण्ड करना चाहिये और यह एक समय की मांग भी है।

श्री सभापति : मामला न्यायालय के अधीन है।

श्री कालूलाल गुर्जर : न्यायालय के अधीन नहीं है, न्यायालय में नहीं है केवल डिपार्टमेंट में है। अगर न्यायालय में होता तो हम यहां नहीं बोलते। माननीय सभापति महोदय, न्यायालय में नहीं है, न्यायालय में होता तो हम मानते। सबजुडिस नहीं है केवल डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मामला सबजुडिस है।

श्री कालूलाल गुर्जर : कहां है सबजुडिस? पूछ लिया जाए। पूछ लिया जाए, कहां सबजुडिस है? किसी कोर्ट में हैं क्या?

श्री सुजानसिंह यादव : सभापति महोदय, विभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा यह इन्क्वायरी की जा रही है कि आया इस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है? यह जुडिशियल इन्क्वायरी के अन्तर्गत ही आता है। जो इन्क्वायरी होती है, समरी ट्रायल ही नहीं, इस बात का तो नोटिस दिया है, नोटिस देने के बाद उसका जवाब मांगा जाएगा। जवाब मांगने के बाद वह अपराधी साबित होता है या नहीं होता है? वह अपराध साबित होता है या नहीं होता है, उसको मौका दिया गया है।

(श्री सुजानसिंह यादव)

मैं चोरी करता हूं तो मुझे मौका तो देंगे कि चोरी की है या नहीं की है? तो वह मौका दिया है कि आपने अपराध किया है या नहीं किया है? यह अपराध आपने किया है कि नहीं, उसको मौका तो दिया है और माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने अधीर नहीं हों। मैंने भी रिकार्ड पढ़ लिये हैं, मुझे भी जानकारी है। आज इस विधान सभा में यह घोषणा कर नहीं सकता। मैं क्या कार्यवाही करुं? जब तक वह अन्तिम रिपोर्ट होकर उनका परिणाम नहीं आ जाए, तब तक मैं कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, आप धैर्य रखें। इस पर अवश्य कार्यवाही होगी, अवश्य कार्यवाही होगी...(व्यवधान) यह नहीं कह सकते।

शासकीय वक्तव्य

जाकिर हुसैन, अलवर की हत्या की जांच

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल, गृह मंत्री, अलवर नगर परिषद् के विजयी पार्षद श्री फतेह सिंह मेव के भतीजे श्री जाकिर हुसैन की जघन्य हत्या के मामले की जांच नहीं होने से उत्पन्न विवाद के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय,आपकी आज्ञा से गांव मुगसका में दिनांक 29.11.1994 को श्री जाकिर हुसैन पर हमले के फलस्वरुप मृत्यु होने के सम्बन्ध में वक्तव्य।

दिनांक 29.11.1994 को श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री गफार खां, निवासी सामोला अपने रिश्तेदार तैयब हुसैन के साथ गांव मुगसका के पास श्री जगदीश मीणा का खेत जोत रहा था। तब कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी। गांव में झगड़ा होने की सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस कण्ट्रोल, अलवर को दी। कण्ट्रोल रूम द्वारा पुलिस थाना, शिवाजी पार्क को तथा पुलिस थाना शिवाजी पार्क के माध्यम से यह सूचना पुलिस थाना, अरावली विहार को 1.00 पी.एम. पर मिलने पर तत्काल पुलिस जाब्ता घटनास्थल पर पहुंचा, जहां जाकिर हुसैन घायल अवस्था में मिला। ग्राम सामोला के अनेक व्यक्ति वहां उपस्थित थे जिनमें घटना के कारण अत्यधिक रोष था। उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझा-बुझा व शान्त कर घायल व्यक्ति को चिकित्सालय में भर्ती करवाया तथा उसके बयान लिये। उसने बयान में तैयब हुसैन को पुलिस थाने एफ. आई. आर. दर्ज कराने जाना बताया। इसी दौरान 2.00 पी. एम. पर श्री तैयब हुसैन ने पुलिस थाना, अरावली विहार पर एक टाइपशुदा रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उसने क्रमशः शमी खां, झब्बर, रुस्तम, नसीब खां, अमीर खां, पप्पू दराब, गल्लड़ तथा फक्कड़ उर्फ फकरूद्दीन को मारपीट का दोषी बताया। यह उल्लेखनीय है कि 8 नामजद अभियुक्तों के नाम टाइपशुदा थे तथा फक्कड़ का नाम हाथ से जोड़ा गया था। रिपोर्ट पर अपराध संख्या 240/94 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 379, 307 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दिनांक 30.11.1994 को प्रातः चिकित्सालय में जाकिर हुसैन की मृत्यु होने पर अभियोग में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता जोड़ी गयी।

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिनांक 30.11.1994 को सायंकाल गांव सामोला के निवासियों का एक प्रतिनिधिमण्डल महानिदेशक, पुलिस राजस्थान से अलवर प्रवास के दौरान मिला तथा स्थानीय पुलिस में विश्वास प्रकट करते हुए तुरन्त कार्यवाही की मांग की। न्यायोचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में उन्हें आश्वासन दिया गया।

पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान नामजद अभियुक्तों की तलाश की गयी तथा दिनांक 1.12.1994 को नसीब खां एवं रुस्तम को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम अनुसंधान अपर पुलिस अधीक्षक, अलवर को सुपुर्द किया गया। अनुसंधान से यह पाया गया कि नगर परिषद, अलवर के नवम्बर, 1994 के हुए चुनावों में ग्राम सामोला के श्री फतेह सिंह के विरुद्ध श्री नसीब खां, निवासी ग्राम मुगसका हार गये थे। चुनाव में मतदान तथा मतगणना के दौरान अत्यधिक तनाव दोनों पक्षों में उत्पन्न हुआ था लेकिन पुलिस व्यवस्था के कारण अप्रिय घटना नहीं घटी।

अनुसंधान अधिकारी ने ग्राम सामोला तथा मुगसका के निवासियों से व्यापक अनुसंधान किया। एफ. आई. आर. में नामजद अभियुक्त फकरूद्दीन से दिनांक 1.12.1994 को अनुसंधान, स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर फकरूद्दीन के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया। अनुसंधान से एफ. आई. आर. में नामजद अन्य 8 अभियुक्तों के अलावा एक अभियुक्त काले खां को भी जुर्म में शरीक पाया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं तथा गिरफ्तारी हेतु न्यायालय से वारन्ट प्राप्त किये गये हैं। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त नसीब खां एवं रुस्तम के विरुद्ध चालान दिनांक 28.2.1995 को प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियोग के अनुसंधान का सत्यापन स्वयं करने हेतु पुलिस अधीक्षक, अलवर को निर्देश दिये जा चुके हैं।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने आपके समक्ष जो बयान दिया है—

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : धनखड़जी, आपकी आज्ञा से एक बात मैं कह दूं। मैंने अभी सुना है, माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया कि मामला अदालत में चालान किया हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए आप बोलें।

अनेक माननीय सदस्य : अब क्या बोलेंगे ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक बात कही है (व्यवधान) आप अत्यन्त गम्भीर बात को क्या कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : सबजुडिस का कोई मतलब भी तो होता है।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : मामला सबजुडिस है, इससे डरने वाले नहीं हैं। मुलजिमों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। (व्यवधान) झंडी वाली गाड़ी में मंत्री के साथ घूमते हैं, मंत्री के परिवार के लोग हैं और आप उनको बचाने की बात कर रहे हैं। बहुमत से किसी की हत्या को दबाया नहीं जा सकता।

श्री टीकम चन्द कान्त : प्रश्न हत्या का थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, प्रश्न हत्या का नहीं है। वह अभी फरार है।

श्री टीकम चन्द कान्त : मामला सबजुडिस है, जब यह बात सामने आ गयी है तो चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : 10 में से 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं 8 मुलजिम फरार हैं। सबजुडिस मामला हो, हम कोर्ट की मेरिट में जाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो मुलजिम नामजद हैं उनकी सरकार गिरफ्तारी करें। हम किसी सबजुडिस मैटर में या न्यायालय के मामले में दखल नहीं देना चाहते। आप क्यों बीच में बोलते हैं? (व्यवधान) मंत्री का रिश्तेदार नहीं, मंत्री का मां जाया भाई, मंत्री का परिवार...

श्री भंवर सिंह चौधरी (मेड़ता) : मां जाया भाई है या अन्य टाइपशुदा में हाथ से चाहे जो जिसका नाम लिख दो और फिर आपका नाम लिख दो, मेरा भी लिख दो। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : सरकारी झंडी की गाड़ियों में घूमेगा, मंत्री का परिवार झंडी की गाड़ी में घूमेगा, कैसे पुलिस गिरफ्तार करेगी?

श्री भंवर सिंह चौधरी : आप फोर्जरी करो इसमें कोई बात नहीं। आप तो फोर्जरी करो, हाथ से मुलजिम बाद में (व्यवधान) एड करो.......

श्री टीकम चन्द कान्त : यह तो क्योंकि मेव पहली बार मंत्री बनकर आया है इसी कारण से कांग्रेस का पेट दुख रहा है। सही बात यह है।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आप मंत्री को बचाने की कोशिश नहीं करें।

श्री भंवर सिंह चौधरी : क्यों एडीशन किया है उस टाइपशुदा में + + + मंत्री के भाई को फंसाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं-नहीं, आप मंत्री को बचाने की कोशिश नहीं करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आप + + + आरोप लगाकर अनावश्यक रूप से आरोपित करना चाहते हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : आरोपित नहीं, आरोपित तो हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सबजुडिस मामला है, आपको मालूम है।

श्री परसादी लाल मीणा : इनके बयान से आरोपित हैं। मंत्रीजी के बयानों में जो...

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : सभापति महोदय, मैं सारे मामले के संशय को दूर करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मंत्री खुद गये हैं, पुलिस के पास से गाड़ी में बैठाकर लाये हैं अपने भाई को।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री परसादी लाल मीणा : जो भी माननीय सदस्यों की शंका है या मुख्य मंत्री जी की शंका है, मेरा आरोप यह है कि मंत्रीजी के भाई को एफ. आई. आर. में होते हुए निकाला गया है। मृतक ने अपने मरने से पहले थाने में बयान दिये उन बयानों में फक्कड़ का नाम आया। मैं आपको पढ़कर सुनाऊँ (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : एस. पी. के बयान में साफ लिखा है (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : आप बैठियें। मेहरबानी करके बैठिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, अगर यह पढ़ते हैं तो फिर मैं भी बहुत सी बातें पढ़कर सुनाऊंगी।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, आप बाद में बोलना। पहले हम बोलेंगे, हमारा प्रस्ताव है। सभापति महोदय, मैं आपको, मुख्य मंत्री जी को, सदस्यों को या पुलिस को जो भ्रम है, मृतक के मरने से पहले....

श्री टीकम चन्द कान्त : सभापति महोदय, मामला अगर सबजुडिस है तो चर्चा किस प्रकार हो सकती है ? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : सबजुडिस कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : तब तो आप अनुमति मत दीजिये। आप अगर अनुमति देते हैं तो हमको भी अनुमति दीजिये। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, सबजुडिस कुछ नहीं है। इस कारण से आप बच नहीं सकते हैं। सबजुडिस का बहाना लेकर सरकारी पक्ष के लोग जो + + + यहाँ बैठे हैं हाउस में वह बच नहीं सकते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : + + + तो आप लोग हो। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं + + + बच नहीं सकता। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : + + +

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने तो यहां उम्मीदवारों की + + + की, मैं भरतपुर काण्ड भूल नहीं सकती।

श्री लक्ष्मण सिंह : पाइण्ट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : राजा मानसिंह को चुनाव लड़ते हुए आपने मारा। + + +

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री परसादी लाल मीणा : मंत्री का भाई उसमें दोषी नहीं हो, मरने वाले ने, जाकिर हुसैन ने अपने बयान दिये हैं और अपने बयानों में फक्कड़ का नाम–

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय सभापति महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर.......

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(112)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, आप बिराजें। जब मामला सबजुडिस है तो मेरे ख्याल से माननीय मंत्री जी, आपको वक्तव्य नहीं देना चाहिये था। (व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

न्याय निर्णयाधीन विषय पर चर्चा

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : पाइण्ट आफ आर्डर है इसी विषय में, सभापति महोदय। पहले इस सबजुडिस मैटर को क्लियर कर लिया जाए, इस सबजुडिस इश्यू को क्लियर कर लिया जाए। इसी के लिए मैंने पाइण्ट ऑफ आर्डर रेज किया है। यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है और हमारी जो परम्पराएं हैं वह यह बताती हैं कि सबजुडिस मैटर है तो जिन बिन्दुओं में कोर्ट के अन्दर चालान पेश हो चुका है, जिन पर कोर्ट के अन्दर मामला विचाराधीन है उन पर तो चर्चा नहीं हो सकती लेकिन उनके बाहर के बिन्दुओं पर यहां चर्चा हो सकती है। मैं यहां इसी सदन के अन्दर एक इश्यू आया था, उसके बारे में यहां उदाहरण देना चाहूंगा। 18.8.64 को एक बिन्दु न्यायालय के विचाराधीन मामलों को सदन में उल्लेख करने के बारे में उठाया गया था। उस वक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, 1964 के वाचन पर माननीय श्री भैरोंसिंह जी के भाषण के दौरान श्री रामप्रकाश लड्ढा ने आपत्ति की तो सभापति, श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल ने निम्न व्यवस्था दी—

"अभी एक आपत्ति माननीय उप-राजस्व मंत्री जी ने प्रस्तुत की कि फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज के सिलसिले में जो तथ्य माननीय सदस्य सदन के सामने रख रहे हैं, यह मामला चूंकि अदालत में विचाराधीन है इसलिए यह मैटर सबजुडिस और इसके सम्बन्ध में यहां विचार नहीं किया जा सकता। जैसा कि माननीय श्री भैरोंसिंह जी ने स्पष्टीकरण किया है, जिस मामले का अदालत में चालान कर दिया गया है उसके सम्बन्ध में वह कुछ नहीं कहना चाहते और बाकी के और जो तथ्य हैं वे सदन में रखना चाहते हैं।"

तो जो चालान पेश हो चुका है उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जब माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने 1964 में स्वयं ही इस बात को कहा था कि जो अन्य तथ्य हैं वह सदन में पेश करना चाहते हैं, तो हम भी अन्य तथ्य ही सदन में पेश करना चाहते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदय, आपने अभी निर्देश दिया कि जब मामला सबजुडिस है तो माननीय मंत्रीजी को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। इस मामले में हम सबको और पूरे सदन को असमंजस में डाल दिया। आपने सबजुडिस होते हुए स्टेटमेंट इनसे दिला दिया और इसके बाद में आप हमारा + + + करना चाहते हैं? तो इस मामले में हम क्या करें? सबजुडिस तो पहले आपके सामने आ गया। पिछली बार भी बात आयी थी कि मामला सबजुडिस है। है या नहीं उसके बाद में आदेश हुआ चेयर की तरफ से कि माननीय मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे। जब आपने निर्देश एक और दे दिया हमको। अब हम क्या करें? हमको रास्ता तो बताइये कि इसमें जो कुछ माननीय मंत्रीजी ने कहा है उस आधार पर

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

हम चर्चा कर सकते हैं या नहीं कर सकते ? जो मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट मेज पर क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, उस बात को अलग रखते हुए मामला इन्वेस्टीगेशन का है और इस इन्वेस्टीगेशन के मामले में क्या हम उस बात को यहां सदन में रख सकते हैं या नहीं रख सकते ? इस सम्बन्ध में आपको निवेदन करना चाहूंगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : जहां तक मंत्रीजी के वक्तव्य का प्रश्न है, मंत्रीजी ने केवल तथ्यात्मक वक्तव्य दिया है कि इस केस में अभी तक क्या हुआ, कैसी रिपोर्ट पेश हुई, किन-किनके नाम थे, उसके बाद में अब इसकी स्थिति क्या है ? यह सबजुडिस मामले को डिस्कस करने की श्रेणी में नहीं आता है और सर्वविदित है, सबजुडिस मामले की श्रेणी में तब आयेगा जब चालान, केस जिन लोगों के खिलाफ किया गया है, आप या तो उसको चैलेंज करो या उसमें किसी को और जोड़ने की बात करोगे या उसमें किसी और को इम्प्लीकेट करोगे आप कि इस केस में इनके अलावा और कोई आदमी दूसरे हैं। यानि उस केस से सम्बन्धित उसमें कुछ घटाना, बढ़ाना या जो तथ्य अब तक सामने आये हैं, उन तथ्यों के अलावा ऐसे तथ्य जो केस में नहीं हैं या जिनको सुनने का कोर्ट को अधिकार है, चालान पेश होने के बाद भी नामजद मुलजिम या जैसा कहा गया है उसका डाइंग डिक्लरेशन में नाम है तो कोर्ट उसको जोड़ सकता है। कोर्ट को यह अधिकार है। वहां कोई भी एप्लाई कर सकता है कि अमुक-अमुक आदमियों को जान-बूझकर छोड़ दिया गया है जो एक्यूज्ड थे, जिनके खिलाफ शहादत मौजूद है, इसलिये उनको जोड़ा जाये। कोर्ट उसका डिसीजन कर सकता है। इन सारे मामलों में कोर्ट सक्षम है। इसलिये इसके अलावा यदि कोई बात करनी होगी, जो तथ्य माननीय मंत्रीजी ने रखे हैं, वह की जा सकती है। लेकिन अब इन तथ्यों की आलोचना या इन तथ्यों में एडीशन, अल्ट्रेशन करने की बात कही जायेगी तो वह सबजुडिस मामले की.....(व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : (व्यवधान) हम कुछ करें वह तो हमारा अधिकार है। किन्तु त्रुटिपूर्ण इन्वेस्टीगेशन हो, उसकी समीक्षा तो की जा सकती है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह सबजुडिस है क्योंकि This is the jurisdiction of Court. The Court will decide कि वह त्रुटिपूर्ण है कि नहीं। यह कोर्ट करेगा डिसाइड। यह आप और हम नहीं कर सकते।

श्री विष्णु मोदी : (व्यवधान) किया जाय या नहीं किया जाय, वह कौनसा सबजुडिस आ गया ?

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, आपने कहा है कि तथ्यात्मक रिपोर्ट हमने दी है। जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा है उसके बारे में हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते ? सवाल यह उठता है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उसके बारे में कोर्ट प्रोनाउंसमेंट करेगा जिस पर कोर्ट ही डिसीजन देगा। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : जो तथ्य माननीय मंत्रीजी ने रखे हैं वे तथ्य सही हैं या गलत हैं, इस मामले में हम नहीं कह सकते क्या? यह पूछ रहा हूँ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दी, उस प्रथम सूचना रिपोर्ट का इन्वेस्टीगेशन पुलिस ने किया। पुलिस ने एक चालान सबमिट किया उसमें उन्होंने कुछ दोषी व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। यह तो हो गया पोर्शन, जो सबजुडिस है। इसी चालान के अन्दर पुलिस ने कहा कि हम इस मामले का फर्दर इन्वेस्टीगेशन करना चाहते हैं और उन्होंने साफ अंकित किया है, माननीय गृह मंत्री जी के पास वे कागजात हैं, मेरे पास भी प्रमाणित प्रतिलिपि है। पुलिस ने कहा है कि 173(8) कोड आफ क्रिमिनल प्रोसिजर के तहत हम फर्दर इन्वेस्टीगेशन करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज के दिन कानूनन स्थिति यह है कि जो भी पुलिस इस मुकदमे का अनुसंधान कर रही है, वह चाहे जिसको दोषी समझे, एविडेंस के आधार पर उसको न्यायालय के कटघरे में खड़ा कर सकती है। जो भी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष आज तक प्रस्तुत की गयी है उसका इस विचार-विमर्श से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं उस ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा जो अनुसंधानहीन है, जो हमारी पुलिस के तहत इन्वेस्टीगेशन के डोमेन में है। इसलिये किसी भी दृष्टि से यह पूरा मामला है। मैं तो एक सैकण्ड के लिए अचम्भित हो गया था, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस चीज का काफी अनुभव है, उन्होंने अचानक कह दिया, न्यायालय में जो बात है उसको मत करो। मैंने सोचा, माननीय मुख्य मंत्रीजी तो अनुभवी हैं, वह इन्वेस्टीगेशन के मामले में कैसे इस प्रकार की भूल कर गये। माननीय सभापति महोदय, आपके समक्ष जो मामला है, सदन के समक्ष जो मामला है, वह किसी भी तरीके से सबजुडिस नहीं है। न्यायालय में जो चालान दो व्यक्तियों के खिलाफ किया है, उसका कोई लेना-देना नहीं है। इस मामले के कुछ अहम् बिन्दुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : पहले तो इसका फैसला हो जाये कि इसको अलाउ कर रहे हैं या नहीं? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, जो मामला सबजुडिस है, उस मामले में पूर्व में जो व्यवस्थाएं दी गयी हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। (व्यवधान) यह अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन का जो प्रथम खण्ड है, इसके पेज 330 पर यह कहा है—

"न्यायालय के विचाराधीन मामलों पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है—

सहकारिता विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर विचार व्यक्त करते हुए श्री देवदत्त गाड़िया ने विभाग में पदोन्नति में अनियमितताओं के उदाहरण प्रस्तुत किये तो श्री रामनारायण चौधरी ने आपत्ति प्रस्तुत की।"

उस समय शायद आपने ही आपत्ति प्रस्तुत की थी। "जिन मामलों का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, वे राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बैंच में विचाराधीन हैं।"

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इस पर श्री उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी,

"जो मामला हाई कोर्ट की डबल बैंच में पैंडिंग है, उसको नहीं उठाना चाहिये। तथ्यों का प्रश्न है, तथ्य हाई कोर्ट के सामने पैंडिंग हैं। जो मामले सबजुडिस हैं, उनकी चर्चा नहीं होगी।"

यह यहां पर व्यवस्था दी। माननीय सभापति महोदय, और भी कई सारे मामले हैं। पेज 328 पर–"जो मामला अदालत के विचाराधीन है, उसके सम्बन्ध में सदन में चर्चा नहीं की जानी चाहिए।"

श्री जगदीप धनखड़ : कहां उठा रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह प्रश्न आपने अभी पढ़कर सुनाया। उंच्च न्यायालय में कोई विषय सबजुडिस है, उसका निर्णय करने का अधिकार किसी भी मंत्री को नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : मसला वह है नहीं, क्यों सदन का समय व्यर्थ किया जा रहा है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सारे प्रश्न ऐसे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि जो मामले सबजुडिस हैं और अदालत के सामने हैं, यदि कोई तथ्य इस प्रकार के भी हैं कि जिसमें जांच चल रही है, कोई मामला हमारे भाषण से या प्रिजुडिस होकर किसी पर हम यहां आरोप लगाते हैं तो आरोप लगाते समय हम यह बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि हम क्या कह रहे हैं और वह मामला प्रभावित होता है। इसलिये ऐसे नाजुक मामलों में हमको, सदन को मैं समझता हूँ, सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिये। अदालत स्वयं प्रसंज्ञान ले सकती है यदि उसमें कहीं पर कोई गड़बड़ है या किसी अधिकारी, किसी व्यक्ति को बचाया जा रहा है। तो उसके विषय में यह सारा मामला अदालत के सामने रहता है। ऐसा नहीं है कि वह अदालत के सामने नहीं रहता। इसलिये मैं समझता हूँ यह परम्परा ठीक नहीं है कि किन्हीं व्यक्तियों के मामले में यहां पर अदालत का काम हम करें। अदालत में जो–

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : पॉलिटिकल आचरण को उजागर कर रहे हैं यहां पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पॉलिटिकल आचरण कोई उजागर नहीं हो रहा है। यह केवल हम किसी को बदनाम करने की नीयत से, किसी पर आरोप लगाने की नीयत से ऐसा कर रहे हैं। बाकी कुछ नहीं है।

श्री भंवर सिंह डांगावास : माननीय सभापति महोदय, कोर्ट में कोई पक्ष काग्नीजेंस लेने के लिये दरख्वास्त कर सकता है। इसलिये यह यहां डिस्कस नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही) : सभापति महोदय, ये आदमी कांग्रेस के हैं। अखबार भरे पड़े हैं जिसमें लोगों ने जगह-जगह स्टेटमेंट दिये हैं कि इस सारे काण्ड में माननीय जुबेर खान और पूर्व विधायक + + + इन्वाल्व हैं और वे जान-बूझकर मंत्री महोदय को बदनाम करना चाहते हैं। इसमें पंचायतों के फैसले हो गये, पंचायत ने फैसला किया है कि माननीय

+ + + नाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती तारा भंडारी)

मंत्रीजी को व्यर्थ में इसमें घसीटा जा रहा है, केवल ईर्ष्यावश इनको बदनाम किया जा रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : और कमी रह गयी है, वह बोल दो (व्यवधान)

श्रीमती तारा भंडारी :सारे अखबारों की कटिंग देख लें। आप मात्र इसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं। यह जान-बूझकर अपराधी को ढील देकर सदन को गुमराह करना चाहते हैं ताकि यह पॉलिटिकल मामला बन जाए, उचित न्याय नहीं मिले, अपराधी बच जाएं। + + +कांग्रेस के लोग हैं और वह मात्र इसको पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह :+ + + को बचाना चाह रहे हो + + +।

श्री परसादी लाल मीणा : + + + ले लिया क्या ? + + + ले लिया है ? + + + को बचाने के लिए कुछ ले लिया क्या आपने ? कुछ मिल गया क्या आपको ? सरे आम + + + को बचाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सरे आम। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भंडारी : + + + तो आपने कराई है।

श्री परसादी लाल मीणा : मरने वाले के बयान तो मानो। यह मरने वाले के बयान हैं।

श्रीमती तारा भंडारी : कांग्रेस के टिकट पर खड़ा हुआ था। निर्दलीय प्रत्याशी जीत गया। आपने उसकी + + + करायी है। (व्यवधान) + + + आपका हारा हुआ आदमी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :असत्य कह रहे हैं।

श्री परसादी लाल मीणा :आप + + + को बचाने का काम कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य :अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस वाले एक अखबार की कटिंग....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : कांग्रेस का सदस्य वकील था।

श्री सभापति :आसन पैरों पर हैं। आसन पैरों पर हैं। बिराजिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और आपसे सम्बन्धित है सारा मामला। और आप लोग ही + + + आप लोग + + +।

व्यवस्था
न्याय निर्णयाधीनेतर अंशों पर चर्चा

श्री सभापति : इस प्रकरण के अन्दर जो अंश सबजुडिस हैं उन पर आप चर्चा नहीं करें।

श्रीमती तारा भंडारी :सभापति महोदय, सब जुडिस मामला डिस्कस नहीं करें फिर भी मेरा निवेदन है कि_

श्रीमती तारा भंडारी : + + + तो आप ही हो (व्यवधान) सभापति महोदय, मेरा तो एक ही अनुरोध है कि जिस मामले को डिस्कस करेंगे.....

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, माननीय सदस्या आपने जो व्यवस्था दे दी उसकी पालना नहीं कर रही हैं।

श्री सभापति :आसन की ओर से जो व्यवस्था हुई है, मैं माननीय धनखड़ जी से निवेदन करूंगा कि उसके अनुसार ही वह कार्यवाही करें।

शासकीय वक्तव्य

जाकिर हुसैन, अलवर की हत्या की जाँच

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, इस मामले में 29 नवम्बर को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयब हुसैन ने दर्ज करवाई थी। उस पर अलवर की पुलिस ने जांच की और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत कुछ व्यक्तियों के खिलाफ चालान प्रस्तुत करते समय न्यायालय को सूचित किया कि इस मामले में हमारा अनुसंधान आगे जारी है और स्पष्ट तौर पर अंकित किया कि धारा 173 (8) कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर के तहत हम कार्यवाही कर रहे हैं। सभापति महोदय, आपके आदेश के तहत मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जिसका सम्बन्ध उस चालान से हो जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

सभापति महोदय, मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो प्योरली इन्वेस्टीगेट डोमेन में है, जो फिलहाल पुलिस इन्वेस्टीगेशन कर रही है। सभापति महोदय, जब तैयब हुसैन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई वह टाइपशुदा थी। माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा कि तैयब हुसैन ने रिपोर्ट दर्ज कराने बाद फक्कड़ का जो नाम है (व्यवधान)

श्री सभापति :कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री जगदीप धनखड़ :सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों की बात का जवाब दे रहा हूँ कि उस टाइप शुदा रिपोर्ट में फक्कड़ का नाम माननीय गृह मंत्री के हिसाब से बाद में लिखा हुआ है। सभापति महोदय, इस स्थिति को इसी प्रकार ले लीजिये। तैयब हुसैन का बयान पुलिस ने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत ही लिया। माननीय गृह मंत्री जी कृपया बता दें कि उस बयान में फक्कड़ का नाम है या नहीं है? उस बयान को तैयब हुसैन ने टाइपशुदा नहीं दिया। उस बयान को दर्ज करने की पूर्ण जिम्मेदारी पुलिस की थी। सभापति महोदय, तैयब हुसैन का जो बयान 161 सीआर. पी. सी. के तहत दर्ज किया गया उसमें फक्कड़ मुलजिम है।

सभापति महोदय, मामला यहां तक ही नहीं है। इन्जर्ड आदमी, जो अब नहीं रहा, जिसकी डैथ हो गयी, जाकिर हुसैन की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उसका डाइंग डिक्लरेशन रिकार्ड किया। सभापति महोदय, डाइंग डिक्लरेशन 29 नवम्बर, 1994 को रिकार्ड किया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो आदमी मौत के नजदीक है, माना गया है न्यायालयों द्वारा वह सच उगलता है। यह जो डाइंग डिक्लरेशन है यह भी टाइपशुदा नहीं है। सभापति महोदय, इस डाइंग डिक्लरेशन को तैयब हुसैन ने दर्ज नहीं किया है। इस डाइंग डिक्लरेशन को भी इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी ने दर्ज किया है।

(श्री जगदीप धनखड़)

सभापति महोदय, जैसा कि तैयब हुसैन के पुलिस द्वारा 161 सीआर. पी. सी. में लिखे गये बयान में भी फक्कड़ का नाम है उसी तरीके से इस डाइंग डिक्लरेशन में भी फक्कड़ का नाम दर्ज है।

सभापति महोदय, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान और भी चश्मदीद गवाहों के बयान लिखे गये। माननीय गृह मंत्रीजी, कक्कड़ लक्खीडरा, इन लोगों ने अपने पुलिस बयान में यह निश्चित तौर पर कहा कि फक्कड़ एक मुलजिम है। तो, सभापति महोदय, क्या अनुसंधान इस प्रकार का होगा कि मरने वाले आदमी का डाइंग डिक्लरेशन है जो पुलिस ने रिकार्ड किया है, डॉक्टर से क्यों नहीं करवाया, वह एक अलग सवाल है, मजिस्ट्रेट से क्यों नहीं करवाया। क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मजिस्ट्रेट डाइंग डिक्लरेशन रिकार्ड कर सच्चाई को अंकित करें। पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि डाइंग डिक्लरेशन रिकार्डेड बाइ दी पुलिस में फक्कड़ का नाम है, 161 के बयानों में फक्कड़ का नाम है। यदि अगर माननीय गृह मंत्री जी जैसा विद्वान आदमी...

एक माननीय सदस्य : पुलिस वालों को कोर्ट कितना महत्व देता है?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह जो मामला उठाया जा रहा है, यदि डाइंग डिक्लरेशन में फक्कड़ का नाम है तो कोर्ट विल टेक काग्नीजेंस। कोर्ट के सामने डाइंग डिक्लरेशन जायेगा और कोर्ट उसे लेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : भाभड़ा जी, कभी तो कानून की पालना करो, आप नियमों को समझते ही नहीं हो। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूँ कि यदि अगर इन्वेस्टीगेशन पोल्यूट हो जाता है तो न्यायपालिका के सामने, मान्यवर, सिर्फ इन्वेस्टीगेशन का निचोड़ रह जाता है। यदि वह निचोड़ गड़बड़ है तो किसी भी तरीके से न्याय नहीं मिल पायेगा। नम्बर-1, डाइंग डिक्लरेशन के अन्दर फक्कड़ का नाम होना, नम्बर-2, 161 सीआर. पी. सी. के बयान उस तैयब हुसैन के, जिसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि टाइपशुदा रिपोर्ट थी, नम्बर-3, तीन अन्य चश्मदीद गवाहों के बयान होना, उसके अलावा, सभापति महोदय, इस मामले में जो सबसे अहम् बात है, पुलिस अधीक्षक अलवर ने.... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : आप वकील तो नहीं हो?

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय सभापति महोदय, अगर वह वकील हैं तो व्यवसाय नहीं करें। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : सभापति महोदय, यह सदन है। सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह अपनी वकालत न्यायालय में करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : इस मामले में वकील कौन हैं, थोड़ा बता दें।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, मैं तो इस मामले में वकील नहीं हूँ। कौन वकील है इसकी मैं जानकारी करके सदन को और आसन को अवगत कराने का प्रयास करूंगा।

(श्री जगदीप धनखड़)

माननीय सभापति महोदय, पुलिस अधीक्षक, अलवर ने 2 दिसम्बर, 1994 को अखबार वालों को यह सूचित किया, जिला-पुलिस अधीक्षक सुधीर प्रताप सिंह ने बताया कि जाकिर की हत्या के आरोप में अब तक दो अभियुक्तों नसीर खां व रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी आरोपियों को भी जल्दी ही पकड़ लिया जायेगा।

एस. पी. ने बताया कि इस मामले की तफतीश चल रही है। श्री सिंह ने बताया कि अभी तक की जांच में उद्योग राज्य मंत्री, नसरू खां के भाई फक्कड़ व जफ्फार के इस हत्याकाण्ड में शामिल होने की बात सामने नहीं आयी। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, एस. पी. इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर नहीं है? एस. पी. ने कैसे कह दिया कि इनका नाम नहीं आया? जबकि तीन दिन पहले मरने वाले व्यक्ति ने कहा कि फक्कड़ ने ही मुझे मारा है। उसका डाइंग डिक्लरेशन रिकार्ड किया गया है। चश्मदीद गवाह कहते हैं।

सभापति महोदय, 1 दिसम्बर, 1994 को एक ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन में लिखा गया, इस घटना की रिपोर्ट घटना के बाद थाना अरावली विहार में दर्ज करा दी गयी और पुलिस ने तीन अभियुक्तों को पकड़ लिया, जिनको कोतवाली में बैठा दिया था। किन्तु पता चला है कि इन्हीं तीनों मुलजिमान में से उसी दिन रात को श्री नसरू खां, उद्योग राज्य मंत्री कोतवाली में जाकर यह कह कर छुड़वा लाये कि इनको कल थाने में दिनांक 30 नवम्बर, 1994 को पेश कर दूंगा। किन्तु उसी रात घायल जाकिर हुसैन ने दम तोड़ दिया और उन तीनों मुलजिमान को भी फरार कर दिया।

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय सभापति महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री जगदीप धनखड़ : दिनांक 30.11.94 को हम ग्रामवासी आपके सर्किट हाउस में, जैसे कहा गया है, यह बताया गया सभी मुलजिमान उद्योग राज्य मंत्री, नसरू खां के परिवार के हैं जिनमें उनके...

श्री भंवरसिंह डांगावास : पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री रामनारायण चौधरी : कौनसे नियमों में उठा रहे हो?

श्री भंवरसिंह डांगावास : नियम बताऊँगा बाद में। माननीय सभापति महोदय, किशनगढ़ से आये माननीय सदस्य जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं यह आर्ग्यूमेंट कोर्ट में किसी अभियुक्त जिसका कि चालान नहीं हुआ उसका काग्नीजेंस लेने के लिए दरख्वास्त करते हैं वैसे आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं और यह जुडिशियल प्रोसिडिंग्स का हिस्सा है इसलिए डिस्कशन यहां नहीं होने चाहिये। (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : यह वकील के वकील हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मेरे पाइण्ट ऑफ आर्डर पर व्यवस्था दीजिये। सभापति महोदय,

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

व्यवस्था दीजिये मेरे पाइण्ट ऑफ आर्डर पर। व्यवस्था दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने पूर्व में यह निवेदन किया था कि इस प्रकरण के अन्दर जिन अंशों का चालान हो चुका उसके बारे में आप चर्चा नहीं करें।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, मैंने कहीं भी अपने पूर्व विवेचन में इस प्रकार का जिक्र नहीं किया जो न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री टीकमचन्द कान्त : अभी माननीय सदस्य ने पाइण्ट ऑफ आर्डर उठाया और उसमें कहा कि इस प्रकार की जिरह कोर्ट में की जा सकती है इसलिए मामला सबजुडिस है।

श्री अमराराम (धोद) : वह रिजेक्ट हो गया।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता का ध्यान चार बिन्दुओं की ओर आकर्षित कर रहा हूँ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : पाइण्ट आफ आर्डर अभी उठा है, उसके उपरांत पाइण्ट ऑफ आर्डर दुबारा नहीं उठाइये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन के नेता से मैं यह पूछना चाहूंगा, नम्बर एक, एक अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है 19 नवम्बर, 1994 को ? दो, 29 नवम्बर, 1994 को उस जाकिर हुसैन, जो अल्ला मियां को प्यारा हो गया, का डाइंग डिक्लरेशन पुलिस ने रिकार्ड किया उसमें उस अभियुक्त का नाम है ? 29 तारीख को...

श्री रामप्रताप कासनियां : + + + या बहस कर रहे हो ?

श्री जगदीप धनखड़ : चश्मदीद गवाहों के बयानों में भी उसका नाम है? माननीय सभापति महोदय, हम किस प्रकार की व्यवस्था में रह रहे हैं। एक पुलिस अधीक्षक के स्तर का आदमी जिसकी जिम्मेदारी सभी अनुसंधानों को ठीक कराने की है, जिसका सीधा इस मुकदमे के अनुसंधान से कोई वास्ता नहीं है, इन सबके होने के बावजूद वह एक स्टैण्ड लेता है कि यह दोषी नहीं है। दूसरी बात, एक निश्चित आरोप लगाया गया है जब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अलवर गये, माननीय गृह मंत्री जी ने भी अपने बयान में यह संकेत दिया है, उस बयान में साफ तौर पर कहा गया, शुरू में तीन को गिरफ्तार किया गया फिर एक मंत्री थाने में चले गये और छोड़ दिया गया। माननीय सभापति महोदय, कौनसे कानूनों की पालना की जा रही है ? हम किस व्यवस्था में हैं ? माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन के नेता को यह कहना है कि ऐसे मामले में जहां...

श्री राकेश मेघवाल : सभापति महोदय, वह निर्दोष था इसलिए छोड़ दिया होगा।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगदीप धनखड़ : चुनावी रंजिश को लेकर जीते हुए आदमी के परिवार को प्रताड़ित करने के लिए एक कांस्पीरेसी डवलप करके लोग इकट्ठे होकर प्रायर कन्सेक्ट ऑफ माइण्ड से प्रिमेडिटेशन के साथ उस जगह जाते हैं, हथियारों का उपयोग करते हैं, एक आदमी को मारते हैं। अनुसंधान कांसिस्टेंट है। उसके बावजूद मात्र कोई किसी का रिश्तेदार है इससे क्या निर्दोष हो जायेगा? मात्र आज ये सत्ता में बैठे हैं इसका अर्थ यह नहीं कि मंत्री जाकर थाने से अरेस्टेड अभियुक्त को निकाल ले। माननीय सभापति महोदय, डेमोक्रेसी में इस प्रकार की बात होना यह बहुत अहम् मुद्दा है...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं मानकर चलता हूँ, इस सदन में जितने लोग बैठे हैं...(व्यवधान)

श्री नसरू खां (राज्य मंत्री, उद्योग) : यह सिद्ध कर दें इस तथ्य को, मैं इस्तीफा दे सकता हूं इस बात के लिए। यह लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? केण्डीडेट हारने वाला कौन है? मरने वाला कौन है? यह कांग्रेस का है, आप ही के हैं ये। यह पढ़ लो, आप ही के कारनामें हैं ये। कांग्रेसी हारने वाला भी आपका ही है और यह जीतने वाला भी आपका है...(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी आप थाने गये थे? क्या आपने तीन अभियुक्तों को छुड़ाया था? क्या आपने पुलिस को आश्वासन दिया था कि मैं इनको 30 तारीख को वापस ले आऊंगा? क्या आपने उनको भगा नहीं दिया? क्या आपने उनको पनाह नहीं दी? माननीय मंत्री महोदय, जवाब इन चीजों का दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आप एक सवाल का जवाब दे देओ आपकी बहस मैं सुन लूंगा और जवाब भी दे दूंगा। यह नसीब जिसको गिरफ्तार किया है, वाजिब है क्या उसकी गिरफ्तारी?

श्री अमराराम (धोद) : यह तो पुलिस का काम है

श्री शिवनाथ सिंह : आपकी एजेन्सी ने गिरफ्तार किया है हमसे क्या पूछते हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : जिनको गिरफ्तार किया गया है और जिनके खिलाफ चालान पेश हुए हैं वह मैटर सबजुडिस है। आप सबजुडिस मैटर पर हमसे बुलवाना चाहते हो, हम नहीं बोलेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : **डाइंग डिक्लेरेशन में है, एफ. आई. आर. में है पर वह मामला सबजुडिस में है, वह मुलजिम जेल में है और चालान कर दिया उसका।**

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपकी एजेन्सी ने गिरफ्तार किया है, यदि आप उसको गलत मानते हो तो उस एजेन्सी को दण्डित कीजिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ, यह मामला सबजुडिस है। नसीब वगैरह जेल में हैं, यह तो आपको जानकारी होगी और उसी मामले में जो डाइंग डिक्लेरेशन या 161 के बयान हैं यह सारे कोर्ट के सामने हैं, कोर्ट उसके ऊपर निर्णय लेगी... (व्यवधान) मेरी एक मिनट सुन लीजिये। काग्नीजेंस कोर्ट लेगी इसलिए उन मामलों की चर्चा न हो तो ज्यादा अच्छा है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सदन के नेता जो बात कह रहे हैं उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है।...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उनको छोड़ दें।

श्री जगदीप धनखड़ : यह ऐसा गंभीर मामला है ...

(122)

श्री भंवरसिंह डांगावास : मामले सब गंभीर आते हैं यहां पर। मैं आपसे कहता हूं, यह काग्नीजेंस लेने के लिए कोर्ट के अधिकार का हनन है। इससे कोर्ट इनफ्ल्यूएंस होगा और इनके आर्ग्यूमेंट जब अखबार में छपेंगे तो कोर्ट के ऊपर इनफ्ल्यूएंस जायेगा। काग्नीजेंस लेते समय इनफ्ल्यूएंस जायेगा। इस तरह से यह आर्ग्यूमेंट नहीं होने चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : यह एक-एक पाइण्ट पर तय करना बड़ा मुश्किल है। कोई भी वक्तव्य पर कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इतना बड़ा भाषण था एक व्यक्ति को इतनी खुली छूट दे दें, इसमें किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखा जाय कि हमको क्या यहां पर बोलना चाहिये।

(14.45)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन।)

और क्या हमारी सीमाएं हैं और उस सारी जांच को हम प्रभावित करें, मैं समझता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल उचित नहीं है। यह सदन की परम्पराओं के विपरीत है। इसमें आसन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो मामला कोर्ट के विचाराधीन है, जिसका कोर्ट को निर्णय करना है, सारे तथ्य कोर्ट के सामने हैं। 161 के बयान, डाइंग डिक्लेरेशन का जहां तक सवाल है वह सारे तथ्य कोर्ट में हो, उन सारे मामलों में हम यहां पर क्या कोई निर्णय कर सकते हैं? कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है, इस पर क्या हम आज विचार कर सकते हैं। तो इस पर मैं समझता हूं पूर्व में भी इस प्रकार की लोक सभा में, विधान सभा में सब जगह ऐसी व्यवस्था हुई है और इस प्रकार केवल प्रश्न पूछें जा सकते हैं। लम्बी न तो बहस की जा सकती है और न ही इन सारे विषयों पर जाया जा सकता है, यही मेरा कहना है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने एक बयान पढ़ा और कहा कि एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके तहत अनुसंधान हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बात हो गई वह तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, अब वह बात हो चुकी है।

श्री राकेश मेघवाल : बार-बार रिपीट हो रही है। एक ही बात 50 बार रिपीट हो रही है। एक घण्टे से वही बात रिपीट हो रही है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह से लेकर शाम तक धनखड़ साहब ही बहस करते रहते हैं (व्यवधान) मामले और भी बहुत गंभीर हैं।

श्री राकेश मेघवाल : कोई नयी बात नहीं है। वही बात बार-बार रिपीट हो रही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामप्रताप कासनियां : जिस तरह कोर्ट के अन्दर बहस करते हैं वकील, उस तरह सुबह से लेकर शाम तक माननीय धनखड़ साहब ही बोलते रहते हैं। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री राकेश मेघवाल : बार-बार वही रिपीट करें और वकील बहस करें, यह कोई समय है? सदन का समय जो है, अमूल्य है। (व्यवधान)

श्री [illegible] [illegible] : अगर आपको वकालत से ही प्रेम था तो फिर इस हाउस में आने की क्या जरूरत थी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। किसी भी वक्तव्य के पश्चात् स्पष्टीकरण के लिए एकाध प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : वही पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : और ऐसी डिबेट हो रही है जैसे - as if the 'Sadan' is investigating agency. यह सारा मामला सबजुडिस है। डाइंग डिक्लेरेशन हो चुका है। एविडेन्स एक्ट के तहत होगा। जो कुछ है वह न्यायालय देखेगा और यदि किसी ने किसी को छोड़ दिया है तो न्यायालय उसका काग्नीजेंस ले सकता है। उसके पश्चात् इस मामले में इतनी बहस करने की कहां जरूरत पड़ रही है? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सबजुडिस है? राजस्थान की पुलिस और (व्यवधान)

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अदालत नहीं है, फिर वही अदालत की बहस शुरू हो गयी। कोई वकील की बहस नहीं होगी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से...

श्री भंवरसिंह डांगावास : आसन के निर्देश के बाद धनखड़ साहब का बोलना उचित नहीं है।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से एक मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में है और मंत्री है इसलिए जलन हो रही है [illegible]

एक माननीय सदस्य : जबकि वह अखबारों में क्लियर है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हत्यारों को बचाने वाली सरकार को... (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : कृपया आप आसन के आदेश की अवहेलना न करें।

श्री अमराराम चौधरी : मूल रूप से इनको जलन हो रही है। यह इनके भारतीय जनता पार्टी में है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि 173(ए) सी. आर. पी. सी. में चार्ज–शीट पेश होती है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सच्चाई से बचने का कोई रास्ता नहीं है।

श्री अमराराम चौधरी : 173(ए) में इन्वेस्टीगेशन होकर 90 डेज जहां होने वाले हैं और मुलजिम की जमानत हो जाती है इसलिए चालान पेश करते हैं। 90 डेज के अन्दर चालान पेश नहीं करते हैं...

श्री जगदीप धनखड़ : सदन के नेता को न्याय हित के अन्दर घोषणा करनी चाहिये कि मेरी आंखों के तले पुलिस अधीक्षक इस प्रकार की गलत कार्यवाही कर रहा है, मंत्री इस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री अमराराम चौधरी : इसलिए कोई भी मुलजिम रह जाता है तो 173(ए) है उसमें इन्वेस्टीगेशन अफसर अगर यह लिख देता है कि अभी कोई एविडेंस क्लेक्ट करनी है तो उसका चालान, चार्ज–शीट पेश की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री अमराराम चौधरी : क्योंकि 90 डेज के अन्दर चालान पेश करना पड़ता है मुलजिम जब जेल में होता है, नहीं तो उसकी बेल हो जाती है। इसलिए कानूनी जो मामला है वह यह है। यह सबजुडिस की बात नहीं है। इन्वेस्टीगेशन अफसर ने चार्ज-शीट, चालान पेश किया है, चार के खिलाफ पेश कर दिया या 10 के खिलाफ पेश कर दिया और यदि उसे एक मुलजिम के बारे में तथ्य मालूम करने हैं तो कुछ समय भी लग सकता है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री अमराराम चौधरी : तो ऐसे दौरान यह नोट लगा दिया जाता है। (व्यवधान) तो चाहे जितनों का वह चालान पेश कर सकते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आसन की व्यवस्था हो चुकी है इस पर। आसन ने कहा, उस मुद्दे पर बहस की जा सकती है जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह मामला सबजुडिस है। इस बात का निर्णय मंत्री महोदय नहीं करेंगे। आसन ने यह व्यवस्था दे दी है कि यह मामला सबजुडिस है तो फिर उसमें किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकेगी।

श्री जगदीप धनखड़ : आसन ने नहीं दी। आसन ने व्यवस्था दी है, यह सबजुडिस नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री लक्ष्मण सिंह : आपके पहले आसन ने व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको पहले की रूलिंग पढ़ कर सुना रहा हूँ।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, आसन ने व्यवस्था दे दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल ने हिण्डौन में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में_

श्री जगदीप धनखड़ : आसन ने व्यवस्था दे दी है।

श्री लक्ष्मण सिंह : पहले आसन ने व्यवस्था दी है और उस पर डिबेट हुई है।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आसन ने व्यवस्था दे दी है, यह सबजुडिस नहीं है।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : पाइण्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री जगदीप धनखड़ : आसन ने व्यवस्था दे दी है, यह सबजुडिस नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताइये, आपने जब यह निर्णय लिया था कि इसमें स्टेटमेंट आयेगा तो उस वक्त में क्या मैटर सबजुडिस नहीं था? अब कैसे निर्णय बदल गया? (व्यवधान) तीन दिन पहले भी यही तथ्य थे। तीन दिन पहले आपने इस पर हाउस में डिस्कशन के लिए (व्यवधान) उस वक्त तो आपने कह दिया कि मैटर सबजुडिस नहीं है और आज आप इसको सबजुडिस मानते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने सुना था, आसन ने यह कहा था...

श्री लक्ष्मण सिंह : इसको यहां पर रखा था उस वक्त यही के यही फैक्ट्स आपके सामने थे।

श्री अध्यक्ष : जो मामला सबजुडिस नहीं है उस पर चर्चा हो सकती है, यह आसन ने कहा है। यह कभी नहीं कहा और यह मामला सबजुडिस है इसलिए there is no question of. . . . (Interruptions)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : पाइंट ऑफ ऑर्डर। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : यह नहीं है, माननीय अध्यक्ष जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री परसादीलाल मीणा : सारा मामला सबजुडिस नहीं है। दो मुलजिमों का मामला सबजुडिस है और 8 मुलजिमों का मामला सबजुडिस नहीं है।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : फिर यह चर्चा नहीं हो सकती।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाइंट ऑफ ऑर्डर। (व्यवधान) मैं हर बार नहीं उठाता। (व्यवधान)

श्री अर्जुनलाल जीनगर : अध्यक्ष महोदय, यह कोई भाषण दे रहे हैं. . . .(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : अध्यक्ष महोदय, कोई व्यवस्था देवें, भाषण नहीं देवें यहां पर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : जो मुख्य पाइंट था वह बता दिया और उस पर चर्चा हो गयी। इसे यहीं समाप्त कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, एक मिनट के लिए मुझे समय दें उससे मामला साफ हो जायेगा। पहले यह सवाल उठा था जब आसन ने व्यवस्था दी थी इस मामले पर. . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : जो सबजुडिस है उस पर चर्चा नहीं होगी और जो मामला सबजुडिस नहीं है उस पर चर्चा हो सकती है, यह आसन ने व्यवस्था दी थी। मैं इस मामले में एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर मैं मेरा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए सरकार सी. बी. आई. से इन्वेस्टीगेशन करा सकती है? कराने का इरादा है? क्योंकि अभी कहा गया वह यह कहा गया कि कुछ मुलजिमों के खिलाफ चालान पेश कर दिया, बाकी के खिलाफ तफ़तीश जारी है। जब तफतीश जारी है तो उस तफतीश से यह जो आदमी मरा उसके सम्बन्धी और यह सदन इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि तफ़तीश सही होगी और वह इसलिए नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय का मामला है।

श्री परसादीलाल मीणा : परिवार के भी..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : मंत्री महोदय के परिवार के सदस्य इनके दादा और सगे भाई थे। उन दोनों के परिवार उसमें मुलजिम हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। फिर सवाल यह उठा कि जो तफतीश हो रही है पुलिस की, वह तफतीश संतोषप्रद नहीं है क्योंकि 29 तारीख की बात है और एक तारीख को, माननीय अध्यक्ष जी, एस.पी.जो वहां के जिले के हैं, वह स्टेटमेण्ट देते हैं कि फलां मुलजिम का नाम हलिया गया है इसको तफतीश में मुलजिम होना साबित नहीं हुआ है। तो, अध्यक्षजी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी हैं उससे हमको संतोष नहीं है। इसलिए इस मामले की सी. बी. आई. से जांच करवाइये।

श्री अध्यक्ष : जब एक बार व्यवस्था दी जा चुकी है उसके बाद...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि मैटर सबजुडिस है इसलिए अब इस पर डिस्कशन नहीं होगा।

श्री शिवनाथ सिंह : कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हम तो यह जानना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : सवाल एक ही है कि क्या इस मामले की सी.बी.आई. से जांच कराने के लिए सरकार...

श्री अध्यक्ष : जो मैटर इससे रिलेटेड है उसके बारे में नहीं पूछा जायेगा। (व्यवधान) जो मैटर कोर्ट में चला गया है।

श्री जगदीप धनखड़ : उसका नहीं पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह सारी बातें हो चुकी हैं पहले।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं पूछ रहे हैं. लेकिन जो इन्वेस्टीगेशन बाकी है, बाकी इन्वेस्टीगेशन सी.बी.आई. से कराना चाहते हैं?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, तो फिर तफ्तीश किस बात की हो रही है? जब मामला सबजुडिस है, अदालत में चला गया तो पुलिस तफतीश किस बात की कर रही है? क्या इन्वेस्टीगेशन कर रही है? आगे क्यों कर रही है? जब सबजुडिस है और मामला कोर्ट में चला गया तो पुलिस आगे तफतीश किस बात की कर रही है? यह बता दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था में यह बता दीजिये कि जब मामला सबजुडिस है, केस का चालान हो गया तो फिर पुलिस तफ्तीश किस बात की कर रही है? हम उस पर बहस करना चाहते हैं कि पुलिस किस बात की तफतीश कर रही है?

श्री जगदीप धनखड़ : और किस आधार पर माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा था कि फक्कड़ दोषी नहीं है जबकि न्यायालय को पुलिस ने यह बताया कि 173 (ए) के तहत हम...(व्यवधान)

श्री समर्थलाल मीणा (राजगढ़) : अब समाप्त कर दीजिये, बहुत चर्चा हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा यहीं समाप्त होती है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री लक्ष्मण सिंह : पाइंटेड प्रश्न ही पूछ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री जगदीप धनखड़ : बहुत गंभीर मामला है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। यदि अगर सही जांच करवाने का यह वचन नहीं देते हैं और दोषी को बचाने का प्रयास करते हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय_

श्री अध्यक्ष : अंकित मत करो। अंकित नहीं हो।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री शिवनाथ सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : अब यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। (व्यवधान) अब यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। (व्यवधान) यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। आय-व्यय बजट 1995-96, श्रीमान् हरिशंकर जी भाभड़ा।

(विपक्ष द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

बिराजिये। हो गया। बिराजिये। माननीय भाभड़ा साहब बोल रहे हैं। (व्यवधान) माननीय हरिशंकर जी भाभड़ा। माननीय उप मुख्य मंत्री जी।

(15.00)

काफी डिस्कशन हो चुका है।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग कोई अनुचित नहीं है। जो बाकी बचा हुआ मामला है सिर्फ उसकी जांच के लिए कह रहे हैं, जो सबजुडिस मुद्दा है उसके लिए नहीं कर रहे हैं माननीय सदस्य। इसलिए यह मांग कोई अनुचित नहीं है। माननीय गृह मंत्रीजी इसको मान लें तो कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान) बिराजिये, बिराजिये आप। बिराजिये। आपने बहुत ध्यान आकर्षित कर दिया, माननीय धनखड़ साहब। You have argued your case at length.

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कहने से हमने सैंकड़ों सी.बी.आई. की जांच करवायी है। जब आज कुछ लोगों का यह आरोप है कि इस सदन में बैठने वाले किसी सदस्य का इस खून से सम्बन्ध है तो अगर आप सी.बी.आई. से जांच करवा लेते हैं, अगर आप यह समझते हैं कि उनका सम्बन्ध नहीं है तो पाक साफ होकर निकलेंगे। अगर सम्बन्ध होगा तो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र की जगह और ऊंची हो जाएगी। इसलिए निश्चित रूप से सी.बी.आई. से जांच करवा लीजिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यहां यह कहा गया कि मेरे कहने से बहुत मामले सी.बी.आई. के पास अनुसंधान के लिए भेजे गये। मेरे को ऐसा मामला बता सकते हैं कि जिस मामले में सदन के वेल में

××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय सदस्य आ जाये और यह कहें कि इस मामले का सी.बी.आई. से अनुसंधान करवाया जाय। (व्यवधान) दो भूतपूर्व माननीय मंत्री यहां बैठे हैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आसन से जिलेलाव के मामले में हमने भी मांग की थी कि सी.बी.आई. से इन्क्वायरी की जाय और स्वर्गीय जोशी जी ने यहां से आंसू बहाते हुए कहा था कि इसकी सी.बी.आई. से जांच करवायी जाए लेकिन उस वक्त सरकार ने कहा कि तथ्य ऐसे नहीं हैं इसलिए सी.बी.आई. से इसकी जांच नहीं होगी। क्या हुआ? उसका मंत्री भी थे उसमें। (व्यवधान) ऐसा नहीं है (व्यवधान) आपके यूं दबाव से सी.बी.आई. में नहीं जायेगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब लक्ष्मण सिंह जी और हीरा सिंह जी आप दोनों ही थे। आप जाने दो इस मामले को (व्यवधान) वह तो आप दोनों के बीच झगड़ा था इसलिए नहीं गया। जैसे आज नसरू खां जी और इनके बीच में झगड़ा है उसी तरह से आपके और हीरा सिंह जी के बीच में झगड़ा है। (व्यवधान) बैठो आप। वहां बात करो ढंग से। क्या बात कर रहे हो (व्यवधान) आप यह समझते हो कि आप वेल में आ जाओगे तो सरकार जो कुछ आप कहोगे, मान लेगी ? (व्यवधान) हां, तो ठीक है। तो टंटा दूसरा है (व्यवधान) आप वहां जाकर बात करें (व्यवधान) यों नहीं मानने वाले है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात कर लो तो फिर.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाभड़ा साहब (व्यवधान) भाभड़ा साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मत करो, यह परम्परा आप गलत डाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आपने यह व्यवस्था दे दी कि चर्चा खतम की जाती है। माननीय सदस्यों को यह उम्मीद नहीं रही कि कोई हमारी इस वाजिब मांग को मान सकते हैं तब ये माननीय सदस्य यहां आकर खड़े हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगी (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट सुनिये। (व्यवधान) ज़रा सुनिये, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि वे अपने स्थान पर आ जायें । माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करुंगी कि वे सी.बी.आई. से जांच को मानकर दोनों ही पक्षों को इस मामले में संतोष प्रदान करें कि जो गुनाहगार हैं वे जरूर सजा पायेंगे और गुनाहगार नहीं हैं तो पाकदामन हो जायेंगे। दोनों तरह से सफाई हो जायेगी। इसलिए उसको आप दबायें नहीं, न प्रेस्टीज पाइंट बनाये। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूं कि इसको प्रेस्टीज पाइंट नहीं बनाया जाय।

श्री विष्णु मोदी : जब जोशीजी के लड़के पर मजिस्ट्रेट की हत्या का आरोप लगा था तब आपने सी.बी.आई. की जांच मांगी थी वह मुख्य मंत्री थे और उस वक्त सी. बी. आई. की जांच सरकार ने करवायी। आप एक जांच (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोशीजी को बीच में मत लाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। माननीय भाभड़ा साहब। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : हम बैठे हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय भाभड़ा साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पिन माइंटेड निवेदन है कि क्या सरकार सी.बी.आई. से जांच करवायेगी ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के आगामी वर्ष के बजट पर चर्चा चल रही है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर तो व्यवस्था हो चुकी है। व्यवस्था दी जा चुकी है। (व्यवधान) माननीय सदस्य बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : यह मामला निर्णीत नहीं हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी, इस मामले में वक्तव्य दें, इस प्रकार + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह हाउस आपका है (व्यवधान) आप नहीं चलने दें तो आपकी मर्जी की बात है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : आप हमको अपनी बात कहने ही नहीं देना चाहते। आप सबजुडिस का बहाना लेकर हमको अपनी बात कहने नहीं देना चाहते हैं और उसके बहाने मामले को क्लोज कर देते हैं उसके बाद हम अपनी बात कैसे आप तक व्यक्त कर सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : प्रथम सूचना रिपोर्ट में, डाइंग डिक्लेरेशन में, बयानों में हैं और एस.पी. कह रहे हैं दोषी नहीं है। गृह मंत्री कह रहे हैं, दोषी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय भाभड़ा साहब। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : एफ.आई.आर. में उसका नाम है, डाइंग डिक्लेरेशन में उसका नाम है, आई विटनेस.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इनको एक घण्टा पूरा अपनी बात कहने को मिला। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब अंकित न हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री रामप्रताप कासनियां : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय बिराजें। (व्यवधान) बिराजिये आप। माननीय भाभड़ा साहब। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : राजस्थान के आगामी वर्ष के बजट...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बिराजें आप। इस पर डिस्कशन हो चुका है। जाकिर हुसैन की हत्या

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

हुई, जैसी भी स्थिति हो, चार महीने हुए आप कभी बैठे भी नहीं। खड़े-खड़े... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान) बिराजिये आप। मंत्री पर कोई आरोप लगाने से पहले आपको सबको नोटिस देना चाहिए। (व्यवधान) बिराजिये आप। (व्यवधान) मर्जी आवे जैसे आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा पायेंगे। (बिराजिये) बिराजिये, माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये। बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय कमला जी ने और डा. हरिसिंह जी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सही बात यह है कि मैंने इनका वक्तव्य अभी सुना है जो इन्होंने दिया। आप माननीय सदस्यों ने विपक्ष की तरफ से जो तर्क दिया है उसके आधार पर तो मैं कन्विन्स नहीं हूं कि इस मामले का इन्वेस्टीगेशन सी.बी.आई. से कराया जाये, नम्बर एक। दूसरा, कोई और यदि आप तथ्य देते हैं, सदन की कार्यवाही अभी चलेगी, सदन में चर्चा करके इसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाना न पक्ष के लिए ठीक है और न विपक्ष के लिए, कोई ऐसे तथ्य हों जो तथ्य जानबुझकर छिपाये गये हों या तथ्यों का अनुसंधान नहीं किया गया हो या किसी प्रकार का पक्षपात किया गया हो तो मैं निश्चित रूप से....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो आप हमारी चर्चा सुन लीजिये। आपने जिस प्रकार के तथ्य हमसे अपेक्षित किये हैं वही हम सामने रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अभी तो आप कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी कोई बात कहे। जब बात कहने लगते हैं तो 5-6 इकट्ठे एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक–एक माननीय सदस्य अपनी बात कहे। बिराजिये आप।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि कोई ऐसे तर्क बतायें कि जिससे मैं कन्विन्स होऊं। तो तर्क तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। न वह तर्क सुनने के लिए तैयार हैं, न आप तर्क सुनने के लिए तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात सुन लीजिए। Let me complete. मैं इतना ही कह रहा था कि यहां जिस तरह की बातें होंगी, मान लीजिये कि कोई मर्डर का केस है, कोई काग्नीजेबल आफेंस है उसमें पक्ष, विपक्ष हम राजनैतिक दलों के आधार पर बंटे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी सोच में राजनीति है और कतल के मामलों में यदि हम राजनीति

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को आधार बनाकर चर्चा करेंगे तो किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वक्तव्य माननीय गृह मंत्री जी ने दिया है उस पर जो चर्चा हुई उसमें ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं कि स्ट्रेटअवे उस मामले को सी.बी.आई. को दे दिया जाये। अगर आप ऐसा समझते हैं कि इसमें और कोई तथ्य हैं तो मैं आपको यह विश्वास से कह सकता हूं कि हाउस के यहां वेल में आने की या प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं निश्चित रूप से उस मामले में जो भी अनुसंधान हो रहा है उसमें इम्प्रूवमेन्ट के लिए यदि आवश्यकता हुई तो सी.बी.आई.को दे दूंगा और यदि आवश्यकता नहीं हुई तो मैं यहां की सी.आई.डी. को दे दूंगा। सीनियर आफिसर से इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता हुई तो मैं वह भी करवा लूंगा। लेकिन भगवान के नाम पर एक बात कहना चाहता हूं कि मर्डर के मामलों में और इस प्रकार के मामलों में आप यह समझ लो कि राजनीति नहीं आनी चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : भगवान का नाम मत लीजिये मेहरबानी करके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चन्दनमल जी एक बात बता दूं। नसरू खां का भाई है तो आरोपित तो वह है। बार-बार यहां पर यह कहा जाना कि एक मंत्री का भाई है, तो क्या मंत्री का भाई दोषी हो जाय तो क्या मंत्री दोषी है? यह कह रहे थे सब कि मंत्री को बरखास्त करो। किस बात का नारा लगा रहे थे? गिरफ्तार करो; किसी बात का नारा?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आरोप है उसके ऊपर। थाने में जाकर खुद छुड़वा कर यह लाये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शांतिकुमार जी, जैसा आपका नाम है थोड़ा वैसा ही स्वभाव बन जायें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे विधायक बन सकते हो लेकिन आपके नाम के विपरीत यदि आपका आचरण होगा तो अच्छे विधायक नहीं बनेंगे। आप जो भी कहना चाहते हैं, मैं सुनने को तैयार हूं। जितने घण्टे कहना चाहते हैं उतना सुनने को तैयार हूं। लेकिन यह कोई तरीका नहीं हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो बिराजें। मेरी सुन लीजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह चैप्टर तो बन्द हो गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी सुन लें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि इस चैप्टर पर चर्चा होगी। यहां नहीं होगी। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि श्री चन्दलमल जी बैद के नेतृत्व में या कमला जी के नेतृत्व में मुझे आकर वह कन्विन्स कर दें कि इस मामले में सी.बी.आई. को देने से ही न्याय होगा तो मैं जांच उससे करवा दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे। मैंने बहुत संजीदगी के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि इससे पहले कई बार सी.बी.आई. से हम जांच करवा चुके हैं और आज ही हाउस में इतनी उत्तेजना है, इतनी गंभीरता है और इतनी

(श्री चन्दनमल बैद)

इसके बारे में चिंता है तो मैं यह समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री, कम से कम मैं तो मुंह से नहीं कह सकूंगा, कम से कम एक सीनियर मैम्बर तो हूं इस हाउस का मैं, मैं शांति के साथ बैठा हुआ था और मैंने इतना ही निवेदन इनसे किया कि इतना गम्भीर मामला है, इतनी उत्तेजना है और इतनी चिंता है और इसमें माननीय सदस्य का कुछ हाथ बताया था तो क्यों नहीं उनका हाथ साफ करने के लिए, पाक दामन करने के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए अगर इस काम को आप उठा लेते हैं तो इसमें क्या प्रेस्टीज का सवाल बनता है? क्यों बार-बार आप कहते हैं इसमें राजनीति है? क्यों बार-बार भगवान का नाम लेते हैं? बिना भगवान का नाम लिये, बगैर राजनीति की बात किये इस काम को आप कर सकते हैं। इस वास्ते, मुख्य मंत्री जी मुझे बड़ी निराशा है, मैं कोई भी डेपुटेशन के साथ आपके पास नहीं आऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं। आपके खुद के शब्दों में आपने कहा कि इस विषय को लेकर बड़ी उत्तेजना है। तो इस उत्तेजना में क्या इस प्रकार का निर्णय लिया जाये?

श्री चन्दनमल बैद : उत्तेजना इस बात की है कि चर्चा बन्द कर दी गयी। हम सवाल पूछ रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब ही नहीं दिया और आप चर्चा खतम कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने हमारे प्रश्नों का जवाब दिया क्या? अगर जवाब दिया हो तो मुझे कहिये। आप जवाब भी नहीं देंगे तो हम उत्तेजित भी नहीं होंगे।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी के ऐसे गम्भीर मामलों में शांति जी आप शांत रहें यह कहकर टालना, उत्तेजना में ऐसे फैसले नहीं दिये जा सकते। इधर-उधर के पैंतरे पलट पहलवान की तरह जो इनकी आदत है.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट।

डॉ. हरिसिंह : आप मेरी सुन लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाइये पहले। इसके बारे में नहीं बोलूंगा।

डॉ. हरिसिंह : तो यह कह देना कि शांति जी आप गम्भीरता रखिये_(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस में वैक्यूम कभी नहीं हो सकता। हाउस में चर्चा तो चलती रहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : बैठिये, बैठिये कोई सीरियस मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, मोटवानी जी, आप क्या कह रहे है।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सदन की कुछ परम्पराएं हैं। सदन में जब आसन पर कोई भी बिराजमान होता है, चाहे सभापति हो, उपाध्यक्ष हो या चाहे अध्यक्ष हो, एक बार किसी संदर्भ में रूलिंग आ जाती है तब उसका रिव्यू उसी समय दूसरे व्यक्ति के

(श्री किशन मोटवानी)

वेंज होने से नहीं होता है। यहां पर, सभापति महोदय, ने एक व्यवस्था दी। आर्ग्यूमेन्ट्स भी बहुत हुए, उदाहरण भी बहुत दिये गये, अल्टीमेटली उसके बाद उन्होंने यह व्यवस्था दी की जो मैटर कोर्ट में है, उससे अलग हटकर डिस्कस किया जा सकता है। उस पर यह डिस्कशन चल रहा था। कुछ सवाल जवाब पूछे जा रहे थे और इसी बीच में आप आ गये। आने के बाद में पूरे मैटर को आपने रिव्यू कर दिया। वह रिव्यू इस सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है, यह मैं निवेदन कर रहा हूं। यह रिव्यू आपको नहीं करना चाहिए था, चर्चा को समाप्त नहीं करना चाहिए था, जो प्रश्न आ रहे थे उनके जवाबात आ जाने चाहिए। जवाबात आ जाने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि ये मैटर सबजुडिस है, यह बोला है या नहीं बोला है। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है, मैं इस सदन की गरिमाओं के संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं, पूर्व में प्रतिपादित यहां की कुछ गरिमाएं हैं उनको वापस रखा जाना चाहिए। उनको ध्वस्त नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आपने इसको रिव्यू करके इस चर्चा को समाप्त किया है उस रिव्यू का आप वापस लें, चर्चा करने दीजिये। कुछ हमारे सवाल ऐसे डायरेक्ट हैं कि चालान पेश हुआ है तो आप अलाउ मत कीजिये, जवाब ही नहीं आने दीजियेगा। अभी भी इन्वेस्टीगेशन चल रहा है उससे संदर्भित हैं उनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। जवाब सदन में आ जायें फिर आप निर्णय ले लें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मेरा भी यही कहना है, We can not put hot and cold together.

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। हाट एण्ड कोल्ड टुगेदर का यहां पर झगड़ा नहीं है। उन्होंने यह बात कही थी और उसके बाद काफी डिस्कशन हो चुका। उसके बाद मैंने मैटर एंड किया है। एक घंटे तक पूरी इस सदन में बहस चली है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछे गये हैं उनका मंत्री जी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : जो मैटर सबजुडिस हो माननीय सदस्य उस पर चर्चा नहीं करें तो ही अच्छा है। कोर्टों पर भी और जो इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर्स हैं, दोनों पर ही विपरीत प्रभाव पड़ने की शंका रहती है।

श्री किशन मोटवानी : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने निवेदन किया है, आसन पर दूसरे सभापति या अध्यक्ष के आने पर पूर्व के निर्णय का रिव्यू किया जा सकता है, इस पर निश्चित आप अपना निर्णय दें। आने वाले समय में हमको यह गाइड करेगा कि किस तरह के डिस्कशन हम यहां पर करें, किस तरह के डिस्कशन को यहां अलाउ किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक निवेदन तो यह है कि माननीय मोटवानी जी ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत गम्भीर है, उस पर आप गम्भीरता से सोच कर व्यवस्था दें। आपके विवेक पर मुझे कोई सन्देह नहीं है। दूसरा यह है कि कोई भी चीज गम्भीर हो, बडा जुल्म हो गया हो, अन्याय हो गया हो उसको इसकी आड़ में टाल दिया जाता

(134)

(डॉ. हरिसिंह)

है कि मामला कोर्ट में है, सबजुडिस है। कोर्ट के सबजुडिस मुद्दे तो यहां डिस्कस ही नहीं हो रहे हैं, मुद्दे तो यह डिस्कस हो रहे हैं कि कोर्ट में ले जाया ही नहीं गया। यदि कोर्ट में मामला ले जाया ही नहीं गया तो सबजुडिस कहां है। उसको तो बरी कर दिया गया, उसको बिलकुल निर्दोष साबित कर दिया गया है। जब पुलिस ने इतना बड़ा अन्याय किया है, मैं तो यहां तक चार्ज लगाऊंगा। आप इसको गम्भीरता से सोचिए। तीन दिन पहले आपने यह कहा था, हमें आश्वासन दिया था कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे को यह संदेह हो रहा है, आप अध्यक्ष की तरह से थोड़ा हैजीटेशन कर रहे हैं। अब आप पर क्या दबाव है, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : अब आप बन गये। बनने से पहले दबाव था, खतम हो गया। अब आप काहे के झगडे में पड़ते हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय भाभड़ा साहब।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय,...

एक माननीय सदस्य : आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलाइये। चर्चा पूरी करवाइये (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय की तरफ से आसन से यह कहा गया है सबजुडिस मैटर पर न बोलें। हम सबजुडिस मैटर पर नहीं बोलना चाहते लेकिन हमारी चर्चा पूरी करवाई जावे। हमारे एक-एक सवाल का जवाब देना होगा...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, जैसे माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार है, मुझे भी इस नाते बोलने का अधिकार है। मैं भी इस सदन का सदस्य हूं। मुझे बड़ा खेद है कि विपक्ष के माननीय सदस्य यह समझते हैं कि उन्होंने सदन की मोनोपोली कर ली है। यह तो बड़ी गड़बड़ बात है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मोनोपोली आपकी भी नहीं है। आप हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मोटवानी जी ने सवाल उठाया है मुझे इस पर जवाब देना है। मोटवानी जी ने जो सवाल उठाया है, इसी पाइंट पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं और विचार रखने का मुझे पूरा अधिकार है और मैं यह समझता हूं कि यदि प्रतिपक्ष के सदस्य यह समझते हैं कि उन्हीं को अकेले बोलने का अधिकार है, सत्ता पक्ष का कोई सदस्य बोल नहीं सकता, यदि इस सदन की यह परम्परा है और माननीय अध्यक्ष यदि यह कह दें कि माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य ही बोलेंगे तो मैं बैठ जाता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय मोटवानी जी ने जो सवाल उठाया है उसमें एक बात बिलकुल स्पष्ट है कि माननीय अध्यक्ष ने आते ही सभापति की व्यवस्था को दोहराया और दोहराकर उसी को लागू करने की बात कही। उसके बाद जब मामले के गुणावगुण पर विचार शुरू हो गया, उसके तथ्य आने लगे तब माननीय अध्यक्ष ने

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कहा कि इस पर चर्चा समाप्त मानी जाय। इसलिए अध्यक्ष जी द्वारा सभापति की व्यवस्था को रिव्यू नहीं किया गया।

श्री किशन मोटवानी : रिव्यू नहीं करना चाहिए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसमें भी अन्तर है। अध्यक्ष को सर्वाधिकार प्राप्त है। अध्यक्ष रिव्यू कर सकता है। किसी भी सभापति या उपाध्यक्ष की व्यवस्था को बदलने का अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त है। मगर इस केस में अध्यक्ष जी ने ऐसा नहीं किया। अपनी व्यवस्था दी और मैं समझता हूँ, अध्यक्ष जी की व्यवस्था के बाद जो सवाल उठाये जा रहे हैं वे इस नियमावली के विरुद्ध हैं, संविधान के विरुद्ध हैं और संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध हैं। अध्यक्ष की व्यवस्था को चुनौती किसी भी रूप में, चाहे सवालों के रूप में, चाहे पांइट आफ आर्डर के रूप में नहीं दी जा सकती। यदि प्रतिपक्ष के सदस्य सब मर्यादाएं तोड़ने पर ही उतरे हैं तो वह सब कुछ कर सकते हैं। आप यहां नृत्य कर सकते हैं, आप वैल में आ सकते हैं (व्यवधान) मर्यादा यह है कि अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी तो आपको उस व्यवस्था को मानकर शांति से शिरोधार्य करना चाहिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोई व्यवस्था नहीं दी है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप अध्यक्ष जी से पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी थी। बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मर्यादा भंग कर रहे हैं। माननीय उप मुख्य मंत्री जी, हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप इतनी मर्यादा नहीं रख सकते हैं कि मैं बोल रहा हूं, आप खड़े हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष पैरों पर खड़े हैं, आप खड़े हो जाते हैं। आप मर्यादा का + + + ले रहे हैं। आप तो मानवीय मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम हत्यारों को नहीं बख्शेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह सदन आपकी + + + नहीं है। इसमें हमारा भी हिस्सा है। मर्यादा पालन करने के लिए आपको परिश्रम और अभ्यास करना पड़ेगा। अभी अभ्यास नहीं है। अभी मर्यादा तोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं, करते जाइये।

श्री परसादी लाल मीणा : आप हमसे ज्यादा बार इस सदन में नहीं आये हैं, उप मुख्य मंत्री जी, आप भाषण नहीं दें। यहां नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष जी, इस व्यवस्था वाले प्रश्न में मुझे कुछ कहना है। माननीय भाभड़ा जी ने दो तीन बातें कही हैं। एक बात तो यह कही कि अध्यक्ष जी ने जो कुछ व्यवस्था दी उसको चैलेन्ज नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : मैं यहां तक तो माननीय सदस्य से सहमत हूं। लेकिन मर्यादाओं की आड़ में अगर कोई गलत चीज होती है तो मैं मर्यादाओं की आड़ में उस गलत चीज को मानने

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डॉ. हरिसिंह)

के लिए तैयार नहीं हूं। जब भाभड़ा जी अध्यक्ष थे, मैंने एक बात कही थी कि मर्यादाओं की आड़ में सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। मर्यादा तो यह है कि आप बैठें और हमारी सुनें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 15.30 बजे आधे घण्टे के लिए स्थगित हुई।)

पुनः समवेत होने पर

(16.00)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष :शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति

श्री मोरारजी देसाई, पूर्व प्रधान मंत्री एवं श्री रामस्वरूप मेघवाल, पूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन पर

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन को बहुत ही दुःख के साथ यह सूचना देता हूँ कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई का आज स्वर्गवास हो गया। मोरारजी देसाई का व्यक्तित्व इस देश में इस प्रकार का रहा है कि उन्होंने जिस क्षेत्र में भी काम किया वहां अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ी है। सन् 1896 को बलसाड जिले के एक गांव में जन्म लेकर मोरारजी भाई ने निरन्तर ग्रामीण क्षेत्र के वातावरण से निकल कर बम्बई में जाकर शिक्षा ग्रहण की और जिस समय वे ग्रेजुएट बने उसी साल ही, उसी वर्ष ही उन्होंने स्टेट की सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन दी और उनका चयन हो गया। उस चयन के बाद वे अहमदाबाद में डिप्टी कलक्टर हो गये। लेकिन कुछ समय पश्चात् महात्मा गांधीजी का आन्दोलन देखकर उस आन्दोलन से प्रेरणा लेकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी और छोड़ने के साथ ही वे स्वतन्त्रता आन्दोलन में शामिल हो गये। आन्दोलन में वे लगभग चार बार जेल गये और लगभग सात वर्ष तक जेल में रहे। वे एक बार तत्कालीन मुख्य मंत्री डाक्टर खेरकी मंत्री मण्डल में सदस्य भी रहे लेकिन उसके पश्चात् 1942 में "भारत छोड़ो" आन्दोलन के कारण से उन्होंने उससे त्याग पत्र दे दिया और फिर उससे अलग हो गये। इस आन्दोलन में गांधीजी के एक शिष्य के रूप में जहां उन्होंने आन्दोलन के लिये लोगों को प्रेरणा दी, वहीं अपने स्वभाव से, अपनी तीव्रता से अंग्रेजी हुकूमत के दिमाग में भी यह दहशत पैदा कर दी कि इस प्रकार का आन्दोलन चलते रहते अंग्रेज हिन्दुस्तान में इस प्रकार की हुकूमत नहीं चला सकते।

1947 में देश आजाद हुआ। 1952 में विधान सभा के चुनाव हुए, लेकिन किन्हीं राजनीतिक कारणों से वे चुनाव में हार गये। लेकिन उन्हीं कारणों के आधार पर 1952 में फिर अहमदाबाद से विधान सभा का चुनाव लड़ा और वहां राज्य के मुख्य मंत्री बने। उनके मुख्य मंत्रित्वकाल में ही महाराष्ट्र के विभाजन का प्रश्न आया। गुजरात और महाराष्ट्र के प्रदेश उसी आन्दोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे लेकिन मोरारजी देसाई ने इसका विरोध किया। उस समय भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस तरह की मांग पर और भाषा के नाम पर यदि देश में राज्यों का निर्माण होगा तो इसका कोई अन्त नहीं होगा और इसके कारण से देश की एकता और अखण्डता को भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खतरा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन विभाजन हुआ और महाराष्ट्र और गुजरात ये दो प्रदेश बन गये। वहां से मोरारजी देसाई सीधे दिल्ली में आ गये, वाणिज्य मंत्री रहे और कई वर्षों तक केन्द्रीय सरकार में मंत्री रहे। 1977 में चुनाव के बाद जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता बने और हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री रहे।

प्रधान मंत्री काल में अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने इस देश की समृद्धि के लिए जिस प्रकार से निर्णय लिये हैं, जिस साहस के साथ उन्होंने निर्णय लिये उसका एक परिणाम तो हिन्दुस्तान की जनता ने देखा है कि उन्होंने महंगाई को नियंत्रित किया। किस प्रकार से महंगाई को नियंत्रित किया, यह आज बच्चा-बच्चा हिन्दुस्तान का जो मोरारजी देसाई के नाम से जो परिचित है, उनकी इस प्रक्रिया से भी निश्चित रूप से परिचित होगा। उसके पश्चात् लगातार मोरारजी भाई अपने स्वभाव के कितने दृढ़ थे, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके रहन-सहन में, खान-पान में, बातचीत में और मान्यताओं में किसी प्रकार का किसी घटना से परिवर्तन नहीं आया। कई लोगों को दया आ जाती है, कई लोगों के स्वभाव में, प्रक्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन आ जाता है लेकिन मोरारजी देसाई का व्यक्तित्व ऐसा था कि जिस चीज को ठोक बजा कर उन्होंने एक बार स्वीकार कर लिया उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता।

वे शराब के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि शराब के प्रचलन पर रोक लगायी जाय।

जिस समय वे प्रधान मंत्री थे, मैं भी राजस्थान का मुख्य मंत्री था। मुझे बुलाकर एक बार कहा कि शराब बंद होनी चाहिए। मैंने कहा, शराब बंद होनी चाहिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन शराब के कारण से जो राज्य को घाटा होगा उस घाटे की पूर्ति यदि नहीं की गयी तो इधर शराब बंद होगी और उधर स्कूल बंद होंगे। तो कहने लगे कि मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। पहले तो कह दिया कि मैं व्यवस्था करूंगा लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सरकारी अधिकारियों ने बताया कि एक राज्य में यदि शराब बंद होती है तो उसके कारण से इतना हमें रिएम्बर्समेंट करना पड़ेगा, यदि हिन्दुस्तान के सारे राज्यों में शराब बंद हुई तो इसका तो बहुत अधिक हमें रिएम्बर्समेंट करना पड़ेगा, तो फिर मुझे बुलाया और बुलाकर मुझे कहने लगे कि आपको शराब तो बंद करनी है। मैंने कहा कि आपने कहा कि मैं रिएम्बर्समेंट करूंगा और आपने कहा था कि फिफ्टी पर्सेन्ट का मैं रिएम्बर्समेंट करूंगा और शनैः शनैः रिएम्बर्समेन्ट बढ़ा दूंगा, आज यह बात क्यों कर रहे हैं। ज्यादा जिद करने लगे तो मैंने कहा, मोरारजी भाई, आपके बारे में मैं सुनता था कि आपकी वाणी से एक बार निकल जाय तो उस पर टिके हुए रहते हैं, यह बदलने का तो प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। मेरा तीर काम कर गया और मोरारजी भाई ने कहा कि मैं पैसा दूंगा, तुम शराब बंद कर दो, मुझे लोगों ने जो कहा था कि हमारे हिन्दुस्तान के ऊपर एक अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा, उस भार से मुक्ति दिलाने की आवश्यकता इसी में है कि स्टेट के ऊपर यह बर्डन डाला जाय, मैं इस पर नहीं डालूंगा।

उनके खान-पान को मैंने देखा है। मैं ऐसा समझता हूं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से इस तरह का शरीर बना कर रख सकता है। आज कैलोरी वैल्यू की बातें कई बार आती हैं कि आदमी कितना खाये और कितना पीये, मोरार जी देसाई नाप तौल कर कैलोरी वैल्यू के आधार पर खाना खाते थे कि इतनी चीजों से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इतनी कैलोरीज मिल जायेंगी, इतनी चीजों से इतनी कैलोरीज मिल जायेंगी। एक दिन मैं, चन्द्रशेखर जी और शरद पंवार, जब वह खाना खा रहे थे, तीनों बैठे थे। तो मैंने कहा, आपका पेट भर गया। बोले-हां, पूरी कैलोरी वैल्यू मैंने प्राप्त कर ली है और मैं फुल्ली सैटिसफाइड हूं। तो मैंने कहा, इंस आपकी कैलोरी वैल्यू को हम खाना शुरू करें तो पन्द्रह दिन में हमारी तो हालत ऐसी खराब हो जाय कि उठ भी नहीं सकते। कहने लगे नहीं, यह आपकी मानसिकता बन गयी है। जितनी शरीर को आवश्यकता है फूड की, उतनी आवश्यकता ही होगी, बाकी सब चीज बेकार है। मैंने कहा, मोरारजी भाई, यह बेकार होगी, लेकिन आज हमारी मान्यता नहीं है। जिस प्रकार की आपकी मान्यता दृढ़ बन गयी, उस प्रकार की हमारी मान्यता बन जायेगी तो निश्चित रूप से हम इसी मानसिकता के होकर कैलोरी वैल्यू के आधार पर चलेंगे और देश में कितना खाद्यान्न बचेगा, इसका हिसाब लगाकर सारे आदमी लग गये तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जायेगा।

लेकिन मैं आज कहता हूं कि यह व्यक्ति है जिस व्यक्ति को "भारत रत्न" की उपाधि मिली। यह वही व्यक्ति है जिसको "निशाने -ए-पाकिस्तान" मिला। "निशान -ए-पाकिस्तान" जब मिला था तो समाचार पत्रों में बड़ा एडवर्स इसका रिएक्शन आया और एडवर्स रिएक्शन के आधार पर जब उनसे किसी ने पूछा कि जो सम्मान आपको दिया गया है इससे आप इन्कार करेंगे या इसको स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान ने मेरा सम्मान किया है, मुझे इन्कार करने का और स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मुझे जैसे "भारत रत्न" भारत ने दिया है उसी प्रकार से इस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान ने भी दी है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का सम्मान रखने के लिए मुझे जो कुछ उन्होंने सम्मान दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए। आज उस प्रकार का व्यक्ति हमारे बीच से उठ कर चला गया।

पिछले दिनों में उनके सौवें वर्ष के सम्बन्ध में पूरे देश के अन्दर काफी चर्चा रही, उत्सव मनाये गये, ये सब कुछ बातें हुईं। उसके आधार पर कोई लोग यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वे सौ वर्ष पूरे नहीं कर पायेंगे। अभी वे सौवें वर्ष में चल रहे थे, सौ वर्ष पूरे नहीं हो पाये, कुछ महीने बाकी रह गये लेकिन दैव संयोग की बात है कि सौवें वर्ष में ही वे हमारे बीच से उठकर चले गये। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश में मूल्य आधारित राजनीति का अगर एक मानसिक दृष्टि से कोई व्यक्ति प्रखर रूप से निकल कर आया है तो उन व्यक्तियों में से मोरार जी का नाम भी किसी से पीछे नहीं है। मोरारजी भी उनके बराबर होंगे, पीछे नहीं होंगे। इस मूल्य आधारित राजनीति के प्रसंग में मोरारजी का नाम सदा लिया जायेगा, इसको कोई नहीं भूल सकता। हमें दुःख है कि आज मोरारजी देसाई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये सदन को एक बार स्थगित करके दुबारा बैठक बुलाई।

मैं उनके प्रति मेरी ओर से और सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और उनकी आत्मा को शांति दें।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, साथ ही हमारे एक साथी रामस्वरूप जी मेघवाल जो रायसिंहनगर से पिछली बार विधान सभा के सदस्य बने थे उनका स्वर्गवास हो गया। वे अपने पिता बेगाराम जी की मृत्यु के बाद उनके सारे क्रिया-कर्म के फूल वगैरह लेकर हरिद्वार जा रहे थे कि रास्ते में पंजाब में एक सड़क दुर्घटना में उनकी वहीं मृत्यु हो गयी। रामस्वरूप जी बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे। मुझे मालूम है, किसी काम के लिए भी आते तो बार बार उनको पूछना पड़ता था कि आप आये किसलिए हो। तो यही देखते रहते थे कि किस समय इनको काम के लिए कहूं। बहुत ही संकोची स्वभाव का सरल व्यक्ति हमारे बीच से उठकर चला गया। दुर्भाग्य की बात है कि बेगारामजी का भी स्वर्गवास हो गया। बेगारामजी उनके पिताजी थे और बेगाराम जी के कुछ दिनों के बाद ही उनके पुत्र का देहावसान, यह परिवार के लिए कितने संकट का कारण बनता है इसका अनुमान लगा सकते हैं। मैं इसी आधार पर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा और साथ ही उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करें, यह ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी नेता मोरारजी भाई के निधन पर जो शोक प्रस्ताव सदन के नेता ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मोरारजी भाई के देहान्त से हमने आजादी का एक अग्रणी नेता ही नहीं खोया है बल्कि देश की आजादी के पहले और प्रो-इण्डिपेंडेंस एरा के अन्दर कठोर चरित्र से देश के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र की नीतियों के निर्धारण में जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान रहा है वह हमारे लिए हमेशा एक मिसाल रहेगा। मोरारजी भाई एक सरकारी अधिकारी थे।

गांधी दर्शन से प्रभावित हुए, नौकरी से त्याग पत्र दिया और "सविनय अवज्ञा आन्दोलन" में गांधीजी के अनुयायी की तरह कूद पड़े। किसानों के आन्दोलन में जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, उसमें भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मोरारजी भाई भारत के प्रधान मंत्री भी रहे, मुख्य मंत्री भी रहे, भारत सरकार के वित्त मंत्री भी रहे और वृहत् महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी रहे। लेकिन मोरारजी भाई को इसलिए याद किया जायेगा कि मोरारजी एक निडर और निर्भीक व्यक्तित्व के धनी थे, स्पष्ट वक्ता थे। उनका आचरण इतना अनुशासित और मर्यादित, इतना संयमित था कि वह हमारे सब के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है।

मोरारजी सिद्धान्तवादी थे और जैसा कि मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि चाहे वह मद्यनिषेध की बात हो, चाहे वह गोल्ड कण्ट्रोल आर्डर के लागू करने की बात हो जिस सिद्धान्त और जिस नीति में उनकी आस्था थी वह बहुत दृढ़ता से और निडरता से अपनी बात को स्पष्ट तौर से कहते थे। इतना बेबाक और खरी-खोटी सुनाने वाला व्यक्ति मैं समझता हूं कि देश की राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में बहुत कम आया होगा। मोरारजी का अकस्मात निधन हो गया जो आदमी इतना संयमी था, इतनी मर्यादित अपनी दिनचर्या से जीवन यापन कर

(श्री परसराम मदेरणा)

रहा था। वे बहुत पंक्चुअल थे। जब वे वित्त मंत्री थे, जैसलमेर में सुखाड़ियाजी के साथ थे। यह सन् 1968 की बात होगी। उनके शाम के भोजन का 6 बजे का वक्त, कोई 2-3 मिनट की देरी हुई होगी तो उन्होंने कहा भाई, जैसा मैंने कहा है मेरा खाना ले आओ, 6 बज गये। इस तरह का खान-पान में ही नहीं वरन् अपने सिद्धान्त, अपने विचार, अपने नैतिक मूल्यों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के अन्दर भी एक साहस था, एक निडरता थी और उनका कुछ मूल्यों के प्रति समर्पण भी था।

ऐसे गांधीवादी, स्वतन्त्रता के अग्रणी नेता कुशल प्रशासक तथा चरित्र और मनोबल के एक प्रतीक मोरारजी भाई के स्वर्गवास से राष्ट्र को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। अभी उन्होंने सौवें वर्ष में जब प्रवेश किया तो मैं सोच रहा था कि मोरारजी भाई 10-15साल और जीयेंगे। वे नेचुरोपैथी में विश्वास रखते थे और नेचुरोपैथी में जो उनकी धारणा थी, कई उनके बारे में अखबारों ने और दूसरे लोगों ने कितनी भी हास्यास्पद उनकी स्थिति बनायी हो लेकिन वह सिद्धान्तवादी व्यक्तित्व अपने सिद्धान्त के ऊपर निष्ठा से एक बात को दृढ़ता के साथ में कहते थे। ऐसे व्यक्ति के निधन से राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। मैं प्रतिपक्ष की ओर से और अपनी ओर से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक-संतप्त परिवार को इस असह्य दुःख को सहन करने की शक्ति दें।

हमारी नवीं विधान सभा के सदस्य श्री रामस्वरूपजी मेघवाल निर्वाचन क्षेत्र रायसिंहनगर से थे उनका एक दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया। यह बड़ी हृदय विदारक घटना है। वे एक राजनैतिक परिवार से थे और हमेशा समाज के गरीब और दलित लोगों की सेवा में रत रहे। उनके निधन से भी गंगानगर क्षेत्र में विशेष तौर पर और राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र में एक रिक्तता आयी है।

उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें, उनकी आत्मा के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान शक्ति दें ताकि वे इस असहनीय दुःख को सहन कर सके।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मोरारजी भाई जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और प्रधान मंत्री तक पहुंचे उनके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं उनका समर्थन करता हूं। मोरारजी भाई को गणतंत्र के रक्षक के रूप में इस देश में याद किया जायेगा। जहां तक उनके परिवार को इस आकस्मिक निधन से दुःख हुआ है, क्षति हुई है उसको पूर्ण करने के लिए प्रकृति से मैं अनुरोध करता हूं कि उनको क्षमता दे।

रामस्वरूप जी मेघवाल जो नवीं विधान सभा के सदस्य थे उनके आकस्मिक निधन से उनके परिवार को दुःख हुआ, प्रकृति उसको झेलने की उनके परिजनों को शक्ति दे, क्षमता दे। मैं उन्हें अपनी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, अभी कुछ ही दिन पहले मोरारजी भाई ने सौवें वर्ष

(श्री शिवनाथ सिंह)

में प्रवेश किया था। पूरे देश का मानस था कि मोरारजी भाई को, सौ वर्ष के जब पूरे हो जाएंगे, सम्मानित किया जाएगा। आज अचानक यह खबर मिली कि मोरारजी भाई नहीं रहे। मोरारजी भाई सच्चे गांधीवादी थे। गांधीजी के नियमों का, गांधीजी के आदर्शों का उन्होंने पालन किया। जिन्दगी के काफी वर्षों तक 5-7 सालों को छोड़कर उन्होंने चरखा कातने का प्रण अपने हाथ से चरखा कातते नियमबद्ध निभाया। वे एक चरित्रवान व्यक्ति थे। राजनीति में इस प्रकार के व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो कुछ बात उनके दिमाग में बैठ गयी देश हित में, प्रान्त हित में और समाज के हित में, उस बात को कहने में और क्षमता के अनुसार उसको करने में उन्होंने कभी दूसरी बात नहीं सोची। चाहे कितनी ही उनकी आलोचना हो, कितना ही उनको इस बात के लिए उलटा कहा जाय लेकिन जिस बात को उन्होंने समझ लिया कि यह देश हित में है उस बात को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया। मोरारजी भाई के निधन से एक पीढ़ी, जो हमारे देश की आजादी के आन्दोलन से जुड़ी है, उसमें रिक्तता आ रही है। आये दिन वह पीढ़ी जा रही है। अब बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने आजादी के संघर्ष में बलिदान दिये, पीड़ाएं सहीं। मोरारजी भाई ने भी आजादी के संघर्ष में कम पीड़ा नहीं सहीं। देश उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखेगा।

उन्होंने मुख्य मंत्री के रूप में, देश के वित्त मंत्री के रूप में और देश के प्रधान मंत्री के रूप में अपनी अलग छाप छोड़ी थी। कुछ मूल्य जो राजनीति में निभाना बहुत मुश्किल होते हैं, मोरारजी भाई ने वे मूल्य स्थापित किये और हमेशा उन मूल्यों पर वे चलते रहे। आज देश को बहुत बड़ी क्षति हुई। हम किन शब्दों में उस व्यथा को व्यक्त करें जब देखते हैं कि आजादी के सेनानियों की पीढ़ी और सेना समाप्त होती जा रही है। मैं मोरारजी भाई के प्रति अपने सब साथियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, भाई रामस्वरूपजी मेघवाल जो पिछली विधान सभा के सदस्य थे, समाज के एक गरीब वर्ग से आते थे। उनके पिताजी पार्लियामेण्ट के सदस्य रहे। वे भी विधान सभा के सदस्य रहे। वे हमेशा गरीबों के हित के लिए चिंतित रहते थे। उनके निधन से भी एक रिक्तता आयी है। मैं उनकी आत्मा की शान्ति के लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूं और अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं। धन्यवाद।

श्री *अध्यक्ष* : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना प्रकट की है उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी, 1896 को बलसाड जिले के भदेली ग्राम में हुआ। आपने बम्बई विश्वविद्यालय से बी. ए. की उपाधि प्राप्त की।

(श्री अध्यक्ष)

आपको कर्नाटक विश्वविद्यालय तथा उत्कल विश्वविद्यालय के द्वारा क्रमशः वर्ष 1957 व 1962 में "आनरेरी डॉक्टर ऑफ लॉ" की उपाधियों से विभूषित किया गया।

श्री देसाई अपने प्रारम्भिक जीवन से ही निर्भीक, संयमी और स्वाभिमानी रहे। बम्बई सरकार की प्रान्तीय सिविल सेवा में चयन होने पर आप मई, 1918 में डिप्टी कलक्टर नियुक्त हुए और विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन करने के बाद महात्मा गांधी के आह्वान पर वर्ष 1930 में शासकीय सेवा से त्याग पत्र देकर स्वतंत्रता आन्दोलन में कूद पड़े।

अपना सर्वस्व देश के लिए अर्पित करने के दृढ़ संकल्प के साथ आपने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1930 से 1934 की अवधि में दो बार तथा वर्ष 1940-41 में भी जेल यात्राएं कीं। आप वर्ष 1942 से 45 तक तथा आपातकाल में वर्ष 1975 से 77 तक 19 माह नजरबंद रहे।

श्री देसाई वर्ष 1937 से 39 और 1946 से 56 तक बम्बई विधान सभा के सदस्य रहे। वर्ष 1937से 39 में आप राजस्व सहयोग, कृषि और वन मंत्री तथा वर्ष 1946 से 52 तक बम्बई राज्य के गृह और राजस्व मंत्री रहे। वर्ष 1952 से 56 तक आप बम्बई के मुख्य मंत्री रहे।

आप दूसरी लोक सभा (1957-62) से छठी लोक सभा (1977-80) तक लगातार 5 बार सांसद निर्वाचित हुए। केन्द्र सरकार में आप वर्ष 1956 से 63 की अवधि में वाणिज्य, उद्योग, वित्त मंत्री रहे। वर्ष 1966-67 में आप भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1967 से 69 में आप उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री रहे।

24 मार्च, 1977 को आप संसद में जनता पार्टी के नेता चुने गये तथा भारत के प्रधान मंत्री बने। मूल्य नियंत्रण आपके कार्यकाल की एक बढ़ी उपलब्धि रही।

श्री देसाई धैर्य और संयम की अद्भूत मिसाल थे। अपने खान-पान और दिनचर्या का पालन आप बड़ी कड़ाई से करते थे। जीवन के शतकीय वर्ष में प्रवेश करने पर भी आत्मबल और वैचारिक दृढ़ता पर आपकी पकड़ कायम थी।

आपने अपने राजनैतिक जीवन के दौरान स्पेन और पुर्तगाल को छोड़कर यूरोप के सभी देशों ईरान, न्यूज़ीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, कनाड़ा, अमरीका, ब्राजील, मिश्र, जापान, थाइलैण्ड, फिलीपीन्स, नेपाल, पाकिस्तान आदि की व्यापक यात्रा की।

शिक्षा, कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा गांधीवादी कार्यकलापों में आपकी विशेष रुचि थी। ''डिसकोरसेस आन गीता'' दी स्टोरी आफ माई लाइफ तथा "बुक आन नेचर क्योर" आपकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं।

श्री मोरारजी देसाई का आज दिनांक 10.4.95 को बम्बई के जसलोक अस्पताल में निधन हो गया।

मैं दिवंगत पूर्व प्रधान मंत्री श्री देसाई को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, अन्य दलों ने और अन्य सदस्यों ने विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रामस्वरूप मेघवाल के प्रति जो शोक प्रस्ताव पेश किया है और संवेदना प्रकट की है उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

पूर्व विधायक श्री रामस्वरूप जी मेघवाल का जन्म 01 जुलाई, 1959 को रायसिंहनगर में हुआ। आपने नवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की।

गत नवीं राजस्थान विधान सभा (1990-92) में आपने श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। विधान सभा में आप जनता दल के विधायक के रूप में निर्वाचित होकर आये तथा नवम्बर, 1990 में आप जनता दल (ग्रुप) विधायक दल में सम्मिलित हो गये। आप विधान सभा की अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के 1990 से 92 तक तथा पुस्तकालय समिति, 1991-92 के सदस्य रहे। इसके अलावा फरवरी, 1991 से दिसम्बर, 1992 तक आप स्वायत्त शासन नगरीय विकास एवं आवासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, खेल-कूद, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे।

आप पिछड़ी जाति के लोगों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करते रहे तथा विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी निरन्तर पयत्नशील रहे।

श्री रामस्वरूपजी मेघवाल का 06 अप्रेल, 1995 को रात्रि में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया।

मैं दिवंगत पूर्व माननीय सदस्य को अपनी ओर से तथा सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें।

माननीय सदस्यगण से निवेदन है कि दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें व श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक 11 अप्रेल, 1995 को निर्धारित कार्य दिनांक 17 अप्रेल, 1995 को निर्धारित कार्य के स्थान पर व दिनांक 12 अप्रेल, 1995 को निर्धारित कार्य दिनांक 18 अप्रेल, 1995 को निर्धारित कार्य के स्थान पर लिये जायेंगे।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 17 अप्रेल, 1995 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 16.33 बजे सोमवार; 17 अप्रेल, 1995 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(144)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 31 का विवरण

परिशिष्ट "क"

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की अंशपूंजी के द्वारा राज्य में स्थापित इकाइयों का विवरण

क्र.सं. इकाई का नाम व स्थान	उत्पाद	परियोजना लागत (रुपये करोड़ में)	बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम	रोजगार
1.सेमकार ग्लास लि. (कोटा)	ग्लास शैल (पिक्चर ट्यूब)	500.00	कोरनिंग यू.एस.ए.	1000
2.सिकपा इंडिया लि. (भिवाड़ी)	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग इंक	34.00	सिकपा स्विटजर लैण्ड	200
3.राजस्थान ब्रेवरीज लि. (शाहजहांपुर)	बीयर	125.00	स्ट्रोस, यू.एस.ए.	200
4.क्लाइमेट सिस्टम (इंडिया) लिमिटेड (भिवाड़ी)	एल्यूमिनियम रेडिएटर्स	26.00	फोर्ड मोटर क. यू.एस.ए.	150
5.ग्रेपको ग्रेनाइट लिमिटेड (अलवर)	डायमण्ड इम्प्रगनेटेड केटिंग वूल्स	20.00	बधायम,यू.एस.ए.	125
6.बॉश एण्ड लाम्ब इंडिया लिमिटेड(भिवाड़ी)	स्पेक्टेकल पेम्स	29.00	बॉश एण्ड लाम्ब, यू.एस.ए.	250
7.राजस्थान पालीमर्स एण्ड रेजिन्स लिमिटेड(आबूरोड)	रेजिन ए.बी.एस.	73.00	एम.जी.ओ.टैक्नोचेम	450
8.ऐरेक्सिन इण्डिया लिमिटेड (जयपुर)	इलेक्ट्रोनिक्स स्विचिंग सिस्टम	125.00	एल.एम.एरिक्सन स्वीडन	750
9.पोद्दार पिगमेटस लिमिटेड(जयपुर)	मास्टर बैचेज	1.75	ग्रेक	200
10.इंडियन शेविंग प्रोडक्टस लिमिटेड(भिवाड़ी)	शेविंग ब्लेड्स	119.00	जिलट यू.एस.ए.	650
11.अक्ष इंडिया लिमिटेड (भिवाडी)	आप्टीकल फाइबर केबिल्स	20.00	रीजन हांल यू.एस.ए.	250
12.कारबोगैस (अलवर)	इण्डस्ट्रियल गैस	15.00	स्विटजरलैण्ड	—
		1105.75		4225

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1994-95 की प्रगति (फरवरी माह तक)

1. वर्ष 1994-95 में माह फरवरी, 95 तक 3570 लघु उद्योगों का पंजीयन किया गया है, जिनमें 13855.99 लाख रुपये का विनियोजन हुआ है तथा 18814 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इस अवधि में 1525 आर्टिजन्स इकाइयों का पंजीयन किया गया है, जिनमें 299.00 लाख रुपये का विनियोजन हुआ है तथा 3737 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हुआ है।

2. वर्ष 1994-95 में माह फरवरी, 95 तक 1385 उद्योगों को 4466.00 लाख रुपये का पूंजी विनियोजन अनुदान स्वीकृत किया गया है। बजट में पूर्व में प्रावधान रु0 35 करोड़ था जिसे बाद में बढ़ाया गया।

3. इस वर्ष 586 उद्योगों को बिक्री कर मुक्ति प्रोत्साहन योजना का लाभ स्वीकृत किया गया है।

4. वर्ष 1994-95 में प्रदेश में वृहद एवं मध्य श्रेणी के उद्यमियों द्वारा भारत सरकार को 237 आई.ई.एम. प्रेषित किये गये हैं इनके माध्यम से 4455.03 करोड़ रुपये का विनियोजन हो सकेगा तथा 39790 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। इस वर्ष 46 उद्योग उत्पादन में आ गये हैं तथा 185 उद्योग निर्माणाधीन हैं। इनका विनियोजन क्रमशः 1390.67 करोड़ तथा 3453.12 करोड़ रुपये तथा रोजगार क्रमश 5369 एवं 38067 है। वर्ष 1994-95 में राज्य के औद्योगिक विकास में राजस्थान वित्त निगम द्वारा 1377 औद्योगिक इकाइयों को 125.97 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृतियां करके लगभग 150 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया है।

5. वर्ष 1994-95 में रीको के माध्यम से फरवरी, 1995 तक 101 इकाइयों में 3504 करोड़ रुपये का विनियोजन सम्भावित है। 28657 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक नीति लागू होने से औद्योगिक प्रगति, विशेषतः निम्न क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में और होने की सम्भावना है:—

   1. चमड़े पर आधारित उद्योग।
   2. ग्रेनाइट एवं अन्य खनिज आधारित उद्योग।
   3. ऊन पर आधारित उद्योग।
   4. सिरेमिक व ग्लास उद्योग।
   5. जवाहरात उद्योग।
   6. इलेक्ट्रानिक्स व सोफ्टवेयर उद्योग।
   7. कृषि आधारित उद्योग।

(146)

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

आवासन मण्डल के कार्य-कलापों की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

40. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य आवासन मण्डल के कार्यकलापों की जांच विधान सभा समिति से कराई गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट में मण्डल के कार्यकलापों में क्या-क्या खामियां पाई गयीं और उस पर सरकार व मण्डल ने क्या-क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या उक्त रिपोर्ट के आधार पर किसी अधिकारी को दोषी पाया गया ? यदि हां, तो किसको और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त रिपोर्ट की सिफारिशों की अनुपालना सरकार व मण्डल द्वारा की गयी ? यदि हां, तो किस-किस की ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, विधानसभा समिति ने अपने प्रतिवेदन में आबंटन प्रक्रिया, किश्तों की वसूली, भवन निर्माण, अंकेक्षण एवं लेखाओं के संधारण, ई. पी. आई. के द्वारा किये गये निर्माण कार्यों व प्रशासनिक खर्चों को कम करने आदि के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं एवं अनियमितताओं के लिए जांच करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कहा है।

(2) समिति के अंतरिम प्रतिवेदन में किराया क्रय पद्धति में आबंटन शुरू करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने अपना निर्णय लेकर मण्डल को जो निर्देश दिये हैं, उसके अनुसार मण्डल द्वारा कार्य किया जा रहा है। समिति की शेष सिफारिशों पर राज्य सरकार व बोर्ड द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। अभी जांच विचाराधीन है। जांच पूर्ण होने के पश्चात् कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(3) अंतरिम प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राज्य सरकार ने निर्णय लेकर बोर्ड को निर्देश दे दिये हैं एवं बोर्ड उसी के अनुसार कार्य कर रहा है। समिति की शेष सिफारिशों पर समिति द्वारा निर्धारित की गई समयावधि में निर्णय ले लिया जायेगा।

जिला रसद अधिकारी, जोधपुर द्वारा स्वीकृत उचित मूल्य की दुकान

41. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए जिला स्तर पर कोई समिति बनी हुई है ? यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में जिला रसद अधिकारी ने अपनी मनमानी से उचित मूल्य की दुकानें कई गांवों में मंजूर कीं ?

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(3) क्या यह भी सही है कि जोधपुर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समिति गांवों में होते हुए भी उचित मूल्य की दुकानें प्राइवेट डीलर्स को दी गयी हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(4) क्या यह भी सही है कि कई स्थानों पर समय पर चीनी का वितरण न कर कोटा रद्द किया गया है अथवा प्राइवेट डीलर्स को दे दिया गया ?

(5) क्या यह भी सही है कि शेरगढ़ तहसील का कैरोसिन का पूरा कोटा जिला स्तर पर ही खरीद-फरोख्त कर दिया जाता है ? यदि नहीं, तो किस डीलर को किस माह में पिछले एक वर्ष में कितना-कितना कैरोसिन दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए जो समिति गठित की गयी है उनके सदस्य निम्न प्रकार से हैं : —

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. नगर निगम का अध्यक्ष	सदस्य
3. दो सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
4. जिला रसद अधिकारी	सदस्य सचिव

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। पिछले एक वर्ष में शेरगढ़ तहसील को दिये गये कैरोसिन की सूची संलग्न है।

भाग (5) की सूची

क्र. सं.	नाम कैरोसिन प्रदायकर्ता	नाम माह	कैरोसीन की मात्रा
1	2	3	4
1.	मै. एस. राम रतन एण्ड कं., जोधपुर	अप्रेल, 94	32000
2.	मै. जय ट्रेड एजेन्सीज, जोधपुर	अप्रेल, 94	43780
		योग :	75780
1.	मै. एस. राम रतन एण्ड कं., जोधपुर	मई, 94	42000
2.	मै. मोहम्मद शफी एण्ड सन्स, जोधपुर	" "	33000
		योग :	75000
1.	मै. जय सर्विस स्टेशन, काकाणी	जून, 94	45800
2.	मै. एस. राम रतन एण्ड कं., जोधपुर	" "	22000
3.	मै. मोहम्मद शफी एण्ड सन्स	" "	11000
		योग :	78800

148

1	2	3	4
1.	मै. जय सर्विस स्टेशन, काकाणी	जुलाई, 94	36000
2.	मै. एस. राम रतन एण्ड कं., जोधपुर	" "	22000
		योग :	58000
1.	मै. जय सर्विस स्टेशन, काकाणी	अगस्त, 94	36000
2.	मै. एस. राम रतन एण्ड कं., जोधपुर	" "	46000
		योग :	82000
1.	मै. जय सर्विस स्टेशन, काकाणी	सितम्बर, 94	24000
2.	मै. एस. राम रतन एण्ड कं., जोधपुर	" "	24000
3.	मै. जाम्भेश्वर ऑयल एजेन्सी, खीचन (फलोदी)	" "	36000
		योग :	84000
1.	मै. जय सर्विस स्टेशन, काकाणी	अक्टूबर, 94	9900
2.	मै. एस. राम रतन एण्ड कं., जोधपुर	" "	40000
		योग :	49900
1.	मै. एस. राम रतन एण्ड कं., जोधपुर	नवम्बर, 94	40000
2.	मै. मोहम्मद शफी एण्ड सन्स, जोधपुर	" "	19880
		योग :	59880
1.	मै. जय सर्विस स्टेशन, काकाणी	दिसम्बर, 94	12000
2.	मै. एस. राम रतन एण्ड कं., जोधपुर	" "	50000
3.	मै. मोहम्मद शफी एण्ड सन्स, जोधपुर	" "	20000
		योग :	82000
1.	मै. एस. राम रतन एण्ड कं., जोधपुर	जनवरी, 95	50000
2.	मै. मोहम्मद शफी एण्ड सन्स, जोधपुर	" "	30000
		योग :	80000
1.	मै. जय सर्विस स्टेशन, काकाणी	फरवरी, 95	12000
2.	मै. एस. राम रतन एण्ड कं., जोधपुर	" "	42000
3.	मै. मोहम्मद शफी एण्ड सन्स, जोधपुर	" "	40000
		योग :	94000

फतेहसागर, पिछोला व स्वरूप-सागर (उदयपुर) की डूब में आयी भूमि पर अनधिकृत कब्जे

42. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर के समीप स्थित फतेहसागर, पिछोला और स्वरूप सागर की डूब की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा भराव किया गया और भूमि को अपने आधिपत्य में किया गया? ऐसे व्यक्ति कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मेरे तारांकित प्रश्न-5/सिं. मं/सिंचाई के उत्तर में बताया गया कि भराव करने वाले कइयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी तथा शेष के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही क्या की गयी तथा किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, फतेहसागर की डूब की भूमि पर भराव किया गया है, ऐसे व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। पिछोला व स्वरूप सागर में भराव कर भूमि पर आधिपत्य करने का कोई प्रकरण नहीं है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

परिशिष्ट–"अ"

फतेहसागर की डूब की भूमि पर भराव करने वाले व्यक्तियों की सूची

1. होटल लेकेण्ड
2. सिंघवी जी की बाड़ी
3. श्री सोहनलाल अग्रवाल
4. कांची होटल
5. श्री कुन्ज बिहारी
6. कंचन सिंह हिरण

परिशिष्ट "ब"

फतेहसागर डूब क्षेत्र पर भराव द्वारा आधिपत्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई।

1.	होटल लेकेण्ड	:	प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
2.	सिंघवी जी की बाड़ी	:	राजस्व विभाग द्वारा मौके से बेदखल किया गया।
3.	श्री सोहनलाल अग्रवाल	:	राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाया गया।
4.	कांची होटल	:	राज्य सरकार एवं नगर विकास प्रन्यास ने निर्माण की स्वीकृति जारी की है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

5.	श्री कुंज बिहारी	:	राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है।
6.	कंचन सिंह हिरण	:	दिनांक 3.9.94 को राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। वर्तमान में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयपुर से स्थगन जारी है।

सराड़ा तहसील में अतिवृष्टि से प्रभावितों को सहायता

43. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सराड़ा तहसील में दिनांक 20-8-1994 को हुई अतिवृष्टि में जो गांव तथा किसान प्रभावित थे, उनके नुकसान का भुगतान सरकार द्वारा कर दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस को कितनी-कितनी राशि दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा सहायता मद से अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी सहायता की सूचना सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट–"क") इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों के कारण मुख्य मंत्री सहायता कोष से 1,25,100/- रुपये की सहायता भी जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी थी। विवरण सूची परिशिष्ट "ख" में दी हुई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम पंचायत मांचवा (जयपुर) की आबादी भूमि का अवैध विक्रय

44. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने ग्राम पंचायत मांचवा (जयपुर) के तत्कालीन सरपंच श्री कन्हैयालाल के विरुद्ध आबादी भूमि विक्रय करने बाबत जांच करायी थी? यदि हां, तो नियम विरुद्ध किस-किस को भूमि बेची गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अवैध आवासीय भू-खण्डों के विक्रय को निरस्त कराने की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री कन्हैयालाल पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत मांचवा के विरुद्ध आबादी भूमि विक्रय करने बाबत जांच करवाई गयी थी जिनको पट्टे दिये गये थे उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। अवैध आवासीय भूखण्डों को नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राजकीय वाहनों पर लालबत्ती लगाने के नियम

45. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री माधवसिंह दीवान)

(1) क्या यह सही है कि राजकीय वाहनों पर लालबत्ती लगाने के संबंध में नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि काफी संख्या में कुछ व्यक्ति जो राजनैतिक पार्टियों के पदाधिकारी हैं, द्वारा भी अपने वाहनों पर ऐसी बत्ती लगाई जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22.10.94 की प्रति परिशिष्ट "क" पर है।

(2) अनधिकृत वाहनों द्वारा लाल या नीली बत्ती लगाना मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है, और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने के निर्देश सरकार द्वारा जारी किये गये हैं जिसकी प्रति परिशिष्ट "ख" पर है।

परिशिष्ट-"क"

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग सचिवालय

क्रमांक : प. 13(14) परि/90   जयपुर, दिनांक 22.10.94

: : अधिसूचना : :

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.7.94 के अतिक्रमण में राज्य सरकार केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 108 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उच्च पदस्थों को ले जाने वाले या उनका अनुरक्षण करने वाले यानों के सामने लालबत्ती के उपयोग को अनुज्ञात करती है :—

1. राज्यपाल, राजस्थान
2. मुख्यमंत्री, राजस्थान
3. मुख्य न्यायमूर्ति, राजस्थान उच्च न्यायालय
4. लोकायुक्त, राजस्थान
5. अध्यक्ष, राजस्थांन विधान सभा
6. मंत्रिमण्डल सदस्यगण राजस्थान
7. मुख्य सचेतक
8. माननीय नेता प्रतिपक्ष
9. न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय
10. राज्यमंत्री/उपमन्त्री, राजस्थान सरकार

(152)

11. माननीय उपाध्यक्ष
12. माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतक
13. मुख्य सचिव, राजस्थान
14. आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग
15. एडवोकेट जनरल
16. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान
17. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान
18. सम्भागीय आयुक्त/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेन्ज
19. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान

सरकार यह आदेश भी करती है कि चिकित्सा, नागरिक सुरक्षा और रेडक्रास के एम्बुलेंस यान के सामने बैंगनी रंग के कांच से ढकी हुई लालबत्ती का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है।

सरकार यह आदेश और करती है कि गश्ती ड्यूटी के लिए प्रयुक्त पुलिस और परिवहन विभाग के यान के सामने नीली बत्ती का उपयोग कर सकते हैं।

ऊपर जैसा आदिष्ट किया गया है उसके सिवाय कोई भी यान, यान के सामने लाल या नीली बत्ती का उपयोग नहीं करेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
Sd/-
(गौतम मुखर्जी)
उप-शासन सचिव।

परिशिष्ट–"ख"

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग सचिवालय

क्रमांक : प. 13(14) परि/90 जयपुर, दिनांक 24.3.95

: : आदेश : :

परिवहन विभाग द्वारा राजकीय वाहनों पर लालबत्ती के उपयोग के सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 108 के अन्तर्गत अधिसूचना सं. प. 13(14) परि/90 दिनांक 22.10.94 को जारी की गई थी जिसके द्वारा उच्चपदस्थों को ले जाने वाले या उनका अनुरक्षण करने वाले वाहनों के सामने लाल बत्ती का उपयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। अधिकृत वाहनों की सूची संलग्न है।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि सरकारी व गैर-सरकारी वाहनों पर अनधिकृत रूप से लाल बत्ती का उपयोग किया जा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र में सरकारी और निजी वाहनों पर अनाधिकृत रूप से लाल बत्ती को तुरन्त प्रभाव से हटवा दें तथा की गई

कार्यवाही से इस विभाग को 15 दिवस के भीतर सूचित करें। इस आदेश के पश्चात् यदि किसी अनधिकृत राजकीय या निजी वाहन पर लाल बत्ती लगी हुई होगी तो सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

ह.
(राजीव महर्षि)
परिवहन सचिव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. समस्त शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. समस्त जिला कलक्टर्स/जिला पुलिस अधीक्षक/सहायक महानिरीक्षक (याता.)।
4. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी।
5. विशिष्ट सहायक यातायात राज्य मंत्री महोदय।
6. रक्षित पत्रावली।

ह.
(गौतम मुखर्जी)
उप-शासन सचिव।

समस्त जिला कलक्टर्स/पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 108 का उल्लंघन उक्त नियम की धारा 177 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है अतः उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उचित व कानूनी कार्यवाही की जावे।

ह.
उप-शासन सचिव।

उदारीकरण के अन्तर्गत प्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना

46. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार की उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत प्रदेश में भी नये उद्योग लगने आरम्भ हुए हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में ऐसे कितने उद्योग स्थापित हुए हैं तथा इनमें कितने पूंजी निवेश का प्रावधान है और कितने श्रमिक कार्यरत होने की सम्भावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के कतिपय पब्लिक सैक्टर में स्थापित उद्योगों को निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है? यदि हां, तो उनका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ऐसे निजी क्षेत्र में दिये जाने वाले उद्योगों के श्रमिक बेकार हो जायेंगे? यदि हां, तो उनके संरक्षण की क्या व्यवस्था होगी?

(4) क्या यह सही है कि नई औद्योगिक नीति प्रारम्भ होने से औद्योगिक क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन होना आरम्भ हो गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार एवं राज्य सरकार की नीतियों के अंतर्गत राज्य में नये उद्योगों की

154

(उद्योग मंत्री)

स्थापना हुई है। विगत 3 वर्षों में स्थापित उद्योगों तथा इनमें पूंजी निवेश और सम्भावित श्रमिकों की संख्या के विवरण की सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के केवल एक रुग्ण उद्योग राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. को निजी क्षेत्र में दिया गया है। अन्य रुग्ण संस्थानों के संबंध में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(3) जी नहीं। राजस्थान स्टेट टेनरीज के 41 कर्मचारियों को राजकीय उपक्रमों में समायोजित किया गया। अन्य कर्मचारियों के संबंध में निजी उद्यमी के साथ अनुबंध के अनुसार नई कम्पनी में इच्छुक तथा योग्य कर्मचारियों के समायोजन का प्रावधान था।

बंद होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने संविदा पर नियोजन तथा राज्य नवीनीकरण कोष की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त "गोल्डन हैण्डशेक" के परिलाभ दिये जाने की भी व्यवस्था की है।

(4) नई औद्योगिक नीति के प्रारम्भ होने से वर्ष 1994-95 में राज्य के औद्योगिक विकास में हुई प्रगति एवं आने वाले वर्षों में औद्योगिक विकास की सम्भावना के विवरण की सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

सूची- "क"

विगत तीन वर्षों में स्थापित उद्योग

वृहद एवं मध्यम उद्योग

वर्ष	उद्योगों की सं.	पूंजी निवेशन का प्रावधान विनियोजन (करोड़ में)	कार्यरत श्रमिक
91-92	82	2094	8908
92-93	95	966	10148
93-94	71	374	6549
	248	3434	25605

लघु एवं दस्तकारी इकाइयां (करोड़ों में)

91-92	5792	141.88	23719
92-93	4818	146.29	21239
93-94	4330	148.67	20665
	14940	436.84	65623

सूची/परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1994-95 की प्रवति (फरवरी माह तक)

1. वर्ष 1994-95 में माह फरवरी, 95 तक 3570 लघु उद्योगों का पंजीयन किया गया है, जिनमें 13855.99 लाख रुपये का विनियोजन हुआ है तथा 18814 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इस अवधि में 1525 आर्टीजन्स इकाइयों का पंजीयन किया गया है, जिनमें 299.00 लाख रुपये का विनियोजन हुआ है तथा 3737 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हुआ है।

2. वर्ष 1994-95 में माह फरवरी, 95 तक 1385 उद्योगों को 4466.00 लाख रुपये का पूंजी विनियोजन अनुदान स्वीकृत किया गया है। बजट में पूर्व में प्रावधान रुपये 35 करोड़ था जिसे बाद में बढ़ाया गया।

3. इस वर्ष 586 उद्योगों को बिक्री कर मुक्ति प्रोत्साहन योजना का लाभ स्वीकृत किया गया है।

4. वर्ष 1994-95 में प्रदेश में वृहद एवं मध्य श्रेणी के उद्यमियों द्वारा भारत सरकार को 237 आई. ई. एम. प्रेषित किये गये हैं इनके माध्यम से 4455.03 करोड़ रुपये का विनियोजन हो सकेगा तथा 39790 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। इस वर्ष 46 उद्योग उत्पादन में आ गये हैं तथा 185 उद्योग निर्माणाधीन हैं। इनका विनियोजन क्रमशः 1390.67 करोड़ तथा 3453.12 करोड़ रुपये तथा रोजगार क्रमशः 5369 एवं 38061 है। वर्ष 1994-95 में राज्य के औद्योगिक विकास में राजस्थान वित्त निगम द्वारा 1377 औद्योगिक इकाइयों को 125.97 करोड रुपये की ऋण स्वीकृतियां करके लगभग 150 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया है।

5. वर्ष 1994-95 में रीको के माध्यम से फरवरी, 1995 तक 101 इकाइयों में 3504 करोड़ रुपये का विनियोजन सम्भावित है। 28657 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक नीति लागू होने से औद्योगिक प्रगति, विशेषतः निम्न क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में और होने की सम्भावना है :—

    1. चमड़े पर आधारित उद्योग।
    2. ग्रेनाइट एवं अन्य खनिज आधारित उद्योग।
    3. ऊन पर आधारित उद्योग।
    4. सिरेमिक व ग्लास उद्योग।
    5. जवाहरात उद्योग।
    6. इलेक्ट्रोनिक्स व सोफ्टवेयर उद्योग।
    7. कृषि आधारित उद्योग।

मकराना कस्बे की सीवरेज लाइन के गन्दे पानी का निकास

47. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना कस्बे की सीवरेज लाइनों का गन्दा पानी कालानाड़ा तालाब में डाला जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि तालाब में सीवरेज का गंदा पानी डालने से इसके आस-पास की खानों में पानी भर जाता है एवं कुओं का जल प्रदूषित हो गया है ?

(3) क्या यह सही है कि पेयजल प्रदूषित होने से काफी लोग बीमार हो गये हैं तथा हर साल मलेरिया फैलने की आशंक बनी रहती है ?

(4) क्या सरकार ने इस समस्या के निदान हेतु कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ?

(5) सरकार जनजीवन से जुड़ी इस समस्या का निदान कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मकराना कस्बे में संकलित जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा कोई सीवरेज लाइन नहीं बनाई गई है। कस्बे की सड़क के किनारे की खुली नालियों का पानी, अपने प्राकृतिक बहाव के कारण कालानाड़ा तालाब में जा रहा है।

(2) तालाब में पानी भरने से किसी भी विभागीय कुएं का जल प्रदूषित नहीं हुआ है। तालाब के पास के 26 पानी के सैम्पल लिये गये, जिनमें से जांच के बाद 21 सही निकले, 5 नमूनों के जल की गुणवत्ता सही नहीं थी।

(3) प्रदूषण से बीमारी फैलने की सम्भावना बढ़ती है।

(4) नगर पालिका द्वारा उक्त नालियों के पानी को कालानाड़ा तालाब से विद्युत पम्पसैट से पाइप लाइनों के माध्यम से दूर खेतों में डाल दिया जाता है। उक्त तालाब के एक ओर खानें हैं, जिनका मलवा एकत्रित होने से उक्त तालाब की भराव क्षमता कम हो चुकी है। खनन को बंद कराने के लिये खान विभाग द्वारा कार्यवाही की गई थी, परन्तु न्यायिक स्थगन आदेशों के कारण उसे रोकना सम्भव नहीं हो पाया।

(5) वर्तमान में इस कस्बे हेतु कोई विभागीय सीवरेज योजना प्रस्तावित नहीं है। नगर पालिका आदि के स्तर पर कार्य कराने के प्रयास किये जायेंगे तथा इस सम्बन्ध में वांछित विभागों द्वारा तालमेल करा समस्या निदान हेतु प्रयास किये जायेंगे।

यमुना जल बंटवारे के अन्तर्गत राज्य का हिस्सा

48. श्री हरीसिंह (कुम्हेर) एवं **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 12 मई, 1994 को यमुना जल बंटवारे के सम्बन्ध में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान को माह नवम्बर 1994 से फरवरी, 1995 तक कितना पानी मिलना चाहिये था और किस-किस नहर में कितना-कितना मिला ? समझौते का विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) राजस्थान की ओर से निर्धारित मात्रा का पानी लेने हेतु क्या प्रयास किये गये ?

(3) समझौते के अनुसार पानी नहीं मिलने पर सरकार क्या कदम उठायेगी ?

(157)

उत्तर

(1) 12 मई, 1994 को हुए समझौते के अनुसार राजस्थान को नवम्बर, 94 से फरवरी, 95 तक 0.070 बी.सी.एम. पानी मिलना चाहिए था। राज्य को समझौते के अनुसार यमुना का पानी अभी नहीं मिला है समझौते की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) यमुना का निर्धारित मात्रा में सम्बन्धित राज्यों में पानी वितरण करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपर यमुना बोर्ड का गठन किया जाना था जो अब भारत सरकार के रिजोलूशन से दिनांक 11.3.95 को कर दिया है। अब राजस्थान को अपने हिस्से का जल शीघ्र ही मिलने की आशा है।

(3) जैसा कि प्रश्न दो के उत्तर में बताया गया है, राजस्थान को यमुना का जल शीघ्र ही मिलने की सम्भावना है।

समझौते की प्रति

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UTTAR PRADESH, HARYANA, RAJASTHAN, HIMACHAL PRADESH AND NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI REGARDING ALLOCATION OF SURFACE FLOW OF YAMUNA.

1. WHEREAS the 75% dependable national virgin flow in the Yamuna river upto Okhla has been assessed as 11.70 Billion Cubic Metres (BCM) and the mean year availability has been assessed as 13.00 BCM.

2. AND WHEREAS the water was being utilised by the Basin States ex-Tajewala and ex-Okhla for meeting the irrigation and drinking water needs without any specific allocation.

3. AND WHEREAS a demand has been made by some Basin States on this account and the need for a specified allocation of the utilisable water resources of river Yamuna has been felt for a long time.

4. AND WHEREAS to maximise the utilisation of the surface flow of river Yamuna a number of storage projects have been identified.

5. AND WHEREAS the States have agreed that a minimum flow in proportion of completion of upstream storages going upto 10 cumec shall be maintained downstream of Tajewala and downstream of Okhla Headworks throughout the year from ecological consideration, as upstream storages are built up progressively in a phased manner.

(158)

6. AND WHEREAS it has been assessed that a quantum of 0.68 BCM may not be utilisable due to flood spills;

7. NOW THEREFORE; considering their irrigation and consumptive drinking water requirements; the basin States agree on the following allocation of the utilisable water resources of river Yamuna assessed on mean year availability.

1. Haryana	5.730 BCM
2. Uttar Pradesh	4.032 BCM
3. Rajasthan	1.119 BCM
4. Himachal Pradesh	0.378 BCM
5. Delhi	0.724 BCM

subject to the following:

(i) Pending construction of the storages in the upper reaches of the river, there shall be an interim seasonal allocation of the annual utilisable flow of river Yamuna as follows:

STATES	SEASONAL ALLOCATION OF YAMUNA WATERS			
(BCM)	July oct.	Nov. Feb.	March. June	Annual
Haryana	4.017	0.686	0.937	5.730
Uttar Pradesh	3.216	0.343	0.473	4.032
Rajasthan	0.963	0.070	0.086	1.119
Himachal Pradesh	0.190	0.108	0.080	0.378
Delhi	0.580	0.068	0.076	0.724
Total	9.056	1.275	1.652	11.983

Provided that the interim seasonal allocation will be distributed on ten daily basis.Provided further that the said interim seasonal allocation shall get progressively modified, as storages are constructed, to the final annual allocation as indicated in para 7 above.

(ii) Separate agreement will be executed in respect of each identified storage within the framework of overall allocation made under this agreement.

(iii) The allocation of available flows amongst the beneficiary States will be regulated by the Upper Yamuna River Board within the overall framework of this agreement. Provided that in a year when the availability is more than the assessed quantity; the surplus availability will be distributed amongst the States in proportion to their allocations.

Provided also that in a year when the availability is less than the assessed quantity first the drinking water allocation of Delhi will be met and the balance will be distributed amongst Haryana U.P., Rajasthan and H.P. in proportion to their allocation.

8. This agreement may be reviewed after the year 2025 if any of the basin States so demand.

9. We place on record and gratefully acknowledge the assistance and advice given by the Union Minister of Water Resources in arriving at this expeditious and amicable settlement.

New Delhi the 12th May, 1994

Chief Minister Uttar Pradesh	Chief Minister Haryana	Chief Minister Rajasthan
Chief Minister Himachal Pradesh	Chief Minister Delhi	

Minister (Water Resources)

अकाल के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना

49. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्लान के साथ एडजस्ट करके अकाल के संबंध में क्या कोई पंचवर्षीय योजना बनाने का प्रस्ताव सरकार का है ? यदि हां, तो इसकी क्या रुपरेखा होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो इस संबंध में मुख्यमंत्रीजी द्वारा सदन में दिनांक 23-3-1990 के भाषण में जो घोषणा की गई थी, उसकी पूर्ति किस प्रकार होगी ?

उत्तर

जी हां। राज्य में अकाल की विभिषिका को कम करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक दीर्घकालीन योजना, PERSPECTIVE PLAN FOR MITIGATION AND STRATEGIC MANAGEMENT OF DROUGHT IN RAJASTHAN,

(सहायता राज्य मंत्री)

तैयार की गयी है। विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-"क") यह भारत सरकार व विश्व बैंक को अनुमोदनार्थ भेजी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में 23.3.90 के भाषण में इससे संबंधित जो घोषणा की है उसकी क्रियान्विति उपरोक्तानुसार की जा चुकी है।

परस्पेक्टिव प्लान का विवरण

1. 1992-93 में बनाया गया प्लान 677.32 करोड़ रुपये का है।
2. यह प्लान 1995-2000 तक के लिये 992.17 करोड़ रु. का बनाया गया है।
3. प्राकृतिक आपदा कोष से 92-93 के लिये वित्त प्रबन्ध के लिये प्रस्ताव किया गया प्रोग्राम में निम्न बातें सम्मलित हैं :—
   1. पेयजल आपूर्ति
   2. भू-संरक्षण कार्य
   3. सिंचाई एवं क्षेत्रीय विकास
   4. खादी एवं हाथ करघा उद्योग
   5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
   6. वन एवं चारागाह विकास

इस दीर्घकालीन योजना को भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। जिसका प्रत्युत्तर भारत सरकार से अपेक्षित है।

पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों के पद

50. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समितियों में विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु सरकार ने क्या मानदण्ड तय किये हैं? मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने प्रदेश की पंचायत समितियों में विकास अधिकारी के पद के लिये सहकार प्रसार अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी व शिक्षा प्रसार अधिकारी सभी को योग्य माना है? यदि हां, तो प्रगति प्रसार अधिकारी को इसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है।

(3) क्या सरकार अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अनुभवहीन विकास अधिकारियों के स्थान पर पंचायत समितियों में कार्यरत प्रसार अधिकारी को ही विकास अधिकारी के पद पर चयन कर पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विकास अधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति राजस्थान सिविल सेवाएं (विकास अधिकारियों का विशेष चयन एवं सेवा की विशिष्ट शर्तें) नियम, 1982 के अन्तर्गत की जाती है, जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। प्रगति प्रसार अधिकारियों की विभाग की कार्यप्रणाली एवं विकास की गतिविधियों का अनुभव नहीं होने के कारण इन्हें सम्मिलित किया जाना संभव नहीं है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

खाजूवाला एवं लूणकरणसर में परिवहन निगम का बस स्टैण्ड

51. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या परिवहन निगम ने खाजूवाला एवं लूणकरणसर में बुकिंग आफिस खोल रखे हैं तथा बस अड्डा निर्माण हेतु भू-खण्ड स्थल तय किये हुए हैं ? यदि हां, तो इन बस अड्डों का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

निगम ने खाजूवाला एवं लूणकरणसर में बुकिंग आफिस खोल रखे हैं, परन्तु बस अड्डा निर्माण हेतु, भूखण्ड स्थल तय नहीं किया है।

जोधपुर, बालोतरा व पाली में वस्त्र उद्योग हेतु वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट

52. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर, बालोतरा व पाली में कपड़ा रंगाई-छपाई के कितने उद्योग लगे हुए हैं ?

(2) क्या नये छपाई उद्योगों पर प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो कब से और प्रतिबन्ध लगाने का क्या औचित्य है ?

(3) क्या जोधपुर, पाली, बालोतरा में रंगाई-छपाई के वस्त्र उद्योग के कारण जल प्रदूषित हो रहा है ? जिसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने की सरकार की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? अब कब तक वाटर-ट्रीटमेंट प्लान्ट लगा दिया जायेगा ?

(4) जोधपुर, बालोतरा, पाली के उद्योगपतियों द्वारा "वाटर-ट्रीटमेंट" प्लान्ट लगाने के लिए अब तक कितनी राशि नगर निगम, नगर परिषद् व नगरपालिका के पास जमा कराई गई ? इसका उपयोग "वाटर-ट्रीटमेंट" प्लान्ट लगाने में कब तक किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जोधपुर, बालोतरा और पाली में कपड़ा रंगाई-छपाई के क्रमशः 183, 360, 345 कुल 888 पंजीकृत उद्योग लगे हुए हैं।

(2) जी हां। नये रंगाई-छपाई उद्योगों के पंजीकरण पर प्रतिबन्ध दिनांक 1.4.1983 से लगाया हुआ है और यह प्रतिबन्ध रंगाई-छपाई उद्योगों से हो रहे जल प्रदूषण को बढ़ने से रोकने की दृष्टि से लगाया गया है। पाली में मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र से वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित होने के कारण वहां रगाई-छपाई उद्योगों का पंजीकरण जून, 86 से चालू किया गया और पुनः पूर्णतया प्रतिबन्ध अक्टूबर, 1986 में लगाया गया।

(3) जी हां। इन स्थानों पर संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र (सी.ई.टी.पी.) स्थापित किये जाने की स्थिति निम्नानुसार है:—

(अ) पाली— पाली के मण्डिया रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में लगे उद्योगों से निस्रावित उच्छिष्ठ के उपचार हेतु संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना वर्ष 1983 में रीको द्वारा की गई है। जिसकी क्षमता 1 मिलियन गैलन प्रतिदिन की है। उद्योगों की संख्या को देखते हुए यहां 2 और संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार

(162)

(उद्योग मंत्री)

संयंत्र लगाने की कार्यवाही चल रही है। इनका एक ट्रस्ट भी राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उक्त 2 संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र लगाने के लिये स्वीकृति दिनांक 29.6.94 को जारी कर दी थी। आशा है कि उक्त कार्य 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण हो जावेगा।

(ब) जोधपुर– जोधपुर में प्रदूषित जल के उपचार हेतु संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना करने हेतु 46.13 बीघा भूमि का चयन कर लिया गया है। चयनित भूमि ग्रीन बैल्ट में होने के कारण ग्रीन बैल्ट से इसे मुक्त कराने की कार्यवाही विचाराधीन है। जोधपुर में प्लान्ट स्थापित होने की अवधि भूमि की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही बतायी जा सकेगी।

(स) बालोतरा– बालोतरा से संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट नीरी, नागपुर द्वारा तैयार की गई है। बालोतरा में संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र लगाने हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, लेकिन काश्तकारों द्वारा सम्बन्धित भूमि का कब्जा देने से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की जाकर स्थान आदेश प्राप्त कर लिया गया है। स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण भूमि का कब्जा रीको को नहीं मिल पाया है। अतः ऐसी स्थिति में बालोतरा में प्लान्ट के पूर्ण होने की अवधि भूमि की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही बतायी जा सकेगी।

(4) जोधपुर, पाली व बालोतरा के नगर निगम/ नगर परिषद/नगर पालिका में उद्योगपतियों द्वारा संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र लगाने के लिये अब तक क्रमशः रु. 0.28 करोड़, 3.78 करोड़ एवं 3.26 करोड़ जमा कराये हैं। राशि का उपयोग उत्तर के भाग 3 में वर्णित अनुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर किया जा सकेगा।

रत्न आभूषण हाट के लिए स्थल का चयन

53. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर में रत्न आभूषण हाट बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकारी स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में दिसम्बर, 1994 में जयपुर में अप्रवासी भारतीयों को इच्छानुसार भू-स्थल चयन की छूट दी थी और सरकार की ओर से रामबाग पैलेस परिसर में उपलब्ध सरकारी भूमि देने की पेशकश की थी? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में लिए गये निर्णय पर कायम है?

(3) क्या सरकार के समक्ष उक्त भूमि को हरित पट्टी रखने के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का अब क्या दृष्टिकोण है?

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर में रत्न व्यवसाय केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव व्यवसायियों से

(163)

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

प्राप्त हुआ है। जयपुर में रत्न आभूषण हाट बनाने की पृथक से कोई योजना विचाराधीन नहीं है। किन्तु क्योंकि जयपुर पर्यटन, हीरे जवाहरात आदि के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। अतः इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिये रामबाग काम्पलेक्स में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवाप्त की गई भूमि के एक भाग पर कान्फ्रेन्स सेन्टर शापिंग आर्केड़ तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यवसाय केन्द्र विकसित किया जाना विचाराधीन है।

(2) रत्न व्यवसाय में लगे राज्य के तथा अप्रवासी व्यवसायियों द्वारा जयपुर में रत्न व्यवसाय केन्द्र लगाने के प्रस्ताव पर भूमि उपलब्ध कराने पर दिसम्बर94 में अनौपचारिक वार्ता हुई थी। रामबाग काम्पलेक्स में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा व्यवसायिक व प्रशासनिक भवन बनाने हेतु अवाप्त भूमि में इस प्रकार का केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(3) जी, हां। कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

दिनांक 11-7-74 को नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 52(1) के अधीन उक्त रामबाग होटल के आसपास खाली भूमि की अवाप्ति प्रशासनिक भवन, व्यवसायिक, आवासीय एवं सार्वजनिक प्रयोजन के लिये की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अवाप्ति सही मानी है। जिस प्रयोजन के लिये भूमि की अवाप्ति की गई है उसके लिये इसका उपयोग किया जावेगा। इस भूमि में 60 प्रतिशत से अधिक भूमि में निर्माण नहीं कराया जावेगा और वहां पार्क, वृक्ष फव्वारे तथा वाटरबाडीज के रूप में रखा जावेगा।

बन्सोली बांध (कोटा) के निर्माण से ग्रामवासियों के आवागमन में बाधा

54. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देई-गणेशपुरा गांव होकर गाडरिया के झोपड़ों एवं देवपुरा की तरफ जाने वाला आम रास्ता बन्सोली बांध के निर्माण से डूब में आने पर इस क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों के निवासियों की समस्या निराकरण हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियंता सिंचाई संभाग कोटा द्वारा पुलिया निर्माण के लिए रु. 7.50 लाख की स्वीकृति बाबत मुख्य अभियन्ता को पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गाडरिया गांव के किसानों की कृषि भूमि बांध भराव क्षेत्र के दूसरी तरफ रह जाने से कृषि भूमि पर आने जाने के लिए पानी में तैर कर आना-जाना पड़ता है।

(3) यदि हां, तो उक्त जन समस्या के निराकरण के लिए सरकार पुलिया का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है।

(3) इस कार्य को आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत करवाने हेतु प्रस्ताव डी.आर.डी.ए. को भेज दिये हैं।

(164)

परिशिष्ट "अ"

बंसोली बांध का निर्माण वर्ष 1992 में पूर्ण हो गया था इसलिए प्लान मद से अब इस परियोजना के कार्य के लिए बजट आबंटन नहीं किया जा सकता। रखरखाव मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण पुलिया निर्माण हेतु बजट उपलब्ध नहीं करवाया जा सका।

अब उक्त पुलिया निर्माण आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत करवाने हेत प्रस्ताव डी.आर.डी.ए. को भेज दिये हैं।

उदयपुर रोडवेज डिपो में बसों की व्यवस्था

55. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर रोडवेज डिपो में क्षेत्रीय मांग के हिसाब से बसों की कमी है ? यदि हां, तो पथ परिवहन निगम मांग व आवश्यकतानुसार बसों की पूर्ति का क्या विचार रखता है ?

(2) क्या राजस्थान पथ परिवहन निगम निजी बस मालिकों से बसों का अनुबन्ध करना चाहता है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। निगम की निर्धारित दर एवं शर्तों पर यदि निजी बस मालिक बसों का अनुबन्ध करना चाहें तो निगम तैयार है। इस हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

डीग शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु नई पाइप लाइन

56. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या डीग शहर में पेयजल की कमी को दूर करने और पेयजल वितरण में सुधार करने के लिये सरकार कोई आवश्यक कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या डीग शहर में नई पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989 में, डीग शहर की दीर्घकालीन पेयजल मांग पूर्ति हेतु आगरा कैनाल से 292.50 लाख रु. की (1987 के मूल्याधार पर) संवर्धन योजना स्वीकृत की गई थी, जिसके अन्तर्गत वांछित मात्रा में पानी प्राप्त कर लगभग 20 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन के माध्यम से तथा फिल्टर कर वितरित किये जाने तथा शहर की वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु प्रावधान सम्मलित था। इस योजना का क्रियान्वयन शेष है।

(2) उपरोक्त स्वीकृत योजना के अंतर्गत 80 मिली मीटर से 300 मिलीमीटर व्यास की विभिन्न पाइप लाइनें डाली जाकर वितरण व्यवस्था में सुधार कर किये जाने का प्रावधान है।

165

मध्यम सिंचाई योजनान्तर्गत निवाई में बांधों की स्वीकृति

57. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने निवाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1994-95 में मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत बांधों की स्वीकृति दी है? यदि हां, तो वे कौन-कौन से बांध हैं तथा उनकी लागत राशि व सिंचाई क्षेत्र कितना आंका गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ योजनाओं को मंजूर नहीं किया गया? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी योजनाएं थीं तथा मंजूर न करने के क्या कारण थे?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कोई मध्यम सिंचाई योजना अस्वीकृत नहीं की गई है। परन्तु जयसिंहपुरा लघु सिंचाई परियोजना वर्तमान मे निर्मित ढील बांध के जलग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित होने तथा योजना का लाभ लागत अनुपात निर्धारित मापदण्ड से कम होने के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकी।

पाली जिले की पेयजल व्यवस्था

58. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, देसूरी व रानी में वर्ष 1989 से अब तक कितनी व कौन-कौन से गांवों की पेयजल योजना बनी व उनमें से कितनी स्वीकृत हुईं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृतशुदा गांवों की योजनाएं पूरी कर ली गईं? यदि नहीं, तो क्यों व इन्हें कब तक पूरी कर दी जावेगी?

(3) उपरोक्त पंचायत समितियों के कौन-कौन से गांवों में जी.एल.आर. व टंकियां किस-किस वर्ष में बनाई गईं? इनमें से कौन-कौन सी चालू हालत में हैं? यदि चालू नहीं हैं, तो क्यों और इन्हें कब तक चालू करवा दिया जावेगा?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त जी.एल.आर. व टंकियां कई जगह टूट गई हैं व चालू नहीं हैं? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी है व इनको ठीक कर कब तक चालू कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में 39, देसूरी में 30 एवं रानी में 20 पेयजल योजनाएं वर्ष 1989 से फरवरी 95 तक बनी थीं जिनमें मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति के 50, पं.स. देसूरी के 46 तथा पं.स. रानी के 39 ग्राम सम्मिलित थे। ये सभी योजना स्वीकृत हो गईं। सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) स्वीकृतशुदा योजनाओं में से पं.स. मारवाड़ जंक्शन की 39 योजनाओं के विरुद्ध 34 योजनाएं, पं.स.देसूरी की 30 योजनाओं के विरुद्ध 14 योजनाएं तथा पं.स. रानी की 20 योजनाओं के विरुद्ध 08 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

पं.स.मारवाड़ जंक्शन में 5 योजनाएं, पं.स. देसूरी की 16 योजनाएं व पं. स. रानी की 12

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इन सभी योजनाओं के कार्य वित्तीय वर्ष 95-96 की समाप्ति तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(3) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में फरवरी, 95 तक 91 जी.एल.आर. एवं 16 टंकियां (एस.आर) पं.स. देसूरी में 16 जी.एल.आर एवं 8 टंकियां, पं.स.रानी में 10 जी.एल.आर एवं 5 टंकियां (एस.आर.) बनाई गईं। ग्रामों के नाम, जिनमें जलाशय निर्मित हुए, की विस्तृत सूचना, चालू नहीं करने का कारण एवं चालू करने की संभावित अवधि प्रपत्र "ब" में दर्शायी है।

(4) जी हां, केवल पं.स. मारवाड़ जंक्शन में 3 जी.एल.आर. टूटे हुए हैं एवं कार्य में नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार केवल पं.स. देसूरी में एक एस.आर. टूटा हुआ है तथा चालू नहीं है। सूची प्रपत्र (ब) में संलग्न है।

तीनों जी.एल.आर. 6 माह के अंदर-अंदर मरम्मत कर चालू कर दिये जायेंगे। पंचायत समिति देसूरी के नारलाई ग्राम में निर्मित एक टंकी (एस.आर.) (नकारा) मरम्मत हेतु अयोग्य घोषित की जा चुकी है तथा इसे गिराने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

अलवर जिले के कृषकों के लिए बांध से पानी पर रोक

59. **श्री रमाकान्त** (थानागाजी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में बांध बनाते समय मत्स्य पालन के बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा गया ?

(2) क्या यह सही है कि मत्स्य पालन के नाम पर एक ठेकेदार को मदद करने के लिये किसानों को खेती के लिए पानी न देकर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) किसानों को पानी न देकर मत्स्य पालन के लिए बांध में पानी रखने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अन्तर्गत मत्स्य पालन हेतु बांधों में पानी आरक्षित रखा जा रहा है।

(3) उपरोक्त नीतिगत निर्णय के अधीन मत्स्य पालन हेतु जिला मत्स्य पालक अभिकरण, अलवर ने जिले के बांधों में निर्धारित गेज तक पानी आरक्षित रखने का निर्णय लिया है।

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 33 का विवरण

अंकेक्षण एवं जांच में सामने आये गम्भीर प्रकरणों का विवरण

क्र.स.	आरोप क्या था
1.	अग्रिम लेना तथा उसका समायोजन समय पर नहीं कराना।
2.	बिना निविदा बिजली का सामान क्रय करना।
3.	ट्रेक्टर खराब फिर भी डीजल एवं मरम्मत पर व्यय करना।
4.	बगैर निविदा जीप किराये पर लेना।
5.	वीडियो कैसेट निर्माण
6.	18 कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर नियुक्ति देना।
7.	पट्टियां घर पर खाली करवाई गईं।
8.	अतिक्रमण नहीं हटाना तथा बगैर पूर्ण जांच के भूखण्डों का नियमन करना।
9.	निर्माण कार्यों में अनियमितताएं।

परिशिष्ट-4

तारांकित प्रश्न संख्या 35 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

बीसलपुर परियोजना से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने की योजना का विवरण

केन्द्रीय जल आयोग से अनुमोदित बीसलपुर पेयजल एवं सिंचाई परियोजना की रिपोर्ट 1991 के अनुसार टौंक व सवाई माधोपुर जिलों के क्षेत्र में निम्नानुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

जिला		तहसील	गांवों की संख्या	क्षेत्रफल जिसमें पानी उपलब्ध करना प्रस्तावित है (हैक्टर में)
1.	टौंक	देवली	24	9302
2.	टौंक	टौंक	106	37523
3.	टौंक	उनियारा	73	18134
	कुल योग: जिला टौंक		203	64959
4.	सवाई–माधोपुर	सवाईमाधोपुर	5	2072
			208	67031.00
		लिफ्ट द्वारा दवली		2259.00
				69290.00

इस परियोजना के कुल उपलब्ध पानी में से पेयजल व वाष्पीकरण हास के पश्चात् सिंचाई के लिए 8000 एम.सी.एफटी. पानी सिंचित क्षेत्र में आने वाले तालाबों से उपलब्ध होना अनुमानित है इस प्रकार कुल 9000 एम.सी.एफटी. पानी से 69290 हैक्टर कमाण्ड क्षेत्र में 49900 हैक्टेयर वार्षिक सिंचाई कराने का प्रावधान है।

(168)

परिशिष्ट (ब)

बीसलपुर बांध सिंचाई एवं पेयजल परियोजना से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की मांग का विवरण

बीसलपुर बांध से सिंचाई के लिये पानी की मांग निम्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग समय पर की जाती रही है।

(i) जिला बूंदी के नैनवां क्षेत्र के 56 गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जन प्रतिनिधियों द्वारा मांग उठा रखी है। अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट 1991 में इन गांवों हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान नहीं है, परन्तु परियोजना की पूर्व प्रेषित प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो दिनांक 26.4.82 को केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई थी, के अनुसार जिला टौंक की तहसील टौंक के 113 गांवों, तहसील देवली के 23 गांवों, तहसील उनियारा के 195 गांवों, सवाई माधोपुर जिले की तहसील सवाईमाधोपुर के 181 गांवों व बूंदी जिले की नैनवां तहसील के 56 गावों, इस प्रकार कुल 568 गांवों की 85000 हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान था।

परन्तु राज्य की पेयजल प्राथमिकता नीति के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा पेयजल की आवश्यकता को बढ़ाने से सिंचाई हेतु पानी की कटौती के कारण नैनवां क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

(ii) बीसलपुर कमाण्ड एरिया संघर्ष समिति टौंक ने स्वीकृत दांयी मुख्य नहर को ताखोली, रघुनाथपुरा से नगरफोर्ट क्षेत्र की तरफ से निकालने की मांग कर रखी है। एवं बांयी मुख्य नहर का निर्माण करने की भी मांग उठा रखी है जो कि टोडारायसिंह तहसील के क्षेत्र को सिंचित कर सकेगी। इसके अतिरिक्त अलग से ग्राम निवारिया, तहसील देवली के काश्तकारों ने भी लिफ्ट से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की है।

उक्त मांगों पर निर्णय विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 की सूची

जिलेवार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगाए गए चालू एवं बन्द हैण्डपम्पों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्रामीण क्षेत्र लगाये गये है.पम्प	ग्रामीण क्षेत्र चालू हैड.पम्प	ग्रामीण क्षेत्र बन्द है.पम्प	शहरी क्षेत्र लगाये गए है.पम्प	शहरी क्षेत्र चालू है.पम्प	शहरी क्षेत्र बन्द है.पम्प	माह 7/94 कुल लगाये गये है.पम्प	माह 7/94 कुल चालू है.पम्प	माह 7/94 कुल बंद है.पम्प
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	6094	5682	412	2952	2850	102	9046	8532	514
2.	अलवर	7049	5400	1642	391	356	35	7440	5756	5684
3.	बांसवाड़ा	6239	6151	83	172	172	0	6406	6323	83
4.	बारां	3577	3156	421	144	143	1	3721	3299	422
5.	बाड़मेर	473	449	24	75	73	2	548	522	26
6.	भरतपुर	4521	2881	1640	423	379	44	4944	3260	1684
7.	भीलवाड़ा	6807	6564	243	1168	1145	23	7975	7709	266
8.	बीकानेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	बूंदी	3265	3026	239	277	257	20	3542	3283	259
10.	चित्तौड़गढ़	6811	6266	545	477	464	13	7288	6730	558
11.	चूरू	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	दौसा	4149	3381	768	240	190	50	4389	3571	818

(169)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	धौलपुर	3448	2334	1114	253	215	38	3701	2549	1152
14.	डूंगरपुर	6780	6166	614	223	209	14	7003	6375	628
15.	गंगानगर	3647	2688	959	308	266	42	3955	2954	1001
16.	जयपुर	9707	8737	970	2193	2012	161	11880	10749	1131
17.	जैसलमेर	559	499	60	43	22	21	602	521	81
18.	जालौर	448	366	82	189	152	37	637	518	119
19.	झालावाड़	4392	3824	568	233	211	22	4625	4035	590
20.	झुंझुनू	1474	1272	202	230	197	33	1704	1469	235
21.	जोधपुर	1176	985	191	1976	1960	16	3152	2945	207
22.	कोटा	3091	2857	234	180	156	24	3271	3013	250
23.	नागौर	938	741	197	303	267	36	1241	1008	233
24.	पाली	3194	2858	336	672	593	79	3866	3451	415
25.	राजसमन्द	3514	2211	1303	357	338	19	5871	4549	1322
26.	सीकर	4792	4088	704	624	564	60	5416	4652	764
27.	सिरोही	2510	2403	107	468	463	5	2978	2866	112
28.	सवाई माधोपुर	6814	5058	1783	381	332	49	7222	5390	1832
29.	टौंक	4210	3817	393	359	319	40	4569	4136	433
30.	उदयपुर	11459	11353	106	1443	1433	10	12902	12826	116
	योग	123160	107213	15947	16734	15738	996	139894	122951	16943

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 का विवरण

मार्च 93 से 1 जनवरी, 95 तक मकराना विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत लगाये गये व चालू/बन्द हैण्डपम्पों की सूची।

क्र.सं.	लगाये गये हैण्डपम्प का स्थल	हैण्डपम्पों की सं.	चालू अथवा बन्द
1.	रामपुरा की ढाणी	1	चालू
2.	पालड़ी	2	चालू
3.	मकराना सरकारी अस्पताल के पास	1	चालू
4.	मकराना आर.एस.ई.बी.दुर्गा मंदिर के पास	1	चालू
5.	मकराना गरीब नवाज कालोनी, चमनपुरा	1	चालू
6.	मकराना नदी मौहल्ला	1	चालू
7.	मकराना गुणावती चंदेल बस्ती	1	चालू
8.	मकराना बिदीयाद रोड बाई पास	1	चालू
9.	मकराना बोरावड़ बाई पास	1	चालू
10.	मकराना भाटीपुरा शम्भू बाल मंदिर के पास	1	चालू
11.	मकराना सुभाष कालोनी मंगलाना रोड	1	चालू
12.	मकराना गोड़ा बास बस स्टेण्ड	1	चालू
13.	मकराना झालरा तालाब धनजी दरोगा के पास	1	चालू
14.	मकराना चंदन सैन के पास	1	चालू
15.	मकराना एस.डी.ओ.टी. ऑफिस के पास	1	चालू
16.	मकराना ढोला कुआ मस्जिद	1	चालू
17	मकराना गुणावती रैंज बाबूलाल के पास	1	चालू
18.	ग्रामीण इन्दोखा	1	चालू
19.	ग्रामीण खारडिया छपारा	1	(इन्स्टालेशन कार्य बाकी है)
20.	ग्रामीण जिलीया	1	(इन्स्टालेशन कार्य बाकी है)
21.	ग्रामीण कसारी	2	चालू है
22.	ग्रामीण आसनपुर	1	चालू है (इन्स्टालेशन कार्य बाकी है)
23.	ग्रामीण चान्दपुरा (पाट बस्ती, बलाईबस्ती)	2	चालू
24.	ग्रामीण उचेरिया	1	वेधन कार्य नहीं हुआ है।
	कुल	27	

कुल स्वीकृत हैण्डपम्प 27 नग
कुल चालू हालत में हैण्डपम्प 22 नग
कुल इन्स्यलेशन कार्य बाकी 4 नग
कूल वेधन कार्य बाकी 1 नग

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 52 का विवरण

तहसील भीम एवं तहसील देवगढ की निम्नलिखित जल योजनाएं स्वीकृत हुई, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

जल प्रदाय योजना

क्र.सं.	योजना का नाम	तहसील	स्वीकृत राशि
(1)	बजलाल	भीम	1.60 लाख रु.
(2)	लाखा गुडा	भीम	1.25 लाख रु.
(3)	ठीकरवास	भीम	0.90 लाख रु.

पनघट योजना

क्र.सं.	योजना का नाम	तहसील	स्वीकृत राशि
(1)	सारोठ	भीम	1.00 लाख रु.
(2)	पारडी	देवगढ	1.00 लाख रु.
(3)	कामला	देवगढ	1.00 लाख रु.
(4)	नरदास का गुडा	देवगढ	1.00 लाख रु.
(5)	मदारिया	देवगढ	1.00 लाख रु.

उक्त योजनाएं ग्रामीण विकास अभिकरण, राजसंमद के द्वारा वर्ष 94-95 में स्वीकृत की गई हैं।

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 का विवरण

गत 2 वर्षों में विभिन्न गलियों में जीर्ण शीर्ण पाइप लाइन के परिवर्तन के कार्य की सूची

क्र.सं.	गली का नाम	पाइप लाइन	
		व्यास मिली. मीटर में	लम्बाई मीटर में
1	2	3	4
1.	मालदास स्ट्रीट से भोईवाड़ा	250	260
2.	प्रतापनगर "सी" क्लास से उत्तरीसुंदरवास	150	630
3.	भूत-गली बड़ा बाजार	80	80
4.	पाण्डे जी की गली	80	50
5.	किशनगढ़ का नोहरा	80	30
6.	धमकूटी की गली	80	70

1	2	3	4
7.	पुरोहितों की भादड़ी गली नं.3	80	80
8.	बुदुजी का दरवाजा	80	40
9.	गणेश घाटी	80	50
10.	सुघारी की घाटी, झटियानी चौहट्टा	80	55
11.	बडा चौक इलाजी का नीम	80	40
12.	घाणिराव की घाटी	80	60
13.	वजीरपुरा मस्जिद बोहरवाड़ी	80	40
14.	हरिजन बस्ती, आजीपीर	80	400
15.	गणेश देवरा देहली गेट	80	35
16.	अशोक नगर रोड़ नं6	80	100
17.	आर्य समाज मंदिर पिछोली	80	30
18.	पीरवालों की पोल	80	56
19.	ब्रह्मपुरी	80	175
20.	घोली बावड़ी राव का मौहल्ला	80	40
21.	भूपालवाडी चौधरी की गली	80	70
22.	शबरी कालोनी गली नं2	80	245
23.	पाण्डुवाडी	80	100
24.	कुंजड़वाड़ा मुसाफिर खाना	80	15
25.	अशोकनगर रोड नं13	80	132
26.	बाबेली की सेहरी	80	72
27.	अशोकनगर रोड नं2	80	110
28.	पायं छीपा मौहल्ला ओटीसी	80	150
29.	भोईवाड़ा बड़ी गली	125	90
30.	भोईवाड़ा ज्ञान मंदिर गली	125	205
31.	उत्तरी सुंदर वास पत्रिका गली के पीछे	80	160
32.	भूपालवाड़ी चौधरी की गली नं.2	80	44

174

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 56 की प्रति

महापौर,
नगर निगम,
जयपुर।

16 (86) लोआस/94/5260 Dt. 13.2.95

महोदय,

निर्देशानुसार इस पत्र के साथ श्री ताराचंद जैन निवासी पी-94, श्रीजी की मोरी के अंदर त्रिपोलिया बाजार जयपुर से प्राप्त परिवाद दिनांक 18.1.95 एवं शपथ पत्र की फोटोप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि प्रेषित किये जा रहे परिवाद में आपके विरुद्व लगाये गये आरोपों की बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं इस प्रकरण से संबंधित समस्त रिकार्ड अविलम्ब माननीय लोकायुक्त महोदय के अवलोकनार्थ प्रे षित करने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय,
ह.
(कैलाश सिंहल)
उप-सचिव

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 58 की सूची

विद्याधर नगर सैक्टर 8 के शोपिंग सेन्टर में निर्मित व खाली दुकानों की सूची निम्न है :—

क्र.सं.	भूखण्ड साइज	निर्मित वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या	खाली वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या
1.	7′×7′	भूखण्ड संख्या 1	भूखण्ड संख्या 2 से 12
		कुल संख्या 1 No	कुल संख्या 11 No
2.	10′×10′	भूखण्ड संख्या 1 से 11, 16, 22	भूखण्ड संख्या 12 से 15, 17 से 21, 23 से 24
		कुल संख्या 13 No	कुल संख्या 11
3.	10′×20′	भूखण्ड नं. 1, 2, 5, 9, 12,19	भूखण्ड नं. 3, 9, 6 से 8, 10, 13 से 18, 20 से 24
		कुल नं. 7	कुल नं. 17
4.	15′×30′	भूखण्ड नं. 1 से 7	भूखण्ड नं8 से 12
		कुल नं. 7	कुल नं. 5
5.	22-6"×15-0"	–	भूखण्ड नं. 1 से 4 कुल नं4
6.	22-6"×30-0"	–	भूखण्ड नं. 1 से 2 कुल नं.
		कुल निर्मित 28 No.	कुल खाली 50 No.

ह.
(प्रभारी अधिकारी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट -11

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 की प्रति

Prakash Shukla S/o	VERSUS	State of Rajasthan
Sh.Laxmichand Shukla		and others.
R/o Jaipur		
Petitioner		Respondents.

Date of Ordre: 28.2.1985

Hon'ble Mahta J.

Shri K.c.Sharma for the Petitioner

Shri Rajendra Tiwari for Respondent no.2.

Heard learned counsel for the parties. None put in appearance on behalf of the State. Mr.Tiwari put in appearance on behalf of Municipal Council. It is the obligatory duty of the Municipal Council to remove the encroachment especially in the public thoroughfare. The Municipal Council is directed to remove the encroachment immediately in accordance with the provisions of the law.

sd/-

D.l.MEHTA J.

श्रीमान रिट याचिका में कोई भी संबंधित व्यापारी पक्षकार नहीं है और ना ही माननीय न्यायमूर्ति श्री मेहता साहब ने इकडालिया या बरामदा के संबंध में यह निर्णय दिया है कि इकडालिया या बरामदा सरकारी मार्ग है या सार्वजनिक आम दरफ्त का रास्ता है और न इसको अतिक्रमण ही माना है और ना यही ही माना है कि दुकानदार अतिक्रमणी है बल्कि आदरणीय न्यायमूर्ति श्री मेहता साहब ने आदेश में यह कहा गया है कि नगर परिषद का यह वैधानिक दायित्व है कि सार्वजनिक रास्ते विशेषतः आमद-रफ्त (थारो फेयर) पर अतिक्रमण न हो और ऐसे अतिक्रमणों को हटाया जाय। जबकि बरामदें कभी "थारोफेयर" नहीं है।

(176)

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 82 का विवरण

. भीम-देवगढ़-दिवेर के बीच संचालित निगम की वाहन सेवाओं का भीम आगमन व प्रस्थान समय दर्शाते हुए विवरण।

क्र.सं.	मार्ग	भीम आगमन	भीम प्रस्थान
1	2	3	4
1.	जयपुर-अहमदाबाद वाया अजमेर, ब्यावर, भीम, देवगढ़, उदयपुर, रतनपुर	0315	0320 द्रुतगामी
2.	बीकानेर-उदयपुर वाया नागोर, मेड़ता, अजमेर, ब्यावरा, भीम, देवगढ़, नाथद्वारा	0400	0405 द्रुतगामी
3.	दिल्ली-उदयपुर वाया जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीम, देवगढ़, नाथद्वारा	0430	0435 द्रुतगामी
4.	भीम-उदयपुर वाया देवगढ	—	0600
5.	ब्यावर-बांसवाड़ा वाया भीम, देवगढ़, उदयपुर	0750	0800
6.	ब्यावर-डूंगरपुर वाया भीम, देवगढ़,उदयपुर	0830	0840
7.	अजमेर-डूंगरपुर वाया ब्यावर, भीम, देवगढ़, उदयपुर	1030	1040
8.	जयपुर-उदयपुर वाया अजमेर, ब्यावर, भीम, देवगढ़ नाथद्वारा	1130	1140
9.	जयपुर-डूंगरपुर वाया अजमेर, ब्यावर, भीम, देवगढ़ उदयपुर	1220	1230 द्रुतगामी
10.	जयपुर-उदयपुर वाया अजमेर, ब्यावर, भीम देवगढ़ आमेट, नाथद्वारा	1320	1330 द्रुतगामी
11.	जयपुर-उदयपुर वाया अजमेर, ब्यावर, भीम, देवगढ़, केलवाड़ा	1400	1415
12.	ब्यावर-बड़ौदा वाया भीम, देवगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर	1430	1445
13.	अलवर-उदयपुर वाया जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीम, देवगढ़, नाथद्वारा	1500	1515 द्रुतगामी
14.	सीकर-उदयपुर वाया जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीम देवगढ़, नाथद्वारा	1630	1640
15.	देवगढ़-अहमदाबाद वाया आमेट, नाथद्वारा, उदयपुर रतनपुर	देवगढ से	1800
16.	वृंदावन-उदयपुर वाया मथुरा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीम, देवगढ़, नाथद्वारा	1730	1740 द्रुतगामी
17.	ब्यावर-अहमदाबाद वाया भीम, देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर	1830	1840

1	2	3	4
18.	जयपुर-उदयपुर वाया अजमेर, ब्यावर, भीम, देवगढ़, नाथद्वारा	2030	2040 द्रुतगामी
19.	बोरावड़-बांसवाड़ा वाया और अजमेर, ब्यावर, भीम, देवगढ़, आमेट, उदयपुर	2340	2345 द्रुतगामी
20.	अजमेर-उदयपुर वाया ब्यावर, भीम, देवगढ़	0945	1000 द्रुतगामी

दिवेर-देवगढ़-भीम के बीच संचालित निगम की वाहन सेवाओं का भीम आगमन व प्रस्थान समय दर्शाते हुए विवरण।

क्र. सं.	मार्ग	भीम आगमन	भीम प्रस्थान
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद-जयपुर वाया उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, भीम, ब्यावर, अजमेर	0820	0830 द्रुतगामी
2.	बड़ोदा-ब्यावर वाया उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, भीम	0835	0845
3.	अहमदाबाद-ब्यावर वाया नाथद्वारा, देवगढ़, भीम	0905	0915
4.	उदयपुर-वृंदावन वाया नाथद्वारा, देवगढ़ भीम, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, मथुरा	0920	0930 द्रुतगामी
5.	उदयपुर-जयपुर वाया केलवाड़ा, देवगढ़, भीम, ब्यावर, अजमेर	1020	1030
6.	उदयपुर-अलवर वाया नाथद्वारा, देवगढ़, भीम ब्यावर, अजमेर, जयपुर	1050	1100 द्रुतगामी
7.	उदयपुर-जयपुर वाया नाथद्वारा, देवगढ़, भीम, ब्यावर, अजमेर	1215	1225
8.	उदयपुर-सीकर वाया नाथद्वारा, देवगढ़, भीम, ब्यावर, अजमेर, जयपुर	1235	1245 द्रुतगामी
9.	उदयपुर-जयपुर वाया नाथद्वारा, देवगढ़, भीम ब्यावर, अजमेर	1305	1315
10.	डूंगरपुर-जयपुर वाया उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, भीम, ब्यावर, अजमेर	1405	1415 द्रुतगामी
11.	उदयपुर-जयपुर वाया नाथद्वारा, आमेट, देवगढ, भीम, ब्यावर, अजमेर	1520	1530 द्रुतगामी
12.	उदयपुर-देवगढ़ वाया नाथद्वारा	1530	देवगढ़ तक

(178)

1	2	3	4
13.	कुशलगढ़-ब्यावर वाया बासंवाड़ा, उदयपुर, नाथद्वारा देवगढ़, भीम	1720	1730
14.	डूंगरपुर, अजमेर वाया उदयपुर, नाथद्वारा; देवगढ़ भीम, ब्यावर	1820	1830
15.	उदयपुर-अजमेर वाया नाथद्वारा, गोमती, देवगढ भीम, ब्यावर	1900	1910 द्रुतगामी
16.	उदयपुर-भीम वाया नाथद्वारा, देवगढ	2030	भीम तक
17.	डूंगरपुर-ब्यावर वाया उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, भीम	2120	2130
18.	उदयपुर-बीकानेर वाया नाथद्वारा, देवगढ़, भीम, ब्यावर, अजमेर, नागौर	2110	2115 द्रुतगामी
19.	उदयपुर-दिल्ली वाया नाथद्वारा, देवगढ़, भीम, ब्यावर, अजमेर, जयपुर	2240	2245 द्रुतगामी
20.	बांसवाड़ा-बोरागढ़ वाया उदयपुर, नाथद्वारा, आमेट, देवगढ़ भीम, ब्यावर, अजमेर	0140	0145 द्रुतगामी

परिशिष्ट -13

अतारांकित प्रश्न संख्या 85 का विवरण

1. श्री रामजीलाल
2. श्री राजग्रोवर
3. श्री प्रकाश
4. श्री नरेश
5. श्री प्रभुदयाल
6. श्री प्रेमचंद
7. श्री दिनेश
8. श्री मुकेश कुमार
9. श्री अख्तर खां
10. श्री मोहन सिंह
11. श्री शहजाद खां
12. श्री रवि शर्मा
13. श्री भागचंद
14. श्री इन्द्र
15. श्री रामस्वरुप लाल
16. श्री मोहन लाल
17. श्री शिवराज सिंह
18. श्री रामफूल
19. श्री किशन
20. श्री हुकमीचन्द
21. श्री सुगनचंद
22. श्री गोपाल
23. श्री जुगलकिशोर
24. श्री नानूराम
25. श्री हनुमान लाल
26. श्री घेवर राम
27. श्री अरूणकुमार
28. श्री अनिल कुमार
29. श्री गोपाल लाल
30. श्री मोहन लाल
31. श्री कैलाश नारायण
32. श्री गिरराज प्रसाद
33. श्री प्रवीण

179

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 86 का विवरण

क्र.सं.	शिकायत कर्ता का नाम	शिकायत का विषय
1.	श्री मातादीन सोनी	अधिक राशि लेकर कनक्शन देने बाबत।
2.	श्री रमाकांत पुत्र बाबूलाल	उपभोक्ता से दुर्व्यवहार एवं 350/- अधिक लेने बावत।
3.	" "	" " "
4.	श्री महावीर प्रसाद गुप्ता	बिना रसीद दिये अधिक राशि लेनें बावत!
5.	श्री जनता कोटपूतली	हर कनक्शन पर अधिक राशि लेने बावत।
6.	श्री शंकरलाल सैनी	अधिक राशि लेने बावत।
7.	श्री मक्खनलाल गुप्ता	गैस कनेक्शन नहीं देने बावत।
8.	श्री श्यामनारायण दास	अधिक राशि लेने एवं बुकिंग में हेराफेरी करने बावत।

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 87 की सूची

बकाया प्रावधायी निधि स्वत्व प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	जिला	कुल बकाया मामले	बकाया की अवधि 5 वर्ष से अधिक	5 वर्ष से कम	4 वर्ष से कम	3 वर्ष से कम	2 वर्ष से कम	1 वर्ष से कम	बकाया का कारण विभागीय कार्य	सूचना के अभाव में	न्यायालय में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जोधपुर शहर	26	1	—	—	—	5	20	18	6	2
2.	जोधपुर ग्रामीण	25	—	—	—	—	3	22	17	8	—
3.	बाड़मेर	23	—	—	—	—	—	23	20	3	—
4.	सिरोही	8	—	—	—	—	1	7	3	5	—
5.	जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	जालौर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	पाली	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	कोटा	19	1	—	—	2	3	13	12	7	—
9.	बारां	16	—	—	—	—	—	16	16	—	—
10.	बूंदी	4	—	—	1	—	—	3	4	—	—
11.	झालावाड़	6	—	—	—	—	1	5	4	1	1
12.	सवाई माधोपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	करौली	6	—	—	—	—	—	6	3	3	—
14.	उदयपुर	30	—	—	—	—	—	30	16	14	—

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		15	—	—	—	—	—	15	8	7	—
		4	—	—	—	—	2	2	2	—	2
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4	—	—	1	—	—	3	3	—	1
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	...वाड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	...र	5	—	—	—	1	—	4	4	—	1
27.	टोंक	6	—	—	—	—	2	4	6	—	—
28.	जयपुर शहर	275	—	12	20	40	71	132	167	106	2
29.	जयपुर ग्रामीण	47	—	—	—	—	—	47	14	33	—
30.	सचिवालय	89	—	—	3	5	14	67	55	31	3
31.	दौसा	4	—	—	—	—	—	4	4	—	—
32.	झुंझुनु	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
33.	सीकर	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—
34.	अलवर	35	—	—	—	—	—	35	25	10	—
35.	भरतपुर	36	—	—	—	—	1	35	30	5	1
36.	धौलपुर	18	—	—	—	1	1	16	17	1	—
	योग	704	2	12	25	49	106	510	449	242	13

181